राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] दसवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 3

शुक्रवार

25 फरवरी, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह गुर्जर ।

पास बुकों की कानूनी मान्यता

30. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किसानों को भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों को एक जगह रख कर पास बुक के रूप में उन्हें देने हेतु कानून में मान्यता प्रदान की गयी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी तक कई जिलों के किसानों को पास बुकें नहीं दी गयी हैं ? यदि हां, तो उन जिलों का विवरण मय कारणों के सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या भी सही है कि सब-रजिस्ट्रार व बैंक इन पास बुकों को मान्यता प्रदान नहीं करते जिससे किसानों को अपनी भूमि सम्बन्धी विवाद व ऋण आदि के मामले के निस्तारण में कठिनाई होती है ?

(4) क्या सरकार पास बुक की इस कानूनी मान्यता को अधिकारी व बैंक स्तर पर सार्वजनिक मान्यता प्रदान कराने हेतु कोई प्रयास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार व्यापारियों व उद्योगपतियों की भांति किसानों को भी क्रेडिट लिमिट तय कर तदनुसार ऋण सुविधा देने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) जी हां ।

(2) राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) अधिनियम, 1983 के तहत राज्य के सभी जिलों में काश्तकारों को पास बुक का वितरण किया गया है । राज्य के 30 जिलों में दिनांक 30-9-93 तक 47,20,132 कृषकों को पास बुक वितरित की गयी हैं जो कुल खातेदार/गैर खातेदार का 85.77 प्रतिशत है । जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां । इस सम्बन्ध में बैंक अधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया तथा राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) अधिनियम, 1983 में इस प्रकार संशोधन विचाराधीन है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक हस्तान्तरण के पंजीयन का इन्द्राज सम्बन्धित कृषक की पास बुक में तुरन्त अंकित हो सके ।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(5) जी नहीं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें ।)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि अजमेर में, खास तौर से नसीराबाद और अजमेर तहसील के काश्तकारों को कोई पास बुक नहीं दी गयी है और अभी आपने बताया है कि कुल 412 आदमी बाकी हैं । मेरे ख्याल से अजमेर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो जो पास बुकें इश्यू की गयी हैं वे भी अब बेकार हो गयी हैं । उसकी वजह यह है कि यह जो कानून बना है, राजस्थान पास बुक एक्ट, 1983 इसमें जो धाराएं हैं और जो रूल्स बने हैं उनकी पालना न तो रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा की जा रही है, न बैंक और जो फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनके द्वारा की जा रही है ।

मेरा पहला सवाल तो यह है, जो आपने कहा कि कुल 412 ही अजमेर जिले में बाकी हैं, आप इसको और देख लें । मेरे खयाल में पूरे अजमेर जिले में क्योंकि भू-संशोधन 1971–72 का मामला अभी तक चल रहा है इसलिए वह पास बुकें नहीं दी गयीं । आप वहां कब तक पास बुकें दे देंगे ? एक ।

दूसरा मैंने प्रश्न के भाग 3 में पूछा था कि रजिस्ट्रार और बैंक वगैरह इनको मान्यता प्रदान नहीं करते और आपने सवाल के जवाब में कहा है कि जी हां । मैं जानना चाहूंगा कि कानून के सेक्शन 5 और 6 में जो प्रावधान हैं वे इसको मान्यता देंगे फिर क्या वजह है कि वे इसको मान्यता नहीं दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं तो आपने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

तीसरा सवाल मेरा यह है, जो आपने प्रश्न 4 में उत्तर दिया है कि इस सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं कि हस्तान्तरण के पंजीयन का इन्द्राज सम्बन्धित कृषक की पास बुक में तुरन्त हो सके । मैं समझता हूं कि कानून में अगर आप धारा 7 देखेंगे उसमें इसका प्रावधान किया हुआ है कि तुरन्त जो भी एन्ट्रीज होंगी उनकी सूचना बैंक वाले रेवेन्यू अधिकारी को देंगे और उसकी एन्ट्री उसमें होगी और वे खुद भी इस पास बुक में एन्ट्री करेंगे । मैं समझता हूं जब सारे प्रावधान हैं उसके बाद इसमें और कोई विचार करने की जरूरत नहीं है लेकिन बैंक वाले और रेवेन्यू अधिकारी जान बूझकर इस कानून के प्रावधानों, जो किसानों के हित के लिये हैं, को लागू नहीं कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अजमेर की नसीराबाद तहसील और दूसरी तहसील में माननीय सदस्य बता रहे हैं कि सारी पास बुकें नहीं बटी हैं । हमारे इस विभाग की सूचना के अनुसार तो कुल 412 ही बाकी हैं लेकिन मैं जानकारी कर लूंगा । अगर इसमें कमियां हैं तो इसकी पूर्ति करवा देंगे । अध्यक्ष महोदय, अब मुझे निवेदन यह करना है कि यह सही है कि बैंक अभी तक केवल पास बुक देख करके ऋण नहीं देते हैं व जमाबन्दी की नकल और अपडेटेड रिकार्ड की नकल चाहते हैं । इस बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार 91–92 में

(श्री गंगाराम चौधरी)

आदेश दिया था कि इस पर पुनर्विचार किया जाये कि बैंक्स क्या चीज चाहते हैं। तब विभाग और बैंक के अधिकारियों में विचार-विमर्श हुआ और बैंक वालों ने यह बात बतायी थी कि अगर कानून में यह प्रावधान हो जाये कि रजिस्ट्री करते वक्त एक पास-बुक के अन्दर एन्ट्री बराबर हो जावे, 'म्यूटेशन के वक्त भी पास बुक में बराबर एन्ट्री हो जाये, यह आप कानून में मेन्डेटरी प्रोविजन कर देते हैं तो फिर हमें ऋण देने में कोई आपत्ति नहीं है। इस पर कुछ विचार-विमर्श के बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी लेकिन राष्ट्रपति शासन जल्दी लागू होने से उस पर विचार नहीं किया जा सका। सेक्शन 7 के अन्दर अभी मौजूदा प्रावधान यह है कि अगर पास-बुक किसी को नहीं दी गयी और रजिस्ट्री करने वाला और खरीदने वाला, पेश करने वाला और खरीदने वाला अगर यह क्लेम करता है कि मुझे पास-बुक इश्यू नहीं की गयी है तो फिर उसकी रजिस्ट्री बिना पास-बुक के कर दी जायेगी। इस बात पर एतराज किया था, अब खास तौर से संशोधन जो विचाराधीन है वह इस बात का है कि जो प्रोविजन हैं उनको कुछ हटा देंगे तो यह सहुलियत हो जायेगी और बैंक्स ऋण दे देंगे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सेक्शन 7 आपने जो बयान किया हैं उसमें बिलकुल साफ दिया हुआ है। अगर आप कह रहे हैं कि 85 पर्सेण्ट लोगों को हमने पास-बुक दे दी हैं, तो जिनके पास पास-बुक है उनको लोन देने में बैंकों को क्या एतराज है?

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह तो आपको बताया ना कि बैंक वाले यह चाहते हैं कि यदि कानून में यह मेन्डेटरी प्रोविजन हो जाये कि पास-बुक में लास्ट एन्ट्री म्यूटेशन की कम्पलसरी है तब तो पास-बुक को मान्यता वे देंगे और इसी पर वह कमेटी बनी है जो विचार करेगी। इसमें मेन्डेटरी किया गया है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इस कानून का जो सेक्शन 7 है उसमें मेन्डेटरी प्रोविजन है।

श्री अध्यक्ष : वह डिस्प्यूटेड है। बैंक वालों ने नहीं माना उसको। वह जिस तरह से मेन्डेटरी चाहते हैं उस तरीके से करने के लिए कमेटी बैठी है ताकि वह आसान हो जाये। जो आप चाहते हैं वही काम सरकार कर रही है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, 1971 से यह मामला चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह तो बता दिया न आपको कि कमेटी 1992 में बनी थी, वह काम नहीं कर सकी राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : 14 साल से तो इसमें कुछ हुआ नहीं।

श्री अध्यक्ष : जो आप चाहते हैं वह सरकार कर रही है। जो आप चाहते हैं मेन्डेटरी प्रोविजन सरकार कर रही है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : Mandatory provision is already there,

श्री अध्यक्ष : बैंक वाले नहीं मानते हैं उसको ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : बैंक वाले नहीं मानेंगे, इस किताब को ही नहीं मानेंगे ? इसमें दिया हुआ है । यह कानून ही इसलिये बनाया था ।

श्री अध्यक्ष : बैंक अपने हिसाब से बतायेगा कि हम ऋण इस आधार पर दे सकते हैं । जो भी बातें डिटेल्स में उन्होंने बतायी होंगी उसी पर कमेटी विचार कर रही है ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : यह कानून इसीलिये बनाया था कि बैंक को फैसिलिटेट किया जा सके ताकि वह किसानों को ऋण दे सके ।....(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम जी कुछ कह रहे हैं ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : एक सवाल मेरा और था कि जिस तरह से व्यापारियों को, उद्योगपतियों को क्रेडिट लिमिट देकर लोन दिया जाता है उस तरह की क्रेडिट लिमिट काश्तकारों को भी दी जाये । यह मैंने सवाल किया था, मंत्री महोदय ने कहा था, कि जी नहीं । मैं जानना चाहूंगा कि काश्तकारों को क्यों नहीं क्रेडिट लिमिट दी जाती ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्रेडिट लिमिट तो बैंक तय करते हैं, राजस्व विभाग तय नहीं करता है ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने बताया कि पास-बुक के आधार पर बैंक न तो लोन देते हैं, न राजस्व अधिकारी इस पास-बुक को आथेन्टिक रेकार्ड मानते हैं फिर यह पास-बुकें जारी क्यों की जा रही हैं ? पास-बुकें जारी करने का मेन उद्देश्य यही था कि दूसरे किसी प्रकार के कागजों की जरूरत नहीं पड़े और पास-बुक के आधार पर किसान को जो भी फायदा मिलता है वह मिले । अगर यह नहीं मिल रहा है तो फिर यह पास-बुकें आगे से आगे जारी क्यों की जा रही हैं ? या तो उनको सुविधा मिले या उनको आप बन्द करें । जो फालतू खर्चा कर रहे हैं, इसका उपयोग कुछ हो नहीं रहा है और आप कह रहे हैं कि कमेटी बनेगी तो कमेटी कब तक बैठेगी, क्या करेगी ? इस पर आप बतायें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कमेटी तो 1992 में फोर्म हुई थी अब दुबारा गठित करनी पड़ेगी ताकि दुबारा विचार किया जा सके ।

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं कि जब पास-बुक जारी हुई हैं तो उसकी पूरी उपयोगिता किसानों को मिले इस बारे में आप विचार कर लीजिये कमेटी में ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप कब तक इस काम को करेंगे ? (व्यवधान)....

श्री हरजीराम बुरडक : फिर पास-बुक जारी करने का मतलब क्या है ? आप आगे से आगे जारी कर रहे हैं । पास-बुकें । पास-बुकें आज भी दी जा रही हैं क्यों दी जा रही हैं ? जब इनका उपयोग ही नहीं होता है तो आप बन्द करें इनको ? जब तक आप इनको कानूनी मान्यता नहीं दिला सकें तब

(श्री हरजीराम बुरडक)

तक आप इनको बन्द करें। फालतू काश्तकारों का खर्चा हो रहा है। इसमें पैसे ले करके आप आप पास-बुकें जारी कर रहे हैं। इसका उपयोग नहीं होता तो बन्द करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह पास बुक की प्रक्रिया 1983 में कानून बनने के बाद शुरू हुई और उस समय से लगातार इस विषय में चर्चा होती रही है और उस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि इस पास बुक के आधार पर बैंक ऋण नहीं देता है। मुझे याद है और मैंने बैंक वालों से इस सम्बन्ध में चर्चा की थी, राजस्व कानून के कारण से उनको कोई बाधा उपस्थित नहीं हो रही है, बाधा उपस्थित इस कारण से हो रही है कि बैंकिंग ला में जब तक पास बुक को वह रिकग्नाइज नहीं करते उस आधार पर वह ऋण वितरण नहीं करना चाहते हैं। उनको सारा प्रोफार्मा बदलना पड़ेगा। ऋण देने के लिए किस तरह से एप्लीकेशन ली जाये उसमें पास बुक का नाम एन्टर करना पड़ेगा। वह अभी तक नहीं हुआ है और इस कारण से पास बुक के जरिये से जो बैंक से ऋण मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है, यह बात बिलकुल सही है। अब पास बुक के अतिरिक्त भी कारण हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि पास बुक में समय पर एन्ट्रीज हो जायें। अब म्यूटेशन का मामला कई दिनों तक पैन्डिंग पड़ा रहता है। बैंक वालों को डर है कि पास बुक में किसी आदमी ने बताया कि इस जमीन पर मेरा कब्जा है और वह जमीन बेचकर आ जाये, उसका म्यूटेशन नहीं हो तो उस हालत में बैंक जमीन जब दूसरे को डिस्पोज ऑफ कर चुका है तो उस जमीन के आधार पर किस प्रकार से ऋण देगा। बैंक को तो कानूनन यह गारन्टी देनी पड़ेगी कि जो भी इसमें एन्ट्री है और जिस एन्ट्री में जिस आदमी के नाम जितनी जमीन लिखी है यह उस समय तक, चाहे उस आदमी का म्यूटेशन हो जाये, उसका नाम नहीं माना जायेगा जब तक बाकी बैंक का ऋण उस जमीन पर निकला है। इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं और इसी आधार पर मुझे याद है कि पिछले सत्र में जब चर्चा हुई थी उस समय इन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी अपाइन्ट की थी। अब यह बात आपने भी रखी है और मैं भी जानता हूं कि इसका जितना उपयोग होना चाहिए वह उपयोग नहीं हो पाया। इसलिए हमें कानून में भी संशोधन करने की आवश्यकता हुई तो संशोधन करेंगे और संशोधन करने के बाद बैंकिंग ला में कितना संशोधन हम करवा सकते हैं वह जिस दिन संशोधन हो जायेगा उस समय पर्याप्त व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था के साथ ही यदि पास बुक में किसी प्रकार का परिवर्तन भी करने की जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से परिवर्तन करेंगे ताकि पास बुक के जरिये किसानों की समस्या का समाधान हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी।

जिला डूंगरपुर की सड़कों का डामरीकरण

31. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर) [श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) के स्थान पर] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नाथूराम अहारी)

(1) डूंगरपुर जिले में कुल कितनी सड़कें कच्ची, कितनी पक्की, कितनी अधूरी हैं? इन सड़कों का डामरीकरण कौन से सन् में कब-कब किया?

(2) चौरासी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी सड़कों का डामरीकरण हुआ है व कौन-कौनसी सड़क प्लान में है तथा कितनी सड़कें विचाराधीन हैं?

(3) क्या यह सही है कि चुन्डावाड़ा, मोहर नागफनी जो सड़क चुण्डावाड़ा की तलैया जाती है उस घाटे पर अधिकांश एक्सीडेंट की घटनायें घटित होती रहती हैं? यदि हां, तो सरकार दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सड़क मार्ग पर क्या सुधार करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) डूंगरपुर जिले में 908.5 किलोमीटर डामर सड़क, 157.5 किलोमीटर मिट्टी सड़क, 156.5 किलोमीटर ग्रेवल सड़क व 147 किलोमीटर मिट्टी की सड़कें हैं। इन सडकों का डामरीकरण का कार्य 1956 से 1994 के बीच कराया गया है।

(2) चौरासी विधान सभा क्षेत्र में कुल 220 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण हुआ है व निम्न सड़कों का कार्य प्लान के अन्तर्गत लेकर डामरीकरण कराया जा रहा है :—

1.	पहुंच सड़क पोहरी खातुरात	3 कि.मी.
2.	धम्बोला जोगपुर से बेडसा	5 "
3.	पीठ डूका रोड	9 "
4.	सुराता मील चौकी रोड	3 " (माइन्स)
5.	पहुंच सड़क भीण्डा	2 "
6.	पहुंच सड़क तलैया	2 "
7.	संचिया सड़क का भाग	4 "

वर्ष 1993-94 की वार्षिक योजना में कोई नयी सड़क विचाराधीन नहीं है।

(3) हां, उस घाटे में असावधानी से वाहन चलाने की वजह से अक्सर दुर्घटनाएँ होती हैं। फिलहाल घाट सैक्शन को सुधारना विचाराधीन नहीं है।

श्री नाथूराम अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहता हूं, जो आपने डामरीकरण रोड्स बताई हैं, प्रतिवर्ष प्रति किलोमीटर उनके संधारण के लिए कोई रकम स्वीकृत होती है? यदि हां, तो कितनी?

दूसरा प्रश्न है कि क्या डूंगरपुर से पीठ डूका जो रोड है उस रोड के लिए गत दो सालों में कोई रकम स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो उस रोड की हालत इस तरह की क्यों है कि उस पर गाड़ी से 20 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा नहीं जा सकते हैं? इसके क्या कारण हैं? पहले यह सुनने में आया था कि इस रोड को नेशनल हाईवे में ले रहे हैं तो क्या इस वजह से इसको मेन्टेन नहीं किया जा रहा है?

तीसरा प्रश्न है, आपने बताया है कि यह तलैया का रोड बहुत बड़ा घाटा है उस घाटे में एक्सीडेन्ट्स होते हैं। आपने स्वीकार भी किया है और आपने यह भी कह दिया है कि इस बारे में कोई बात विचाराधीन

(श्री नाथूराम अहारी)

नहीं है । तो क्या इसी तरह एक्सीडेन्ट्स होते रहेंगे ? घाटे से जो मेन पाल है तलैया जाने के लिए, इस बारे में कोई सर्वे कराने का विचार रखते हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमैन्ट्रीज माननीय सदस्य ने की है वह रिपेयर्स के बारे में की है । मूल सवाल में रिपेयर का कोई जिक्र नहीं है, किन्तु फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि रिपेयर्स का एक नियमित कार्यक्रम निश्चित है, 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक बरसात के बाद जो सड़कों में टूट-फूट हो गयी हैं उसकी निश्चित रूप से मरम्मत की जायेगी । हमने की भी है । एक वर्ष राज्यपाल महोदय के शासन में क्या हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है, किन्तु अभी रह गयी हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं । एक सड़क डूंगरपुर से पीठ डूका के लिए उन्होंने जिक्र किया है । वैसे यह इस प्रश्न से सीधा सम्बन्धित विषय तो नहीं है फिर भी इस रोड को मैं दिखवा लूंगा और अगर उसमें कोई रिपेयर्स रह गयी है तो वह रिपेयर्स अविलम्ब कराई जायेगी, 31 मार्च तक की गारन्टी मैं करना चाहता हूं ।

नम्बर तीन घाटे के विषय में जैसा माननीय सदस्य ने कहा और मैंने जवाब में कहा है कि दुर्घटनाएं होती हैं वह असावधानी से कार चलाने के कारण होती हैं । मेरा विभाग तो नहीं हैं लेकिन मैंने इसकी जानकारी पुलिस विभाग से की है । मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 1984 में जबसे सड़क बनी है उसके बाद से तीन एक्सीडेन्ट हुए हैं । एक 1987 में हुआ है जिसमें एक कार उलट गयी और उसमें दो व्यक्तियों को चोटें आयी थीं, मरा कोई नहीं है । 1990 में एक जीप उलट गयी उस समय 5 आदमी मरे । 1991 में एक जीप, ट्रेक्टर ट्रोली उलट गयी उसमें एक लड़की मरी थी । यह 1984 से अभी तक तीन एक्सीडेन्ट हुए हैं । इस सड़क पर बहुत यातायात नहीं है । यह बात सच है कि एक मन्दिर को जोड़ने वाली यह सड़क है । डामर की सड़क है । फिर भी जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, हम प्रावधान इसलिए नहीं कर सकते कि इसको करने के लिए 40 लाख रुपये चाहिए कटिंग और फिलिंग के लिए जो सम्भव नहीं है । हां, इतनी बात जरूर है कि क्योंकि माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है इसलिए ड्रम्स लगा देंगे, सफेदी करवा देंगे, उसमें लाइट लगा देंगे और उस पर बोर्ड्स लगवा देंगे ताकि यह जो तीन एक्सीडेन्ट हुए हैं और चौथा एक्सीडेन्ट नहीं हो ।

श्री नाथूराम अहारी : मेरा एक प्रश्न और है । आपने फरमाया है कि यह जो सड़क है यह मन्दिर को जोड़ने के लिए है । यह उत्तर गलत है । इसके आगे तलैया और बहुत बड़ा एरिया है, यह पंचायत का पूरा भाग है जो बिलकुल छूट गया है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है उसको आप सही करलें । उसके आगे बहुत बड़ी आबादी है डूंगरपुर जिले की और उसको करना बहुत जरूरी है । आपने इसको पोस्टपोन करने की बात कही है वह गलत है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री में भी पूछना चाहता था। माननीय मंत्रीजी हर सड़क के मामले में यह कह देते हैं कि मैं जांच करवा लूंगा, मैं देख लूंगा और हम इनसे यह कहते हैं कि हमको साथ तो रखते नहीं हैं फिर क्या देख लेंगे। आपका फर्ज यह होता है कि कोई भी जांच करवायें तो प्रश्नकर्त्ता को साथ रखें। आज डूंगरपुर की की बात कही है तो जिस समय आप सड़क की रिपेयर करवायें या पुलिया ठीक करवायें तो इनको भी सूचित कर दिया करें। यह भी देखेंगे। आपने अभी हमारी एक सड़क की जांच करवाई और आपने अपने इन्जीनियर को बीकानेर से भेजा और खेतसिंह वहां बैठा ही रहा, उसको बुलाया ही नहीं। यह कौन सी जांच हुई और ऐसी जांच का क्या मतलब है। इससे तो अच्छा हो कि यह कहें ही नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य विधान सभा में व्यस्त थे। माननीय सदस्य ने मुझे जांच का विषय दिया था। तीन दिन में उसकी जांच करवा ली। आप कहेंगे तो फिर उनके साथ किसी और को भेजकर जांच करवा लेंगे दुबारा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिलकुल। मैं चाहता हूं मेरे सामने जांच हो और मैं वहां मौजूद रहूं। वही जांच होती है। मंत्रीजी, जांच वही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा वे कह रहे हैं, अगर सड़क टूटी हुई है, गाड़ियां उथल-पुथल हो जाती हैं, चलना कठिन हो जाता है, ऐसी सड़क पर इंस्पेक्शन कराने के लिए आपको ले गये तो गाड़ी टूटेगी कि नहीं टूटेगी, आदमी जरूर....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो इसी इन्तजार में रहते हैं, जब भी देखते हैं। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि भगवान आपको 100 साल की उम्र दे।

प्रश्न संख्या 32

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री घनश्याम तिवाड़ी। (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

थाना मालवीय नगर, जयपुर में दर्ज प्रकरण

33. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दिनांक 27-12-1993 को थाना मालवीय नगर, जयपुर में मुकदमा नम्बर 335/93 दर्ज किया गया था? यदि हां, तो किस कारण से व किन-किन धाराओं के तहत? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमे में कौन-कौन अभियुक्त थे और न्यायालय ने इन अभियुक्तों को किन कारणों से जमानत पर रिहा किया?

(3) क्या अभियुक्त ने जमानत पर रिहा होने के बाद कोई मुकदमा थाना आमेर में दर्ज कराया था? यदि हां तो अब तक इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या थाना मालवीय नगर द्वारा दर्ज मुकदमे के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक (शहर) जयपुर को दिनांक 27-12-1993 को दिया गया था? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कुबेर सिंह)

(5) क्या यह भी सही है कि पुलिस अधीक्षक, जयपुर को प्रार्थना-पत्र में उल्लेख न करने के उपरान्त भी प्रभारी, थाना मालवीय नगर ने अपने बचाव के लिए इन्हीं अभियुक्तों के विरुद्ध एक और मुकदमा दर्ज किया ? यदि हां, तो क्या व क्यों ?

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) :

(1) जी हां। दिनांक 26-12-1993 को पत्र सूचना पर थानाधिकारी मालवीय नगर द्वारा नाकाबन्दी की गयी थी। दिनांक 26/27-12-1993 की दरम्यानी रात समय एक ए. एम. पर नाजायज शराब मुलजिमान के कब्जे से गाड़ी संख्या आर. जे. 14 जी-2972 से बरामद की जाकर अपराध संख्या 335/93 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत थाना मालवीय नगर पर दर्ज किया गया। विस्तृत विवरण प्रस्तुत एफ. आई. आर. में अंकित है जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) अभियोग के अन्वेषण से सवश्री घनश्याम, शिवसहाय, हरसहाय, विजय, ओमप्रकाश, प्रहलाद, छोटू, हनुमान मीणा व पप्पू उर्फ राजेश मीणा अभियुक्त पाये गये। हनुमान व पप्पू उर्फ राजेश फरार हैं। शेष सात अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा जमानत पर दिनांक 5-1-1994 को रिहा किया गया है। इन सात अभियुक्तों से पुलिस द्वारा अपनी तफ्तीश पूर्ण कर ली गयी थी। अत: न्यायालय ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जमानत पर रिहा कर दिया।

(3) अभियुक्त घनश्याम एवं विजय ने जमानत पर रिहा होने के बाद एक रिपोर्ट डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक, जयपुर (शहर) को प्रेषित की थी, जिसे पुलिस अधीक्षक जयपुर (शहर) ने अपने पत्र क्रमांक 982 दिनांक 12-1-1994 द्वारा पुलिस थाना, आमेर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। पुलिस थाना आमेर पर यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 16-1-1994 को अपराध संख्या 17/94 धारा 147, 342 एवं 323 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। इस अपराध का अन्वेषण पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर के निर्देशानुसार अपराध सहायक जिला जयपुर शहर द्वारा किया जा रहा है। अभी तक रिपोर्टकर्ता श्री घनश्याम, आबकारी अधिकारी श्री घासीलाल तथा दो अन्य गवाहान के बयान लिये जा चुके हैं। शेष गवाहान से अनुसन्धान किया जाना शेष है।

(4) मैसर्स आर. आर. वाइन्स, शाहपुरा की ओर से श्री राजाराम ने पुलिस अधीक्षक, जयपुर (शहर) को दिनांक 28-12-1993 को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया था जिसमें उन्होंने यह शिकायत की थी कि श्री तोलाराम व उसके अन्य कुछ साथियों द्वारा शराब की गाड़ी को रोककर वाहन चालक के साथ मारपीट की गयी और उन्होंने पुलिस के सहयोग से झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। यह शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक, जयपुर (शहर) ने अपराध संख्या 335/93 की पत्रावली जांच हेतु अपराध सहायक जिला जयपुर (शहर) को स्थानान्तरित की। अपराध सहायक की जांच से प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप सही नहीं पाये गये। अत: अपराध संख्या 335/93 की पत्रावली पुन: अग्रिम कार्यवाही

(श्री कैलाश मेघवाल)

हेतु मालवीय नगर थाना को लौटा दी गयी है।

(5) जी नहीं। अपराध संख्या 335/93 थाना मालवीय नगर के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त घनश्याम के द्वारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देने पर थाना अधिकारी, मालवीय नगर द्वारा गोपाल-बाड़ी, जगतपुरा स्थित पप्पू मीणा के कमरे की तलाशी ली गयी, जहां से 28-12-1993 को 336 अंग्रेजी शराब के पव्वे व 70 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद की गयी। शराब रखने का लाइसेंस न होने पर व अंग्रेजी शराब छूट से अधिक होने से अपराध संख्या 338/93 दिनांक 28-12-1993 धारा 16, 19/54 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत थाना मालवीय नगर पर पंजीबद्ध किया गया जो अन्वेषणाधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री कुबेर सिंह : माननीय मंत्रीजी ने फरमाया कि नाकाबन्दी की गयी, तो यह किसकी सूचना के आधार पर नाकाबन्दी की गयी? दूसरा, माननीय मंत्रीजी स्वयं जानते हैं, पुलिस ने माल पकड़ा, उक्त ट्रक से माल बरामद हुआ और उसका वैरीफिकेशन शाहपुरा के आबकारी निरीक्षक द्वारा किया गया। यदि हां, तो पुलिस ने उसका वैरीफिकेशन किया? गाड़ी में जो कागजात पकड़े गये थे चालान आदि के, वे कागजात पुलिस ने अभी तक बरामद कर वापस प्रार्थी को लौटाये? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 4 के जवाब में यह कहा गया है कि रिपोर्ट दर्ज हुई, शाहपुरा से शराब की गाड़ी गयी और उनके साथ मारपीट की गयी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि शाहपुरा से शराब तालेड़ा के लिए ले जायी जा रही थी? यदि हां, तो क्या यह ले जाना वैध था? जब कोटा में शराब का होलसेल का डिपो है तो शाहपुरा से तालेड़ा शराब क्यों जा रही थी? दूसरा, क्या यह सही है कि आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और ठेकेदार जैसा चाहते हैं उसी हिसाब से वे मानीटरिंग करते हैं? यह जो प्रकरण हुआ है क्या इसमें शराब के दो ठेकेदारों का झगड़ा तो नहीं था?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, फलासिया से आने वाले माननीय विधायक ने पूछा है कि इसका सूत्र क्या है। इस तरह की सूचनाएं कई बार गोपनीय सूत्रों से मिलती हैं, उन गोपनीय सूत्रों के आधार पर छापा मारने की व्यवस्था है आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा भी पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा भी।

माननीय विधायक ने दूसरा पूरक प्रश्न कागजात के बारे में पूछा है। कोई कागजात बरामद नहीं हुए। मैंने तफ्तीश की सारी फाइल स्वयं देखी है। उसमें पर्चा जब्ती भी देखा है, स्टाक के बारे में भी जानकारी ली है और गवाहों के बारे में भी जानकारी ली। कोई कागजात इस तरह के बरामद नहीं हुए।

जौहरी बाजार से आने वाले माननीय विधायक ने जो सवाल पूछा है उस सवाल में मैंने एक्साइज एक्ट में अपनी स्थिति का अध्ययन किया है। एक्साइज एक्ट के

(श्री कैलाश मेघवाल)

अनुसार किसी भी होलसेल गोदाम से कोई भी लाइसेंसी अपनी रिटेल शाप के लिए शराब मंगवा सकता है। शाहपुरा से तालेड़ा मंगवाई, इसमें कोई अवैधता नहीं है हालांकि तालेड़ा से कोटा होलसेल गोडाउन नजदीक है, कोटा 15 किलोमीटर है। उस 15 किलोमीटर से तालेड़ा शराब नहीं मंगाकर तालेड़ा का जो रिटेल लाइसेंसी है उसने शाहपुरा से मंगायी, 290 किलोमीटर दूर से, कानूनन यह वैध है लेकिन कुछ शंकाओं को जन्म देता है कि आखिर शाहपुरा से क्यों।

दूसरा माननीय विधायक ने सवाल पूछा उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। माननीय विधायक, आप भी सुन लें, जहां से शराब रवाना होती है वहां के अधिकारियों को चार प्रतियां काटनी पड़ती हैं। वहां का एक्साइज अफसर उन चार प्रतियों मे से, जिसको ट्रांजिट पास कहते हैं एक जो इम्पोर्टिंग स्टेशन है वहां के असिस्टेण्ट एक्साइज अफसर को, एक ट्रांजिट पास व्हीकल के साथ चलता है जो कन्साइन्मेण्ट ले जाता है और एक प्रति वहां रहती है। उस ट्रांजिट पास में ले जाने वाले व्हीकल का नम्बर, ले जाने वाले का नाम, माल कितना गया वह, रुट और उस रुट में कितना समय लगेगा ये पांच आइटम भरने पड़ते हैं। इस तफ्तीश में कहीं पर भी किसी तरह का ट्रांजिट पास वहां से इश्यू होना नहीं पाया गया, इसलिए मैं यह सदन को विश्वास दिलाता हूं कि यह शराब नाजायज रूप से ले जायी जा रही थी।

यह सही है, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय विधायक ने जो सवाल उठाया है कि ठेकेदारों के आपसी झगड़े होते हैं। एक ठेकेदार अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नाजायज शराब कई तरह की एक्साइज और टैक्स की बचत करने के लिए बेचता है। उनकी प्रतियोगिता है। मैं मुख्य मंत्रीजी से भी इस बारे में सलाह करूंगा, जो आबकारी विभाग सम्भाले हुए हैं, कि आबकारी विभाग का धनबल और बाहुबल कई तरह की अवांछित गतिविधियों को जन्म दे रहा है। कानून और व्यवस्था के बारे में भी कई बार इससे एक समस्या पैदा होती है। इस माफिया को किस तरह से हम रेगूलेट कर सकें, कम कर सकें इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय से सलाह करके कार्यवाही करूंगा।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, तालेड़ा से कोटा 15 किलोमीटर है और शाहपुरा से 290 किलोमीटर।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बाद में सुनूंगा, पहले उनकी। बैठिये।

श्री कालीचरण सराफ : आखिर क्या कारण था कि शराब यहां से वहां ले जायी जा रही थी? इसके लिए कौन दोषी है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्नकर्त्ता को दूसरा प्रश्न करने दीजिए, पहले उनका है।

श्री कुबेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. नं. 335/93 मालवीय नगर थाना में अभियुक्तों के घर से कोई शराब बरामद होना नहीं बताया गया जब कि एफ.आई.आर. नम्बर, बाद में जो दर्ज की गयी थी, 338 में नाजायज अंग्रेजी शराब

(श्री कुबेर सिंह)

70 लीटर बरामद होना बताया है, तो पहली एफ.आई.आर. में क्यों नहीं बताया और दूसरी एफ.आई.आर. में 70 लीटर बरामद माल कहां से आया ?

श्री कैलाश मेघवाल : प्रकरण नम्बर 335/93 रात को छापा मारने के आधार पर रजिस्टर्ड हो गया था। इसमें तफ्तीश चालू हुई और इसके जो दो मुलजिम कस्टडी में थे उनमें से एक मुलजिम ने एविडेन्स एक्ट की सैक्शन 27 के अनुसार इत्तला दी कि और नाजायज शराब है तो वह मुकदमा अलग से रजिस्टर्ड कर दिया गया क्योंकि वह अलग प्रकरण बनता था और यह अलग बनता था। वह 338/93 है और यह 335/93 है। यह मुकदमा अलग से साक्ष्य के आधार पर रजिस्टर्ड किया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री परसादी लाल मीणा।

वर्ष 1993-94 में औषधि क्रय हेतु स्वीकृत राशि

34. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993–94 में आयुर्वेदिक औषधियों के लिए कितना बजट प्रस्तावित था एवं अब तक प्रस्तावित बजट में से कितनी प्रतिशत दवाइयां क्रय की जा चुकी हैं ?

(2) एक आयुर्वेदिक औषधालय को एक वर्ष में कितनी धनराशि की दवाइयां एवं अन्य सामग्री सरकार द्वारा दी जाती है ?

(3) एक आयुर्वेदिक औषधालय का चिकित्सक सहित अन्य कर्मचारियों पर प्रतिवर्ष कितना अनुमानित व्यय है ?

(4) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधालयों के लिए प्रतिवर्ष दी जाने वाली दवाइयों में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री अचला राम) : (1) वर्ष 1993–94 में औषधियों के क्रय हेतु विभाग को 112.99 लाख रुपये का बजट उपलब्ध है। दिनांक 15-2-94 तक इस स्वीकृत बजट में से लगभग 47 प्रतिशत की दवाइयां क्रय की जा चुकी हैं।

(2) विभागीय रसायनशालाओं द्वारा निर्मित औषधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर औषधालयों की संख्या आदि को ध्यान में रखते हुए औषधियों की सप्लाई की जाती है। अन्य सामग्री में उपकरण व फर्नीचर आदि सम्मिलित हैं, जिनकी आपूर्ति समय-समय पर औषधालयों की मांग एवं बजट की उपलब्धता अनुसार की जाती है।

(3) वर्तमान में एक औषधालय में एक चिकित्सक, एक नर्स/कम्पाउण्डर एवं एक परिचारक पर 1,04,300/- रुपये प्रतिवर्ष व्यय होता है।

(4) जी हां।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्रीजी ने बताया, हर वर्ष यह प्रश्न विधान सभा में उठता है, पहले भी उठा कि जो बजट दवाइयों का आवंटित किया जाता है उसके मुताबिक खरीदी नहीं जाती हैं। इन्होंने 15-2-94 तक केवल 47 प्रतिशत बजट का उपयोग किया। मैं मंत्रीजी

(श्री परसादीलाल मीणा)

से पूछना चाहूंगा कि क्या आप इसका 31 मार्च तक उपयोग कर लेंगे ? पिछले तीन वर्ष में लगातार यह प्रश्न उठा, मैं मुख्य मंत्रीजी को याद दिलाऊंगा, उन्होंने एक बार विधान सभा में कहा था कि गांवों की जो दवाइयां आयुर्वेदिक औषधालयों में मान लो हमारी प्रयोगशालाओं में नहीं मिलती है तो बाहर से खरीदने के लिए एक सदन की कमेटी या ऐसी विशेषज्ञ कमेटी बनायेंगे जिससे यह बजट लैप्स न हो। क्या उस कमेटी का गठन हुआ ? पिछले तीन वर्षों से, मैं, मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि कितना बजट आयुर्वेदिक औषधियों का लैप्स हुआ ?

दूसरा, प्रश्न के खण्ड 2 में मैंने पूछा है कि एक आयुर्वेदिक औषधालय को एक वर्ष में कितनी दवाइयां सप्लाई करते हैं ? आपने गोलमाल कर दिया। अधिकारियों ने आपको जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, आप गांव से आते हैं मैं भी गांव से आता हूं। ये आयुर्वेदिक औषधियां दूर-दराज के गांवों में मिलती नहीं हैं, वहां पर उपलब्ध नहीं हैं। जब औषधालय में दवाइयां नहीं होंगी तो वैद्य और कम्पाउण्डर जिन पर प्रतिवर्ष हम एक लाख रुपये से भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं उनका क्या फायदा ग्रामीण जनता को मिलेगा ? ऐसी स्थिति से उभारने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह तो बताइये कि एक आयुर्वेदिक औषधालय को हम कितनी दवाइयां देंगे ? एक लाख रुपये से ज्यादा तो आप इनकी तनख्वाह और रख-रखाव पर खर्च कर रहे हैं। आप दवाइयां 25-30-40-50 हजार रुपये कितने की देंगे, इसका बजट रखें। नहीं तो फिर क्या फायदा इन आयुर्वेदिक औषधालयों को खोलने का।

तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि दूर-दराज के जो औषधालय हैं वहां वैद्यों के पद दो-दो साल से रिक्त पड़े हैं। वैद्यों की मैरिट लिस्ट, प्रतीक्षा सूची बनी हुई है, लोग दो-दो साल से विभाग के पीछे-पीछे घूम रहे हैं, अधिकारी और विभाग उनको नियुक्ति नहीं दे रहा है, औषधालय खाली पड़े हैं। पिछले सत्र में प्रश्न उठा था तब मुख्य मंत्रीजी ने खड़े होकर बीच में कहा था कि औषधालयों में वैद्यों के जो पद खाली हैं उनको हम अतिशीघ्र भरेंगे। आज आप दूसरी विज्ञप्तियां निकालेंगे। 300–400 वैद्यों के पद खाली पड़े हैं, आपके पास 100–125 वैद्यों, जो 4-5 साल सीनियर हैं, की लिस्ट पड़ी हुई है, आप क्यों नहीं उनको नियुक्ति दे रहे हैं ? विज्ञप्ति में फिर एक साल लगायेंगे आप, उनके फार्मों की जांच होगी। क्या, मुख्य मंत्रीजी, तब तक गांवों में जो वैद्यों के पद हैं वे खाली पड़े रहेंगे ? आप बन्द कर दीजिये सबको। दवाइयां गांवों में मिलेगी नहीं।

अध्यक्ष महोदय, एक बिन्दू की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा, आज औषधालयों में गोली, इंजेक्शन आदि ऐसी दवाइयां दी जा रही हैं। आयुर्वेदिक औषधालय हैं वे एलोपैथिक की दवाइयां दे रहे हैं। 99 प्रतिशत आयुर्वेदिक औषधालयों में आज एलोपैथिक दवाइयां वैद्य दे रहे हैं क्योंकि वहां पर दवाइयां नहीं पहुंचती। (व्यवधान) अब यह च्यवनप्राश खरीदेंगे 15 मार्च के बाद। 15 मार्च के बाद ये केवल च्यवनप्राश खरीदेंगे, जनता को उसका कोई फायदा

(श्री परसादीलाल मीणा)

नहीं होगा। या तो इनके विभाग में जो बड़े बड़े हाथी बैठे हैं वे खायेंगे। मेरा सुझाव है कि राज्य स्तर पर इन दवाइयों की खरीद नहीं कर सकते तो, मुख्य मंत्रीजी, आप जिला स्तर पर जो जिला आयुर्वेद अधिकारी बैठे हुए हैं उनको अधिकृत कर दीजिये, उनको बजट दीजिये ताकि वे प्रतिवर्ष समय पर दवाइयां खरीद सकें। सारे राज्य का यह 112 लाख का बजट दे दिया, वे खरीदते नहीं हैं। अब इस तरह से अगर हर साल आयुर्वेद का बजट लैप्स होगा तो गांवों की क्या हालत होगी ? अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि पहले तो यह बताइये कि एक आयुर्वेदिक औषधालय को एक साल में कितनी दवाइयां सप्लाई करने का प्रावधान है ? दूसरा, यह कि जो आयुर्वेदिक औषधालयों में वैद्यों के पद खाली पड़े हैं, उनको कब तक भरेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री अचला राम : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले से नार्म्स बने हुए हैं। अंतरंग रोगी को तीन रुपये प्रति रोगी के हिसाब से दिये जाते हैं और बहिरंग को एक रुपया।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : दवाइयां मिलती हैं या नकद ?

श्री अध्यक्ष : यह समय की बात है, समझ लीजिये आप।

श्री अचला राम : आपने यह पूछा है कि कितनी दी जाती हैं, प्रतिवर्ष औषधालयों में। जो गत वर्ष में दी गयी वह 3700/– रुपये की औषधियां दी गयी थीं।

श्री परसादीलाल मीणा : एक लाख तो खर्चा कर रहे हैं और तीन हजार की औषधियां दे रहे हैं आप एक साल में, मंत्रीजी ... (व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुन लीजिये, यह बहस का विषय नहीं है। आपने बहुत भाषण दे दिया है, उसमें सुझाव दे दिये।

श्री अचला राम : दूसरा, बजट जो शेष रहा है उसको 31 मार्च तक खर्च करने के लिए विभाग पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा है और हम कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से पूरा का पूरा बजट खर्च करें।

श्री अध्यक्ष : तीसरा सवाल किया था नौकरी के लिए, इसमें जवाब आने दीजिये। तीसरा जवाब तो आया ही नहीं ? आप बैठिये। तीसरा सवाल उनका था नौकरियों के लिए ?

श्री अचला राम : नियुक्ति सम्बन्धी बात बतायी वह इससे सम्बन्धित नहीं है लेकिन फिर भी इसमें समुचित कार्यवाही करेंगे।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि 1990 में 216 पद आयुर्वेद में वैद्यों के रिक्त थे। इन्होंने विज्ञप्ति घोषित की थी और उसके अगेंस्ट में सितम्बर, 91 तक 375 पदों पर नियुक्ति दी गयी, यानि जो वेटिंग लिस्ट थी....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल क्या पूछ रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : सवाल यह पूछ रहा हूं कि आयुर्वेद में जो पद रिक्त पड़े हैं....

श्री अध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित नहीं है। यह तो बाई दी वे चूंकि प्रश्नकर्ता थे इसलिए पूछ लिया। नहीं, नहीं।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरा जवाब नहीं आया....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से पूछ रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा सवाल पूछिये। आप हर बात मुख्य मंत्रीजी से करेंगे, जब मंत्री बैठे हुए हैं तो मुख्य मंत्रीजी क्या हरेक का जवाब देंगे? यह क्या बात हुई।

श्री परसादीलाल मीणा : गवर्नमेण्ट ही वन मैन शो है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, आप स्वयं की जानकारी में है कि आज एलोपैथिक की कुछ दवाइयां रिएक्शन कर रही हैं, लोगों का रुझान भी धीरे-धीरे आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ जा रहा है और ऐसे हालात में जब ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद की दवाइयों के विक्रय केन्द्र नहीं हैं, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालयों में इतनी दवाइयां उपलब्ध करवायेगी ताकि वहां जाने वाले मरीज हैं उनको उस औषधालय में ही दवाइयां मिल सकें?

श्री अध्यक्ष : आप, श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : मैं नियुक्ति से सम्बन्धित पूछना चाह रहा था, आपने मना कर दिया इसलिए नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ रहे थे?

श्री परसादीलाल मीणा : मैंने मंत्रीजी से....(व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अपने जवाब में बताया कि जितना बजट आयुर्वेदिक औषधियों के लिए आवंटित था उसका अभी तक केवल 47 प्रतिशत व्यय हुआ है। एक तरफ यह स्थिति है कि गांवों में वैद्य हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं उनको दवाइयां नहीं मिलतीं। यह 47 प्रतिशत ही क्यों खर्च हुआ, इसके बारे में कोई जांच की जायेगी और आगे इस प्रकार की व्यवस्था न हो, पूरा जो बजट अलॉट हो उसकी दवाइयां खरीदी जाये इसके बारे में क्या सरकार कमेटी बनायेगी, कोई व्यवस्था करेगी?

श्री अध्यक्ष : ये कह रहे हैं 31 मार्च के पहले-पहले खर्च हो जायेगा।

श्री कालीचरण सराफ : मार्च के पहले, यह तो कोई बात नहीं हुई। 11 महीने में 47 प्रतिशत बजट और एक महीने में बाकी 53 प्रतिशत बजट उपयोग कर रहे हैं, यह कोई बात थोड़े ही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ अब तक 47 प्रतिशत पैसे का उपयोग हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके बारे में जांच होगी, कोई कार्यवाही होगी, यह तो बतायें? इन 11 महीनों में केवल 47 प्रतिशत और

(श्री कालीचरण सराफ)

एक माह में 53 प्रतिशत राशि की खरीद कर लेंगे ?....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : एक सवाल है और उसे एक सौ एक बार रिपीट करेंगे तो वही सवाल है। ... (व्यवधान).... मंत्री महोदय बिराजिए। एक और सवाल है।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल सीधा-सा है। मंत्री महोदय ने अभी बताया कि अंतरंग रोगियों के लिए 3 रुपये प्रति रोगी और बाह्य रोगियों के लिए 1 रुपये प्रति रोगी के हिसाब से हम दवाइयां दे रहे हैं और दूसरी ओर आपने यह बताया कि अभी जो साल खतम हो रहा है उसमें 47 प्रतिशत ही बजट खर्च हुआ है जबकि बजट रोगियों के हिसाब से अलॉट हुआ था। जब दवाइयां खरीदी ही नहीं तो 3 रुपये और 1 रुपये के हिसाब से दवाइयां कैसे दे दीं ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये। ठीक है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बाद में पूछ लेना। पहले सुन लें। मंत्रीजी, बोलिये।

श्री अचला राम : अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय सदस्य ने पूछा है कि पहले के बनिस्पत अधिक दवाइयां देने की कोई योजना है क्या ? मैं बताना चाहता हूं कि 1993-94 में जो बजट था वह 112.99 लाख का था और जो दवाइयां निर्मित हुई सारी की सारी उनमें लेबर, कार्टून, डिब्बे आदि की कीमत सहित 125 लाख की औषधि का वितरण हो चुका है जनवरी, 1994 तक और आगामी जो बजट प्रस्तावित है, 1994-95 का प्रस्तावित बजट उसके लिए माननीय फाइनेंस मंत्रीजी से अधिक राशि देने के लिए निवेदन करेंगे.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप प्रस्तावित ही बोल रहे हैं ? हां, तो आपका प्रस्तावित बोलिये ना।

श्री हरजीराम बुरडक : मेरे सवाल का उत्तर तो आया नहीं, साहब। मेरा सीधा-सा सवाल था।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, इसका जवाब आ गया।

श्री हरजीराम बुरडक : कहां आ गया, साहब ?

श्री अध्यक्ष : मैं बताऊं, आपका जवाब यह आया कि उनका टोटल 3 रुपये और एक रुपये के हिसाब से....(व्यवधान)....

श्री अचला राम : आगे यह व्यवस्था ठीक करेंगे, गत वर्ष यह असुविधा क्यों हुई इसका कारण आप भी जानते हैं, आपके सुझावों का स्वागत करूंगा।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : देखिये, वह तो हो गया 112 से 125 लाख का खर्चा हुआ है। स्वत: ही हो गया वह तो। अब आखिरी प्रश्न, श्री परसादीलालजी। प्रश्नकर्ता आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जानना चाहा था कि पिछले 3 वर्षों में भी क्या बजट लैप्स हुआ है और

(श्री परसादीलाल मीणा)

हुआ है तो कितना हुआ है ? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो कमेटी की घोषणा की थी.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब लैप्स का सवाल ही नहीं है ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि पिछले समय में हुआ है । तो पिछले 3 वर्षों में कितना बजट लैप्स हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : आपने यह कहा है कि 112.99 का बजट था उसमें आलरेडी जनवरी, 1994 तक 125 लाख खर्च हो चुका है । लैप्स कहां हुआ है, इट इज एक्सीडिंग, एक्सीडिंग ।

श्री परसादीलाल मीणा : लैप्स क्यों नहीं हुआ, 47 प्रतिशत की दवाइयां ही खरीदी गयी ?

श्री अध्यक्ष : खर्चा ज्यादा हो गया इनका ।

श्री परसादीलाल मीणा : खर्चा काहे में ज्यादा हो गया, साहब । दवाइयां 47 प्रतिशत की ही खरीदी गयीं । जो दवाइयां प्रस्तावित थीं उनमें खर्चा ज्यादा कहां से हुआ है । अध्यक्ष महोदय, जो दवाइयां प्रस्तावित थीं केवल 47 प्रतिशत दवाइयां ही खरीदी गयीं तो कहां से ज्यादा खर्चा हो गया ? दवाइयां पूरी खरीदी ही नहीं गयीं ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप बैठिये ।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो कमेटी की बात कही थी.... (व्यवधान) ...

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह गणित कहां से आ गयी कि 112 के अगेन्स्ट में 125 का खर्चा हो गया और 47 प्रतिशत दवाइयां खरीदी गयीं ?.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप बोलिये ।

श्री परसादीलाल मीणा : इन्होंने दवाइयों की खरीद के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की थी उस कमेटी का क्या हुआ, मुख्य मंत्रीजी ?....(व्यवधान)....

श्री अचलाराम : अध्यक्ष महोदय, जो 47 प्रतिशत का खर्चा हुआ है उसमें सारी लेबर आदि है । मैं पहले भी कह चुका हूं कि डिब्बे आदि सहित औषधालय पहुंचाने का लगेज भी शामिल है, उसको मिलाकर 125 लाख का खर्चा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।....(व्यवधान).... हो गया ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, क्या हो गया साहब ?....(व्यवधान)....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं कर रहा था....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल इस प्रश्न में ही समाप्त हो जायेगा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी आयुर्वेद में बहुत विश्वास रखते हैं...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : रिपीट हो रहा है। आप किसी को ऑथोराइज्ड तो करिये। एक मिनट, श्री खेतसिंहजी कुछ निवेदन कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं और हम लोग भी आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं। यह आयुर्वेद डिपार्टमेण्ट, चाहे हमारी रेजिम में या चाहे उनकी रेजिम में, हमेशा ऑरफन डिपार्टमेण्ट रहा है। इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता है, न वैद्यों की भर्ती में और न दवाइयों के लिए। इसलिए यह डिपार्टमेण्ट तो मुख्य मंत्रीजी को स्वयं को रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए तो इस प्रश्न पर सब से ज्यादा लोगों के विचार सदन के सामने आ गये। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्रीजी, श्री राजेन्द्र राठौड़।

रेफरल चिकित्सालय, ऋषभदेव (खैरवाड़ा) में चिकित्सा सुविधाएं

35. **श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले तीन वर्षों में रेफरल हॉस्पिटल, ऋषभदेव (खैरवाड़ा) में कब-कब, किन-किन बीमारियों से कितनी मौतें हुई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रेफरल हॉस्पिटल, ऋषभदेव में उपलब्ध एक्स-रे मशीन एवं एम्बूलेंस वाहन कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो कब से और क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि इस अस्पताल में एक ही आक्सीजन गैस का सिलैण्डर है?

(4) सरकार द्वारा उक्त रेफरल हॉस्पिटल में ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) रेफरल हॉस्पिटल, ऋषभदेव में पिछले तीन वर्षों में हुई मौतों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। रेफरल हॉस्पिटल केन्द्र में एम्बूलेंस वाहन एवं एक्स-रे मशीन उपलब्ध है। एम्बूलेंस माह मई, 1993 से खराब पड़ी है। एक्स-रे मशीन चालू हालत में है।

(3) जी नहीं। चार आक्सीजन सिलैण्डर उपलब्ध हैं।

(4) एम्बूलेंस ठीक करवाने हेतु चाही गयी राशि 6000/- आवंटित की जा चुकी है। परिणामस्वरूप रोगी वाहन जल्दी ही ठीक करवा दी जायेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

श्री रघुवीर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि खैरवाड़ा और सराड़ा के बीच में यह एक अस्पताल ठीक है, अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, जहां वहां के गरीब लोगों को यह सुविधा उपलब्ध होती है। वहां एक्स-रे मशीन अमूमन खराब ही रहती है। यहां तो ठीक बता दिया गया है लेकिन वहां यह कहा

(श्री रघुवीर सिंह)

जाता है कि एक्स-रे मशीन खराब है इसलिए रेफर टू उदयपुर । दूसरा, आक्सीजन सिलैण्डर यहां चार बताये गये हैं । नेशनल हाईवे नम्बर 8 पर यह हॉस्पिटल है वहां एक एक्सीडेण्ट हो गया था जिसमें एक जवान लड़की पौन घण्टे तक इस हॉस्पिटल में पड़ी रही थी, न कोई डाक्टर था और न ही कम्पाउण्डर था । ड्रिप भी निकाल कर टांक रखी थी । इत्तफाक से मैं वहां पहुंच गया तो मैंने जानकारी ली तो पता चला कि पौन घण्टे से यह लड़की मौत और जीवन से संघर्ष कर रही है । डाक्टर को बुलाकर पूछा कि यह क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा कि उदयपुर रेफर करने के लिए कागज बना रहा हूं । पौन घण्टे में एक लाइन... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अभी एक्स-रे मशीन चालू है या नहीं ?

श्री रघुवीर सिंह : अभी का तो मुझे पता नहीं । यह पूछना चाह रहा हूं कि कब से चालू है ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आपको पता नहीं है । मंत्रीजी कह रहे हैं कि चालू है और आपको पता नहीं है ।

श्री रघुवीर सिंह : आक्सीजन सिलेण्डर.... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : यह ऋषभदेव का सवाल है ।

श्री रिछपाल सिंह : यह ऋषभदेव से सम्बन्धित ही है मेरा प्रश्न, साहब ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, सम्बन्धित नहीं है ।

श्री रिछपाल सिंह : सम्बन्धित कैसे नहीं है, साहब, एक्स-रे मशीन का सवाल है ।....

श्री अध्यक्ष : सवाल एक्स-रे मशीन का नहीं है, ऋषभदेव रेफरल हास्पिटल का है ।

श्री रघुवीर सिंह : आक्सीजन सिलेण्डर वहां एक रिजर्व में बताया गया था जबकि यहां 4 बताये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कब से 4 सिलेण्डर हैं वहां पर ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, बैठिये आप ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रेफरल हास्पिटल में आक्सीजन के 4 सिलेण्डर प्रारम्भ से ही हैं । उसके बाद में भी माननीय सदस्य को यह अगर सूचना हो कि वहां वास्तविक रूप से एक ही सिलेण्डर उपलब्ध है तो मैं विभाग के किसी उच्चाधिकारी को कह दूंगा कि आपके साथ जाकर और आपको साथ ले जाकर सारी वस्तुस्थिति के बारे में जांच रिपोर्ट दे देंगे और अगर मेरे पास सूचना गलत आयी है तो निश्चित रूप से गलत सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ सक्षम कार्यवाही करूंगा ।

प्रश्न संख्या 36

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री राम-नारायण वर्मा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अर्जुनदास मदान ।

अरुणोदय फाउण्ड्री, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (जयपुर) में श्रमिक की मृत्यु का प्रकरण

37. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के अरुणोदय फाउण्ड्री में दिनांक 27-05-1985 को एक श्रमिक की मृत्यु दुर्घटना में हुई थी ?

(2) क्या सम्बन्धित अधिकारी की गलती के कारण न्यायालय ने कारखाना मालिक को बरी कर दिया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग के उक्त अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश सरकार द्वारा दिये गये थे ? यदि हां, तो आज तक कोई भी कार्यवाही इस अधिकारी के विरुद्ध नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं ? अब कब तक उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, श्रम (श्री नन्दलाल मीणा) : (1) जी हां, यह दुर्घटना दिनांक 27–5–1985 को न होकर दिनांक 13-5-1985 को हुई थी।

(2) न्यायालय ने सम्बन्धित अधिकारी द्वारा परिवाद को मियाद की अवधि से बाहर पेश करने के कारण खारिज कर दिया था।

(3) जी, हां। मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स विभाग से जांच करवाई गयी थी। मुख्य निरीक्षक ने जांच कर आदेश दिनांक 6-4-1988 द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को भविष्य में सावधान रहने के लिए चेतावनी दी थी।

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ कहूं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो, साहब, हमको प्रत्युत्तर समय पर नहीं पर मिलते। अभी मैं खुद आकर 10 मिनट पहले उत्तर लाया हूं। इस सम्बन्ध में आज ही कुछ व्यवस्था कराइये। जो भी उत्तर जिस मंत्री से या जिस विभाग से आने हैं.... ,

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री अर्जुन दास मदान : आज भी प्रत्युत्तर अभी आया, जिस विभाग से आना है...

श्री अध्यक्ष : आज नहीं मिला क्या ? आपको उत्तर मिला नहीं ?

श्री अर्जुन दास मदान : नहीं, साहब, अभी मिला उत्तर। मैं खुद जा करके पांच मिनट पहले लाया हूं, तो इसकी व्यवस्था हो जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमको तो हाउस में ही उत्तर मिलते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, नोट करें। आज बहुत लेट आया है, 11 बजे आया है आपका उत्तर। जल्दी भिजवाइये।

श्री नन्द लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत गम्भीर था।

श्री अध्यक्ष : सवाल कितना भी गम्भीर हो लेकिन समय से पहले जवाब दीजिये। यहां सवाल गम्भीर ही होते हैं। कोई

(श्री अध्यक्ष)

गम्भीर नहीं है, ऐसा नहीं है । सब गम्भीर हैं ।

श्री नन्दलाल मीणा : भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा के सारे सवाल गम्भीर हैं । हां, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री अर्जुन दास मदान : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि एक श्रमिक दुर्घटना हुई और दुर्घटना के परिणामस्वरूप श्रमिक मर गया । प्रत्येक कल कारखाने में....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये ना ।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं वही निवेदन कर रहा हूं । मेरा आपसे केवल मात्र निवेदन है कि एक श्रमिक की दुर्घटना होने के परिणामस्वरूप उसकी जो समय पर रिपोर्ट होनी चाहिये थी वह रिपोर्ट नहीं दी गयी । कारखाना अधिनियम, 1948 या हमारे राजस्थान का अधिनियम 1951 के अन्तर्गत कुछ अपेक्षाएं हैं । कारखाने इन्हीं दो नियमों की परिधि में चलते हैं । एक कल कारखाने में काम करने वाला व्यक्ति मर जाये और उसकी रिपोर्ट भी न हो और रिपोर्ट धारा 106 के अन्तर्गत करीब 3 महीने के भीतर हो जानी चाहिये थी जबकि रिपोर्ट की गयी 4 महीने के अन्दर, उसको टाइम बार्ड मानकर न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया । उसके उपरान्त जब उसकी इन्क्वायरी हुई तो उसकी फाइल ही गुम हो गयी । मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि श्रमिक जो कल कारखाने में काम करते हैं, काम करते-करते मर जायें, आप और हमारे लिए कुछ निर्माण करें और उन आदमियों की चिन्ता न हो, हम इतने भी संवेदनशील नहीं हो, मेरा इतना–सा निवेदन है मंत्री महोदय से कि कम से कम इतना तो अपने विभाग को सचेत कर दें कि श्रमिक की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप जो सजगता उस विभाग में आनी चाहिये थी वह आ नहीं सकी । यह मेरा आपसे निवेदन है, मैं इसका प्रत्युत्तर चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । मंत्री महोदय ।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 90 दिन के अन्दर ही अदालत में चालान पेश किया जाना चाहिये था, टाइम बार्ड होने की वजह से....

श्री अध्यक्ष : नहीं, वे कह रहे हैं, आपके अफसर ने रिपोर्ट लेट दी है ।

श्री नन्दलाल मीणा : सही है, साहब ।

श्री अध्यक्ष : और इसीलिए न्यायालय ने टाइम बार्ड किया । (व्यवधान) तो उसके लिए....

श्री नन्दलाल मीणा : यही निवेदन कर रहा हूं । अदालत ने 28-10-86 के अपने फैसले में कहा कि.... (व्यवधान) . . और यह 1988 का मामला है, इतना पुराना है, सारी पत्रावलियां गायब हैं और अदालत ने एक ही आधार पर फैसला दिया है कि समयावधि के अन्दर इसका चालान पेश करना चाहिये था, जो नहीं हुआ । इस बारे में जांच की है और जांच अधिकारी को चेतावनी भी दी है परन्तु मैं माननीय सदस्य

(श्री नन्दलाल मीणा)

को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इसके लिए आयुक्त, श्रम विभाग को अधिकृत किया है कि वह 3 महीने के भीतर किस-किस अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में गलती है या लापरवाही है, या कोई शिथिलता है, इसके बारे में जांच करके वह अपनी रिपोर्ट देगा और उसके पश्चात् निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरिसिंह।

श्री अर्जुन दास मदान : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, जो भी इन्क्वायरी हो, उस इन्क्वायरी में मेरी भी सहभागिता ले लें क्योंकि फाइलें उनके पास हैं नहीं, मेरे पास वे सारे कागज हैं, उनको मैं उपलब्ध करा सकता हूं। इसलिए उसमें मेरा सहयोग, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा, जरूर ले लें।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का अवश्य सहयोग लिया जायेगा और हम यह चाहते हैं कि जो श्रमिक मरा है, उसके आश्रितों को भी कुछ मिले। उसकी भी व्यवस्था की है और निश्चित रूप से आपका सहयोग लिया जायेगा। कहीं कोई खामी है तो उसको पूरा किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरिसिंह।

एक माननीय सदस्य : मेरा एक सप्लीमेन्ट्री है।

प्रश्न संख्या 38

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब टाइम नहीं है। मुझे 10 प्रश्न लेने हैं। अभी हुए नहीं हैं।

श्री हरिसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट, श्री दयाराम परमार।

पशु चिकित्सालय, कनबई और करावाड़ा

39. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पशु चिकित्सालय कनबई और करावाड़ा में डाक्टरों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री पशुपालन (श्री अर्जुन सिंह देवड़ा) : (1) पशु चिकित्सालय कनबई और करावाड़ा में डाक्टरों के पद 23 जून, 1993 से रिक्त थे। अब दोनों रिक्त पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिये हैं। अब कोई पद रिक्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप भी अनुपस्थित रहे हैं।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आदेश कब कर दिये गये ?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये आदेश 23 फरवरी को कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री तैयब हुसैन।

अलवर, भरतपुर जिले के मेवों के क्लेम्स

40. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अलवर व भरतपुर जिले के मेवों की जमीनों, मकानों एवं अन्य जायदादों के क्लेम बाकी हैं ? यदि हां, तो व्यक्तिवार क्लेमों की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या शेष क्लेमों का सरकार मुआवजा देगी ? यदि हां, तो किस मापदण्ड के अनुसार ? यदि नहीं, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पुनर्वास (श्री सांवर लाल जाट) : जी हां, जिला अलवर में 6 परिवारों के एवं जिला भरतपुर में 787 परिवारों के क्लेम अभी शेष हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। इन व्यक्तियों का क्लेम विस्थापित व्यक्ति क्षतिपूर्ति पुनर्वास अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार जिला कलक्टर द्वारा निर्णीत किया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री तैयब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह सवाल बहुत अहम् है और इसका जवाब सीधे-सीधे देने की बजाय रूल्स और एक्ट का सहारा लेकर टालने की कोशिश की गयी है। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि मेव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्वासन पर हिन्दुस्तान में रहे और आश्वासन यह था कि उन्हें अपनी जमीन और अपना घर मिलेगा। उस समय तीन कैटेगरी बनी। 'ए' कैटेगरी में उनको अपना घर और अपनी जमीन मिली। 'बी' कैटेगरी में उनको सिर्फ जंगल की जमीन मिली। घर का मकान नहीं मिला। तीसरी कैटेगरी 'सी' जिसमें न उन्हें आज तक जमीन मिली है, न मकान मिला है। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इस तरह के क्लेम्स बाकी है, इनका फैसला कितने दिन में हो जायेगा इस तरह के आदेश देकर ? क्योंकि आप देख रहे हैं, सन् 1947 से लेकर आज तक जिस रूल्स का इन्होंने हवाला दिया है, सन् 1954 का, अभी तक ऐसे क्लेम्स पड़े हुए हैं। जो लोग बेघर हैं और बेजमीन हैं उनका फैसला कब तक हो जायेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या हरियाणा में सारे मेवों के क्लेम्स डिस्पोज आफ हो गये हैं ?....(व्यवधान)....हरियाणा के सारे मेवों के क्लेम्स डिस्पोज आफ हो गये हैं ?

श्री तैयब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, इस वक्त....

श्री अध्यक्ष : ये उलटा मामला हो रहा है....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इर्रेलेवन्ट है।

श्री अध्यक्ष : अब ये जवाब दे रहे हैं, मैं क्या करूं ?

श्री तैयब हुसैन : मैं यह अर्ज कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : He is not bound to give. इसलिए कह रहा हूं, he is not bound.

श्री तैयब हुसैन : इस वक्त....

श्री अध्यक्ष : इसलिए कह रहा हूं, he is not bound. लेकिन अब वे दे रहे है तो मैं क्या करूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भी प्रश्न कर सकता हूं। ऐसी बात नहीं है, हाउस में कोई मेम्बर including the Minister, they can also put the question.

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : आप मैटर को डाइल्यूट करने के लिए सवाल पूछ लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डाइल्यूट नहीं है ...(व्यवधान)....

श्री किशन मोटवानी : ....विधमान है उसकी बात करवाइये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं डाइल्यूट नहीं कर रहा हूं....(व्यवधान)....वे खुद की जानते हैं।

श्री तैयब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त मसला राजस्थान का है और यह सही है कि मैं हरियाणा में मंत्री रहा हूं जैसा मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं। इस समय यह हरियाणा विधान सभा नहीं है, राजस्थान विधान सभा है और इस वक्त हम इस तरफ बैठे हुए हैं और आप अपनी तरकीब लगा कर उधर पहुंच गये। तो इस वक्त तो हमें सवाल करना है और आपको जवाब देना है। आपने मेवों की हालत स्वयं देखी है कि कितने बुरे हालात हैं। आज आप अन्दाज लगा सकते हैं उन परिवारों का, जिनको आज तक न जमीन मिली है, न मकान मिला है, उनकी क्या हालत होगी। मेरी आपसे बहुत अदब के साथ यह दरख्वास्त है। उनके क्लेम्स का जल्दी फैसला करवाइये।

दूसरी बात यह है कि मैंने जो सवाल पूछा कि क्या मापदण्ड होगा, कितने दिन लगेंगे, उनको नकद पैसा दिया जायेगा या वक्त होगा, उसका जवाब मंत्री महोदय वैसे ही गोल कर गये, तो मैं इतना चाहूंगा कि आप कोई समयबद्ध फैसला करें।

श्री सांवरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, मैंने वास्तव में इस चीज को गम्भीरता से लिया, दिखवाया है। सबसे पहले तो इस बात की कोशिश की जा रही है कि निर्विवाद भूमि अगर उपलब्ध हो जाये तो वह उनको आवंटित की जायेगी। अगर नहीं मिलेगी तो बाद में दूसरे विकल्प पर विचार किया जायेगा।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिन लोगों के क्लेम्स के लिए तहसीलदार....

श्री अध्यक्ष : वे पूछ रहे हैं।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता को अधिकार है दो प्रश्न पूछने का, वे पूछ रहे हैं। बैठिये आप। Let him speak आप उनको बोलने दीजिये। वे सैकण्ड सवाल पूछ रहे हैं।

श्री जुबेर खान : तो मेरा बाद में प्रश्न....मैं एक स्पेसिफिक 'प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं क्या कर सकता हूं। टाइम तो मेरे हाथ में नहीं है। और आप बोलते रहोगे तो वह भी चला जायेगा.... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछ रहा हूं। तहसीलदार महोदय ने जो केस बना करके कलक्टर्स महोदय के यहां भेज रहे हैं उनको कब तक करा देंगे, मंत्री महोदय ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल को समाप्त कर रहे हैं। आप उनके अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं।

श्री जुबेर खान : जो जमीन मौजूद है और तहसीलदार ने जो क्लेम्स कलक्टर्स के दफ्तर में पहुंचा रखे हैं, उनके आदेश कब तक करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। अब आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

(12.00)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सहकारी कानूनों का सरलीकरण

32. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (चोमू)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार राज्य में सहकारी कानून के सरलीकरण एवं समानीकरण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में नया को-आपरेटिव कोड बनाया जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार सहकारी कानून में सरलीकरण करने एवं संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता दिये जाने का विचार रखती है। भारत सरकार द्वारा चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक माडल एक्ट का मसौदा प्रसारित कर राज्य सरकार के सुझाव चाहे हैं। जिन पर राज्य सरकार विचार कर राय प्रेषित करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर इस माडल एक्ट पर अंतिम निर्णय होने के बाद ही राज्य सरकार अपने कानून में संशोधन करेगी।

विधान सभा क्षेत्र नैनवां के राजस्व ग्रामों व मजरों में शिक्षा व्यवस्था

34. **श्री रामनारायण (नैनवां)** : क्या पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु 250 की आबादी वाले वर्तमान मजरों एवं राजस्व ग्रामों में सरकार द्वारा प्राथमिक पाठशालायें खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र नैनवां के उक्त आबादी वाले मजरे एवं राजस्व ग्रामों में भी प्राथमिक पाठशालाएं खोली जानी हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां तथा कब तक।

(श्री रामनारायण)

(3) क्या उक्त क्षेत्र की ग्रामीण आबादी जो शिक्षा एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, में प्राथमिक पाठशालाएं खोलने में प्राथमिकता दी जावेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अभी वर्ष 1994–95 में प्राथमिक विद्यालय खोलने का मापदण्ड निर्धारित नहीं हुआ है, किन्तु पूर्व मापदण्ड के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर सामान्य क्षेत्र में 500 तथा मरुस्थलीय व जन जातीय क्षेत्र में 250 तक की जनसंख्या वाले विद्यालय विहीन राजस्व ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं।

(2) यदि राज्य सरकार द्वारा सामान्य क्षेत्र में 250 से अधिक की जनसंख्या पर प्राथमिक विद्यालय खोलने का मापदण्ड निर्धारित किया जावेगा तो विधान सभा क्षेत्र नैनवां की पंचायत समिति तालेड़ा में 5 एवं पंचायत समिति नैनवां के 11 ऐसे विद्यालय विहीन राजस्व ग्राम जिनकी जनसंख्या 250 से अधिक है। प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1994–95 में खोले जा सकते हैं।

(3) जी नहीं। ऐसा अभी तक कोई प्रावधान नहीं है।

6 माह से अधिक अवधि के बन्दी

38. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की जेलों में कितने व्यक्ति भारतीय दण्ड सहिता की धारा 107, 109 या 110 के प्रावधानों के अन्तर्गत 6 माह की अवधि से अधिक समय से बन्दी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 6 माह से अधिक समय बन्दी रहने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राज्य की जेलों में भारतीय दण्ड संहिता (आई. पी सी.) की धारा 107, 109 या 110 में तो नहीं, दण्ड प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी सी.) की धारा 109 के अन्तर्गत 5 व्यक्ति 6 माह से अधिक समय से निरुद्ध हैं। सूची संलग्न है।

(2) संबंधित व्यक्तियों द्वारा मुचलका/जमानत पेश न करने के कारण न्यायालय ने इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध किया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर सम्भाग के मजदूरों की नेपाल में हत्या

30. **श्री रामेश्वरलाल भाटी** (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि पाली जिले सहित जोधपुर सम्भाग के सैकड़ों मजदूर, ट्रेक्टर मालिक जो मजदूरी हेतु नेपाल गये हैं, में से कई लोगों को वहां गोली से भून देने व अन्य कोई यातना दी जाने की घटना प्रकाश में आई है ?

(श्री रामेश्वरलाल भाटी)

(2) क्या राज्य सरकार नेपाल में भारतीयों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से सम्पर्क करने पर विचार कर रही है ?

(3) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में उक्त मजदूरों की सकुशल वापसी के सम्बन्ध में क्या प्रयास कर रही है अथवा करने जा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है कि जोधपुर संभाग के सैकड़ों मजदूर एवं ट्रेक्टर मालिक मजदूरी हेतु नेपाल गए है । प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6-1-94 को 9 व्यक्ति, जिनमें से एक जालौर जिले का निवासी है एवं शेष 8 पाली जिले के निवासी है, 5 ट्रेक्टर लेकर भारत से नेपाल गए थे । दिनांक 15-1-94 को स्थानीय नेपाली पुलिस द्वारा इनमें से 2 व्यक्तियों (कनाराम पुत्र रामचन्द जाट व श्री डूंगरराम पुत्र पुकाराम) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है । नेपाल पुलिस का कहना है कि ये दोनों व्यक्ति डाकू थे तथा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गये हैं ।

(2) जी हां । राज्य सरकार अविलम्ब ही इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से सम्पर्क कर वस्तु स्थिति की सूचना प्राप्त करेगी ।

(3) जी हां । राज्य सरकार तुरन्त ही केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी कि नेपाल में रहने वाले समस्त भारतीय मजदूरों की सुरक्षा/सकुशल वापसी हेतु नेपाल सरकार से सम्पर्क कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करावें ।

निर्वाचन क्षेत्र पुष्कर (अजमेर) के अपराधिक प्रकरण

31. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991, 1992 एवं 1993 में पुष्कर निर्वाचन क्षेत्र में डकैती, लूट, हत्या बलवा, नकबजनी, चोरी एवं बलात्कार के कितने-कितने अपराध पंजीबद्ध हुए हैं ? उनमें से कितने-कितने अपराधों में चालान पेश किए गए, कितने मामलों में अनुसंधान जारी है एवं कितने मामलों में एफ. आर. लगा दी गई है ? अपराधवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिन मामलों में अनुसंधान जारी है उनका कब तक निस्तारण कर दिये जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है ।

(2) एक अभियोग चोरी का जेर तफ्तीश है । जिसकी पत्रावली राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर न्यायालय में दिनांक 26–10–93 से गई हुई है । प्राप्त होते ही निस्तारण कर दिया जावेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें ।)

मेवाड़ भीलकोर का गठन

32. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कुबेर सिंह)

(1) मेवाड़ भीलकोर के गठन करने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी? जिस कारण से इसका गठन किया गया उसमें सरकार को कहां तक सफलता मिली? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इसका नाम भीलकोर रखने से आदिवासी जनता का उत्थान हुआ? यदि हां, तो कहां तक? यदि नहीं, तो क्या सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिये इसमें कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं किस प्रकार से, यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार इसमें आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा भर्ती कर इनके उत्थान का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भील वर्ग के लोगों में फैले असंतोष को दूर करने और उन्हें रोजगार के अवसर सुलभ कराने के उद्देश्य से मेवाड़ भील कोर का गठन सन् 1940 में हुआ था। प्रारम्भ में 95 प्रतिशत व्यक्ति भील जाति के भर्ती हुए। वर्तमान में कोर के जवानों की कुल संख्या 723 है जिसमें से 603 जवान (लगभग 83.4 प्रतिशत) भील हैं।

(2) जी हां। आदिवासी जनता को रोजगार मिला है जिससे आदिवासी जवानों के परिवार लाभान्वित हुए हैं। वर्तमान में सरकार की जो आरक्षण नीति है उसी के अन्तर्गत आदिवासियों के उत्थान के लिए वह कृत संकल्प है।

(3) राज्य सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जनजाति जिसमें भील आते हैं, के लिए 12 प्रतिशत का आरक्षण है। इसी 12 प्रतिशत आरक्षण के तहत ही भीलों को भी नियुक्तियां प्रदान की जाती है।

तहसील आमेर के मृतक कर्मचारी को विधवा का पेंशन प्रकरण

33. **श्री बनवारी लाल भिण्डा** (फतेहपुर): क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील आमेर में पदस्थापित व उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय आमेर मुख्यालय, जयपुर में शुतुर-सवार के पद पर कार्यरत श्री सुसीलाल जांगा पुत्र स्व. श्री लालाराम निवासी नांगल, सुसावतान जिला, जयपुर का स्वर्गवास राजकीय सेवा में रहते हुए सन् 1964 में हो गया? यदि हां, तो किस तिथि को?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की विधवा को बार-बार प्रार्थना-पत्र भेजने के पश्चात् भी अभी तक पेन्शन नहीं दी गई है तथा न ही किसी आश्रित को राजकीय सेवा में लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार बकाया पेंशन का भुगतान एवं उनके आश्रित को राजकीय सेवा में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री सुसीलाल जांगा पुत्र लालाराम पद शुतुर सवार, तहसील आमेर कार्यालय में

(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग मंत्री)

उपलब्ध वेतन पत्रावलियों के मुताबिक 1964 या इससे पूर्व तहसील आमेर में पदस्थापित होना नहीं पाया जाता है। मृतक की विधवा द्वारा भी श्री सुसीलाल जागां की मृत्यु की दिनांक सम्बन्धी सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(2) श्री सुसीलाल की विधवा श्रीमती सुरस्वती देवी ने दिनांक 4-8-92 को इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया था कि उसको पेंशन तथा पौत्र सुरेश जागां को नौकरी दिलवाई जाये। इस सम्बन्ध में प्रार्थिया को लिखा गया है कि श्री सुसीलाल जागां के राजकीय सेवा में कार्यरत होने के सम्बन्ध में जो भी प्रमाण उपलब्ध हो उनको अविलम्ब प्रस्तुत करें।

(3) श्री सुसीलाल को राज्य सेवा में होने के प्रमाण के अभाव में पेंशन एवं आश्रित को नियुक्ति दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

वैशाली नगर (जयपुर) के बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं

34. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) एवं **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गोविन्द नगर, डी. सी. एम., अजमेर रोड, जयपुर तथा आसपास की कालोनीज के विद्युत सम्बन्धी कार्य तथा भुगतान की व्यवस्था भांकरोटा (हीरापुरा पावर हाउस) में है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यालय से जो कि उक्त कालोनीज से काफी दूर होने के कारण आम उपभोक्ताओं को समय के साथ-साथ आर्थिक परेशानी भी उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार वैशाली नगर के आसपास की कालोनीज को वैशाली नगर विद्युत् केन्द्र से सम्बद्ध करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनीज में विद्युत सप्लाई नियमित नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार आम उपभोक्ताओं को नियमित सप्लाई करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गोविन्द नगर व उसके आसपास की कालोनी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत सम्बन्धी कार्य तथा विद्युत बिलों के भुगतान के लिये हीरापुरा पावर हाउस में आना पड़ता है, जो कि इस क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के मध्य में स्थापित है, जिससे उपभोक्ताओं को विद्युत सम्बन्धी परेशानी न हो। गोविन्द नगर, डी.सी.एम. अजमेर रोड तथा इसके समीपवर्ती कालोनीज की विद्युत आपूर्ति वैशाली नगर विद्युत उपकेन्द्र से दिनांक 10-2-1994 से की जा चुकी है।

(3) वर्तमान में उक्त कालोनीज को विद्युत आपूर्ति वैशाली नगर उपकेन्द्र से की हुई है। उपभोक्ताओं को तकनीकी व्यवधान को छोड़कर, विद्युत आपूर्ति नियमित की जा रही है।

ग्राम धर्मशाला में बिजली ट्रांसफार्मर की स्थापना

35. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम धर्मशाला (कामां) में बिजली के खम्भे लगे हुए हैं एवं लाइन खींची हुई है परन्तु उस ग्राम में लगा ट्रांसफार्मर हटा लिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या शीघ्र ही सरकार इसको पुनः लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम धर्मशाला को माह मार्च, 1990 में विद्युतिकृत घोषित किया गया था। वर्तमान में इस ग्राम में बिजली के खम्भे लगे हुये हैं लेकिन इस पर तार नहीं हैं, क्योंकि इस लाइन के तार व अन्य सामान चोरी हो गया। इस ग्राम में ट्रान्सफार्मर नहीं लगाया गया, अतः हटाने का प्रश्न ही नहीं है।

(2) उक्त ग्राम में किसी भी प्रकार के कनेक्शन नहीं होने के कारण इस ग्राम से तार आदि सामान खम्भों से चोरी हो गया था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना प्रभारी पहाड़ी कामां में की जा चुकी है। अतः बिना कनेक्शन चोरी के डर से पुनः तार आदि सामान लगाने से कोई लाभ नहीं था। भविष्य में जब कभी इस ग्राम में आवेदन-पत्र प्राप्त होंगे उसके बाद आवेदकों द्वारा सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर लेने के पश्चात् ही इस ग्राम में तार आदि सामान पुनः लगाने की व्यवस्था कर कनेक्शन दिये जाने की प्रक्रिया की जावेगी।

जिला नागौर में 132 के. वी. सब स्टेशन की स्थापना

36. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में कितने वर्तमान में 132 के. वी. जी एस. एस. कहां-कहां पर चालू हैं तथा कितने निर्माण कराये जाने प्रस्तावित हैं ? परबतसर क्षेत्र के ग्राम बागोट तथा नावां क्षेत्र के ग्राम चितावा में 132 के. वी. जी. एस. एस. का निर्माण कब तक कराया जा सकेगा ?

(2) परबतसर क्षेत्र के ग्राम भादवा में 33/11 के. वी. सब स्टेशन को सम्पूर्ण हो जाने के बाद भी अब तक चालू नहीं किये जाने का क्या कारण रहा है तथा अब कितनी अवधि में चालू करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्तमान में कुल 8 132 के. वी. जी. एस. एस. निम्नलिखित स्थानों में चालू है :—

1. नागौर 2. कुचेरा 3. गोटन 4. मेड़तासिटी 5. भैरूंदा 6. मकराना 7. कुचामन 8. डीडवाना

वर्तमान में नागौर जिले में 132 के. वी. का कोई भी नया जी.एस.एस. बनाये जाने का प्रस्ताव नहीं है। परबतसर क्षेत्र के ग्राम बागोट तथा नावां क्षेत्र के ग्राम चितावा में 132 के. वी. जी. एस. एस. के निर्माण हेतु

(ऊर्जा मंत्री)

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) परबतसर क्षेत्र के ग्राम भादवा में 33/11 के.वी. सब स्टेशन का कार्य पूर्ण है, लेकिन इस सब स्टेशन को चालू करने के लिये सम्बन्धित 33 के वी लाइन में रेल्वे क्रासिंग का कार्य करना शेष है। रेल्वे क्रासिंग की अनुमति रेल्वे विभाग से प्राप्त हो गई है। रेल्वे क्रासिंग का कार्य प्रगति पर है तथा कार्य पूर्ण होते ही 33/11 के. वी. सब स्टेशन भादवा शीघ्र चालू कर दिया जावेगा।

ग्राम पीलवा (दौसा) के कुओं का विद्युतीकरण

37. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील दौसा ज़िला दौसा के ग्राम पंचायत तीतरवाड़ा के ग्राम पीलवा में वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में कुओं के कनेक्शनों में एव बिजली के खम्भे लगवाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित निवासियों ने विजीलेंस (आर. एस. ई. बी. मुख्यालय) जयपुर में शिकायत की थी ? यदि हां, तो किस के खिलाफ तथा उसके केस नम्बर क्या थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य में उसी विभाग का कर्मचारी पूर्ण रूप से लिप्त था ? यदि हां, तो उस के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तों क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 26-3-1990 को श्री कैलाश चन्द्र सोनी, सरपंच ग्राम पंचायत, तीतरवाड़ा कलां से एक परिवाद ग्राम पीलवा में कृषि कनेक्शन जारी होने के क्रम में अनियमितताओं के बाबत प्राप्त हुआ था। परिवाद की जांच सुरक्षा एवं सतर्कता शाखा द्वारा करवाई गई थी जिसे जांच के दौरान अप्रमाणित पाया जाने पर परिवाद को दिनांक 2-7-1990 को दफतर दाखिल कर दिया गया था। परिवाद सहायक अभियंता (वि) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, दौसा कार्यालय में कार्यरत श्री कैलाश शर्मा, एस्टीमेटर के विरुद्ध किया गया था, जिसे सुरक्षा एवं सतर्कता अनुभाग में प्राथमिक जांच हेतु पी.ई. 35/90 संख्या पर दर्ज किया गया था।

(2) परिवाद में अंकित आरोप अप्राणित पाये गये। अतः किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

विद्याधर नगर, जयपुर में देशी शराब का ठेका

38. श्री मोतीलाल (रूपवास) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर जयपुर शापिंग सेण्टर में देशी शराब का ठेका खुला हुआ है ?

(श्री मोतीलाल)

(2) क्या यह भी सही है उक्त शराब की दुकान के पास राजकीय सैकेण्डरी विद्यालय, कन्या प्राथमिक राजकीय विद्यालय, शापिंग सेन्टर, मन्दिर व संभ्रांत नागरिकों के आवास हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त शराब की दुकानों को हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विद्याधर नगर जयपुर के शापिंग सेन्टर की खाली जमीन पर लकड़ी की थड़ी (केबीन) में देशी मदिरा उप दुकान नं. 12 जयपुर नगर के अनुज्ञाधारी के लिये स्वीकृत हैं।

(2) यह अवस्थिति आबकारी नियम 1956 के नियम 75 (2) के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुकान से 80 मीटर दूर व सैकण्डरी विद्यालय 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। दुकान से 200 मीटर की दूरी में कोई मन्दिर स्थित नहीं हैं। दुकान की लोकेशन नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार शिक्षण संस्था बन्द होने के एक घण्टे बाद दुकान खोलने की शर्त पर स्वीकृत हैं। शापिंग सेन्टर व संभ्रांत नागरिकों के आवास के पास दुकान स्वीकृत करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, पिछले सालों में भी यहां दुकान इसी स्थान पर स्वीकृत रही है, इसलिये इस दुकान को वहां से हटाने का कोई औचित्य नहीं है।

राज्य की स्वरोजगार योजना

39. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990 से अब तक कितने लोगों को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया गया है?

(2) क्या राज्य सरकार हस्तकला तथा कुटीर उद्योग को भी स्वरोजगार योजना के साथ जोड़ कर योजना बनाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) स्वरोजगार योजना में वर्ष 1990 से अब तक 9914 लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

(2) स्वरोजगार योजना भारत सरकार की योजना है, जो स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता के लिये कुछ मापदण्ड निर्धारित किये हुये हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वरोजगार योजना में हस्तकला एवं कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहता है और वह स्वरोजगार योजना के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करता है, तो वह भी लाभान्वित हो सकता है।

इस वर्ष दिनांक 2 अक्टूबर, 1993 से भारत सरकार द्वारा प्रधानमन्त्री की रोजगार योजना के नाम से एक नई स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई है। आगामी वर्ष स्वरोजगार योजना का प्रधानमन्त्री की स्वरोजगार योजना में समावेश हो जायेगा।

उद्योग विभाग में पदस्थापित अधिकारी एवं कर्मचारी

40. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उद्योग विभाग में वर्तमान में कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(2) क्या विभाग के पास इतने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पर्याप्त कार्य है ? यदि नहीं, तो क्या विभाग इन कर्मचारियों व अधिकारियों को दूसरे विभागों में स्थानान्तरित करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उद्योग विभाग में वर्तमान में 156 अधिकारी एवं 1124 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) जी हां। अत: अधिकारियों/कर्मचारियों का दूसरे विभाग में स्थानान्तरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योगों को जारी पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र

41. **श्री रामेश्वरलाल भाटी** (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले दो वित्तीय वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कितने-कितने उद्योगों को पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पर्यावरण के हिसाब से शहरी सीमा से किस-किस उद्योग को कहां-कहां एवं कितनी दूरी पर लगाना चाहिए ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रेस नोट नम्बर 17 एवं वर्ष 1985 की गाईड लाइन के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले 20 प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से साइट क्लियरेंस जारी किया जाता है। पिछले दो वित्तीय वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 (31 जनवरी 94) तक इस प्रकार के उद्योगों को जारी पर्यावरणीय साइट क्लियरेंस की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगों को स्थापित करने से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण उपायों की उपयुक्तता से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है मण्डल द्वारा वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 (31 जनवरी, 94 तक) जारी इस प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्रों की सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(2) इस विषय में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत नियम नहीं बने हुये है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये गये पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 की धारा 5 के अनुसार इस प्रकार के नियम बनाये जाने की शक्ति केन्द्र सरकार में निहित है जो इस विषय पर विचार कर रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश-पद्धति

42. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों में राज्य के बाहर के कालेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अलग-अलग वर्षों में दाखिला दिया जाता है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या नियम बने हुए हैं ?

(2) वर्ष 1988-89 से 1993-94 के वर्ष तक जिन लोगों को भर्ती किया गया उसकी सूचना निम्न प्ररूप में देने का कष्ट करें—

वर्ष 1988-89 से 1993-94
नाम कालेज जहां भर्ती किये
नाम कालेज जहां से भर्ती होने वाले आये
वर्ष द्वितीय, तृतीय इत्यादि
ब्रांच जिनमें पढ़ रहे थे
ब्रांच जिसमें भर्ती किया
नाम विद्यार्थी पिता के नाम सहित
विशेष विवरण यदि हों

उत्तर

(1) वर्तमान में मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जयपुर ने स्थानान्तरण/माईग्रेशन के नियम बनाये हुए हैं, जिनकी प्रति संलग्न है।

(2) वांछित निर्धारित प्रपत्र में सूचना निम्नानुसार संलग्न है :—

1. एम.आर.ई.सी., जयपुर–परिशिष्ट–अ
2. इंजीनियरिंग कालेज, कोटा–परिशिष्ट–ब
3. एम.एल.वी. टैक्सटाइल इंस्टीट्यूट, भीलवाड़ा–परिशिष्ट–स
4. एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

कोटा विश्वविद्यालय, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा पाठ्यक्रम

43. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा खुला विश्वविद्यालय ने होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है ? यदि हां, तो किस वर्ष से एवं इसमें अब तक कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि एक वर्ष के पाठ्यक्रम के 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी परीक्षा नहीं ली गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? परीक्षा कब तक लेने का विचार है ?

(3) क्या यह सही है कि समय पर परीक्षा आयोजित नहीं होने से बहुत से विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय को क्षतिपूर्ति राशि हेतु नोटिस दिए हैं एवं न्यायालय में वाद दायर किये हैं ? अब तक किन-किन विद्यार्थियों ने नोटिस दिये हैं एवं न्यायालय में वाद दायर किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि समय पर परीक्षा आयोजित नहीं होने से बहुत से

38

(श्री कुबेर सिंह)

विद्यार्थी ओवर ऐज हो गए हैं, जिससे वे पर्यटन सम्बन्धित एवं अन्य राजकीय नौकरी प्राप्त नहीं कर पायेंगे ? यदि हां, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, जो जनवरी, 1991 के बाद ओवर ऐज हुए हैं, विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह पाठ्यक्रम 1989-90 में प्रारम्भ किया गया तथा छात्र संख्या 254 थी।

(2) जी हां। नियमानुसार इन छात्रों की परीक्षा जून-जुलाई, 1991 में होनी चाहिए थी। प्रायोगिक कार्य के अभाव में एवं समय पर पाठ्य सामग्री तथा सत्रीय कार्य छात्रों को न भेजे जाने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है। समस्त औपचारिकताएँ समय पर पूर्ण हो जाने पर चार जून, 1994 से परीक्षाएँ आयोजित हो सकती हैं।

(3) श्री टी. एस. नानावटी, एडवोकेट, अहमदाबाद में दिनांक 11-11-1991 को होटल मैनेजमेन्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम से सम्बन्धित छात्र सुनील एस त्रिवेदी अहमदाबाद की ओर से नोटिस दिया था, किन्तु तत्पश्चात् उक्त छात्र ने किसी प्रकार का कोई वाद, रिट याचिका एवं अन्य लिटीगेशन सक्षम न्यायालय में दायर नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई नोटिस अथवा वाद इस विषय से सम्बन्धित दायर नहीं किया गया है।

(4) कुल 254 प्रवेश छात्रों में से जनवरी, 1991 को 49 छात्र राजकीय सेवा के लिए ओवर ऐज की सीमा शर्त पूर्ण कर चुके हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 44

(स्थगित)

जिला डूंगरपुर में एक और महाविद्यालय की स्थापना

45. **श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी)** : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार 'डूंगरपुर जिले की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए एक और महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) डूंगरपुर महाविद्यालय में वर्तमान में कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं ? क्या इनके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। महाविद्यालय में वर्तमान छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नये महाविद्यालय की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(2) डूंगरपुर महाविद्यालय में सत्र 1993-94 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कुल संख्या 1169 है। महाविद्यालय में छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त कमरे हैं।

श्रीनगर से प्रेमनगर (चित्तौड़गढ़) सड़क का डामरीकरण

46. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में श्रीनगर से रावड़दा (प्रेमनगर) वाया जोगणिया माता कितने किलोमीटर कच्चा रोड है ?

(2) क्या सरकार इस कच्चे रोड को पक्का कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) श्रीनगर से रावड़दा (प्रेमनगर) पूरी डामर की सड़क है जिसकी कुल लम्बाई 28 कि. मी. है जो ठुकराई, चन्दाखेड़ी, मैनाल, जोगणिया माता होते हुए है।

(2) श्रीनगर से रावड़दा (प्रेमनगर) का दूसरा रास्ता जोगणिया माता, धारला 461 (1971) उमर 126 (1971), गोपालपुरा 123 (1971) होते हुये है जिसमें 8 कि. मी. कच्चा रास्ता है। इस रास्ता की कुल लम्बाई 15 कि. मी. है। फिलहाल इस अतिरिक्त रास्ते को पूरा डामर सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी की अपूर्ण सड़कों का निर्माण

47. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी पंचायत क्षेत्र की 12 पंचायतों के क्षेत्रों को जोड़ने वाली और उसके किसी भी भाग में विभिन्न योजनाओं में निर्मित सड़कों का विवरण स्थिति दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन सड़कों के अधूरे कार्य पुलिया सहित पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

(3) क्या पंचायत मुख्यालय तथा 1000 जनसंख्या के ग्रामों को जोड़ने की सरकार की कोई योजना है ? यदि है, तो इस निर्वाचन-क्षेत्र की कौन-कौन सी सड़कें पंचायत मुख्यालय तथा ग्रामों से जोड़ी गई और कौन-कौन सी पंचायत मुख्यालय तथा ग्राम जोड़ने शेष हैं ? दोनों प्रकार का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार 1992 की जनसंख्या पर आधारित पंचायत मुख्यालय, ग्रामों को सड़कों से जोड़ने का कोई विस्तृत मास्टर प्लान की योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार आठवीं योजना में विश्व बैंक अथवा अन्य सहायता से इन सड़कों को प्राथमिकता देते हुए हर पंचायत ग्रामों को सड़कों से जोड़ने की नीति एवं योजना बना रही है ? यदि हां, तो विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी पंचायत क्षेत्र 12 पंचायतों के क्षेत्र को जोड़ने वाली एवं उनके क्षेत्र विभिन्न योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का विवरण तथा स्थिति परिशिष्ट "क" में दर्शाई गई है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां, परन्तु सभी अधूरे कार्यों को पूर्ण करना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना में सन् 1971 की जनगणना पर आधारित 1000 तथा उससे ज्यादा आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। इसमें 1000 की आबादी वाले पंचायत मुख्यालय भी शामिल है। जुड़े हुए गांव तथा पंचायत मुख्यालय की सूची परिशिष्ट "ख" तथा बिना जुड़ा गांव तथा पंचायत मुख्यालय की सूची परिशिष्ट "ख-I संलग्न है।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं, आठवीं पंचवर्षीय योजना में विश्व बैंक की सहायता से सन् 1971 की जनगणना के आधार पर 1000 तथा इससे अधिक आबादी वाले गांव तथा पंचायत मुख्यालय से सड़क से जोड़ने का प्रावधान है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें।)

कामां से करमूका लालपुर सड़क पर निर्माण व्यय

48 **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कामां से करमूका लालपुर सड़क का किस वर्ष में निर्माण हुआ ? निर्माण के बाद अब तक इस सड़क की मरम्मत पर कितनी राशि व्यय हुई ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

कामां से करमूला लालपुर सड़क का निर्माण कृषि उपज मण्डी द्वारा सन् 1982-83 में करवाया गया था। इस विभाग द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत हेतु कोई राशि व्यय नहीं की गई क्योंकि यह सड़क इस विभाग की मरम्मत सूची में नहीं है।

पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़ना

49. **श्री बनवारी लाल भिण्डा** (फतेहपुर) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने पंचायत केन्द्र हैं ? इनमें कितने केन्द्रों को अब तक मुख्य सड़कों से जोड़ा जा चुका है तथा कितने शेष हैं ?

(2) क्या शेष केन्द्रों को भी मुख्य सड़कों से जोड़ने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के उपर्युक्त सड़क विहीन कितने-कितने ग्राम हैं, जो पंचायत मुख्यालय से जुड़े नहीं हैं ? उन्हें कब तक सड़कों से जोड़ दिया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 9158 पंचायत केन्द्र हैं। इनमें से 7273 पंचायत केन्द्रों को अब तक विभिन्न तरह की सड़कों से जोड़ा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जा चुका है। 1885 पंचायत केन्द्रों को सड़कों से जोड़ा जाना शेष है।

(2) हां. शेष केन्द्रों को भी मुख्य सड़कों से जोड़ने की सरकार की योजना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में अब शेष पंचायत केन्द्रों को जिनकी आबादी 1000 (1971) सड़कों से जोड़ने की योजना है। इन केन्द्रों को सड़कों से जोड़ा जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(3) फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 114 ग्राम है। इनमें से 48 ग्रामों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। शेष 66 ग्राम सड़कों से जुड़े हुये नहीं हैं। सड़कों से बिना जुड़े ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। राज्य के सभी ग्रामों को सड़कों से जोड़ना अभी प्राथमिकता क्रम में लेना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

खण्ड बून्दी में बिना निविदायें आमन्त्रित किये सामान क्रय

50. **श्री रामनारायण (नैनवा) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग के खण्ड, बून्दी में 1 अप्रेल, 1991 से 30 जून, 1993 तक की अवधि में अखबार में विज्ञापन प्रसारित किये बगैर सामान क्रय किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी द्वारा किस तारीख को कितनी-कितनी राशि का क्रय किया गया ? क्रय किए गए सामान का विवरण विक्रेता फर्मवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या एक वर्ष में एक से अधिक बार एक ही प्रकार का सामान उक्त विधि से क्रय किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो इस प्रकार की खरीद के लिए कौन जिम्मेदार है ?

(3) उक्त विधि से सामान किस परिस्थितियों में क्रय किया जा सकता है ? सम्बन्धित आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या क्रय किये गये समस्त सामान को विधिवत तरीके से विज्ञप्ति जारी करके क्रय किया जाना सम्भव था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन जिम्मेदार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। रुपये 10,000 तक की राशि का सामान नियमानुसार बगैर अखबार में प्रकाशन किये क्रय किया गया है। जिसकी सूची "अ", "ब", "स" वर्षवार मय अधिकारी का नाम क्रय दिनांक राशि तथा विक्रेता आदि के नाम संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) आवश्यकतानुसार अगर लागत रुपये 10,000/- तक ही क्रय किया जा सकता है। लेखा नियम की नकल संलग्न है।

(4) जी नहीं। कोई अधिकारी जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि सामान लेखा नियम के अन्तर्गत किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

बिलाड़ा (जोधपुर) की काश्त भूमि

51. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बिलाड़ा कृषि प्रधान इलाका है तथा यहां 50% से अधिक लोग अपने खेतों व कुओं पर ही रहते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व की राज्य सरकारों द्वारा किसानों से जिन्होंने उनके पास बेकार पड़ी सिवाय चक या बंजड़ या मगरा की जमीन को लेवल कर, सुधार कर देश में अन्न की पैदावार बढ़ाने में जो सहयोग दिया है उसे देखते हुए उन जमीनों को सीलिंग लिमिट तक रेगूलराईज किया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ये प्रावधान सिर्फ गांवों में स्थित भूमि पर ही लागू हुए तथा बिलाड़ा जैसी नाम मात्र की नगरपालिका के किसान इससे वंचित रह गये ?

(4) बिलाड़ा में कुल कितनी भूमि धारा 91 के तहत लोगों के पास है तथा इसमें कुल कितने काश्तकार आते हैं ? क्या सरकार विशेष रूप से यहां के काश्तकारों को भारी जुर्माने से बचाने तथा उक्त भूमि को रेगूलराईज कराने बाबत कुछ विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, भूमिहीन कृषकों द्वारा राजकीय सिवायचक भूमियों पर दिनांक 15-7-84 तक किए गए अतिक्रमणों को आदेश सं. प. 6 (7) राज./ग्रुप-4/6/70 दिनांक 1-4-91 द्वारा नियमन करने का निर्णय लिया है। जिसमें निर्धारित सीमा तक आवंटन किये जाने का उल्लेख है।

(3) जी हां, कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 4 (5) (घ) में वर्णित प्रतिबन्धों के कारण बिलाड़ा कस्बा नगरपालिका घोषित होने के कारण नियमितिकरण पर प्रतिबन्ध है।

(4) बिलाड़ा में सं. 2050 में 328 व्यक्तियों का 1073 बीघा भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण राज. भू-राजस्व अधि. की धारा 91 की कार्यवाही की गई। नगरीय क्षेत्रों में नियमानुसार कृषि प्रयोजनार्थ किये गये अतिक्रमणों का नियमन सम्भव नहीं है।

डीग के बन्दोबस्त प्रकरण

52. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार सब डिवीजन डीग के हाल ही में किये गये नये बन्दोबस्त के दौरान रही बन्दोबस्ती सम्बन्धी त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए कोई राजस्व अभियान चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

सब डिवीजन डीग में तहसील नगर व डीग का क्रमशः 1979-80 व 1983-84 में बन्दोबस्त कार्य सम्पादित हुआ है। तहसील नगर के बन्दोबस्त कार्य में जो त्रुटियां सामने आई उनका निस्तारण सन् 1984 में अभियान के रूप में कर दिया

(राजस्व मंत्री)

गया। तहसील डीग में कुछ समस्याएं सामने आई हैं जिनको जिला कलक्टर द्वारा सूचीबद्ध किया जा रहा है। इन पर विचार कर निर्णय लिया जावेगा।

ग्राम हुलमाना (अलवर) की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण

53. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हुलमाना खुर्द तहसील मुण्डावर (अलवर) की चारागाह भूमि पर कई व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखे हैं? यदि हां, तो किस-किस ने कितनी-कितनी भूमि पर विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमणियों द्वारा बार-बार चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किये जाते रहे हैं तथा मामूली शास्ति पर उन्हें छोड़ा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? इस वर्ष वसूल शास्ति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमणियों की फसल को भी कभी नीलाम नहीं किया गया व न ही उन्हें सजा दी गई? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या राज्य सरकार चारागाह भूमि पर हो रहे, ऐसे लगातार अतिक्रमणों को देखते हुए, भविष्य में ऐसे मामलों में अधिक से अधिक सजा व फसल नीलाम कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सम्वत् 2050 फसल खरीफ में 12 व्यक्तियों द्वारा ग्राम हुलमाना खुर्द में आराजी ख. नं. 95 मिन चारागाह पर जोत लगाकर, बाड़ा, आबादी बताकर अतिक्रमण किया गया था। विवरण सहित सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न हैं।

(2) तहसीलदार मुण्डावर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दो अतिक्रमियों द्वारा सं. 2048 से 4 अतिक्रमियों द्वारा 2049 से अतिक्रमण जोत लगाकर किया जाता रहा है। जिस पर अधिकतम शास्ति 50 गुणा आरोपित की गई है। छः अतिक्रमियों द्वारा सं. 2050 खरीफ फसल में बाड़ा व आबादी बनाकर अतिक्रमण किया गया है जिस पर अधिकतम 50 गुणा शास्ति आरोपित की गई है। विवरण युक्त सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही तहसीलदार के न्यायालय के द्वारा की जाती है। सं. 2050 फसल खरीफ में अतिक्रमियों द्वारा केवल जोत लगाने के कारण फसल नीलामी की कार्यवाही नहीं की गई है। न्यायालय द्वारा फसल बोये जाने पर फसल नीलामी की कार्यवाही की गई है। सं. 2049 फसल रबी में 295 रु. फसल नीलामी से वसूल किये गये है। रकबा कम काश्त होने एवं जिन्स न होने अथवा कुछ रकबे पर रिहायश होने की वजह से न्यायालय द्वारा सजा देना उपयुक्त नहीं समझा गया है।

(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में उप धारा 91 (6),

(राजस्व मंत्री)

अधिसूचना दिनांक 3-12-1992 से जोड़ी जाकर अतिक्रमियों को 3 वर्ष तक का कारावास और 20,000/– रु. तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा चुका है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें।)

ग्राम राजावास (जयपुर) की गोचर भूमि पर अतिक्रमण

54. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के ग्राम राजावास तहसील आमेर की गोचर भूमि पर अतिक्रमण हुआ है ? यदि हां, तो कितनी बीघा में ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग को अतिक्रमण के सम्बन्ध में जनता से अथवा अन्य माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या सरकार इस भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम राजावास तहसील आमेर की चारागाह भूमि ख. नं. 311/1 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा ख. नं. 293 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा ख नं. 294/1 रकबा 1 बीघा एवं ख. नं. 195 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल 28.09 बीघा भूमि पर अतिक्रमण हुआ है।

(2) जी हां, हल्का पटवारी से चारागाह भूमि पर अतिक्रमण होने की शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत पर राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमियों को बेदखल व शास्ती की कार्यवाही दिनांक 29-12-93 व 30-12-93 को की गई।

(3) जी हां, ख. नं. 311/1, 293 एवं 195 पर किया गया अतिक्रमण हटा दिया गया है। ख नं. 294/1 में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली के आदेश दिये जा चुके हैं और मौके पर निर्माण हो जाने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

जिला अजमेर के भू-संशोधन के तहत खातेदारी

55. श्री महेन्द्र मीणा (सिकराय) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में 1971-72 के भू-संशोधन के तहत खातेदारी भूमि नियमितिकरण के कितने मामले, जिनको पूर्व में 1971-72 में निपटा दिया गया था, लम्बित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तालाबी, चारागाह एवं नगर पालिका पेराफेरी के पड़ने वाले मामलों से संबंधित लम्बित मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(3) इस सम्बन्ध में गत दो वर्षों में कितनी बार कब-कब बैठकें सचिवालय व

(श्री महेन्द्र मीणा)

जिला स्तरों पर जन प्रतिनिधियों के साथ सम्पन्न हुई, उनमें हुई कार्यवाही का बैठकवार विवरण व उनमें लिए गए निर्णय की अनुपालना में हुई कार्यवाही का बैठकवार विवरण व कार्यवाही का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में भू-संशोधन का कार्य वर्ष 1970 में प्रारम्भ हुआ था। उक्त भू-संशोधन की अवधि के 41843 ऐसे प्रकरण लम्बित हैं जिनका विद्यमान नियमों के अन्तर्गत नियमितिकरण किया जाना सम्भव नहीं था।

(2) राज्य सरकार द्वारा तालाबी, चरागाह एवं नगरपालिका पेराफेरी क्षेत्र के मामलों को निपटाने के लिये निर्णय लिया जाकर जिला कलक्टर, अजमेर को निर्देश दिनांक 24-11-92 को दिये जा चुके हैं।

(3) इस सम्बन्ध में गत दो वर्षों में जन प्रतिनिधियों के साथ निम्न दो बैठकें आयोजित हुई है :—

(i) माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 7-4-92 को अपरान्ह 3.00 बजे राजस्थान विधान सभा के केबिनेट कक्ष में अजमेर जिले के समस्त जन प्रतिनिधियों की बैठक आमंत्रित की गई थी, किन्तु अपरिहार्य कारणों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बैठक की अध्यक्षता नहीं की जा सकी। बैठक माननीय राजस्व मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हुए विचार विमर्श एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति संलग्न है।

(ii) संभागीय आयुक्त, अजमेर की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में जन प्रतिनिधियों की एक बैठक दिनांक 3-5-92 को आमंत्रित की गई जिसमें कोई आम राय कायम नहीं होने के फलस्वरूप निर्णय नहीं हो सका।

(निर्णय की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें।)

सहकारिता अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरण

56. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारिता अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत गबन, घपले एवं अनियमितता के करोड़ों की राशि से सम्बन्धित मामले वर्षों से जांच अधीन चल रहे हैं? यदि हां, तो उक्त मामलों को निपटाने हेतु कोई समयबद्ध योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि 6 वर्ष तक इस प्रकार के मामले विभाग की जानकारी में न आने पर इन पर कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति लेनी होती है? यदि हां, तो क्यों? राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में क्या भावी नीति है?

उत्तर

(1) जी हां। धारा 74 के लम्बित मामलों को निपटाने हेतु दिनांक 20-9-93 से 31-3-94 तक के लिये विशेष अभियान

(सहकारिता मंत्री)

चलाया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक स्तर के अधिकारियों के माहवारी लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

(2) सहकारी अधिनियम की धारा 74 (1) के परन्तुक के अनुसार पूर्व में ऐसे किसी व्यक्ति ने जिसने किसी संस्था के गठन या प्रबन्ध में कोई भाग लिया है या किसी समय उक्त संस्था का अधिकारी या कर्मचारी रहा है और अधिनियम, नियम या उप-विधियों के विरुद्ध किसी राशि का भुगतान कर दिया है या विश्वास भग या जानबूझकर उपेक्षा करके उक्त संस्था के परिसम्पत् कम करवा दिये हैं या ऐसे किसी धन या अन्य सम्पत्ति जिसकी उक्त संस्था, स्वामी हैं, का अपहरण कर लिया है या कपटपूर्वक रोक लिया है तो ऐसे कार्य के करने या नहीं करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के पश्चात् उक्त प्रकरणों में सरचार्ज की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। अत: जो प्रकरण उस समयावधि से बाहर किन्हीं कारणवश होते हैं तो उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार से सहकारी अधिनियम की धारा 139 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करके धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती थी। इस स्थिति के निराकरण हेतु अधिनियम में संशोधन कर दिनांक 27 मार्च, 1991 से उक्त परन्तुक को निम्न प्रकार कर दिया गया है :—

"परन्तु शर्त यह है कि उक्त कोई भी जांच इस उपधारा में वर्णित किसी कार्य के करने या नहीं करने की तारीख से या यथा-स्थिति ऐसे कार्य या लोप की रजिस्ट्रार को जानकारी होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, छ: वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् नहीं की जायेगी।"

जयपुर शहर की सहकारी समितियां

57. श्री महेन्द्र मीणा (सिकराय) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में कितनी पंजीकृत व अपंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं? और उसके कौन-कौन पदाधिकारी हैं?

(2) गत दिनों समितियों के शिविरों में ऐसी कौन-कौन सी समितियों के मामले सामने आये हैं, जिन्होंने अपने मूल नाम को बदलकर गैर नाम से पट्टे काटने का कार्य किया और ऐसी समितियों के प्रशासक कौन-कौन अधिकारी थे?

(3) क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में वर्तमान में कुल 217 पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं। वर्तमान में विभाग को कोई अपंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समिति की जानकारी नहीं है। पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियों के पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) निम्नांकित चार गृह निर्माण सहकारी समितियों के नाम परिवर्तित हुए हैं :—

(सहकारिता मंत्री)

मूल नाम	संशोधित नाम
1. स्वामी कच्ची बस्ती गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर	श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण स स. लि. जयपुर
2. बलाई बस्ती गृ. नि. स. स. लि. जयपुर	जय गणेश गृह नि. स. स लि. जयपुर
3. बस्सी सीतारामपुरा " "	श्री 108 " "
4. मण्डी खटीकान " "	आनन्द मंगल " "

उपरोक्त में से प्रथम तीन समितियों द्वारा नाम परिवर्तन के पश्चात् भी पट्टे जारी किये गये हैं। उक्त समितियों के नाम परिवर्तन के समय एवं उसके पश्चात् कोई प्रशासक समिति में नहीं रहा है। गैर नाम से पट्टे जारी करने की कोई सूचना विभाग के पास नहीं है।

(3) चूंकि उपरोक्त चारों समितियों में प्रशासक नहीं रहे हैं अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सहकारिता विभाग द्वारा संचालित मिलों की आय

58. **श्री रामेश्वरलाल भाटी** (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य से सहकारी आधार पर कहां-कहां मिल चल रही हैं तथा उसकी पिछली एक वर्ष की क्या लाभ-हानि रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू में तेल मिल (कारखाना) सहकारी आधार पर खोलने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में सहकारिता के आधार पर निम्नांकित मिलें चल रही है तथा उनकी पिछले एक वर्ष 92-93 की लाभ हानि का विवरण सामने अंकित है :—

(45)

(सहकारिता मंत्री)

1.	गंगापुर को-आप. स्पिनिंग मिल्स लि., गंगापुर (भीलवाड़ा)	241.89 लाख	लाभ
2.	श्रीगंगानगर को-आप. स्पिनिंग मिल्स लि. हनुमानगढ़ (गंगानगर)	153.00 लाख	लाभ
3.	राजस्थान को-आप. स्पिनिंग मिल्स लि. गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)	58.23 लाख	हानि
4.	श्रीगंगानगर को-आप. काटन काम्पलेक्स लि. श्रीगंगानगर	28.40 लाख	हानि
5.	श्रीकेशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि. केशोरायपाटन (बून्दी)	17.11 लाख	लाभ
6.	श्रीगंगानगर को-आप. ऑयल सीड प्रोसेसिंग मिल्स लि. गजसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर	33.32 लाख	हानि
7.	तिलम संघ द्वारा संचालित मिलें	16.80 करोड़	हानि

सोयाबीन मस्टर्ड प्रोजेक्ट कोटा, जिला कोटा

आयलसीड रिफाईनरी कोटा, जिला कोटा

बीकानेर ग्राउन्डनट मस्टर्ड प्रोजेक्ट बीकानेर, जिला बीकानेर

फतेहनगर ऑयल एक्सट्रेक्शन प्लान्ट फतेहनगर, जिला उदयपुर

श्रीगंगानगर मस्टर्ड तेल मिल श्रीगंगानगर

जालोर मस्टर्ड तेल मिल, जालोर

मेड़तासिटी मस्टर्ड तेल मिल जिला नागौर

झुन्झुनू मस्टर्ड तेल मिल, झुन्झुनू एवं गंगापुरसिटी मस्टर्ड तेल मिल गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर

(2) सीकर में तेल मिल स्थापित किया जाना आठवीं पंचवर्षीय योजना से प्रस्तावित है। झुन्झुनू में तिलम संघ की यूनिट कार्यरत है। जयपुर एवं चूरू में तेल मिल खोलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंचायतों का पुनर्गठन

59. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायतों के पुनर्गठन की कार्यवाही की जा रही है ? क्या सभी जिलों में पुनर्गठन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो जोधपुर (शेरगढ़ वालेसर) के क्या-क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पुनर्गठन का क्या मापदण्ड तय किया गया है ? मापदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायतों का पुनर्गठन हो चुका है, वर्तमान में किसी भी जिले से पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 60
(स्थगित)

राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एवं सरकार के मध्य हुये समझौते की क्रियान्विति

61. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एवं सरकार के मध्य माह अक्टूबर, 1993 में कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समझौते की पालना, सरकार द्वारा कर दी गई है ? यदि हां, तो कब-कब एवं क्या-क्या। इस सन्दर्भ में प्रसारित आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष रहे समझौते की क्रियान्विति अभी भी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 15 अक्टूबर, 1993 को प्रमुख स्वास्थ्य शासन सचिव के कक्ष में राजस्थान नर्सेज एसोसिएसन के पदाधिकारियों के साथ वार्ता हुई थी। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दिनांक 22-11-93 को निम्न नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं :—

1. जिला नर्सिंग अधीक्षक के पद पर कार्य सम्पादन हेतु आदेश 1082/22-11-93 (उक्त पदों के लिये योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने पर)
2. नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी–द्वितीय से नर्सिंग श्रेणी–प्रथम के पद पर आदेश 1083 दिनांक 22-11-93
3. नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी–द्वितीय के पद पद आदेश 1084 दिनांक 22-11-93
4. मेल नर्स–प्रथम के पद पर आदेश 1085 दिनांक 22-11-93
5. सिस्टर के पद पर आदेश 1086 दिनांक 22-11-93

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

6. ब्लाक हैल्थ सुपरवाईजर के पद पर आदेश 1087 दिनांक 22-11-93

7. एल.एच.वी के पद पर आदेश 1088 दिनांक 22-11-93

(3) शेष रही मांगों पर कार्यवाही की जा रही है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

62. **श्री चुन्नीलाल** (बेगूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने और कहां-कहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों पर कितने-कितने चिकित्सकों के पद सृजित हैं तथा कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्रों में पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो रिक्त पद को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में कुल 10 प्रा. स्वा. केन्द्र स्वीकृत हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त 10 प्रा. स्वा. केन्द्र पर 12 चिकित्सकों के पद सृजित हैं जिनमें से 8 चिकित्सक कार्यरत हैं।

(3) जी हां, रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें।)

ग्राम सोमका (भरतपुर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पद

63. **श्री तैय्यब हुसैन** (कामां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र के सोमका ग्राम में पी. एच. सी. स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसमें कितने डाक्टर एवं अन्य कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(2) गत तीन वर्षों में कितने-कितने मरीजों का पंजीयन हुआ है, यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

प्रा. स्वा. केन्द्र, सोमका में निम्न स्टॉफ स्वीकृत है तथा सभी कार्यरत है :—

1. डाक्टर	एक
2. मेलनर्स–II	दो
3. प्रसाविका	एक
4. लैब तकनिशियन	एक
5. वार्ड ब्वाय	तीन
6. हरिजन	एक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(2) प्रा. स्वा. केन्द्र, सोमका में गत तीन वर्षों में आउटडोर में पंजीकृत रोगियों की संख्या निम्नलिखित है :—

1991	1831
1992	2188
1993	5600

अतारांकित प्रश्न संख्या 64

(स्थगित)

पंचायत समिति पाली के स्वास्थ्य केन्द्र

65 **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली पंचायत समिति क्षेत्र की आकेली, लाम्बिया, भांगेसर, बाणियावास, मंडिया, रूपावास एवं गिराधरा ग्राम पंचायतों एवं रोहट पंचायत समिति के कौन-कौन से गांवों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं अन्य चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपरोक्त गांवों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र या अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पाली पंचायत समिति क्षेत्र तथा रोहट पंचायत समिति क्षेत्र के उन गांवों की सूची संलग्न है। जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

(2) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर उक्त ग्रामों में जिनमें चिकित्सा केन्द्र नहीं है में, राज्य के अन्य ग्रामों के साथ-साथ उपादेयता के आधार पर चिकित्सा केन्द्र खोलने के मापदण्ड के अनुरूप खोलना सम्भव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें।)

राज्य के चिकित्सालयों की एक्स-रे एवं ई. सी जी. मशीनें

66. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के किन-किन अस्पतालों में किस-किस माडल की किस-किस कम्पनी की एक्स-रे मशीन तथा ई. सी. जी. मशीनें लगी हुई हैं तथा इन पर कितना-कितना स्टाफ लगा हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 में कब से कब तक खराब रही तथा उनकी मरम्मत पर कितना खर्चा आया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) मशीनें जल्दी ठीक हों तथा मरीजों के काम आ सकें इस बाबत सरकार क्या योजना बना रही है ?

उत्तर

(1) प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तैयार की गई सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य में कौन सी मशीन किस-किस अवधि में खराब रही और मरम्मत

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

पर कितना व्यय किया गया इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। शेष सूचना एकत्र की जा रही है।

(3) मशीनें जल्दी ठीक हों, इसके लिए एक नीति बनाई गई है, जिसमें संस्थान के प्रभारी अधिकारी को तीन दिन के अन्दर अपने जिला स्तर के अधिकारी को सूचित करना है और सात से पन्द्रह दिन के अन्दर उस उपकरण को ठीक करवाने की कार्यवाही करनी है। परिस्थितिवश यदि उपकरण 15 दिन के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ठीक कराया जाना सम्भव नहीं हो तो उन्हें सम्बन्धित संयुक्त निदेशक को सूचित करना होगा, वह अपने स्तर पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक माह के अन्दर ठीक कराने हेतु कार्यवाही करेगा और एक माह में ठीक नहीं होने पर निदेशक को मय कारणों के सूचित करेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विद्याधर नगर, जयपुर में चिकित्सालय भवन का निर्माण

67. **श्री मोती लाल (रूपवास)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर जयपुर में राजकीय चिकित्सालय के लिये राजकीय सैकेण्डरी स्कूल के पास एक प्लाट आरक्षित कर दिया गया है। यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्लाट पर अस्पताल भवन का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(3) सरकार द्वारा जब तक अस्पताल भवन बन कर तैयार नहीं होता है, तब तक विद्याधर नगर क्षेत्र की जनता के लिये क्या कोई चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक एफ. 1 (119) जे. डी. ए./66/डब्लू/ओ/58 दि. 17-01-92 के आधार पर 61930 वर्ग मीटर भूमि चिकित्सालय के लिये विद्याधर नगर में आरक्षित होना पाया जाता है। (प्रति संलग्न है)

(2) चूंकि आरक्षित भूमि पर चिकित्सालय भवन का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ही कराया जाना है, इसलिये निर्माण कार्य प्रारम्भ होने बाबत विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कथन करना संभव नहीं है।

(3) विद्याधर नगर में फिलहाल कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, किन्तु विद्याधर नगर के समीप ही शास्त्री नगर में स्थापित जिला चिकित्सालय द्वारा सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें।)

कालेज ऑफ नर्सिंग में सेवारत कर्मचारियों के तृतीय वर्ष में प्रवेश का मानदण्ड

68. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री दयाराम परमार)

(1) कॉलेज ऑफ नर्सिंग में सेवारत कर्मियों के तृतीय वर्ष में प्रवेश का क्या मानदण्ड है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1992-93 में तृतीय वर्ष में छात्रों को प्रवेश दिया गया है ? यदि हां, तो उसके चयन का आधार क्या था ? प्रवेश दिये गये छात्रों की सूची मय योग्यता के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सभी प्रवेशार्थियों को विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो किस-किस प्रवेशार्थियों को किस-किस आधार पर परीक्षाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कॉलेज ऑफ नर्सिंग में सेवारत कर्मियों को प्रवेश तृतीय वर्ष में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश सम्बन्धित योग्यता तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जाता है। नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) तृतीय वर्ष में, वर्ष 1992-93 में कोई प्रवेश नहीं किये गये।

(3) जी नहीं। संस्थान के 19 छात्रों को राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है, क्योंकि इन विद्यार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर 1991–92 की प्रवेश सूची में से प्रवेश दिया गया है। प्रवेश क्षमता 26 है परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के कारण 19 छात्रों को प्रवेश देने के कारण 1991–92 में प्रवेश क्षमता 45 हो गई है। इन छात्रों के परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का प्रकरण राजस्थान विश्वविद्यालय तथा राजस्थान सरकार के पास विचाराधीन है।

(नियमों की प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रकरण

69. श्री रामनारायण (नैनवा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990 से अब तक खाद्य पदार्थों में मिलावट बाबत कितने नमूने लिये गये हैं ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मिलावट सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से अब तक खाद्य पदार्थों के लिये गये नमूने का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

जी हां।

1. समय-समय पर खाद्य निरीक्षकों को अधिक खाद्य नमूने विश्लेषण लेने हेतु निर्देश प्रसारित किये जाते हैं। जिन खाद्य पदार्थों में मिलावट सम्बन्धी

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उनके नमूने निरीक्षकों को निर्देशित कर एकत्र करवाये जाते हैं।

(2) अप मिश्रण के विरुद्ध जन जागृति लाने हेतु राज्य के 6 सम्भागीय मुख्यालयों पर एक-एक टीम गठित की हुई है, जो घर-घर जाकर एवं प्रदर्शनी स्पाट टैस्ट व पठन सामग्री के माध्यम से गृहणियों एवं आम उपभोक्ताओं को जानकारी कराती हैं।

1. हर जिला स्तर पर मु. चिकि. एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय में शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किये हुए हैं।

2. निरीक्षकों को नियमित निरीक्षण कार्य के अलावा आदेश देकर विशेष निरीक्षण कार्य कराया जाता रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें।)

ग्रामीण चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी

70. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी है ? यदि हां, तो कितने डाक्टरों की ?

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी रहने के मुख्य कारण क्या हैं और इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में 275 चिकित्सा अधिकारियों की कमी है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा संस्थाओं में डाक्टर के नहीं रहने की समस्या प्राय: ऐसे क्षेत्रों में है जहां बिजली पानी की सुविधा नहीं है और न ही आवासीय सुविधा उपलब्ध है। इन्हीं समस्याओं के कारण ऐसे क्षेत्रों में डाक्टर प्राय: नियुक्ति के पश्चात् कार्य स्थान से अनुपस्थित रहते हैं परिणामस्वरूप विभाग द्वारा उनकी सेवाएं अन्तत: समाप्त कर दी जाती है। योजना मद में उपलब्ध वित्तीय संसाधन के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर आवास गृह निर्माण कराये जाते रहे है तथा इस सम्बन्ध में स्थानीय दानदाताओं को भी संस्थान के भवन के साथ साथ आवास गृहों का निर्माण कराते हेतु प्रेरित किया जाता है।

जिला बारां की माडा योजना

71. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में माडा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 व 1993–94 में क्या-क्या कार्य हुये ?

(2) छबड़ा व छीपाबड़ोद पंचायत-समिति में इसी योजना के तहत वर्ष 1991-92, 92-93, 93-94 में क्या-क्या कार्य हुये ? क्या करवाये गये सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) वर्ष 1994-95 में माडा योजना के तहत छबड़ा व छीपाबड़ोद पंचायत समिति में क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) बारां जिले में माडा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992–93 एवं 1993–94 में किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(2) छबड़ा व छीपाबड़ोद पंचायत समिति में माडा योजना के तहत वर्ष 1991–92, 92–93 व 1993–94 में किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है। 18 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। एक पर कार्य चल रहा है।

(3) वर्ष 1994–95 में माडा योजना के तहत छबड़ा व छीपबडोद पंचायत समिति में प्रस्तावित कार्यों का विवरण परिशिष्ट–3 पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें।)

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

72. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत राशि प्रदत्त की जाती है? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं पर कितनी राशि किन-किन मापदण्ड एवं नियमों तथा शर्तों पर दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक किन-किन योजनाओं पर किस-किस को कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन योजनाओं पर खर्च की गई राशि की जांच की गई है? यदि हां, तो किस-किस योजना की? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा व्यक्तिगत एव सामुदायिक लाभ के कार्यक्रमों हेतु राशि प्रदत्त की जाती है। योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राशि का विवरण डी. आर. डी. ए. द्वारा किया जाता है। अत: किस-किस व्यक्ति को कितनी राशि दी गई है, सम्बन्धित जिलों से एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं। सूचना संकलन में काफी समय लगने की सम्भावना है।

(3) निम्नांकित योजनाओं पर खर्च की गई राशि का मूल्यांकन करवाया गया :—

1. आश्रम छात्रावास
2. जलोत्थान सिंचाई योजना
3. सामुदायिक डीजल पम्पसैट
4. विस्फोट द्वारा कृषि कुएँ गहरे कराना
5. फलोद्यान विकास योजना
6. चलवाहन द्वारा उपभोक्ता सामग्री वितरण
7. रेशम कीट पालन
8. मत्स्य बीज संग्रहण वितरण

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–18 देखें।)

(53)

आदिवासियों को प्रदान की जाने वाली सुख-सुविधाएं

73. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या डूंगरपुर जिले में जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत हैं ?

(2) आदिवासियों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) अनुसूचित जनजाति कल्याणकारी उप योजनाओं के अन्तर्गत जिले में कितनी सड़कें, कुएं, एनीकट, छात्रावास, आश्रम, विद्यालय स्थित हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । जनगणना 1991 के आधार पर 65 84 प्रतिशत जनजाति के व्यक्ति निवास कर रहे हैं ।

(2) आदिवासियों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की सूचना परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है ।

(3) सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त की जा रही है । सूचना प्राप्त करने में समय लगेगा ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें ।)

जिला रोजगार कार्यालय, अजमेर में पंजीकरण

74. श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले के रोजगार कार्यालय में कुल कितने लोगों ने आज तक पंजीकरण कराया है ? कितनों को विभाग से रोजगार मिल गया है ?

(2) पिछले 2 वर्षों में अजमेर जिले में किस-किस को किस-किस विभाग में रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अजमेर जिले के रोजगार कार्यालय की जीवित पंजिका पर दिनांक 31-12-93 को 47802 आवेदक पंजीकृत थे । पिछले दस वर्ष में अजमेर रोजगार कार्यालय के माध्यम से 10862 व्यक्तियों को रोजगार मिला है ।

(2) पिछले दो वर्ष में अजमेर रोजगार कार्यालय के माध्यम से वर्ष 1992 में 596 तथा वर्ष 1993 में 801 कुल 1397 को रोजगार प्राप्त हुआ है । नामवार व विभागवार सूची क्रमश: परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

राज्य के शिक्षित बेरोजगार

75 श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 31 जनवरी, 1994 तक कुल कितने शिक्षित पंजीकृत बेरोजगार हैं, तथा किस-किस श्रेणी के एवं जनवरी,

54

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

1990 से इनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई अथवा घटी ?

(2) गत एक वर्ष में राज्य में कितने व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराया गया और उनमें अनुसूचित जाति एव जन जातियों के व्यक्तियों का कितना प्रतिशत है ?

(3) क्या सरकार सभी शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व किस मात्रा में ?

उत्तर

(1) राज्य के रोजगार कार्यालयों में दिनांक 31 दिसम्बर, 1993 को 563271 शिक्षित पंजीकृत बेरोजगार थे जिनमें 186716 सैकेण्डरी, 217140 हायर सैकण्डरी, 142461 स्नातक, 16954 अधिस्नातक थे। एक जनवरी, 1990 से इनकी संख्या में 8.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(2) गत वर्ष (1993 कलेण्डर वर्ष) में राज्य के रोजगार कार्यालयों द्वारा 9269 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ करवाया गया और उनमें अनुसचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः 17.25 व 10.47 था।

(3) जी नहीं। विभाग में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

राज्य के होमियोपैथिक चिकित्सालय

76. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा राज्य में कुल कितने होम्योपैथिक औषधालय चलाये जा रहे हैं ? उनमें नियुक्त चिकित्सकों की सूची चिकित्सालयों के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब-कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या होम्योपैथिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्सक भी लगाये जाते हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब-कब से उक्त चिकित्सक पदस्थापित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि होम्योपैथिक चिकित्सालयों में दवाईयां सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं ? यदि हा, तो आयुर्वेद चिकित्सक लगाने का क्या औचित्य है जबकि इनको चिकित्सा पद्धति का कोई ज्ञान नहीं होता है ?

(5) ग्राम फिरवासी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में होम्योपैथिक चिकित्सक की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(6) क्या सरकार होम्योपैथिक औषधालयों को आयुर्वेद औषधालयों में बदल सकती है ? यदि हां, तो ग्राम फिरवासी तहसील लाडनूं जिला नागौर के औषधालय को आयुर्वेद औषधालय में कब तक परिवर्तित कर दिया जावेगा।

उत्तर

(1) राज्य में विभागान्तर्गत वर्तमान में 107 होम्योपैथिक औषधालय स्वीकृत/

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

संचालित है। इनमें पद स्थापित होम्योपैथिक चिकित्सकों की सूची औषधालय के नाम सहित सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। वर्तमान में 25 होम्योपैथिक औषधालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी हां। आयुर्वेद चिकित्सकों को होम्योपैथिक औषधालयों में नहीं लगाये जाते।

(4) जी हां। यह सही नहीं है कि होम्योपैथिक औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक लगाये जाते हैं।

(5) ग्राम फिरवासी तहसील लाडनूं जिला नागौर में होम्योपैथिक चिकित्सक की नियुक्ति राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दिनांक 6-4-92 को दिये गये स्थगन आदेश पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त मामले का न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में उचित परीक्षण करने तथा प्रकरण पर गुणावगुण एवं नियमानुसार विचार करने के बाद ही की जा सकेगी।

(6) विभाग किसी चिकित्सा पद्धति के औषधालय को परिवर्तित करने के पक्ष में नहीं है और न ही यह नियमानुसार हैं। फिर भी यदि स्थानीय जनता की मांग होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के औषधालय के स्थान पर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का औषधालय चाहती है तो विचार किया जा सकता है। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–20 देखें।)

तहसील सांचौर में अकाल राहत कार्य

77. **श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर)**: क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1988–89 में सांचौर तहसील में सैंकड़ों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के खेतों में टांकों व कुओं का निर्माण कराया गया था? यदि हां, तो किस-किस गांव में किस-किस व्यक्ति के खेतों में कब-कब टांकों व कुओं का निर्माण कराया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन-जिन किसानों से टांके व कुएं बनवाए गए थे, उसमें से अधिकांश लोगों को पहली किश्त के अतिरिक्त दूसरी व तीसरी किश्त नहीं दी गयी? जिन-जिन किसानों को दूसरी व तीसरी किश्तें नहीं दी गयीं, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उपरोक्त के लिए अकाल राहत कार्यों के तहत वर्ष 1988–89 में करीबन 63 लाख रुपये स्वीकृत किए थे? यदि हां, तो उसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया तथा कितनी राशि का भुगतान किन-किन किसानों को किया गया एवं बिना भुगतान किए शेष बच रही राशि को खजाने में कब वापस जमा करायी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वर्ष 1988-89 व 89-90 में सांचौर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में डी.डी.पी. योजना के अन्तर्गत एवं जीवनधारा योजना अन्तर्गत क्रमश: 1908 एव 264 टांका/कूप का निर्माण कार्य कराया गया था। कराये गये कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं। [परिशिष्ट–"क"]

(2) जी हां, जिन-जिन किसानों के टांका/कूप निर्माण करवाये गये थे उनमें से अधिकांश लोगों को प्रथम किश्त के अतिरिक्त दूसरी व तीसरी किश्त का भुगतान पंचायत समिति स्तर पर अनियमितता होने के कारण रोक दिया गया था। उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [परिशिष्ट–"क"]

(3) जी नहीं। राज्य सरकार ने उपरोक्त टांकें/कूपों के लिए अकाल राहत कार्यों के तहत वर्ष 88-89 एवं उसके बाद राशि का आवंटन नहीं किया। अतः बची हुई राशि जमा कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

कामां (भरतपुर) के पशु चिकित्सालय

78. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय, औषधालय एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं? क्या यह क्षेत्र की आवश्यकता के लिये अपर्याप्त है? यदि हां, तो सरकार कुछ और औषधालय, चिकित्सालय, गर्भाधान, केन्द्र खोलने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

भरतपुर जिले के कामां विधान सभा क्षेत्र में तीन पशु चिकित्सालय क्रमशः कामां, बुरहरा, पहाड़ी तथा एक पशु औषधालय कैथवाड़ा कार्यरत है। कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र नहीं हैं, परन्तु सभी चिकित्सा संस्थाओं में कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष में नये पशु चिकित्सालय औषधालय खोलने का प्रावधान नहीं है। जब भी चिकित्सा संस्थान खोले जायेंगे, इस क्षेत्र का भी विचार किया जावेगा।

राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ के प्रबन्ध का हस्तानान्तरण

79. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकारी दुग्ध संघ का प्रबन्ध राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल को कब सौंपा गया तथा किन-किन शर्तों व उद्देश्यों से विवरण सदन की मेज पर रखें। तथा इन वर्षों के दौरान (सौंपी गई अवधि में) इनका क्या असर रहा? मार्केटिंग बाबत क्या-क्या सुधार किये गये?

(2) क्या सरकार इसके (राष्ट्रीय डेयरी विकास मण्डल) के कार्य में सन्तुष्ट है?

(3) राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ के अन्तर्गत कितनी इकाइयां (संघ) कार्यरत

(श्री माधवसिंह दीवान)

हैं व इनका मुख्यालय कहां-कहां है तथा इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण निम्न तालिका में वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

वर्ष 88-89 से 93-94

संघ का नाम

प्रोसेसिंग कैपेसिटी

औसत कैपेसिटी यूटिलाइजेशन

औसत दुग्ध संग्रह

लाभ/हानि

विशेष कारण

उत्तर

(1) राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन का प्रबन्ध राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को डेयरी फैडरेशन एवं दुग्ध संघों की आर्थिक हानि, पुनर्वास एवं व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार के निर्णय अनुसार दिनांक 1-4-92 को सौंपा गया।

अनुबन्ध के प्रारूप के अनुसार प्रस्तावित शर्तों का सारांश परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

विपणन एवं अन्य व्यवस्था में हुए सुधार का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रबन्ध हस्तान्तरण के बाद के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। कई क्षेत्रों में सुधार परिलक्षित है जैसा कि संलग्न "ग" पर दर्शाया गया है।

(3) राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं सम्बद्ध संघों के बाबत वांछित विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.स.	नाम		मुख्यालय
1.	जयपुर जिला	दु.उ.स.सं.लि.	जयपुर
2.	अजमेर	,,	अजमेर
3.	अलवर	,,	अलवर
4.	भरतपुर	,,	भरतपुर
5.	भीलवाड़ा	,,	भीलवाड़ा
6.	पश्चिमी राज.	,,	जोधपुर
7.	पाली	,,	पाली
8.	चूरू	,,	सरदारशहर
9.	जालौर-सिरोही	,,	रानीवाड़ा
10.	सवाईमाधोपुर	,,	सवाईमाधोपुर
11.	उत्तरी राज.	,,	बीकानेर
12.	कोटा	,,	कोटा
13.	उदयपुर	,,	उदयपुर
14.	बांसवाड़ा	,,	बांसवाड़ा
15.	सीकर-झुन्झुनू	,,	सीकर
16.	श्रीगंगानगर	,,	हनुमानगढ़
17.	राजस्थान को-ऑप. डेयरी फैडरेशन लि.		जयपुर

उपरोक्त का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन को जारी आदेश

80. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन को गत तीन वर्षों में कोई डाइरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निदेश जारी किए हैं ? यदि हां, तो किस-किस विषय में ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त फैडरेशन ने सरकार द्वारा दिए गए डाइरेक्टिव्ज; आदेशों एवं निर्देशों का पालन किया है ? यदि नहीं, तो किस-किस डाइरेक्टिव, आदेश अथवा निदेश का पालन नहीं किया है और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार ने फैडरेशन द्वारा पालना नहीं किए जाने के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां । राज्य सरकार से राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन को गत 3 वर्षों में प्राप्त आदेश व दिशा निर्देशों का विषयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) जी हां । राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन ने सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये डाइरेक्टिव्ज, आदेशों एवं निदेशों का पालन किया है ।

(3) चूंकि फैडरेशन ने सरकार द्वारा दिये गये समस्त आदेशों व निर्देशों की पालना की है, अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–21 देखें ।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री परसादी लाल मीणा एवं 7 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से लालसोट पंचायत समिति मुख्यालय में दिनांक 8 फरवरी, 1994 को लगाये गये परिवार कल्याण शिविर में सलेमाबाद निवासी महिला श्रीमती लोहड़ी का नसबन्दी ऑपरेशन बिगड़ने तथा बाद में उसकी मृत्यु जयपुर में होने के सम्बन्ध में ।

(2) श्री परसराम मदेरणा एवं 22 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में पुलिस के अत्याचारों की विभिन्न घटनाओं से जनता में व्याप्त भय और असुरक्षा की भावना तथा प्रान्त में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से लूणकरणसर तहसील के अधिकांश गांवों को अकाल की समस्या से निजात दिलाने हेतु कथित सिचाई सुविधाओं का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोपीराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना दूदू के केस नं. 128/93, भूमि हड़पने के कथित प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को सजा दिलाने एवं भूमि को सरकार द्वारा कब्जे में लेने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मोहन लाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने एवं पाइप लाइनों से पेयजल सप्लाई कर पेयजल समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में।

(4) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की केशवरायपाटन एवं बूंदी तहसील में सिवाय चक एवं अन्य गैर-मुमकिन कृषि भूमियों के नियमन के सम्बन्ध में।

(5) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर डिवीजन में जनजाति के डिप्लोमा होल्डर ओवरसियरों के बेरोजगार होने से उनमें व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(6) श्री शिवनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र का पानी वर्षा की कमी के कारण नीचे चले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से महाविद्यालय शिक्षा के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्याख्याताओं की पदोन्नति का समुचित लाभ दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं पचायत समिति के गांवों में खरीफ की फसल के खराब होने के उपरान्त भी उन गांवों को अकालग्रस्त घोषित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में अग्निशमन सेवाओं के कर्मचारियों के सेवा नियम न होने से उनमें व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री बाबूलाल वर्मा, कुछ कहना चाहते हैं आप।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण सवाल है। आपने राज्य सरकार की जानकारी के लिए भेजा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, 28 तारीख को इस पर होगा....(व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, पहले मुझे अपनी बात कहने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : देंगे आपको। बिलकुल देंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : एक जन-जाति की महिला को कैम्प में ले जाकर उसका ऑपरेशन होने के बाद उसकी डैथ हो गयी। डैथ होने के बाद उसको आज तक एक रुपये का मुआवजा नहीं दिया।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : मैं दूंगा आपको। मैं कह रहा हूं दूंगा।....(व्यवधान) परसादी लालजी, आप इतने पुराने सदस्य हैं। मैं कह रहा हूं दूंगा मौका और आप जबरदस्ती कह रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी दिया था 295 में।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल वर्मा। मैं बाबूलाल वर्मा को बुला रहा हूं, आप बैठिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से उस घटना के बारे में बताना चाहूंगा जो डग विधान सभा क्षेत्र के भवानीमण्डी कस्बे में बुधवार रात्रि को हुई थी। इस घटना से भवानीमण्डी कस्बे में श्मशान घाट पर 13 गायों का वध कर दिया गया और उनकी खालों को उधेड़कर मृत पशुओं के शवों को श्मशान घाट पर छोड़कर कुछ समाजकंटकों ने जो कि डग विधान सभा क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, भागकर चले गये। इसी घटनाक्रम में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार की घटना 7 गायों को मारने की लगभग एक सप्ताह पूर्व भी भवानीमण्डी में हुई थी। प्रशासन द्वारा इस मामले में किसी प्रकार की कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। पूरे क्षेत्र में गायों की हत्याओं को लेकर बहुत रोष जनता के बीच में देखा गया है। प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई प्रभावी कार्यवाही या कोई जांच अभी तक नहीं की गयी है। सरकार इस मामले में क्या प्रभावी कार्यवाही करने जा रही है?

मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि डग विधान सभा क्षेत्र में इस प्रकार से गायों का वध करने एवं सामान्य नागरिकों को डराने-धमकाने की गतिविधियां बढ़ रही हैं, इस मामले मे भी सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही करे एवं एक सप्ताह के दौरान 20 गायों का जो वध किया गया है इस मामले में निश्चित जांच करके समाज-कंटकों को व दोषी लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी चुनाव के पहले जब कामां क्षेत्र में यह मामला उठाया था और राज-स्थान में गो-वध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन दो घटनाओं के बारे में आज समाचार-पत्रों में भी छपा है और अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार कम से कम इन मामलों को गम्भीरता से ले और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इस पर राज्य सरकार की तरफ से किसी भी समय वक्तव्य दिलाया जाय। इसके साथ-साथ गौ-संरक्षण के बारे में सरकार अपनी नीति जारी करे। रोज-रोज की इस प्रकार की घटनाओं से टेंशन पैदा होता है और अकाल के कारण जो समस्या पैदा हुई है, गायें सूनी फिर रही हैं। इसलिए मैं चाहूंगा राज्य सरकार गम्भीरतापूर्वक इस मामले को ले और इस सम्बन्ध में वक्तव्य भी दे और अपराधियों को गिरफ्तार भी करे तथा गायों के बारे में अपनी नीति की घोषणा भी सरकार करे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : गायों की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करने वाली सरकार कर रहे हो....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह पूंछ पकड़ने का सवाल नहीं है खेतसिंह जी, इसको मजाक मत बनाइये। डोंट मेक इट ए जॉक। यह मजाक नहीं है खेतसिंह जी साहब, आप हर बात को मजाक में टालना चाहते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मजाक में कहां टाल रहा हूं ? मैं तो सीरियस हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मजाक नहीं है यह।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जिस गाय का नाम लेकर आप कामयाब हुए हैं ...(व्यवधान)....

श्री बद्री प्रसाद गुरूजी : दोषियों को बचाना चाहते हैं आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) आप उनके लिए चारे की तो व्यवस्था कराइये। गाय की पूंछ पकड़कर आप वैतरणी पार करना चाहते हैं। कभी बाप-दादों ने गाय नहीं पाली।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, गांवों के अन्दर गायें भूखी मर रही हैं और वोट लेने के लिए ये बातें करते हैं। हम भी धर्म को मानते हैं, हम भी गायों को मानते हैं।....(व्यवधान)....

श्री अर्जुन दास मदान (लाडपुरा) : यह बहुत गम्भीर विषय है, मान्यवर, और आप तय मानियेगा कि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो समाजकंटक साम्प्रदायिक तनाव भी पैदा करेंगे और फिर लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन भी बिगड़ेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको बहुत गम्भीरता से लें। इस प्रकार का घटनाक्रम चलता रहा तो अपने संयम की बात करते हैं वह संयम का बांध किसी भी समय, किसी भी समाज का टूट सकता है और साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। इसलिए इस विषय पर उस दृष्टि से भी विचार होना चाहिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : गायों के हितैषी हम भी हैं। हम किसान हैं और हम भी याद रखते हैं। गायों को इस तरह से काटा गया तो यह वास्तव में बहुत गम्भीर बात है।

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार मत बोलिए। जो बोलना है वह एक बार में ही बोल दिया करो आप। आपको बोलने का बहुत शोक है। एक साथ बोल दिया करो आप। बार-बार उठते हो आप, यह ठीक नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : गाय हमारी माता है, गाय के बारे में कितना कहा जाए उतना थोड़ा है।

श्री अध्यक्ष : आप एक साथ कह दो जितना कहना है।

श्री हरिसिंह : ये बी. जे. पी. से कांग्रेस में आये हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ठीक है बी. जे. पी. से कांग्रेस में आये हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बी. जे. पी. और कांग्रेस का सवाल कहां से आ गया ? यह भावनाओं का सवाल है.... (व्यवधान)....

श्री अमराराम (धोद) : यह बी. जे. पी. और कांग्रेस का सवाल नहीं है। गाय हमारे प्रान्त का सबसे बड़ा पशुधन है और वह बड़ी संख्या में गांवों के अन्दर एवं शहरों के आसपास आवारा घूमती है। ये किसानों को इतनी बड़ी परेशानी में डालती हैं कि पूरी-पूरी रात किसान को अपने जाव की रखवाली करनी पड़ती है। यदि रखवाली नहीं करें तो सैकड़ों गायें जाव में घुसेंगी तो पूरी फसल को चौपट कर देती हैं। मैं आपको सीकर की बात बताता हूं। सीकर के चारों तरफ 10-15 किलोमीटर में एक-एक हजार गायें सूनी घूमती हैं और ज्यों ही अंधेरा होता है....

श्री अध्यक्ष : आप कौनसी गायों की बात कर रहे हैं ?

श्री अमराराम : दूध देने वाली गायों की और ब्याई हुई भी आपको मिल जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह फसलों को नष्ट करने वाली नील गायों का चल रहा है बहुत दिनों से, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं।

श्री अमराराम : इतनी परेशानी पैदा करती हैं, उन गायों को रखवाने की व्यवस्था की जाय।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या उनको मार दिया जाय ?

श्री अमराराम : मारने की बात नहीं कह रहा हूं, उनकी व्यवस्था की जाय। जहां मारी गयी हैं वह बिल्कुल गलत है।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भवानीमण्डी में जो घटना हुई है इस प्रकार की घटना खानपुर तहसील क्षेत्र में भी आज से 15-20 दिन पहले हुई थी। क्योंकि यह मसला गायों से सम्बन्धित है और इसमें चूंकि भावनाओं को भड़काया जा सकता है, उसमें जानकारी मिली कि जो गायों के चमड़े से सम्बन्धित व्यापार करते हैं लोग, उसमें एक व्यक्ति ने इस प्रकार जहर देकर आठ-दस गायों को मार दिया। हो सकता है उसी प्रकार की स्थिति भवानीमण्डी में हुई हो और पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा इसको गम्भीरता से अगर नहीं लिया गया तो यह चीज आगे भड़केगी और जो लोग इस प्रकार के धन्धे में लगे हुए हैं, जहर देकर पशुओं को मार रहे हैं उन पर तत्काल कार्यवाही हो, तब जाकर इस पर अंकुश लगेगा।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात।

श्री जुबेर खान : सभी कह लें सर, सबकी सुनकर आप जवाब दे देना।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, गायों की हत्या का मामला बड़ा सजीदा मामला है और इसके लिए वास्तव में कुछ सोचा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ में एक निवेदन और करना चाहूंगा, आज आये दिन जिस तरह से चाहे जयपुर शहर हो, चाहे सीकर हो, चाहे और कोई अन्य शहर हो, जिस तरह से बीच बाजार में, बीच सड़क पर गायें घूमती हैं यह भी एक बड़े क्षोभ का विषय है। अभी हाल ही मे स्वयं सीकर में माननीय....

श्री अध्यक्ष : अब आप किस पाइंट से मुद्दे को जोड़ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : चौमूं मे आने वाले जो माननीय विधायक हैं उनका परिवार स्वयं ...

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है न....

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, इसको इस तरह से डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह गायों के मारने का सवाल है, आप रखते हो ऐसी बात की तो।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री राजेन्द्र पारीक : आये दिन होता क्या है कि बाजार की जो गाय होती है वह किसी न किसी परिवार के किसी वृद्ध को या किसी बच्चे को कुचल जाती है, और उसमें पीड़ित जो परिवार है वह आकर गाय पर लाठी बरसा देता है और फिर एक न एक दिन धर्म का मामला आ जाये स्वयं उस घटना पर। चौमूं से आने वाले स्वयं....

श्री अध्यक्ष : श्री महादेव सिंह। अब छोड़िये।

श्री कालीचरण सराफ : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले विधायक का स्वयं का परिवार पीड़ित हुआ है अभी, उनके परिवार को बीच बाजार में....

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं उनका हाथ होगा। आप बोलिये महादेव सिंहजी। अब आप बैठिये, हो गया आपका।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : हमारा हाउस साल में ज्यादा से ज्यादा डेढ़ या दो महीने चलता हैं और इस हाउस की पूरे प्रान्त के प्रति जिम्मेदारी है। कोई भी गम्भीर मामला जब उठाया जाता है तो हाउस का उत्तरदायित्व बनता है कि वह सही उत्तर दे। जब हमारे मुख्य मंत्रीजी उत्तर देने के लिए खड़े हो रहे हैं तो ऐसी बात का उत्तर हमें सुनना चाहिए और हमें इस बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब आप सुन लीजिये।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट निवेदन मैं भी करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। गो हत्या होती है, बिल्कुल अन्याय है और यह नहीं होनी चाहिए। मेरा इसमें एक निवेदन

(श्री जुबेर खान)

है कि वह मुख्य मंत्रीजो जवाब देने खड़े होते हैं, क्योंकि यह वोइस को एक कलर देने की कोशिश की जाती है कि वह कोई गाय है, कोई साम्प्रदायिकता के आधार पर नहीं काटी जाती....

श्री अध्यक्ष : यह कौन दे रहा हैं कलर ?

श्री जुबेर खान : नहीं, मैं बता रहा हूं। यह ज्यादातर आर्थिक मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप दे रहे हो।

श्री जुबेर खान : नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : लो प्लीज। आपको अलाउ नहीं है। बैठिये प्लीज ....(व्यवधान....)

श्री जुबेर खान : यह आर्थिक एक मुद्दा है....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये आप। नहीं, बैठिये आप....(व्यवधान)....

श्री जुबेर खान : मैं यह निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप जाइये। अब आप इसे ट्विस्ट मत करिये। बैठिये आप। श्री फतेह सिंहजी, बोलिये।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे किसी को ठेस लगे।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, आपने शुरूआत ही गलत की।

श्री जुबेर खान : आप मेरी सुन तो लीजिए अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपने शुरूआत ही गलत की।

श्री जुबेर खान : मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष : आप शुरूआत ही गलत कर रहे हैं, जो बात नहीं होनी चाहिए वह पैदा कर रहे हैं आप।

श्री जुबेर खान : नहीं, मैं आपसे निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय....

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है, अध्यक्ष महोदय, यह।

श्री जुबेर खान : मेरा निवेदन यह है अध्यक्ष महोदय, कि इसमें सरकार को कानून में अगर अमेण्डमेंट करना है तो करे, क्योंकि गायों को लोग लेकर चलते हैं पश्चिमी राजस्थान से और जाकर हरियाणा, यू. पी. और राजस्थान के बार्डर पर इनका वध किया जाता है और यह आर्थिक आधार पर किया जाता है रुपये धेली के लिए। मैं यह जानना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय, आप इसमें कोई कठोर कदम उठाइये, गांव के ट्रांसपोर्टेशन को रेस्ट्रिक्ट कीजिये कि गायें जोधपुर सम्भाग से जाकर हरियाणा, यू. पी. की बार्डर पर जाकर कटती है, लोग पैसों के लिए काटते हैं और इससे तरह-तरह के तनाव होते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें सुधार करिये, जो गौ-रक्षक एक्ट है उसमें सुधार करिये। जो सौ-सौ गायें रेले में जाती हैं, दस-दस जिले पार कर जाती हैं....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, आपकी बात अब रिपीट कर रहे हैं आप ।

श्री जुबेर खान : कोई रोकने वाला नहीं है, तो आप इसमें ऐसा कठोर कदम....

श्री अध्यक्ष : औरों को बोलने दीजिये । आप रिपीट कर रहे हैं अब ।

श्री जुबेर खान : उठाइये कि इनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो और जो लोग रुपयों के लिए इनका वध करते हैं....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, चलिये आप । श्री फतेह सिंहजी ।

श्री जुबेर खान : वह न करें ताकि समाज में किसी तरह का तनाव न हो, यह मैं कहना चाहता हूं ।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो बात गायों के सम्बन्ध में उठी है उसके लिए तो सारे सदन को दुःख है कि गायें जो माता के रूप में मानी जाती हैं उनकी हत्या होती है, उसके ऊपर सरकार और प्रशासन कंट्रोल करे और लोगों में भी वातावरण ऐसा बने कि इस तरह की कोई घटना न हो । दूसरी बात, मैं यह कहना चाह रहा था कि इधर के इलाके से गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात के इलाके में अक्सर हमारे वहां होकर के गाड़ियां गुजरती हैं रात को एक बजे, दो बजे । एक बार की घटना है कि रात को तीन गाड़ियां भरकर गायें निकलीं और पुलिस की गार्ड लगी हुई थी उन्होंने रोका, उनके साथ में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई । मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से गायों की सप्लाई होती है उसमें नाकाबंदी की जाय, बोर्डर के ऊपर कंट्रोल किया जाय और गायों को बचाया जाय । यही मेरा कहना है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में एक बहुत ही चिंता का विषय है कि राजस्थान में कई स्थानों पर गौ-हत्या होने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । मैं समझता हूं, सदन के सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि राजस्थान में किसी प्रकार से भी गौ-हत्या न हो । मैं पिछले कई दिनों से गौ संवर्धन वालों से सम्पर्क में हूं, कई राज्य सरकारों से मैंने जानकारी भी प्राप्त की है कि गौ-हत्या बंद करने के लिए किस प्रकार की विधि-विधान की व्यवस्था की गयी है और उसमें और संशोधन करने की क्या आवश्यकता है । कुछ चीजों का मैंने अध्ययन कर लिया है, बाकी सब सामग्री प्राप्त होते ही मैं सदन की भावनाओं के अनुसार इस कानून को किस प्रकार से इफेक्टिव बनाया जा सके, उस प्रकार का विचार करके हो सका तो इसी सदन में इस सम्बन्ध में कोई विधेयक प्रस्तुत करने के प्रयास करूंगा ।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी । (अनुपस्थित) ।

श्री गोपीराम जाट ।

दूदू तहसील के ग्राम बोराज में भूमि हड़पने की जांच

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से मैं दूदू तहसील के अन्तर्गत ग्राम बोराज

(श्री गोपीराम जाट)

में भूमि हड़पने हेतु एक नायाब तरीके की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रामप्रसाद खत्री को वर्ष 1975-76 में ग्राम बोराज तहसील दूदू में खसरा नं. 2672 सिवाय चक भूमि में से 10 बीघा भूमि आवंटित की गयी जिसका गैर खातेदारी नामान्तरण भी श्री सुरेश कुमार के नाम से कर दिया गया था। श्री सुरेश कुमार आवंटन के बाद से ही भूमि पर खेती काश्त करता आ रहा है।

परन्तु वर्ष 1993 में श्री प्रेमचन्द पुत्र श्री रूपनारायण दर्जी, निवासी बोराज ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक, दूदू (जयपुर) के कार्यालय में 30-03-93 को एक दावा पेश किया कि उक्त भूमि पर श्री दर्जी का पूर्ण कब्जा है एवं काश्त करता आ रहा है एव यह भी स्पष्ट किया कि श्री सुरेश कुमार के नाम से ग्राम बोराज में कोई व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार श्री सुरेश कुमार खत्री को गायब करवाकर एव तत्कालीन दण्डनायक श्री भगवाना राम से मिलकर भूमि हड़पने का एक नायाब तरीका निकाला गया।

(12.19)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री भगवाना राम दण्डनायक ने भी बगैर किसी खास तहकीकात किये ही श्री प्रेमचन्द के पक्ष में दिनांक 21-07-93 को ही फैसला कर दिया एवं गैर खातेदारी भूमि के खातेदारी अधिकार श्री प्रेमचन्द दर्जी को दे दिये। जबकि यह सिवाय चक भूमि थी एवं आवंटन श्री खत्री के नाम से हुआ था, उसे भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये।

भूमि हड़पने हेतु श्री प्रेमचन्द खत्री ने सुरेश कुमार की गैर मौजूदगी में किराये के गवाहों को खड़ा कर दिया जबकि गवाह पड़ोसियों को होना चाहिए था। श्री प्रेमचंद ने कब्जा काश्त तो दिखा दिया, परन्तु उन्होंने न तो कभी इस भूमि पर काश्त की, न ही कभी दावे से पूर्व इनका कब्जा था।

इस पूरे केस में यह विदित होता है कि जब वह भूमि सरकारी थी एवं श्री सुरेश कुमार को आवंटित की गयी थी, परन्तु इसमें डिक्री प्रेमचन्द के नाम तीन माह में कर दी। इस प्रकार तत्कालीन अधिकारियों ने श्री प्रेमचन्द से मिलकर सरकार की 10 बीघा भूमि खुर्द-बुर्द कर दी।

मेरा सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार की भूमि इसी तरह हड़पी जाती रहेगी ?, आज तक सुरेश कुमार का कोई अता-पता नहीं है। इस व्यक्ति का क्या हुआ जबकि अन्तिम समय इस व्यक्ति को प्रेमचन्द के साथ देखा गया था। पुलिस थाना दूदू में ग्रामीणों के यह बयान भी दर्ज हैं। पुलिस ने इस केस के नं. 128/93 धारा 364 पर अन्तिम रिपोर्ट भी लगा दी है। क्या सरकार इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को सजा देगी एवं भूमि अपने अधिकार (कब्जे) में लेगी ?

श्री सभापति : श्री मोहन लाल मोदी।

नीमकाथाना में हैण्ड पम्प एवं पाइप लाइन का रखरखाव

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : समापति महोदय, 295 के तहत विशेष उल्लेख ।

नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत कमी है। अधिकतर हैण्डपम्प खराब पड़े हैं व सूख गये हैं। बहुत सी जगह पानी की टंकियों का निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी तक इन टंकियों में पानी नहीं पहुंचा है । इसका कारण यह है कि इन टंकियों को पाइप लाइन से जोड़ा नहीं गया है । पानी के सोर्स डवलप हो चुके हैं, विद्युत कनेक्शन हो चुके हैं, कई जगह पानी की डाइरेक्ट सप्लाई हो रही है । जहां-जहां पानी की सप्लाई हो रही है वहां भी हरिजन व कमजोर लोगों के मोहल्लों को पाइप लाइन से नहीं जोड़ा गया है इसलिए उन लोगों को पानी नहीं मिलता है । आगे गर्मी का मौसम आ रहा है ।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हैण्डपम्प सूखे हैं या खराब हो गये हैं उनकी जगह नये हैण्डपम्प लगवाये जायें, तथा हरिजन व कमजोर लोगों के मोहल्लों को पाइप लाइनों से जोड़कर पानी सप्लाई करने की व्यवस्था करें और जो टंकियां जैसे दलपतपुरा, डोकन, रायपुर, पाटन, सकराय, मीणा का नांगल, नापावली, सालोदड़ा, कुचला वाली ढाणी, ग्वार, भारू की ढाणी में बनी हैं, उनको पाइप लाइन से जोड़ा जाय । इस वर्ष पीने के पानी की गम्भीर समस्या को दूर करने के लिए तत्काल उपाय करने चाहिए ।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल मेघवाल ।

केशवरायपाटन एवं बून्दी तहसील में सिवाय-चक एवं गैर-मुमकिन कृषि भूमियों का नियमन

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) : सम्माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से नियम 295 के तहत मेरे बून्दी जिले की राजस्व समस्याओं का ध्यान माननीय राजस्व मंत्री की ओर दिलाऊंगा । बून्दी जिले में सिवाय चक एवं अन्य गैर-मुमकिन कृषि भूमियों के नियमन बाबत ।

मान्यवर, हमारे बून्दी जिले में, विशेषकर केशवरायपाटन एवं बून्दी तहसील में हजारों किसानों, हजारों हेक्टेयर भूमि को सिवाय एक चरागाह, गोचर मेढें, एवं अन्य किस्मों की हैं, इस पर पिछले 20-25 वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। इनसे प्रति वर्ष जुर्माना वसूला जाता है । इन दोनों तहसीलों में विशेष तौर से चम्बल सिंचित क्षेत्र में कहीं भी एक बिस्वा भूमि भी खाली नहीं पड़ी है । किसानों ने इन भूमियों पर कब्जे कर रखे हैं । उनमें वो किसान हैं, जिनके खेत के पास वाली मेड़ समीपवर्ती पट्टी वाले, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं भूमिहीन गरीब कृषक है । इन किसानों से नियम विरुद्ध कार्य करने पर जुर्माना वसूला जाता है । इसी ओट में पंचायत स्तर के कर्मचारियों एवं पटवारियों द्वारा किसानों से मनमानी कर डरा-धमका कर पैसा वसूला जा रहा है । पैसा न देने पर इनको सजा दिलायी जाने की कार्यवाही की जाने की धमकी देकर पैसा वसूला जा रहा है ।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

इस तरह से दोनों ओर से परेशानी हो रही है। एक तरफ किसान परेशान है, और दूसरी ओर सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण हो रहे हैं। अत. मेरी राज्य सरकार से मांग है कि इसके समाधान हेतु निम्न कार्यवाही की जाकर समाधान किया जावे :—

(1) समीपवर्ती पट्टी वाले उन कृषकों को जिनको 5 बीघा से कम भूमि पर कब्जा है, जो भूमिहीन गरीब किसान जिनका 10 बीघा तक कब्जा है, इनको भूमि आवंटन की जाय। जो इन सीमाओं के बाहर हैं, उन्हें बेदखल किया जाय।

(2) नहरी क्षेत्रों में जहां-चरागाह किस्म वाली भूमियां, जिन पर वर्षों से अतिक्रमण कर खेती की जा रही हैं, उनके छोटे रकबों की किस्म परिवर्तन कर आवंटित की जाय।

(3) वर्षों पूर्व सिवाय चक, एवं सिलिंग से प्राप्त भूमियां जो आवंटित की गयी हैं, जिनकी किश्तें जमा हो चुकी हैं और अभी तक वो किसान गैर खातेदार होने से सहकारी समितियों एवं बैंकों से ऋण आदि की सुविधा नहीं मिल पा रही है इसलिए इनको 10 वर्षों के बाद खातेदारी अधिकार दिये जायें।

अत: मैं अपने इस लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि हमारी सरकार ने पूर्व में घोषणा की थी कि 15-07-1984 से पूर्व वाले कृषकों को नियमित किया जावेगा, इनको अमल कर हमारे जिले की विषम परेशानियों से राहत दिलावें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नाथूराम अहारी।

उदयपुर डिवीजन में अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर ओवरसियर

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : मान्यवरजी, मैं 295 के अन्तर्गत डिप्लोमा होल्डर ओवरसियर जो बेरोजगार हैं, उनके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

उदयपुर डिवीजन में 40 के करीब जनजाति के डिप्लोमा होल्डर ओवरसियर जो बेरोजगार हैं, लम्बे समय से रोजगार के लिए राज्य सरकार को बार-बार निवेदन करते आ रहे हैं, लेकिन आज दिन तक इन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ है। वे डिप्लोमा होल्डर ओवरसियर गत दो वर्षों से बराबर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इन्हें कहीं भी अस्थाई रोजगार भी नहीं मिल रहा है। इतने लम्बे समय तक रोजगार नहीं मिलने से विधान सभा के सामने धरना दे रहे हैं, जानकारी मिली है कि अगर कोई समाधान नहीं निकला तो आमरण अनशन करने की तैयारी भी वे कर रहे हैं।

मान्यवर, जनजाति के व्यक्तियों ने किस प्रकार से ट्रेनिंग की होगी, कितना रुपया खर्च किया होगा? जबकि जनजाति के लोगों को कपड़ा तो दूर रहा, भोजन भी नहीं मिल पाता है। रोजगार नहीं मिलने से विधान सभा के सामने धरना देने आना पड़ रहा है, कई छात्र 1981 से डिप्लोमा होल्डर हैं, इस प्रकार ट्रेनिंगशुदा छात्र 13 वर्षों तक बेरोजगार भटकता फिरे, यह तो आज के युग में शर्मनाक बात है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इन 40 डिप्लोमा

(श्री नाथूराम अहारी)

होल्डर छात्रों को इसी सत्र में यथाशीघ्र रोजगार दिलाया जाय, ताकि डिप्लोमा होल्डर जनजाति के छात्र जो लम्बे समय से रोजगार के इन्तजार में भटक रहे हैं, रोजगार मिले और अपनी आजीविका को सफलतापूर्वक चला सकें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह।

उदयपुरवाटी तहसील में पेयजल समस्या

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापतिजी, नियम 295 के तहत मैं अपने क्षेत्र के उदयपुरवाटी तहसील के अन्दर पानी की समस्या के गम्भीर मामले को रखना चाहता हूं।

झुन्झुनू जिले की उदयपुरवाटी तहसील का कुछ हिस्सा पहाड़ी है तथा कुछ हिस्सा रेगिस्तानी है। पिछले कई सालो में वर्षा की कमी के कारण इस क्षेत्र में जमीन के नीचे के पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। जमीन के ऊपर बने तालाब, टांके आदि सब सूख गये हैं, कुओं में पानी नहीं रहा है। समस्या इतनी भयंकर हो गयी है कि दो-दो, तीन-तीन मील से पीने का पानी लाकर गांव वाले प्यास बुझा रहे हैं। कुछ हैण्डपम्प लगे थे, वे भी पानी की सतह नीचे चली जाने के कारण बेकार हो गये हैं तथा मरम्मत के काबिल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि पाइपों को अब नीचे नहीं बढ़ाया जा सकता। पंचायतों, पंचायत समिति तथा जलदाय विभाग द्वारा कई पानी की टंकियां बनायी गयीं हैं, लेकिन पाइपों की कमी तथा बिजली कनेक्शन नहीं होने से काम में नहीं आ रही हैं। कई टंकियों के निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन कई सालों से उनका निर्माण कार्य ही चालू नहीं किया जा रहा है। बागोली, मेवरी, आदि गांवों की पानी की रीजनल स्कीमें भी बेकार हो गयी हैं। कहीं पाइप टूट गये हैं, कही ट्यूबवैल बेकार हो गये हैं तथा कहीं पर प्रशासनिक ढिलाई के कारण पानी पूरा नहीं दिया जा रहा है। इन सब परिस्थितियों ने इस क्षेत्र की पीने के पानी की समस्या को गम्भीर बना दिया है, इस समस्या से कुछ राहत तभी मिल सकती है जब बड़ी संख्या में नये हैण्डपम्प लगाये जायें, बनी हुई टंकियों को पाइप लाइन डालकर तथा बिजली का कनेक्शन किया जाकर चालू की जाएं। स्वीकृत टंकियों का निर्माण अविलम्ब चालू किया जाये तथा जरूरत वाले गांवों, ढाणियों में नई टंकियां तथा नये ट्यूबवैल बनाये जाएं। यदि इस दिशा में अविलम्ब कदम नहीं उठाये गये हैं, तो आने वाले गर्मी के दिन और भी कष्टदायक होंगे। सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए मैं चाहूंगा कि समस्या के निराकरण हेतु अविलम्ब कार्यवाही की जाय।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा।

अनुसूचित जाति जनजाति के व्याख्याताओं की पदोन्नति

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अनुसूचित जाति व जनजाति के व्याख्याताओं को पदोन्नति के लाभ से वंचित रखे जाने की ओर दिलाना चाहूंगा।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के नियम 26 (4) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 1986-87 के लिए उक्त नियम के अनुलग्न के क्रम संख्या 442 पर उल्लिखित विभागाध्यक्ष डिग्री हैड के पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग क्रमांक एक 2 (8) शिक्षा 3184 दिनांक 7 मई, 1987 के आदेश द्वारा यू. जी. सी. वेतन श्रृंखला 1000-50-1580-60-1800 में दिनांक 1-4-88 से अन्य व्याख्याताओं के साथ अनुसूचित जनजाति के व्याख्याताओं की भी नियमित रूप से पदोन्नति की गयी थी। उनकी वरिष्ठता का उल्लंघन कर प्राचार्य/उप प्राचार्य के पदों पर उनसे कनिष्ठ व्याख्याताओं को एडहाक पदोन्नति दे दी गयी है तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्याख्याताओं को, जो पी. जी. डिग्री हैडों के पदों पर पदोन्नत किये गये थे उनको एडहाक पदोन्नति से भी वंचित रखा गया है।

महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आपने उपरोक्त पदों पर पदोन्नत किये गये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्याख्याताओं की वरिष्ठता का निर्धारण कर दिया है ? यदि नहीं किया हो तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उक्त व्याख्याताओं से कनिष्ठ व्याख्याताओं को प्राचार्य/उप प्राचार्य के पदों पर एडहाक पदस्थापन कैसे कर दिया है ?

यदि यह पदोन्नति नहीं है और पदस्थापन है तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्याख्याताओं को एडहाक पदों पर आरक्षण के लाभ से वंचित रखा गया है। क्या इससे इन वर्गों के लोगों के अनुभव का नुकसान नहीं हुआ है ?

नये नियमों में सरकार ने पदोन्नति में अनुभव आवश्यक नहीं रखा है। यदि रखा है तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्याख्याताओं को यह सीधा नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं है तथा आरक्षण के लाभ से वंचित रखा गया है। अतः मेरा निवेदन है कि इस वर्ग के व्याख्याताओं को पदोन्नति का लाभ दिलवायें।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी।

झुन्झुनू पंचायत समिति में अकाल की घोषणा

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निम्न उल्लेख कर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

झुन्झुनूं पंचायत समिति में तीस ग्राम पंचायतें हैं। पूरी पंचायत समिति क्षेत्र में खरीफ की फसल इस वर्ष बहुत खराब थी। समिति के सभी गांवों में भयंकर अकाल था, समय पर फसल की गिरदावरी की गयी थी परन्तु समिति की तेरह पंचायतों में गिरदावरी ठीक प्रकार से दर्ज नहीं की गयी जिसका परिणाम यह हुआ कि पंचायतों के क्षेत्रों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया। सत्रह ग्राम पंचायतों को अभावग्रस्त गिरदावरी के आधार पर घोषित किया गया है। इन पंचायतों में फसल का खराबा 50

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रतिशत से अधिक दिखा दिया गया, इसलिए उन क्षेत्रों को अभावग्रस्त मान लिया गया है जबकि शेष तेरह ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में पटवारियों ने फसल का खराबा 50 प्रतिशत से कम दिखा दिया, नतीजा इस पंचायत क्षेत्र में अच्छी फसल मान ली गयी। इन तेरह पंचायत क्षेत्र के गांवों को अकाल होते हुए भी अच्छी फसल वाले गांव मान लिये गये जिसका परिणाम यह हुआ कि यह गांव अकालग्रस्त नहीं माने गये। इन गांवों में इस कार्यवाही से भयंकर असन्तोष है। यहां के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है जबकि दूसरे पड़ौस के गांवों में लोगों को रोजगार अकाल सहायता कार्यक्रम चालू होने से मिलना शुरू हो जायेगा तथा यह गांव किसी भी सहायता के हकदार अकाल सहायता कार्यक्रमों में नहीं हो सकेंगे। मैंने गांवों में वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की तो मालूम हुआ कि उच्च अधिकारियों की निर्देशों के अन्तर्गत ही गिरदावरी की है। पटवारी अकाल मानते थे परन्तु सम्बन्धित अधिकारियों ने उन्हें जैसा कहा वैसा पटवारियो ने किया है। इन गांवों के साथ अन्याय हुआ है कि अकाल में होते हुए भी इनके गांवो की अच्छी फसल दर्ज कर दी गयी है तथा अकाल सहायता से इनको पूरी तरह से वंचित कर दिया गया है। मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति की निम्न तेरह पंचायतों को भी दुबारा जांच करवा कर अकालग्रस्त गांवो में शामिल किया जाय। ये ग्राम पंचायतें हैं :— (1) बूड़ी अतरपुरा (2) अजीतगढ़ (3) हनुमानपुरा (4) भोजासर (5) नूआ (6) सिरियासर कलां (7) भारू (8) भोमसर (9) नयासर (10) सीगड़ा (11) बाहिदपुरा (12) कुहाड़ (13) मेहरादासी तथा इन पूरे गांवों के क्षेत्र में आने वाले सभी गांव। अकाल सहायता मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कृपया अनुमति प्रदान करें।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

अग्नि शमन सेवा कर्मचारियों को सेवा नियम

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, राज्य में सभी बड़े नगरों में अग्नि शमन सेवायें काफी वर्षों से कार्य कर रही हैं। जयपुर नगर निगम के अन्तर्गत भी तीन अग्नि शमन केन्द्र हैं। इनमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए कोई नियम नहीं बने हैं, जिससे कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन वृद्धि, पदोन्नति के अवसरों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के पदनाम फायरमैन, बेलदार या सहायक ड्राइवर, लीडिंग फायरमैन, उप अग्नि शमन अधिकारी और मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के नाम से जाने जाते हैं। यहां वर्षों से मुख्य आवश्यक पदों पर भर्तियां नहीं हुई है और जो भर्ती हुई हैं, उनमें नियमों के अभाव में पदोन्नति नहीं हुई है। अन्य राज्यों में फायर के नियम है। दिल्ली में भी है। उन आधारों पर यदि नियम बना दिये जाते हैं तो यहां के कर्मचारियों व अधिकारियों में असन्तोष नहीं होता और कर्मचारी आन्दोलित नहीं होते। जो लोग जान को जोखिम में डालकर दूसरों के जीवन और धन-सम्पत्ति को बचाते हैं उनकी सेवाओं के लिए विशेष ध्यान दिये

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जाने की आवश्यकता थी। जयपुर में मात्र चौबीस फायरमैन, उनतीस बेलदार (सहायक), 18 ड्राइवर, दो लीडिंग फायरमैन, दो सब फायर आफिसर, तीन फायर आफिसर और एक मुख्य अग्नि शमन अधिकारी है। तीन अग्नि शमन केन्द्र हैं। एक घाटगेट पर, एक बनीपार्क में और एक बाइस गोदाम पर। इन सबकी सेवा में मात्र नौ गाड़ियां (दमकल) हैं। नगर के आकार और आवश्यकता को देखते हुए इण्डस्ट्रियल क्षेत्रों में छः और विधान सभा क्षेत्र के केन्द्रों के अनुसार पांच, कुल ग्यारह अग्नि शमन केन्द्रों की आवश्यकता है, यों भी पचास हजार की जनसंख्या पर एक अग्नि शमन केन्द्र होने के नियम हैं। इस प्रकार से एक गाड़ी पर छः कर्मचारियों का स्टाफ अर्थात तीन पारी में अट्ठारह का स्टाफ होना चाहिए। वर्तमान में नौ गाड़ियों के अनुपात में यदि अट्ठारह का स्टाफ माना जाये तब 180 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। जबकि मात्र 74 हैं, 106 कर्मचारी तीनों केन्द्रों पर होने चाहिये।

खेत की बात है कि इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है बल्कि ठेके पर सिक्योरिटी गार्ड तय करके उनसे अग्नि शमन सेवाएं लेने का विभाग विचार कर रहा है। उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी असमर्थता जाहिर की है कि हम मात्र चौकीदारी कर सकते हैं, आग बुझाने का काम नहीं। इस प्रकार से अधिक काम कम वेतन में कर्मचारियों का असन्तोष चरम सीमा पर है और उक्त सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए जरूरत है कि उक्त तीनों केन्द्रों पर भी आग बुझाने के उपकरण जैसे फोम तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड उपलब्ध कराया जाये क्योंकि रासायनिक पदार्थों और पैट्रोल आदि में आग लगने पर पानी की गाड़ियां काम नहीं देती। खेद की बात है कि उक्त कर्मचारियों

(12.40)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

को 6 वर्ष से गर्म वर्दी, जिनकी संख्या दो होती है, ठण्डी वर्दी 6 साल में बारह होती है वह नहीं दी गयी है, दी जानी चाहिये क्योंकि ड्यूटी पर जाड़े में गर्म और गर्मी में ठण्डी वर्दी पहनकर आना अनिवार्य होता है तथा हैलमेट विद टार्च, बी. ए. सैट विद मास्क, (आक्सीजन मास्क) चश्मे (काले चश्मे) बड़े दस्ताने, ऊंचे मौजे, टार्च (बड़ी बैटरी) मिलनी चाहिये जिससे वो ड्यूटी पर जाते समय खुद का बचाव कर सकें। दिल्ली में प्रति कर्मचारी स्पेशल पे या हायर ड्यूटी अलाउंस 300 रुपया है, यहां पर मात्र 40 रुपये हैं, दिल्ली में रिस्क पे 50 रुपये है, 15 रुपये धुलाई के प्रति व्यक्ति मिलते हैं, यहां पर कुछ नहीं। दिल्ली में प्रारम्भिक पे 950–1800 है। यहां पर 910–1500 है। खेद की बात है कि पिछले कितने ही वर्षों से विभाग के सामने यह मामले आते रहे हैं लेकिन इन पर विचार नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों पर विचार किये जाने के लिए विभाग को नोटिस दिया था। विभाग ने कर्मचारियों को बुलाकर कोई बात नहीं की। दिनांक 24 फरवरी को 24 घण्टे का नोटिस सरकार को दिया है। बातचीत नहीं की गयी इसलिए सारे कर्मचारियों ने कल से विरोध स्वरूप काली

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पट्टी बांधी है। अगर इन मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आवश्यक सेवाएं प्रभावित होंगी, इसलिए मेरा आग्रह है कि समय रहते कर्मचारियो की आवश्यकताओं पर समाधानात्मक उपचार किया जाय। मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं मेरा आग्रह है कि नियम बनाने के लिए और आवश्यक निर्णयों के लिए एक कमेटी का निर्माण किया जाय जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि, जन-प्रतिनिधि और एक कर्मचारी प्रतिनिधि हो राज्य सरकार के प्रतिनिधि की एक समिति बनायी जाय जो सभी परिप्रेक्ष्य में विचार कर सरकार को परामर्श दे कि समाधान किये जाने चाहिये और इस समिति का समय भी तय कर दिया जाना चाहिये कि कितने दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिससे कर्मचारियो में बढ़ता असन्तोष रुक सके' यह विशेष उल्लेख का विषय है, आज की कार्यवाही रोककर मुझे इस पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें। × × ×

श्री सभापति : नहीं, नहीं, माननीय सदस्या, रूल्स के विपरीत नहीं चलें। प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री सभापति : प्रिसिडेंट्स के विपरीत चल रही हैं आप। प्लीज....'

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×,

श्री सभापति : You will get the reply.

श्रीमती शशि दत्ता, राज्य मंत्री, राजकीय उपक्रम विभाग, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगी।

सदन पटल पर रखा गया पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का वार्षिक (1992-93) प्रतिवेदन

श्रीमती शशि दत्ता (राज्य मन्त्री, राजकीय उपक्रम विभाग) : माननीय सभापति महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री सभापति : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री रामनारायण मीणा (अनुपस्थित)

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री भैरोंसिंह शेखावत।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक की प्रति का पुरःस्थापन से पूर्व माननीय सदस्यों को वितरण

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इण्ट्रोडक्शन की स्टेज पर कोई एतराज

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शिवनाथ सिंह)

नहीं करना चाहिये लेकिन यह जो विधेयक पुरःस्थापित करने जा रहे हैं, यह हमें आज ही मिला है। मेरा निवेदन है कि यह इतने समय पहले वितरण की व्यवस्था हो ताकि हम इसको देख सकें। यह उचित है और रूल्स में भी इस प्रकार का प्रावधान है। तो मैं इसमें तो बाधा नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन आगे ऐसी व्यवस्था रहे कि समय पर यह हमको मिल जाये।

श्री सभापति : यह तो पुरःस्थापित करने की है, विचारार्थ बाद में।

श्री शिवनाथ सिंह : यही मैं कह रहा हूं कि पुरःस्थापित करने की स्टेज पर एतराज नहीं होना चाहिये, यह बात तो मैं स्वीकार करता हूं लेकिन पुरःस्थापित जब यह करेंगे तो उसमें एतराज करने का हमारा राइट है, हम करते नहीं हैं, दूसरी बात है। जब पहले हम को वितरित नहीं होगा, हम को मिलेगा नहीं तो हम उसमें क्या कहेंगे, इसलिए आगे इस प्रकार की व्यवस्था की जाये ताकि वह समय रहते हुए हम को मिल जाये।

श्री सभापति : आइन्दा ध्यान रखा जायेगा।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरलाल जी, प्रभारी मंत्री।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं, राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सभापति : राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर वाद-विवाद। माननीय श्री रमाकान्तजी।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनके मंत्रिमण्डल ने जो यह दस्तावेज बनाया है, यह दस्तावेज जो सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है यह एक प्रकार से सम्पूर्ण है, काम्प्रीहैंसिव है। खास तौर से इसके अन्दर क्रमबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर विकास के जो भी आयाम हैं उन पर इसमें चर्चा की गयी है। इसमें गरीबों के बारे में चर्चा की गयी है, दलितों के बारे में चर्चा की गयी है, प्रशासन को टोनअप करने की चर्चा की गयी है, नियमों की बात की गयी है और हर प्रकार से कार्य दक्षतापूर्ण हो और प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर विकास हो, इस बात की चर्चा की गयी है इसलिए मैं, निश्चय ही जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, उसका समर्थन करता हूं। खास तौर से इसलिए भी मैं बहुत ज्यादा समर्थन करता हूं कि इसके अन्दर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो डंकल प्रस्ताव का है, उसके बारे में चिन्ता व्यक्त की गयी है। सभापतिजी, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जितना कि आज हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में दूसरा प्रश्न हो नहीं सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 30 वर्ष पहले काश्मीर के बारे में जब चर्चा होती थी, धारा 370 की चर्चा होती थी तो लोग ध्यान नहीं देते थे, समझते थे कि राजनीतिक बातें हैं, यों ही लोग-बाग कहते रहे हैं और जो लोग इससे सम्बन्धित थे वह कहते रहते थे देश को, कि नहीं, धारा 370 से कुछ नहीं होने वाला है, काश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हमारा सिर मुकुट है, हमारा स्वर्ण मुकुट है, यह देश के साथ है, कहीं कुछ नहीं होगा और यह बाकी लोग-बाग यों ही बातें करते रहते हैं। आज वह स्थिति हुई कि संसद में प्रस्ताव पास करना पड़ा और विधान सभा के अन्दर यह बात आयी है। सभापति महोदय, याद रखिये, 10 वर्ष बाद में इसी सदन के अन्दर डंकल के बारे में इसी प्रकार की परेशानी, उसी प्रकार की बहुत ज्यादा कठिनाई जो देश के सामने आ रही है काश्मीर के बारे में, उसी प्रकार की कठिनाई आयेगी और यहां पर चर्चा होगी और उस समय लोगों को क्षोभ होगा कि इस डंकल के बारे में हमने समय रहते क्यों नहीं चर्चा की और 16 तारीख को या 17 तारीख को जिस रोज अप्रेल में इस प्रस्ताव पर दस्तखत होने जा रहे हैं वह इस देश का बहुत ही ऐसा बुरा दिन होगा जो सैकड़ों सालों तक इस देश की याददाश्त का दिन होगा। सभापति महोदय, डंकल प्रस्ताव मात्र केवल इतनी-सी बात नहीं है जहां पर चर्चा होती है कि यहां किसान अपने बीज को और उस बीज से जो बीज पैदा करेगा उसको काम में नहीं ले सकेगा, इतनी-सी बात नहीं है। दवा महंगी हो जायेगी, दवाओं पर पेटेन्ट हो जायेगा, दवाएं हम यहां नहीं बना सकेंगे, बाहर से आयात करनी पड़ेगी, यह भी छोटा सा मसला है। बौद्धिक सम्पदा के तहत अब प्रोडक्ट के

(श्री रमाकान्त शर्मा)

पेटेन्ट होने लग जायेंगे प्रोसेस के साथ-साथ, यह भी मामला बहुत गम्भीर नहीं है। जिस समय गेहूं की फसल आयेगी, खाद्यान्न आयेगी बाजार के अन्दर उसी समय भारत सरकार इस डकल प्रस्ताव के तहत बाहर से अपने सकल उत्पादन का 3 प्रतिशत और बाद में जाकर 5 प्रतिशत इम्पोर्ट करेगी, आयात करेगी, उसके कारण किसान बरबाद होजायेंगे यह भी इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। आयातों पर ड्यूटी कम कर दी गयी है जिसमें कि बाहर की अनेक प्रकार की जो चीजें हमें नहीं लेनी चाहिये वो आकर यहां पर गांव-गांव में घुस जायेंगी और हमारा सारा का सारा पैसा वस्तुओं के द्वारा बाहर चला जायेगा। यह भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे निर्यातों में ड्यूटी कम कर दी गयी है जिससे हमारा कच्चा माल बाहर चला जायेगा। यह भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। किसानों को 10 प्रतिशत से ज्यादा प्राइस सपोर्ट नहीं मिलना चाहिये, यह भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम सारा का सारा बरबाद हो जायेगा, अपसैट हो जायेगा, चल नहीं सकेगा डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के बाद में। यह भी बडी चीज नहीं है क्योंकि मुख्य चार बातें हैं। सभापति महोदय, जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इस के तहत विदेशी व्यापारी की सुविधाओं में किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होगा, इनके अन्तर्गत विदेशियों को नियोजन करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जिस प्रकार हमारे देश का कोई व्यापारी या कोई उद्योगपति किसी प्रकार का नियोजन कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा सुविधा के साथ चन्द विदेशी आदमी आकर यहां पर नियोजन कर सकेंगे। बौद्धिक सम्पदा कानून के अन्दर प्रोडक्ट का पेटेण्ट होगा। वह एक ऐसी चीज है जिस पर मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। यहां पर प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं और जानते हैं कि प्रोसेस के पेटेण्ट और पेडेन्ट में कितना अंतर है और उस प्रोडक्ट के पेटेण्ट के अन्दर, मजाक तो होती है यहां पर कि नीम की दातुन नहीं की जायेगी, परन्तु वह इस प्रकार की बात सामने आ जायेगी 5 वर्षों के बाद में जब देश बहुत पछतायेगा और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे बौद्धिक सम्पदा के अन्दर पेटेण्ट के कानून के अदर जो कानून बनाये जायेंगे, उन कानूनों में कहीं भी जरा सा उल्लंघन हो गया तो हम इस प्रस्ताव के तहत सारे विदेश के, गैट के जितने भी सदस्य है उन पर दस्तखत कर रहे हैं कि हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही हमारे लोगों के साथ कर रहे हैं। यह चार बातें बड़ी इम्पोंटेण्ट है और उनका फल क्या होगा, इनका फल यह होगा माननीय सभापति जी, कि भारतवर्ष एक धर्मशाला बन जायेगा, भारतवर्ष के अन्दर कोई भी आदमी बाहर से आकर किसी प्रकार का जो कुछ काम करना चाहें, वह काम कर सकेगा। हमारी सारी की सारी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, इन सारी की सारी स्थितियों के अन्दर किसी प्रकार की गड़बड़ी कर सकता है, उलटफेर कर सकता है और उस सारी व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर सकता है। इसके तहत क्या होगा? सभापति महोदय, हमारा जो कच्चा माल है, हम जब आजाद नहीं थे, अंग्रेजों का जब राज था, हमारा सारा का सारा कच्चा माल यहां से बाहर चला गया जिसके

(श्री रमाकान्त शर्मा)

आधार पर इंग्लैण्ड की सारी अर्थव्यवस्था बनी थी। उसी प्रकार से हमारा कच्चा माल बाहर जाने लग जायेगा। इसका परिणाम यह होगा कि किसान जो कुछ पैदावार कर रहा है, उस सब पर इस प्रकार के नियम और इस प्रकार के प्रतिबन्ध लग जायेंगे। वो जो 2-2, 3-3 बीघा पर किसान है, वो ठहर नहीं सकेगा। वो उसको बेच देगा और सारी की सारी ये छोटी-छोटी जमीनें बिक-बिक करके एक ही आदमी के पास 200-200, 400-400 बीघा के फार्म बन जायेंगे जो बन रहे हैं। प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। व्यापारी जो यहां पर हैं, वो व्यापारी अच्छी प्रकार से बाहर के लोगों से मुकाबले व्यापार नहीं कर सकेगा। छोटा व्यापारी समाप्त हो जायेगा। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल सकेगी और बाहर के जो लोग-बाग हैं, जो बाहर से पूंजीपति हैं विदेशों से आये हुए, इस प्रकार की मशीन लगायेंगे कि जहां पर हमारी मशीनरी के आधार पर 100 आदमी काम करते हैं वहां पर एक आदमी काम करेगा। मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी। इस सबका अर्थ क्या है? फाइनल अर्थ क्या होगा? सभापति जी, जो हमने एक मिश्रित व्यवस्था कायम की थी समाजवादी और पूंजीवादी, दो ही चोजे हैं दुनिया के अन्दर। दो ही अर्थतंत्र हैं। उसमें जो मिश्रित व्यवस्था कायम की थी और हमारे यहां पर आदमी गरीब था और गरीब को प्रोटेक्शन देना था, उस गरीब को ऊंचा उठाना था। हमने पूंजीवाद को चाहकर भी नहीं लिया और हम जानते थे कि समाजवाद या साम्यवाद पूरी प्रकार से एफिशियेंटली वर्क में नहीं कर सकते। इसलिए हमने मिश्रित व्यवस्था के तहत जो गरीब आदमी हैं, उनको ऊंचा उठाना चाहा था और हमने हमारे देश की वस्तुओं के ऊपर एक प्रकार से उनको प्रोटेक्शन दिया था और वो सारा का सारा प्रोटेक्शन समाप्त हो सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था पूर्णतः कायम हो जायेगी और उसके तहत क्या होगा? लैसस्टेयर कहते हैं या जिसे, दूसरे शब्दों में सरवाइनल आफ दी फिटैस्ट कहते हैं और जिसे तीसरे शब्दों में जंगल का कानून, जिसके पास लाठी, उसके पास भैंस। जिस आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा पूंजी होगी, जिसके पास पूंजी की शक्ति होगी, वही सब कुछ काम कर सकेगा, वही पूंजी से पूंजी कमा सकेगा और जो हमारा गरीब आदमी है, वह गरीब आदमी और पिछड़ जायेगा। गरीब और अमीर के बीच जो गैप है वह बढ़ता चला जायेगा। वह उसी प्रकार से बढ़ता चला जायेगा जिस प्रकार से आप न्यूयार्क के अन्दर जाकर देखें। पास-पास में दो टाऊन हैं, एक मैनहटन देखें और एक दूसरा जो टाऊन है जिसके अन्दर गरीब लोग बसते हैं, जहां पर रोटी खाने को नहीं है जिनके पास। वह व्यवस्था यहां हो जायेगी। जो गांव का गरीब है, वह और गरीब हो जायेगा। न उसके पास खेती होगी न उसके पास मजदूरी होगी, न व्यापार होगा उसके पास। वह आदमी रोटी के लिए मोहताज हो जायेगा। यहां पर कल बैराठ से आयी हुई माननीय सदस्या ने कहा कि इससे बड़ा अच्छा मौका मिल जायेगा। हम अपने यहां चीज पैदा करके बाहर के देशों के अन्दर जाकर बीज स्पर्धा में बैठेंगे। सभापति महोदय, अभी तो हम अपना बीज हमारे यहां

(श्री रमाकान्त शर्मा)

पर ही नहीं बेच पा रहे हैं, अभी तो यहां पर ही स्थिति यह है कि कारगिल जो इतनी बड़ी कम्पनी है, पिछले चार साल के अन्दर बीज के व्यापार में छा गयी है। बहुत कम लोगों को पता होगा, कारगिल का जो सालाना बजट है या सालाना व्यवसाय है वह 2 लाख करोड़ रुपये का है। भारत सरकार के बजट से कहीं ज्यादा है। एक कम्पनी और कारगिल जैसी कम्पनियां कितनी ही यहां पर आ जायेंगी, उनके साथ हम स्पर्धा करेंगे। हम स्पर्धा, बाहर के देशों के अन्दर करीब-करीब खतम हो गयी। वहां तो कर ही क्या सकेंगे? मुझे तो सामने स्पष्ट दिखायी दे रहा है कि सिर्फ 2-3 वर्षों के अन्दर जिस प्रकार से हमारी यूनिवर्सिटीज ने बहुत मेहनत के साथ, हमारी जलवायु के मुताबिक, हमारे वातावरण के मुताबिक, हमारी आवश्यकताओं के मुताबिक जो बीज उन्होंने ईजाद किया था, वह धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। वह बीज अब नहीं जा रहा है, किसानों के पास। किसानों के पास बाहर की 16 कम्पनियां आ गयी हैं। पिछले 4 वर्षों के अन्दर बाहर की जो 16 कम्पनियां बीज दे रही हैं गांव-गांव के अन्दर आज वह बीज पहुंच गया है। हम उनका मुकाबला, उनके साथ स्पर्धा कहां कर सकेंगे। सभापति जी, हम लोगों ने अपनी सारी की सारी जीवन पद्धति के अन्दर एक बात रखी कि जो गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी को उठाने के लिए कहीं-कहीं, जहां पर प्रोटेक्शन की आवश्यकता की जाय, इस बात को एकदम भूल गये कि भारतवर्ष, माननीय प्रधान मन्त्रीजी कहते हैं कि भारतवर्ष को सारे देश के अन्दर अच्छी तरीके से, खुले रूप से सारे विश्व के अन्दर व्यापार करने की और उद्योग करने की सुविधा मिल जायेगी। हम एक प्रकार से दूसरी दुनिया के मुकाबले में आर्थिक परिस्थिति के अन्दर, तकनीकी परिस्थिति के अन्दर, व्यावसायिक परिस्थिति के अन्दर उसी प्रकार से कमजोर हैं, जिस प्रकार से हमारे देश के अन्दर दूसरे लोग-बाग कमजोर वर्ग के हैं। इस देश के लोगों को इस देश में, संसार के व्यापार के अन्दर एक प्रोटेक्शन चाहिये था। हमें तो प्रोटेक्शन मिला नहीं। हम डंकल प्रस्ताव पर सिग्नेचर कर देंगे पर अमरीका ने इस डंकल प्रस्ताव के अन्दर लिखा है कि 10 वर्ष तक कोटा प्रणाली चालू रहेगी, अर्थात् भारतवर्ष फ्रीली डंकल प्रस्ताव के अन्दर यहां जो कपड़े, गारमेण्ट्स भेजा जाता है, वहां वह नहीं भेज सकेगा। वो कहेंगे कि हिन्दुस्तान को कोटा मात्र 2 करोड़ रुपये का दिया है, या 200 करोड़ का दिया है, उससे ज्यादा नहीं आ सकेगा। तो जो प्रोटेक्शन हमें मिलना चाहिये था, वो नहीं मिल पाया। इसी डाक्यूमेंट के अन्दर बात कही गयी है। बहुत अच्छी बात कही गयी है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो शोध के लिए, अनुसंधान के लिए यूनिवर्सिटीज को और पैसा देंगे पर उनका शोध, अनुसंधान हम कम्पलीट कर ही नहीं सकते। अमरीका ने खेती के प्रस्ताव के अन्दर इतना ज्यादा शोध कर लिया है, उस शोध का सारा परिणाम डंकल प्रस्ताव के तहत हमारे मुल्क में आ जायेगा तो हमारा शोध हमारी लेबोरेट्री में रखा रह जायेगा।

श्री शिवनाथ सिंह : डंकल प्रस्ताव रखा है क्या आपके पास... (व्यवधान)....

श्री रमाकान्त शर्मा : जी हां। मेरे पास पूरा है। घर पर पधारना, पढ़ा दूंगा आपको। बहुत मुश्किल की बात है सात तो प्रश्न पढ़ नहीं सके आप।....(व्यवधान)....

श्री सभापति : You have taken fifteen minutes on Dunkel.

श्री रमाकान्त शर्मा : आप उस पर चर्चा नहीं कर सकेंगे जब तक आपने पढ़ा नहीं है तो। सभापति जी, डंकल प्रस्ताव पर जितना कहा जाय उतना कम है। सच बात यह है कि यह इतनी बड़ी चीज है कि एक-एक पैरा ग्राफ पर किसी प्रकार का कुल नुकसान होने जा रहा है उस सारे विस्तार में यहां पर जाना नहीं चाहता, परन्तु मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं, इस अभिभाषण के अन्दर हमने एक बात कही है, बात बहुत अच्छी है और यह अच्छा लगता है कि 1700 करोड़ से जम्प मारकर 2400 करोड़ पहुचेंगे।

(13.00)

जिस प्रकार से सारा का सारा मंत्रिमण्डल और माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत लगे हुए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष में 24 सौ या 34 सौ या 44 सौ करोड़ रुपये इस प्रकार नियोजित होंगे जिससे सारा का सारा हमारा विकास बहुत द्रुत गति से बढ़ेगा। परन्तु मैं आगाह कर देना चाहता हूं हम इस सारे विकास को ऋण ले करके ऋण के आधार पर नहीं करें, इस ऋण के आधार पर काम किया हमने तो जो भारत सरकार की डंकल प्रस्ताव स्वीकार करने की व्यवस्था हो रही है, दो-तीन लाख करोड़ रुपये का जो ऋण ले लिया है जिसके सामने वह खड़े नहीं हो सकते, बोल नहीं सकते, हमारी भी स्थिति वही हो जायेगी। अभी 92-93 के फिगर्स के अन्दर मैंने देखा है, हमारे ऊपर कर्जा 657 करोड़ रुपये का है जिसके ब्याज का भुगतान 358 करोड़ रुपये कर रहे हैं। इस 358 करोड़ रुपये का इस वर्ष के अन्दर भुगतान कर रहे हैं ब्याज अलोन तो आप सोचिये कि जो हमने 4,500 करोड़ रुपये विदेशों से ऋण ले लिया, भारत सरकार ने ऋण ले लिया तो क्या आगे आने वाले समय में भारत सरकार की जिस प्रकार की स्थिति है उसके बजट का एक तिहाई हिस्सा ऋण ले करके ब्याज चुकाने में ही चला जाता है उसी प्रकार की स्थिति हमारी भी हो सकती है। इस प्रकार यह सोचने की बात है। यदि हम ऋण लें तो इसका मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धान्त है, उस सिद्धान्त को नहीं भूलें कि एक-एक पैसा उसका प्रोडक्टिव काम में खर्च होना चाहिए। वह हम रेवेन्यू एक्सपेण्डीचर के अन्दर खर्च कर देंगे तो भारत सरकार की जैसी हमारी स्थिति हो जायेगी। इसलिए कैपिटल लेने में मोस्ट एफीशियेंट इन्वेस्टमेंट ऐसा हो जिसका रिटर्न बड़ा क्विक हो। जो क्विक रिटर्न देने वाली चीजें हैं जिसके अन्दर प्रोडक्टिविटी का इम्प्रूवमेंट हो, उन्हीं चीजों के अन्दर इस व्यय को किया गया तो निश्चित ही उस ऋण का लाभ मिल सकेगा अन्यथा वह ऋण हमारे लिए बहुत ज्यादा दुखदायी हो सकता है।

इस अभिभाषण के अन्दर प्रत्येक शब्द इतना सुन्दर है, इतना अच्छा है कि एक-एक बात पर आनन्द आता है। मन्त्रिमण्डल ने

(श्री रमाकान्त शर्मा)

बहुत मेहनत की है। हरेक गरीब आदमी को और हरेक वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। उद्योग के बारे में गांव में हम इस प्रकार के कार्य करें कि राज्य के जो उद्योगपति हैं वे ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहां आकर उद्योग लगायें।

सभापति जी, जिस प्रकार हम गांव की बात करते हैं और प्रोस्पर्स शहर होते चले जा रहे हैं, हम गरीब की बात करते हैं प्रोस्पर्स अमीर होते चले जा रहे हैं उसी प्रकार से एक ऐसी स्थिति है कि हम बात तो करते हैं सब जगह पर स्माल इण्डस्ट्रीज की और अल्टीमेटली हमारी भावना बड़ी इण्डस्ट्रीज पर आ जाती है। हम उन लोगों को इन्वाइट कर रहे है जो राज्य के करोड़पति, अरबपति सेठ, साहूकार हैं, वे यहां पर आयें और ज्यादा से ज्यादा इण्डस्ट्रीज लगायें और जो स्माल इण्डस्ट्रीज हैं, छोटे उद्योग हैं उनकी समस्याओं को भूलते जाते हैं। हमारे यहां पर बड़े उद्योगों से न रोजगार मिलने वाला है, न आर्थिक समृद्धि होने वाली है। यदि आर्थिक समृद्धि इस देश की होने वाली है तो जो छोटे दस्तकार और जो छोटे कारोबार हैं, छोटे उद्योग हैं, उन्हीं के द्वारा होने वाली है। इस सिलसिले में मेरा सुझाव है मन्त्रिमण्डल को और माननीय मुख्य मंत्री को, जिस प्रकार से बड़े उद्योगों के लिए बी.आई.एफ.आर. गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने बना रखा है, बड़ा उद्योग जब भी रूग्ण होता है तो तत्काल वहां पर एक छोटे से कागज पर दरख्वास्त चिपका देता है उसके बाद में उसकी सैल्स-टैक्स की वसूली बन्द, उसकी बिजली का कनेक्शन नहीं कट सकता, उससे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लिया जा सकता, उससे किसी प्रकार की जो सरकार की ओर से देनदारी हैं, लेनदारी हैं, वे नहीं हो सकती और उसको निर्भय बना दिया जाता है जिसका 10 करोड़ का उद्योग है, 20 करोड़ का उद्योग है, 5 करोड़ का उद्योग है, इस प्रकार का उद्योग जिसने मनमानी की है देश के अन्दर उनके लिए बी.आई.एफ.आर. है जिसके तहत उसको टोटल कैपीटल है अन्दर इस प्रकार की चीज दे दी जाती है अन्त में कि आपको इस प्रकार की सहायता दी जा रही है, आपकी ये-ये चीजें बन्द हैं और वे सहायता दी जायेगी, आप अपने पांव पर खड़े हो जाओगे, मेरा सुझाव है, नम्र निवेदन है है कि यहां स्पात इण्डस्ट्रीज के लिए भी बी आई एफ आर. जैसी चीज बनायी जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। बी.आई.एफ.आर. तो लीगल चीज है। मैं नहीं समझता कि क्रियेट कर देंगे परन्तु उसके आधार पर, उसकी लाइन्स पर एक इस प्रकार की एक्जीक्यूटिव बाडी क्रियेट की जा सकती है ताकि हमारी इण्डस्ट्रीज जिस समय सिक होकर बन्द होने की स्थिति में आये उनके यहां एप्लीकेशन दे दे तो कम से कम उसका जो हरैसमेंट शुरू हो गया है, जो उसको इस तरह की स्थिति पर ला दिया गया है कि आगे जाकर इण्डस्ट्री में बैठ नहीं सकता वह नहीं हो। उसको आज पुचकारने की आवश्यकता है और उसको यह कहने की आवश्यकता है कि हम आपके बारे में देख रहे हैं और हम आपको लम्प-

(श्री रमाकान्त शर्मा)

सम कोई न कोई प्रकार की । सहायता देंगे । चाहे वह बिजली की आवश्यकता हो, चाहे सेल्स टैक्स में छूट की आवश्यकता हो और चाहे पूंजी की आवश्यकया हो । इस प्रकार की उसको चीज मिले तो हम उन स्माल इण्डस्ट्रीज को यहां पर ज्यादा पनपा सकेंगे ।

ऊर्जा और पेयजल के अन्दर बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गयी है और देनी चाहिए । इसके लिए राज्यपाल महोदय बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं । परन्तु यदि गांवों के अन्दर कुओं के अन्दर पानी ही नहीं है, सूखे पड़े हुए हैं और जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय कहते हैं कि ट्रेडिशनल सोर्सेस पर जायेंगे, ट्रेडिशनल सोर्सेस तो सूखे पड़े हुए हैं. उनमें रेत भरी पड़ी है, कुछ पानी है ही नहीं और यदि ऊर्जा का विकास हो गया और कुओं में पानी नहीं है तो सारे का सारा ऊर्जा और पेयजल को महत्व देने का प्रश्न ही कोई लाभप्रद नहीं रह जाता है । सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उन कुओं के अन्दर पानी वापस आये इसलिए गांव के अन्दर हर नाले पर, हर दो-दो किलोमीटर पर जब तक हम एनीकट नहीं बनायेंगे और जब तक पानी जहां बरस रहा है वहां पर रोक करके जमीन के अन्दर जाने को बाध्य नहीं कर देंगे तब तक, सभापति महोदय, पेयजल और उर्जा को हम केवल मात्र कागजी प्राथमिकता देंगे । इसलिए यदि आवश्यकता हो तो इस विषय में स्पेशल प्रावधान करके हमारे पानी को पृथ्वी माता के अन्दर डालकर रिन्पार्किग का प्रबन्ध करें तब जाकर इसकी प्राथमिकता हमारे काम आयेगी ।

मैं राज्यपाल महोदय को और मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे प्लानिंग को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं जिसकी बहुत-बहुत दिनों से आवश्यकता थी । कई सालों से हम विचार कर रहे हैं । जो सहकारिता के मामले में किया है उसकी भी मैं बहुत ज्यादा तारीफ करता हूं और लास्ट में एक बात कहकर समाप्त करता हूं कि यह जो भारत सरकार ने अलवर और गुड़गांव के लिए पर्यावरण का नोटिफिकेशन निकाला था, जो हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण चीज है जितना कि इंकल प्रस्ताव है, इस नोटिफिकेशन के मामले में, इस सारे संशोधन पर एक प्रस्ताव पेश करना चाहिए और भारत सरकार को कहना चाहिए कि यह नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए ।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री पूनमचन्द विश्नोई ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री टीकमचन्दजी कान्त और श्री मदान ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूं । उसके कारण बताउंगा । प्रथम इसमें त्रुटि यह है कि यह बहुत ही सरसरी तौर पर जो चला हुआ प्रस्ताव हो, उस प्रस्ताव के ऊपर यह भाषण है । आजादी के करीब 40 साल बाद में बनी इस सरकार को और जो यह मानकर चलते हैं कि यह अपना कार्यकाल पूरा करेगी, हमने योजनाबद्ध विकास इतने वर्षों से किया है और विकास हुआ है तो उसके साथ-साथ बहुत-सी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

समस्याएं भी खड़ी हुई हैं, राजस्थान की उन ज्वलंत समस्याओं का कोई कारगर हल निकाल सके और उन समस्याओं की सही मायनों में पहचान कर सके, यह इस भाषण में कहीं नहीं है। इस सरकार के कई विभाग हैं। विभागों का नाम लेकर कि इसमें यह किया जायेगा, इसमें यह किया जायेगा, इसमें यह कमी आयेगी, यह बढ़ोतरी आयेगी, सरसरी तौर पर सब बातें कही हैं।

आज राजस्थान की ज्वलंत समस्याएं क्या हैं, पहले हमें इन्हें पहचानना होगा। सबसे बड़ी हमारी समस्या जो है और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी नीतियां कितनी गलत थीं कि जिन क्षेत्रों में अनाप-शनाप पानी उपलब्ध था, चाहे तालाबों में, चाहे कुओं में, यहां की पेयजल की समस्या के बारे में सर्वाधिक प्रश्न आ रहे हैं इस विधान सभा के अंदर और यह चर्चा में हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप जानते हैं कि मैं बहुत वर्षों से इस बात के लिए निवेदन करता आया हूं कि पाश्चात्य देशों की नकल करके हम जो पेयजल योजनाएं निर्मित कर रहे हैं ये हमें बरबाद कर देंगी। भूखमरी के शिकार तो कई देशों में हो जाते हैं, लेकिन पेयजल के अभाव में मनुष्य और पशु दोनों को निष्क्रमण करना पड़े, यह स्थिति कुछ अरसे में आने वाली है। आप विचार कीजियेगा, आपके सीकर में, सीकर के माननीय सदस्य यहां बैठे हुए होंगे, मेरे देखने में सीकर में जल स्तर 40 से 50 फीट पहले था और आज 150-200 फीट गहरा चला गया है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में एक मथानियां क्षेत्र है जहां पर 30-35-40 फीट में पानी था और आज 500 फीट गहरा चला गया है। बिलाड़े का गांव, रणसी गांव हैं जहां से जोधपुर को पानी सप्लाई किया जाता है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध था और 40-40 हार्स पावर की मशीनें नलकूपों में लगा दी जातीं तो भी पानी नीचे नहीं जाता था परन्तु आज जगह-जगह कुएं सूख रहे हैं, नलकूप सूख रहे हैं। यानि एक जोधपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जितना भी बांधों का पानी था, जोधपुर से 100 मील की दूरी में है और जितना भी भूमिगत जल था उस सब का हमने उपयोग कर लिया और उसके बाद करोड़ों रुपये व्यय करने के बाद भी यह स्थिति आ रही है। अगर राजस्थान नहर से हम नहीं जुड़ते तो यह सारा इलाका खेती का और पशुओं का उजड़ जाता और पेयजल की भयंकर समस्या खड़ी हो जाती। आपने इसमें कहीं भी नहीं कहा है कि पेयजल की इस समस्या के लिए आप क्या उपाय करने वाले हैं। यह रास्ता ठीक नहीं कि इतने नलकूप खोद देंगे, इतने हैण्डपम्प लगा देंगे, इतना यह कर लेंगे। परम्परागत जल स्रोतों के बारे में आपने ठीक इशारा किया है। उनका नये तरीके से रख-रखाव किया जायेगा या उनको निर्मित किया जायेगा। तो मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि इस समस्या के ऊपर विचार-विमर्श करके और पाश्चात्य जो तरीका है हमारे इंजीनियर्स के सोचने का इसको त्याग करके वर्षा के जल की अधिक से अधिक, एक-एक बूंद हम एकत्रित कर सकें, यह हमारे को कोशिश करनी चाहिए।

दूसरी जो ज्वलंत समस्या है वह है अकाल की। अकाल की छाया कुछ क्षेत्रों के

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

अन्दर हमेशा मंडराती रहती है। हम बहुत से काम भी करते हैं अकाल राहत में जिनसे थोड़ा बहुत सड़कों आदि का लाभ भी होता है लेकिन अरबों रुपये अकाल राहत में व्यय करने के पश्चात् भी हम अकाल को रोक नहीं सकते या उसकी विभीषिका को कम नहीं कर सकते, इसका मुख्य कारण यह है कि अकाल का सामना करने के लिए बैठ करके हमने कोई योजना नहीं बनायी है। कई तरह की योजनाएं हैं, पेयजल की योजनाओं के अन्तर्गत बनायी जा सकती है, नये एनीकट बनाये जा सकते हैं, बरसात के पानी का पुनर्भरण हो सके यह स्कीम ली जा सकती है लेकिन अकाल पड़ने के बाद एक घिसा-पिटा हमारा तरीका है कि इतना हम चारा ला देंगे, उसका अनुदान दे देंगे, इतनी मजदूरी दे देंगे, इतने स्थायी काम कर देंगे पर हमने अरबों रुपये खर्च करके भी कोई स्थायी लाभ की उपयोगी योजना आज तक नहीं बनायी। हमारे पास सभी अनुभवी लोग हैं सब क्षेत्रों से आते हैं, अपने इलाकों से परिचित हैं, इंजीनियर और वैज्ञानिक मार्गदर्शन कर सकते हैं लेकिन उसके बारे में कोई विचार नहीं हुआ और इस अभिभाषण के अन्दर भी कोई जिक्र नहीं है। अकाल के काम जरूर करेंगे लेकिन अकाल की विभीषिका को कैसे कम करेंगे, इस बारे में कुछ भी नहीं है।

तीसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि गांवों के अन्दर रोजगार समाप्त होने जा रहा है। जमीन की कमी है, कोई नये उद्योग-धंधे खोलते नहीं हैं इसलिए हर शहर की आबादी हमारे जीवन काल में 10-20-25 गुणा बढ़ गयी है और उसके परिणाम यह होते हैं कि लोग गन्दगी के अन्दर रहते हैं, झुग्गी-झोंपड़ियां बनती हैं, गांव हैं वे उजड़ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? या तो सैटेलाइट टाउन बनाने चाहिए जहां पर छोटे-मोटे उद्योग-धंधे चल सकें गांव वालों को 5-7 मील में कहीं न कहीं रोजगार मिल जाये, उनको झुग्गी-झोंपड़ियों की जो नारकीय जिन्दगी है उसमे बचाया जा सके। इसकी ओर हमारे इस अभिभाषण के अन्दर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

चौथी समस्या जनसंख्या की असाधारण वृद्धि की है। मैं न तो चीन से इतना खतरा मानता हूं, न पाकिस्तान से कोई खतरा मानता हूं, खतरा उनसे जरूर है लेकिन सबसे बड़ा खतरा हमारे देश को है वह है बढ़ती हुई जनसंख्या से। जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि से भाई-भाई में जमीनों के टंटे हो रहे हैं, मकानों के लिए टंटे हो रहे हैं, पड़ोसियों से टंटे हो रहे हैं और कहीं जानवरों की हत्या चमड़े के लिए की जा रही है, कहीं कुछ किया जा रहा है, तो जब तक हम कोई कारगर कदम एक दफा नहीं उठायेंगे कोई लाभ नहीं होगा। चूंकि वोट नहीं दिया, हम हार गये इसलिए इस आबादी के नियंत्रण के पक्ष को ही हमने छोड़ दिया। मैं कहता हूं सदन के सामने, मैंने 1977 में चुनाव लड़ा था और जब नसबंदी के बारे में बहुत-ज्यादा खिलाफ में प्रचार हो रहा था, कांग्रेस उसके कारण हार रही थी तो भी मैं तो सबसे कम वोटों से पार्लियामेण्ट में हारा, 20 हजार वोटों से, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस के हारने वालों में सबसे कम और मैंने खुला भाषण दिया था, मैंने कहा कि भाई, यह परिवार

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

नियोजन देश के और जनता के हित में है, इसको अपनाना चाहिए चाहे वोट देवो तो देवो, नहीं देवो तो मत देवो। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसको अनिवार्य बनाना चाहिए। जब दो बच्चे किसी व्यक्ति के हो जायें, किसी जोडे के, तो स्त्री-पुरुष में से किसी को भी नसबंदी आपरेशन करवाना चाहिए। इसमें न धर्म अड़े आना चाहिए, न कुछ आना चाहिए। इसका प्रश्न हमारी जिन्दगी के साथ जुड़ा हुआ है।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : इसके लिए कानून बनना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : केन्द्र सरकार से मांग की है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पांचवीं समस्या बहुत बड़ी है। आप जानते हो कि मैं राजस्थान पुलिस का और पुलिस फोर्स का सदैव समर्थक रहा हूं। शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के बारे में, कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने के बारे में मैंने सदैव इनकी प्रशंसा की है लेकिन पिछले 3-4 सालों में इनके कर्तव्य इतने हीन हो गये हैं और ...

एक माननीय सदस्य : जब से बी. जे. पी. आयी है तब से....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अब बी.जे.पी. तो यहां है, जहां बी.जे.पी. नहीं है वहां भी यही काम हो रहे हैं। तो कहने का आशय यह है, आप जानते हो, मनुष्य की देह है वह ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, पवित्रतम कृति है और यदि कोई साधारण व्यक्ति उसको आघात पहुचाये तो अपनी इज्जत के लिए लोग मरते और मारते हैं और जिस तरह के कृत्य हमारे पुलिस वाले कर रहे हैं, पिछले वर्षों में जिस तरह के कारनामे हमारे सामने आये हैं यह उनके लिए धिक्कार की बात है और उनके जो आफिसर्स हैं, यह बात नहीं है. देश में अच्छे आफिसर भी हैं या अच्छे पुलिस वाले हैं लेकिन अच्छों की चलती नहीं है और तरह-तरह के अन्याय हमारे प्रदेश के अन्दर हो रहे हैं। इस पर सख्त रोक लगानी चाहिए। मैंने तो कई दफा कहा है कि इसका मूल कारण यह है कि पुलिस वाले जब चाहते हैं तब किसी को बुला लेते हैं. जितने दिन चाहे उतने दिन बैठा कर रख लेते हैं। 3–4 दफा मैंने इस प्रश्न को इस सदन में उठाया है और मैंने कहा भी है कि पुलिस को जुबानी किसी को बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। साहब, याद कर रहे हैं पुलिस वाले। जुबानी कोई नहीं बुला सकता। पुलिस के लिए दो ही रास्ते हैं अगर बुलाना है तो लिखित में नोटिस दो कि फलां वक्त, फलां दिन आपको थाने में हाजिर होना है, हमें कुछ पूछताछ करनी हैं। उनके पास लिखकर देने की ही पावर है और दूसरा रास्ता उनके लिए यह है कि वह व्यक्ति को गिरफ्तार कर लें। इसलिए इस सदन और इस सरकार को यह चाहिये कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी को जुबानी आदेश से नहीं बुलायेगा। जो कानून के अन्दर प्रावधान है, मैंने कहा, दो ही रास्ते दिये हुए हैं उन दो रास्तों के सिवाय तीसरा रास्ता हो नहीं सकता। अगर लिखकर बुलाना है तो उनको उसी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

वक्त वापस जवाब देना पड़ेगा, आपने इसको बुलाया था इतने घण्टे, इतने दिन, नहीं तो हफ्ते-हफ्ते भर बैठाये रखते हैं कि साहब, हमने तो इसको गिरफ्तार किया ही नहीं, हमने तो उसको बुलाया ही नहीं। तो जो कानून में प्रावधान है उसका बहुत ही कठोरता से पालन करना चाहिये। जनतन्त्रवाद के अन्दर। अगर हमारे यहां पर अधिनायकवादी प्रवृत्ति होती तो जनता सरकार के और सरकारी अधिकारियों व पुलिस के सामने नतमस्तक होकर चलती। हमने सिस्टम तो दे दिया जनतन्त्रवाद। किसी बच्चे को बहुत ही लाड़ प्यार से पालो आप तो वह एक तरह से थोड़ा बिगड़ा हुआ सा हो जाये, जिद्दी हो जाये और फिर उसकी मार-मार कर मिट्टी पलीत कर दो तो यह कहां का कानून है। जनतन्त्रवाद हमने दिया, पूरी आजादी दी, आजादी दी है तो उस आजादी का दुरुपयोग अगर होता है तो रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिये लेकिन उसके मायने यह नहीं हैं। और पीटना भी वह नहीं जानते। पीट-पीट कर मार देते हैं। पुराने जमाने में भी पिटाई होती थी और पाश्चात्य देशों में भी पिटाई कर देते हैं कुछ केसेज में, हालांकि लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, पीटना या यातना पहुंचाना वर्जित है लेकिन फिर भी यह तो ध्यान रखें कि माथे के अन्दर ही लाठी मार दें, जांघ की जगह छाती पर या पसलियों पर लाठी मार दी और कोई व्यक्ति मर गया। एक महिने के अन्दर इस तरह से कोई सात, आठ लोगों की मृत्यु हुई है जिसमें पुलिस वालों के खुद के बेटे भी शामिल हैं। तो यह अत्याचार है। इस अत्याचार के विरुद्ध मैं तो सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमको एक आन्दोलन चलाना चाहिये कि इस तरह के अत्याचार जनतन्त्रवाद के अन्दर नहीं चलें।

इसके अलावा हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे यहां पर यूनिवर्सिटीज हैं, पशुपालन के लिये वेटरनरी कालेजेज वगैरह हैं लेकिन आप देखेंगे कि हमारे विश्वविद्यालयों का राजस्थान की कृषि के बारे में कोई बहुत जबरदस्त योगदान रहा हो, ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है नयी खाद आ गयी, रासायनिक खाद आ गयी, कीटनाशक दवाइयां आ गयीं, मशीनीकरण हो गया, बिजलीकरण हो गया, अच्छे बीज आ गये बाहर से, इसलिए खेती-बाड़ी की तरक्की जरूर हुई है लेकिन हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारी जो जलवायु है, हमारी जो फसलें हैं उनके बारे में राजस्थान के विश्वविद्यालयों की, कृषि विश्वविद्यालयों की बहुत ही कम भागीदारी रही है। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। इसी तरह से पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालन की हम बात करते हैं, इतना यह बढ़ा देंगे लेकिन अभी तक हम यह तय नहीं कर पाये पशुपालन में कि कौन से टलके की भेड़ है या उसमें उन्नत नस्ल कौन सी हम पैदा करना चाहते हैं। कुछ नहीं कर सके। कितने ही हजारों रुपये में मेरिनो भेड़ लाये, फतेहपुर में फार्म बनाया, मालपुरा में फार्म बनाया, उपलब्धि है कुछ नहीं। होलस्टीन और दूसरी तीसरी जो विदेशी गायें हैं उनसे दूध जरूर बढ़ जाता है लेकिन उसमें इतना फैट भी नहीं है और उसका बछड़ा किसी काम का नहीं है क्योंकि उसके थुंबी नहीं है और हमारी जलवायु में वह गाड़ी और हल चला नहीं सकता। तो पशु

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

नस्ल में सुधार हो उसके लिए कोई सफल कार्यक्रम हमारे यहां नहीं हो पाया है। इसलिए हमको यह चाहिये कि हम उस दिशा में सोचें और हमारे वैज्ञानिकों और प्रोफेसर्स को इस दिशा में कार्य करना चाहिये। हमारे प्रदेश में ऊंट एक बहुत ही बहुमूल्य जानवर है। बड़े काम का है। यह सब काम कर देता है। एक रसोई नहीं पका सकता, एक बच्चे पैदा नहीं कर सकता, बाकी सब काम ऊंट कर सकता है लेकिन ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : ऊंट के बच्चे पैदा नहीं होते ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं ऊंट के तो होते हैं, मालिक के बच्चे पैदा नहीं कर सकता। जो ऊंटपालक और भेड़पालक हैं उनकी बहुत ही अधिक दुर्दशा है और इस समस्या के बारे में किसी ने गहराई से विचार नहीं किया। भेड़पालक इधर वाले निष्क्रमण कर जाते हैं। हर वर्ष हत्याएं होती हैं। उनकी कठिनाई है। गहराई से अगर आप अध्ययन करेंगे तो केवल चार महीनों की कठिनाई है उनको और वह है जब सावणी फसल होती है। अगर सावणी फसल नहीं होती है तो उनका सब जगह स्वागत होता है। हमारे यहां पर राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में भी बहुत से पहाड़ हैं, पहाड़ी ढाड़ हैं दो-दो, छह-छह मील तक। जो नालों की और ऊबड़-खाबड़ और धुली हुई जमीन है उसको अगर वन विभाग आबाद करे और उसमें देशी झाड़ियां, देशी वृक्ष, देशी घास लगायें और उसमें भेड़, बकरी और ऊंटों के चरने के लिए सुविधा उपलब्ध हो तो मैं समझता हूं कि यह जो मूल्यवान पशुधन है और जो करोड़ों रुपयों की ऊन के रूप में, मांस के रूप में, ऊंट के रूप में आमदनी देता है वह आमदनी बढ़ेगी। खेती से भी ज्यादा अपने यहां अच्छा धन्धा है यह जिसमें ज्यादा आमदनी होती है लेकिन यह जो सभी कारोबार हैं पशुधन के, वह दिनों-दिन खतम होते जा रहे हैं।

जहां तक वन विकास का सवाल है, वन विभाग ने कई अच्छे काम किये हैं लेकिन वन विभाग अधिकतर जो विदेशी और जल्दी बढ़ने वाले वृक्ष हैं उन वृक्षों को काम में लेता है। वह वृक्ष हरे-भरे जरूर हैं, जल्दी बढ़ जाते हैं, दिखने में बहुत सुन्दर हैं लेकिन हमारे प्रदेश के कंटीले और सूखे रहने वाले वृक्ष जितना पौष्टिक पशु आहार देते हैं उतना कोई भी विदेशी वृक्ष नहीं दे सकते। इसलिए मैं बार-बार निवेदन करता आया हूं वन विभाग को कि यहां पर ज्यादा हरे-भरे रहने वाले, ज्यादा सुन्दर, ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले वृक्ष लगायें लेकिन साथ ही साथ झाड़ है, बोरड़ी है, मुराली है, कंकेड़ है, अरणी है, यह छोटी बूंदी है, इनको ज्यादा से ज्यादा मेड़ों पर, ऊबड़-खाबड़ धरती पर लगाना चाहिये ताकि उनके ऊपर हमारा पशुधन पल सके और पशुपालकों की जो कठिनाई है उसको हम दूर कर सकें।

एक सवाल आता है कि राजस्थान की जो जनशक्ति है, यहां के जो लोग हैं भारतवर्ष में पूरे में सबसे सुन्दर, सबसे बलिष्ठ हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अच्छे स्पोर्ट्समैन, अच्छे खिलाड़ी देश को नहीं दे सके। भारत 90 करोड़ की आबादी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

का देश है। स्वर्ण पदक एक हॉकी में आ जाता है तो आ जाता है, बाकी दुनिया में कोई स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं कर पाता। इसमें भी हमको गहराई से जाना चाहिये, ऐसा क्यों होता है? क्या भारत के लोगों में प्रतिभा नहीं है? नहीं यह गलत बात है। बात यह है कि अच्छे खिलाड़ी का राज्य के अन्दर कोई स्थान नहीं है। विदेशों के अन्दर अच्छे खिलाड़ी होते हैं और उनके खेल, या मैच होते हैं, प्रतिस्पर्धाएं होती हैं तो करोड़ों रुपये के टिकट बिकते हैं लेकिन हमारे यहां पर टिकट के नाम से तो कोई एक पैसे का भी टिकट बिकता नहीं है! घर वाले कहते हैं कि भई, यह भाग-दौड़ करके खाना भी ज्यादा खाता है, पढ़ाई में पीछे रह जाता है, इससे क्या फायदा। इसलिये मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सेवाओं से लेकर के राज्य सेवाओं तक अच्छे खिलाड़ियों को यदि वह मिनिमम क्वालीफिकेशन पूरी करते हैं तो नौकरियों के अन्दर आरक्षण दिया जाना चाहिए। जो विश्व ओलम्पिक के अन्दर स्वर्ण पदक या रजत पदक प्राप्त करता है उसको आई.ए.एस., आई.पी.एस. या दूसरी केन्द्रीय सेवाएं हैं उनके अन्दर स्थान देना चाहिए। खाली कोई किताबें पढ़-पढ़ करके आई.ए.एस. बन गये उनसे ज्यादा सफल होंगे क्या? मिनिमम योग्यता आप बी.ए. कर दो, एम.ए. कर दो लेकिन जब तक आप खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों के अन्दर स्थान नहीं देंगे तब तक हमारे खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सकते और खेल आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि सब कुछ होते हुए भी हमारे देश के अन्दर आज भी जितनी राज के नौकर की प्रतिष्ठा है, अन्य किसी भी व्यवसाय वाले की नहीं है। करोड़पति है, करोड़पति सेठ को भी झुकना पड़ता है सरकार के एक मामूली अधिकारी के सामने। इसलिए यदि आप खेलों को वास्तव में बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में आरक्षण देना चाहिए और यह खाली बात करने के लिए ही नहीं, इस बात के लिए मैं चाहूंगा राज्य सरकार

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और मुख्य मन्त्रीजी से खास तौर से कि अपने भाषण में जब उत्तर दें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद का तो उसके अन्दर जरूर कुछ आश्वासन देंगे।

सभापति महोदय, हमारा प्रदेश गरीब लोगों का है और आजकल जो चिकित्सा है वह बहुत ज्यादा महंगी हो गयी है। भ्रमणशील इकाई एक ऐसी इकाई है जो सही मायने में गरीबों की सेवा करती है जगह-जगह जाकर। कोई ग्रामीण अगर शहर में आ जाये तो इतने तो जांच में पैसे लग जाते हैं, हजारों रुपये तो जांच में लग जाते हैं, ठहरने का कोई स्थान नहीं। तो भ्रमणशील इकाई हैं यह गरीब लोगों को राहत देती है, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ायी जाये। एक से कहीं दो यूनिट करनी पड़े तो दो यूनिट आप कर दीजिये। अधिक से अधिक सुविधा देकर भ्रमणशील इकाई को आप जरूर मजबूत कीजिये।

एक बात और है, पश्चिमी राजस्थान के किसानों के पास दूसरे कोई रोजगार के साधन नहीं हैं। पहले हमारे पुरखे ऊंट और गाडे लादकर कमाई करते थे।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

आजकल कोशिश कर कर्जा भी मिलता है तो बेचारों ने ट्रक लिए हैं लेकिन मुझे कहते हुए दुःख होता है कि इन ट्रक वालों में ज्यादातर ऐसे हैं जो खुद ही ड्राइविंग करते हैं और खुद ही मालिक हैं उनको आज दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी लूट होती है सड़क पर कि उनकी करीब-करीब एक चौथाई आमदनी चली जाती है, चाहे हाईवे पुलिस हो. चाहे मोबाइल पुलिस हो, चाहे अपने यहां की सिविल पुलिस हो, बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अत्याचार करते हैं और उनसे पैसे वसूल करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा सरकार से कि ग्रामीण लोग जो पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं, उनके पास और कोई कमाई का साधन नहीं है, उन्होंने इस धन्धे को अपनाया है तो इस लूट को बन्द किया जाना चाहिए। मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए तो धन्यवाद देता हूं कि आज से दो-ढाई साल पहले एक दफा बड़ी आपत्ति आ गयी थी इन ट्रक वालों पर और ट्रक वाले आज दिन तक आपके आभारी हैं कि आपने उस मुश्किल के समय में उन लोगों की मदद की।

खास तौर से जालौर जिला, बाड़मेर जिला, जोधपुर जिला, नागौर का कुछ हिस्सा और सीकर, झुन्झुनूं, जैसलमेर यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग बाग ढाणियों के अन्दर बसते हैं। गांव के अन्दर 20 घर हैं और 80 घर अपने अपने खेतों में बसते हैं जो ग्राम मुख्यालय से मेरे क्षेत्र में तो आठ से दस किलोमीटर दूर हैं। तो जब इतने बड़े-बड़े गांव होते हैं और एरिया अधिक होता है तो लड़कियों के पढ़ने का सवाल नहीं, छोटे बच्चों के पढ़ने का सवाल नहीं, बिजली वहां जा नहीं सकती, सब जगह सड़क जा नहीं सकती, पेयजल की सब जगह व्यवस्था कर नहीं सकते। पिछले सत्र में मैंने प्रश्न पूछा था कि राजस्व गांवों, जो बड़े हैं, को छोटा करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि यह तो गांव वालों के करने का काम है। राजस्व मंत्रीजी ने यह उत्तर सरसरा दे दिया। गांव वाले कब एकत्रित हों और कौनसे क्षेत्र को उसमें लिया जाय। मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो बड़े गांव हैं और जिन ढाणियों में अधिक लोग बसे हुए हैं, वहां बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा सड़क इन सबकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नये राजस्व गांवों का जल्दी से जल्दी सृजन होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पांच मिनट और लूंगा। सड़कों का जहां तक सवाल है, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि बड़ी सड़कें हैं और मुख्य सड़कें हैं वह डामर की बनाइये आप। अकाल के अन्दर एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली सड़कें हैं वह आप ग्रेवल की या मुरड़ की बनाइये। मुरड़ की सड़कें यदि आप अच्छी तरह से बनाओ तो जहां पर ट्रेफिक कम होता है वहां पर उतनी ही अच्छी हैं जितनी डामर की सड़क है। उसमें लोगों को रोजगार मिल जायेगा और आवागमन की सुविधा भी बढ़ जायेगी इलाके खुल जायेंगे और लोग भी तरक्की कर सकेंगे। इसलिये सड़कों के बारे में मुख्य मंत्रीजी से मैं खास तौर से निवेदन करूंगा कि आप कोई नीति बनाइये जिससे राजस्थान में सड़कों के निर्माण पर ज्यादा जोर हो। पहले यह

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

बदनामी हो गयी कि सड़कों पर लोग काम नहीं करते थे। भाई, यह काम नहीं करने की और यह सब समस्याएं तो आती हैं, काम उनसे कराओ लेकिन अकाल की योजना बनाकर सड़कों का निर्माण करो।

पेयजल के बारे में मैंने कहा था कि पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या कुछ अरसे के अन्दर आने वाली है और इसका अन्तिम हल यही है कि वर्षा के पानी को एकत्रित करके रखा जाये। पश्चिमी राजस्थान के अन्दर बहुत सुन्दर तालाब हैं उनके बहुत बड़े-बड़े पायतन हैं कंचमेंट एरियाज हैं उनके अन्दर कहीं अतिक्रमण हो गये हैं कहीं लोगों ने गड्ढे खोद दिये हैं तो उन सबको दोबारा आबाद करें और अकाल राहत के अन्दर मैं तो यह चाहूंगा कि ठेके देकर के भी नपवां काम दीजिए लेकिन तालाबों का आप पुनर्निर्माण करवाइये ताकि आठ महीनों तक तो तालाबों के पानी से काम चलायें और उसको फिल्टर करने की कोई व्यवस्था कर दीजिये सस्ती-सी। हमने अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र का निर्माण कर दिया तो छोटे तालाबों को स्वच्छ करिये, नहीं तो नारू हो जायेंगे तो इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। वहां एक कुई खोद दीजिये, बजरी और कोयला सब डाल दीजिये, कुई में पानी आ जायेगा। यह जरूरी नहीं है कि घर-घर के अन्दर नल पहुंचाया जाये। यह आदत आप क्यों बिगाड़ते हो। इसलिये तालाबों के ऊपर हमको ज्यादा जोर देना चाहिए।

एक मेरे यहां पर फलौदी लिफ्ट योजना है, मुख्य मंत्रीजी अच्छी तरह से परिचित हैं, मेहरबानी करके इसका निर्माण करो। खिदरत से लगाकर बारू तक, खेतसिंह साहब जानते हैं, जहां इसका सिंचित क्षेत्र होगा वह सब जमीन सपाट और पूरे राजस्थान में सबसे उपजाऊ जमीन है और भूमि विकास के नाम पर आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यह लिफ्ट सिंचाई योजना कभी शुरू हो जाती है, कभी बंद हो जाती है और इसके अन्दर जो हार्ड पेन वाला प्रश्न है, हार्ड पेन भी इसमें नहीं है। मैंने खुद खोद करके सब देखे हुए हैं। इसलिए इसके निर्माण को आप प्राथमिकता देओ और बंद मत कर देना। पिछली दफा तो कुछ शुरू हुई थी।

और लास्ट में कहना तो बहुत था लेकिन सभापति महोदय ने घण्टी बजा दी इसलिए आखिरी बात कहकर के समाप्त करूंगा बिजली के बगैर, सड़क के बगैर आजकल कोई तरक्की नहीं हो सकती। और यह एक हकीकत है कि अगर खेती करो तो जहां बैल से खेती करोगे तो 16 रुपया लगेगा, डीजल से खेती करोगे 8 रुपया लगेगा और अगर बिजली से खेती करोगे तो डेढ़ या दो रुपया लगेगा। इसलिए मैं यह नहीं कहता, मैं खुद काश्तकार हूं, मैं यह नहीं कहता कि काश्तकार को कोई बिजली की बढ़ी हुई दर देनी ही नहीं पड़े। बढ़ा दीजिये लेकिन जो बिजली की सप्लाई है वह पूरी करो और अनाज का भाव तो कुछ नहीं है। घर में हम सब बैठे हैं, अनाज पर कितना-सा खर्चा है? खर्चा तो है लिपस्टिक का, पाउडर का, साड़ियों का, जूतों का और मनिहारी के माल का। खर्चे तो सब फैशन के हैं। एक आदमी दस किलो महीने में खाता है तो दो रुपया भी आप बढ़ाओ

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

किलो पर तो दस किलो के 20 रुपये। तो बीस रुपया तो लोग चलते रास्ते टिप देते हैं आजकल। तो किसान की कीमत बढ़ाओ और बिजली की भी बढ़ाओ ताकि बिजली उपलब्ध होगी तो हमारी खेती की तरक्की होगी।

अन्त में धन्यवाद देते हुए, अब कहनी तो बहुत सी बातें थीं लेकिन यह बिजली वाला मामला है तो इसमें आप डरो नहीं। आप कीमत बढ़ाओ लेकिन एक-एक मैगावाट के और आधा-आधा मैगावाट के नहीं, बड़े-बड़े प्राजेक्ट बनाओ। नहीं तो खरीद कर लो। मैंने स्वीकार किया है कि बिजली में दो रुपये पड़ते हैं या डेढ़ रुपया बिजली से पड़ता है और यदि हम बैल से करें तो 16 रुपये पड़ते हैं तो बढ़ी हुई कीमत देने में किस को एतराज होगा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना कह सकता हूं कि अगर बिजली की पूरी रेट दे दें तो राजस्थान में बिजली की कमी ही नहीं रहे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : पूरी रेट कितनी, यह तो बताओ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिजली की समस्या वास्तव में राजस्थान के लिए बहुत ही गम्भीर है, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसी आप गम्भीरता मानते हैं, मैं भी गम्भीरता मानता हूं। सवाल यह है कि न तो आज भारत सरकार के पास पैसा है और न राज्य सरकारों के पास पैसा है। भारत सरकार भी विदेशी कम्पनियों के साथ समझौता करके बिजली उत्पन्न करना चाहती है और वही कोशिश हम कर रहे हैं। मैं ज्यादा विवरण में नहीं जाना चाहता हूं मेरी भी कई विदेशी कम्पनियों से राजस्थान में लिगनाइट बेस, थर्मल बेस प्राजेक्ट लगाने की बातचीत चल रही है। उनकी शर्त एक है कि आप जो हमसे कर्जा ले रहे हैं उसका भुगतान कैसे करेंगे और भुगतान के बारे में वह विश्वास नहीं करते जब तक कि उनको यह विश्वास नहीं दिया जाये कि बिजली की जो कास्ट प्राइज आयेगी वह कास्ट प्राइज हम किसानों से वसूल करेंगे। हमने उनको यह भी कहा कि आपको इससे मतलब नहीं है कि हम कितनी सब्सिडाइज करते हैं और कितनी सब्सिडाइज नहीं करते हैं। यह स्टेट गवर्नमेण्ट के फाइनेन्स जिस तरह से अलाउ करेंगे, हम करेंगे। अभी पांच दिन पहले ही मेरी एक कम्पनी से बातचीत चली थी और उन्होंने कहा कि आप तो हमें गारण्टी दो। मैंने कहा कि गारण्टी नहीं दे सकते और उनको मैंने साफ कहा था कि आप जहां से गारण्टी मांग रहे हैं हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है और मैं एक साथ 45 पैसे से 100 पैसे पर ले जाऊं, इतना मेरा साहस नहीं हो सकता लेकिन समय-समय पर हम टैरिफ को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में मैंने हिसाब लगाया कि अगर टैरिफ का धीरे-धीरे हम एक एग्रीड फार्मूला कर लें, चाहे सज कांग्रेस पार्टी का हो या बी.जे.पी. का हो इसमें इण्ट्रेस्ट राजस्थान के विकास का और जैसा आपने कहा कि बिजली के बिना कोई काम नहीं चलता, इस बिजली के बारे में एक प्रोग्राम बना लें तो मुझे न तो रिजर्व बैंक से सहायता लेने की आवश्यकता है, न और किसी से सहायता लेने की आवश्यकता है, जितनी कास्ट आती है उस कास्ट के नजदीक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हम थोड़ा कम रखें और अगर पेमेन्ट करते रहें तो हमारे पास ही पैसा इतना हो जायेगा कि उस सारे पैसे को नये प्रोजेक्ट के लिए मैं रिजर्व करने के लिए तैयार हूं। यह बाकी के एक्सपेन्डीचर में वह शामिल नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि इसी सत्र में विस्तार से हम इस पर चर्चा कर लें। फण्ड्स की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आज तो जाना पड़ता है वर्ल्ड बैंक, आई.एम.एफ. और कभी जापानी कम्पनी के पास और कभी दूसरी कम्पनियों के पास, अगर हम तैयार हो जायें तो किसी कम्पनी के पास जाने की जरूरत नहीं है, राजस्थान के अन्दर पावर जनरेशन में इतना काम हो जायेगा कि कोई कमी नहीं रहेगी। तो हम इस बारे में इसी सत्र में चर्चा करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय ने फ्राइडे को प्राइवेट मैम्बर्स डे रखा है तो उसको प्राइवेट मैम्बर्स डे नहीं रख कर इसको रख दें तो हम डिस्कशन कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां रख लीजिए, मैं तैयार हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ That is much matter.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सभापति महोदय, आपका एक मिनट और लूंगा, मैं एक पाइन्ट को भूल गया। हमारे जोधपुर डिवीजन में ज्यादातर रोजगार तो माइनिंग से ही मिलता है और इसमें एक्सप्लोजिव काम आता है। उसके अन्दर क्या करते हैं कि यूरिया या अमोनिया में थोड़ा डीजल मिलाकर एक्सप्लोजिव बनता है। इसमें एक्सप्लोजिव वालों की बहुत लूट कर रहे हैं पुलिस वाले। इससे इतने लोगों को रोजगार मिलता है, आपको इतनी रेवेन्यू मिलती है, इतने उद्योग धंधे चलते हैं, इस लूट से तो उनको बचाओ।

श्री सभापति : श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शेरगढ़ में माइन्स बहुत हैं और शेरगढ़ की माइन्स खोल दी जावे तो शेरगढ़ ही नहीं, शेरगढ़ और फलौदी सबको रोजगार मिल सकता है लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वह क्षेत्र फारेस्ट डिपार्टमेन्ट में आ गया, मैं करूं क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप जानते हैं कि वहां डेजर्ट है और डेजर्ट में फारेस्ट का कोई नाम नहीं है। फारेस्ट वालों ने क्या किया है कि पहाड़ियों के पास अपनी तारबन्दी कर रखी है और कहते हैं कि फारेस्ट है। एक-एक किलोमीटर के डिस्टेन्स में एक-एक दरख्त आता है। यह फारेस्ट है वहां और कोई पौधा पैदा होता नहीं है अब ख्वाहमख्वाह के टंटे हैं। आप तो प्रेक्टिकल व्यक्ति हैं और आप खुद इस बात से वाकिफ हैं। आप पूरे एरिया को खोल दीजिये और वहां रोजगार दीजिये फालोदी और शेरगढ़ के लोगों को, फैमिन में आपको बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शेरगढ़ में इतनी खानें हैं और इतना स्टोन है वहां पर कि मजदूर लगाने की जरूरत नहीं है। वहां आस पास के इलाके के मजदूर लग जायेंगे। हम दोनों बैठकर बात कर लेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बात तो आप

(श्री खेतसिंह राठौड़)

रोजाना करते हैं और नतीजा कुछ नहीं निकलता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नतीजा इसलिए नहीं निकलता कि 1975 में तो मैं था नहीं, उस समय एक नोटिफिकेशन निकल गया था कि वह फारेस्ट लैण्ड हो गयी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब गलती हो गयी, मान लीजिए, तो उसको अब सुधारो आप।....(व्यवधान)... वह डेजर्ट है। वहां दरख्त हैं ही नहीं और हकीकत यह है कि नंगी पहाड़ियां हैं और वहां अभी भी बेहद क्वेरीज चल रही हैं और अनआथोराइज्ड चल रही हैं। मैं यह चाहता हूं। कि आप उसको रेगूलेराइज कर दीजिये, आपकी इनकम बढ़ जावेगी और लोगों को रोजगार मिल जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपसे बात हुई है उसके बाद में मैंने सारे कागज मंगवाये हैं और उनका अध्ययन कर रहा हूं और मैं ऐसा समझता हूं कि अगर थोड़ा-सा प्रयत्न करेंगे तो वह जमीन रिलीज हो जायेगी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय सभापति महोदय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1975 के नोटिफिकेशन का नाम लिया तो वह राजस्थान सरकार का है या भारत सरकार का ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान सरकार का।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान सरकार का वह नोटिफिकेशन है तो इसको अमेण्ड कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है ? एक सरकार ने कर दिया और उसमें कुछ कठिनाई आ रही है तो आप सक्षम हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी आपको बता दूं। वह भी दिक्कत क्या हुई कि 1975 का नोटिफिकेशन निकला उसके बाद में फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट, 1980 बन गया, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और जिस समय 80 में यह कानून बना था उस समय दुर्भाग्य से मैं नहीं था, आप ही थे।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो ठीक है। वह उसी पर लागू है। आप नोटिफिकेशन को चेंज करके फारेस्ट से निकाल देंगे तो उस पर लागू हो जायेगा। आप उसको अमेण्ड कर दीजिए, कोई कठिनाई नहीं है।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बात बताई वह भी सही है लेकिन जैसा चौधरी साहब कह रहे हैं 1975 में राजस्थान का मैक्सिमम फारेस्ट एरिया जो बताया गया है वह फारेस्ट एक्ट, 1953 के तहत प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन हुआ था लेकिन आज तक फाइनल नोटिफिकेशन 90 पर्सेण्ट केसेज में नहीं है और हिमाचल की सरकार ने जो कि आपकी ही सरकार थी और गुजरात की सरकार ने, उस एरिया को डी-नोटीफाई कर दिया। डी-नोटीफाई करने का जो फारेस्ट का काम है, फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट जो आया वह डीलविथ करता है सिर्फ फारेस्ट लैण्ड को। अदर दैन फारेस्ट के काम में लेंगे तो वह एक्ट किस तरह से काम में लेंगे लेकिन फारेस्ट लैण्ड कौन-सी

(श्री विष्णु मोदी)

है यह राजस्थान फारेस्ट एक्ट, 1953 डील-विथ करता है और यह स्टेट गवर्नमेण्ट ही काम्पीटेन्ट है कि फारेस्ट लैण्ड कौन-सी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको शायद यह जानकारी होगी कि 1975 के नोटिफिकेशन को क्वेश्चन किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमैण्ट दिया अलवर की माइन्स के मामले में, उसमें इस बात को स्वीकार किया है कि 1975 का नोटिफिकेशन प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन था, फाइनल नोटिफिकेशन नहीं निकला लेकिन यह फाइनल ही मान लिया जाये।

इस बारे में बात कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान हो। कल इस सम्बन्ध में मीटिंग भी रखी है, उसमें इस पर विचार कर लेंगे।

श्री सभापति : श्री शान्तिलाल जी चपलोत।

श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली) : सभापति महोदय, राज्यपाल जी ने राजस्थान की बहबूदी के लिए राजस्थान में पिछली सरकारों में और शेखावत साहब के नेतृत्व में किस प्रकार से विकास कार्य हुए उसका पूरा विवेचन किया है। महामहिम राज्यपाल के समर्थन में टीकमचन्द कान्त जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

महामहिम राज्यपाल ने यह बताया है कि 1977 में किस प्रकार से जनता राज था और जनता राज में किस प्रकार से बहबूदी के काम हुए। 1977 में अन्त्योदय योजना प्रारम्भ की गयी थी। अन्त्योदय योजना के जरिये 60 हजार परिवारों को चयनित किया गया जो गरीब थे, नीचे तबके के लोग थे, मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित थे। गरीब को गणेश मानकर, "दरिद्र देवो भवति" बात को चरितार्थ कर उन लोगों को सलेक्ट किया गया और 60 हजार लोगों को रोजगार दिया गया। उन्हें खेती के साधन-सुविधाएं दी गयीं या किसी न किसी प्रकार के धन्धे में लगाया गया। इसी तरीके से 30 हजार लोगों को उस समय वृद्धावस्था पेंशन दी गयी। जिसके कोई लड़का नहीं, जिसका कोई रखवाला नहीं, जिसका ईश्वर रखवाला हो उसको सरकार ने यह माना कि सरकार उसका पुत्र है। गरीब जो अपाहिज थे, लंगड़े थे, लूले थे ऐसे 30 हजार लोगों को पेंशन देकर हिन्दुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में एक उदाहरण पेश किया कि किस तरीके से गरीब को गणेश मानकर उसकी सेवा की जा सकती है।

इसी तरीके से किसानों पर आये दिन अत्याचार होते थे, लेवी के मामले में किसानों पर अत्याचार होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि लेवी के मामले को लेकर खड़सान में गोलियां चली हैं और आज के गृह मंत्री श्रीमान् मेघवाल साहब ने उनके मुकदमे लड़े हैं। किस तरीके से किसानों को मुर्गा बनाया जाता था। किस तरीके से किसानों पर अत्याचार किये जाते थे। उस लेवी को तत्कालीन शेखावत सरकार ने माफ किया। यह बहुत बड़ा काम था। चाहे काश्तकार के खेत में एक मन अनाज नहीं हुआ हो पर बीस किलो अनाज उसको हर हालत में लेवी के रूप में देना ही पड़ता

(श्री शांतिलाल चपलोत)

था। लेवी के साथ-साथ दूसरे जो काम थे वे किये। जिस गरीब ने कभी गेहूं के दर्शन नहीं किये थे, "काम के बदले अनाज" में उस गरीब के घर में 2–2, 4–4 बोरियां गेहूं की पहुंचीं। गेहूं का- उसका उत्पादन बढ़ाया। गेहूं में किस तरीके से गुणवत्ता बढ़ायी जा सकती है, गेहूं किस तरीके से काम में लिया जा सकता है उसको सिद्ध करके बताया।

(13.55)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

उन्हीं दिनों 1977 में माननीय मेघवाल साहब खनिज मंत्री थे। कभी किसी गरीब को पट्टे नहीं दिये गये थे। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, उन दिनों 22 हजार पट्टे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को खान के दिये गये। इसके साथ-साथ गरीब को गणेश मानकर "माडा" क्षेत्र में माननीय नन्दलालजी मीणा ने 1977 में कीर्तिमान कायम किये।

श्री परसादीलाल मीणा : उसके बाद अब आये हैं नन्दलालजी दुबारा।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मंत्री नहीं रहे, एम.एल.ए. रहे।

माननीय सभापति महोदय, 1965 में चुनाव हुए थे पंचायतों के, उसके बाद 13 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। 1978 में पंचायती राज मंत्रीजी ने एक नोटिफिकेशन निकालकर पंचायतों के चुनाव कराये और सत्ता का विकेन्द्रीयकरण कैसे होना चाहिए उसको दिखाया। काम के बदले अनाज देकर पंचायतों के जरिये काम कराये, क्या स्कूल क्या नालियां और क्या अस्पताल।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : आज क्या हाल है पंचायतों का? गांवों में सरपंच हैं नहीं आज क्या स्थिति है?

श्री शान्तिलाल चपलोत : यह भी अभी बखान हो जायेगा। नाई-नाई केश कितने, सामने आ जायेंगे, किसने बरखास्त किया और क्या किया।

श्री मोहनलाल मोदी : 13 साल बाद में चुनाव कराये तो 13 साल तक उन सरपंचों को यथावत रखा। आपने तो एक साल में ही उन सबको हटा दिया और आज इस तरह की हालत कर दी गांवों के अन्दर कि इन ग्राम सेवकों को सारा का सारा रुपया जाता है, बरबाद हो रही हैं सारी की सारी आपकी योजनाएं। जितना आप कह रहे हैं न कि गरीब को गणेश मानकर आपने इस तरह की व्यवस्था कर दी है, सारे लोग हाहाकार कर रहे हैं।

श्री सभापति : मोदी जी, बिराजें।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मैं अभी तक कांग्रेसी हुकूमत की किसी प्रकार की कटाक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, पर आप चाहते हैं कि कहना ही है तो मुझे कहना पड़ेगा।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : कटाक्ष की बात मत कहो, विकास की बात करो।

श्री शान्तिलाल चपलोत : विकास की बात कह रहा हूं।

सन् 1977 से पहले ग्राम पंचायत

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

वाइज प्रति व्यक्ति 25 पैसा अनुदान मिलता था। क्या गांव का विकास होगा ? गांव में लाइट नहीं आ सकती, गांव में कोई काम नहीं हो सकता। माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में कैलाश जी मेघवाल जब पचायती राज मंत्री थे उन्होंने उसका 10 गुना किया, ढाई रुपये प्रति व्यक्ति किया।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय भूत-पूर्व मंत्रीजी, जवाहर रोजगार योजना कहां से आयी है गांव के विकास के लिए, यह भी बता दो।

श्री शान्तिलाल चपलोत : यह भी मैं अभी बता दूंगा, जवाहर रोजगार योजना कहां से आयी।

श्री परसादीलाल मीणा : पता है आपको कितना पैसा है जवाहर रोजगार योजना में ? आपका क्या है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : 13 साल में किसी सरपंच को पांच पैसा खर्च करने का अधिकार था क्या ?

श्री परसादीलाल मीणा : सारे पैसे को आपने चौपट करवा दिया पंचायतों को हटाकर। सारा सत्यानाश करवा दिया राजस्थान का।....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं करें। कृपया इनका भाषण सुनें।

श्री शान्तिलाल चपलोत : 1977 से पूर्व किसी प्रकार के विकास के काम पंचायतों के द्वारा नहीं होते थे। उस समय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत थे उन्होंने उनको अधिकार दिया काम के बदले अनाज का, उन्होंने अधिकार दिया ढाई-ढाई रुपये का। उसके बाद इसी अन्त्योदय की योजना को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में विकसित किया और केन्द्र सरकार ने उसको माना। सारी दुनिया में अन्त्योदय की जो सराहना की गयी है, वह बेमिसाल है। आज तक हिन्दुस्तान में किसी कांग्रेसी हुकूमत की इतनी तारीफ नहीं की गयी है जितनी 1977 की राजस्थान हुकूमत की अन्त्योदय के मामले में की गयी है। उसी को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना माना। जवाहर रोजगार योजना के बाद में प्रारम्भ की गयी है।

सन् 1990 में फिर सरकार आयी। पहले लेवी छोड़ी, केस क्राप पर टैक्स छोड़ा और अबकी बार आने पर किसानों का, जो कर्जदार थे, जर्जरित थे, दुरवस्था में थे, दीन-हीन अवस्था में पहुंच गये थे, जिनको कर्ज के मामले में मुर्गा बनाया जाता था, मारा जाता था, उस पर पत्थर रखा जाता था, 350 करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया 18 लाख लोगों का। इसे सरकार कहते हैं और इसको सोपान कहते हैं चढ़ाई के।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपका यह मिथ्या प्रचार है कर्जा माफ करने के बारे में। जिन किसानों ने ऋण लिये थे आज उन....

एक माननीय सदस्य : ये भाषण सुन रहे हैं या बहस कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल मोदी : यह आवश्यक बात है। आप कर्जा माफ करने की बात करते हो।

श्री सभापति : कृपया बीच में व्यवधान नहीं डालें, अब बैठें। आपका नम्बर आयेगा, मोदी जी।

श्री मोहनलाल मोदी : साफ बात तो कहनी चाहिए। जब बीच में कोई बात आती है तो सही बात कहनी चाहिए। आज लोगों पर कुर्कियां आ रही हैं। 15-15 साल से जिन लोगों के पांच सौ रुपये के कर्जे हैं वे आपके इस मिथ्या प्रचार में आ गये, उनके कुर्कियां हो रही हैं।

(14.00)

श्री शान्तिलाल चपलोत : 5-5 रुपये भी यदि किसी का तकावी का बाकी होता था, लोगों को खेतों में भगना पड़ता था। पुलिस के जरिये, डण्डे के जरिये उनसे वसूलियां की जाती थीं। किसान को कर्ज मुक्त बनाया, किसान को स्वाभिमान से जीने के योग्य बनाया, उसका बखेड़ा करना चाहते हैं। पांच रुपये की कमी की थी। कांग्रेस की हुकूमत ने सारे हिन्दुस्तान में गरीब का माफ किया तो बता दो? डंडे के बल पर उन्होंने कर्जदारियां वसूल जरूर की थी। शेखावत सरकार के आने के बाद सन् 1990 में 55 लाख लोगों का लगान माफ किया है। आज तक किसान का लगान....(व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री शान्तिलाल चपलोत : बारानी का लगान माफ किया कभी, यह बता दो।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, सही बात बोले तो ठीक है।... (व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय मोदीजी, आप बार-बार इण्टरप्ट कर रहे हैं, आप वरिष्ठतम सदस्य हैं।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मेरे समय का ये दुरुपयोग करना चाहते हैं। 55 लाख लोगों के बारानी जमीन के लगान माफ किये हैं। करोड़ों रुपयों का राजस्व में फर्क था, उसकी हमने परवाह नहीं की। राजस्थान की हुकूमत ने, भैरोंसिंहजी के नेतृत्व में काश्तकार के पुत्र ने यह काम करके दिखाया। कांग्रेस की पूंजीपति व्यवस्था ने यह काम करके नहीं दिखाया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : .... इसलिए आपको मंत्री नहीं बनाया।

श्री सभापति : माननीय हरिसिंहजी आप बिराज जायें। आप बीच में बाधा न डालें, बहुत हो गया, इनका भाषण समाप्त होने दें।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय शेखावत साहब ने पचायतों के आरक्षण किये... (व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया बोलने दीजिये। 5 मिनट में इनका भाषण समाप्त हो रहा है।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है और मां-बहन की गाली की तरह मैं बात करता भी नहीं हूं।

श्री सभापति : आप कृपया आसन की तरफ मुखातिब होकर बोलें।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, शेखावत साहब ने

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

आरक्षण किया। पंचायतों में कभी आरक्षण नहीं था, पंचायतों का आरक्षण किया। केन्द्र सरकार भी इसको मानने जा रही है। केन्द्र सरकार ने हमारा अनुकरण किया है। उस समय "राज लक्ष्मी बाण्ड योजना" निकालकर, किसी के एक या दो पुत्रियां हैं और उसके बाद उसने ऑपरेशन करा दिया है तो "राज लक्ष्मी बाण्ड" के जरिये एक हजार रुपया पोस्ट-ऑफिस में जमा करवाया जिससे शादी के समय उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो 20-21 हजार रुपया 20 साल के बाद मिल सके। इस प्रकार की योजनाएं स्वीकार की हैं और उनकी चारों तरफ प्रशंसा की गयी है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया आपस में बात-चीत न करें, कहने दें?

श्री परसादीलाल मीणा : यह योजना मेघवालजी को बता दो, उनकी शादी हो जायेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये तो तोरण मारने आपके गांव आयेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इनको अपनी बात कहने दें। हां, बोलिए।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के 6500 लोगों का बैकलॉग था, मैं भी वित्त राज मंत्री था, माननीय टीकम चन्दजी कान्त आये, बार-बार कहा कि बैकलॉग पूरा करिये। मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि उस समय साढ़े तीन सौ अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को जूनियर एकाउण्टेण्ट के पद पर लगाया गया जो पहले कभी नहीं लगाया गया। माननीय सभापति महोदय, रोस्टर प्रणाली में यदि किसी प्रकार की कमी आयी थी उसको दूर करके उसके अनुसार पदोन्नतियां भी उस समय की गयी। आठ हजार आदिवासियों के केस 1990-91 के बीच में विदड्रा किये गये। पेट्टी मामले के जो मुकदमे बनाये गये थे, आदिवासी तंग आते थे, पेशियों पर जाना पड़ता था। ऐसे सभी मुकदमों को उस समय वापिस लिया गया। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने गांव-गांव में उस समय चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवायी। माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सारे राजस्थान में चिकित्सा के मामले में उन्होंने अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया। इसी के साथ-साथ माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी, माननीय शर्मा साहब का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने अनूठा काम करके दिखाया जो पूर्व के किसी भी समय में नहीं हुआ, उतना काम उन्होंने जल प्रदाय योजना के जरिये करके बताया।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, मुझे बीच में बोलने नहीं दिया गया, दो में दस कम पर खड़ा हुआ हूं और उसके पहले बीच-बीच में टोका-टोकी चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, तीन हजार करोड़ की सातवीं पंचवर्षीय योजना थी

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

और अब की बार छलांग लगायी 1150 करोड़ की। केवल इस साल का 1994-95 का बजट या उसकी योजना 2450 करोड़ की है जो पहले की एक योजना के बराबर एक साल का बजट हमने निर्धारित कराया है। यह राजस्थान का आर्थिक सन्तुलन, किस प्रकार का है, यह दर्शाता है। माननीय प्रणव मुखर्जी ने इस बात के लिए राजस्थान की तारीफ की है, उनको बधाई दी है कि आपका आर्थिक सन्तुलन, आपका सारा का सारा सन्तुलन बहुत अच्छा है और इसी के कारण सारे हिन्दुस्तान में किसी प्रान्त को इतनी योजना नहीं दी गयी जितनी राजस्थान को दी गयी है और यह माननीय मुख्य मंत्रीजी के अथक प्रयासों से सम्भव हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में मात्र 203 करोड़ रुपया कृषि के लिए रखा और अब की बार आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1283 करोड़ रुपये, छह गुना अधिक। कौन काश्तकार का भला करना चाहता है इस बजट से और इन योजनाओं से साबित हो जायेगा। माननीय सभापति महोदय, काश्तकारों का गला घोटने के लिए डंकल प्रस्ताव लाये जा रहे हैं और 16 व 17 अप्रेल को उस पर दस्तखत होने वाले हैं। डंकल प्रस्ताव की प्रक्रिया तो केन्द्र सरकार ने पहले से प्रारम्भ कर दी। हिन्दुस्तान के काश्तकार का गेहूं 330 रुपये में नहीं खरीदा गया, 300 से 330 रुपये किया गया किन्तु अमरीका, आस्ट्रेलिया और कनाडा के काश्तकारों से तीन करोड़ क्विंटल गेहूं 30 लाख टन गेहूं 550 रुपया प्रति क्विण्टल से खरीदा गया जिसका अधिक मूल्य होता है। इससे काश्तकारों के हित में कौन काम करना चाहता है यह पता लग जायेगा। पेटेण्टीकरण हुआ है, गेहूं एक साचे में डाले जायेंगे, एक सांचे के गेहूं होंगे तब माने जायेंगे। यदि हमने नीम का दातुन भी करना चाहा तो हम नीम का दातुन डंकल प्रस्ताव के जरिये नहीं कर पायेंगे। अमरीका के लोग तो कहते हैं कि इन्सेक्टीसाईड और पेस्टीसाइड से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है इसलिए हम हिन्दुस्तान के नीम को वहां ले जायेंगे और इन्सेक्टीसाइड और पेस्टीसाइड की तरह से उसको यूज करेंगे। किन्तु हिन्दुस्तान उसका यूज नहीं कर पायेगा। वहां यदि किसी ने पेटेंट करा लिया, तो इस हिन्दुस्तान का जो प्रोडक्ट है उस नीम का यूज हम नहीं कर पायेंगे।....(व्यवधान) ....यह इसलिए किया जा रहा है, केन्द्र सरकार ने, जो पिछले सालों में सत्ता में रही है, इस हिन्दुस्तान को कर्जदार और दिवालिया बना दिया है। आज इस हिन्दुस्तान पर छह लाख करोड़ रुपये का क़र्ज है। तीन लाख करोड़ का कर्ज देशी और तीन लाख करोड़ का कर्जा विदेशी है। प्रति व्यक्ति सात हजार रुपये का कर्जा है। जो बच्चा पेट से बाहर नहीं आया है, जिसने सांस नहीं ली, जिसने दूध तक नहीं पीया उस पर भी सात हजार रुपये का कर्जा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं फिलिपीन्स की याद दिलाना चाहता हूं, थाईलैण्ड की याद दिलाना चाहता हूं। अभी चार दिन पहले भी अखबार में आया है कि थाईलैण्ड में 13 से 14 साल की बच्चियां, 6 से 7 हजार की संख्या होगी, वे वैश्यावृत्ति करने

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

पर मजबूर हो गयी हैं और मां-बाप भी उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वे कर्ज से दबे हुए हैं। सारी दुनिया के राष्ट्र हिन्दुस्तान को दबाना चाहते हैं, सारी दुनिया के राष्ट्र हिन्दुस्तान की जनता का गला घोंटना चाहते हैं, काश्तकारों पर अत्याचार करना चाहते हैं और जो कर्जदार होता है वह कभी भी ऊंचा मुंह करके नहीं बोलता। हमारी सरकार ने, केन्द्र सरकार ने यह तय कर लिया है कि—

यावत् जीवेत सुखं जीवेत
ऋण कृत्वा घृतं पीबेत
भस्मी भूतस्य देहाय
पुनरागमन् कृत:

जब तक जीवो सुख से जीवो, कर्जा लेकर के घी पीवो और यह मनुष्य जन्म बार-बार नहीं आता है। यह जो चार्वाक की थ्योरी है उसके नक्शे-कदम पर केन्द्र सरकार चल रही है। यह देश के लिए बहुत घातक बात है, देश के लिये यह हितकर नहीं होगी कि किस तरीके से कर्ज लेकर के हम अपने को नष्ट करते जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, कर्जदारी की वजह से आज हमारी कोई इज्जत नहीं हो रही है। सारी दुनिया के राष्ट्रों में हिन्दुस्तान की इज्जत नीलाम होने पर आ गयी है और हमारी सरकार क्योंकि वह कर्जा लेना चाहती है, डंकल प्रस्ताव लाना चाहती है और इसके साथ-साथ हमारी सरकार, केन्द्र सरकार अंधानुकरण कर रही है, विदेशियों को निमंत्रण दे रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि विदेशी शक्तियां आ गयी, विदेशी कम्पनियां आ गयी, एक ईस्ट इण्डिया कम्पनी को हम 200 साल तक भुगते हैं। हजारों कम्पनियां आ जायेंगी तो हम कहां जायेंगे, हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम अपना काम चलायेंगे, क्या जासूसी नहीं होगी, क्या दूसरे काम नहीं होंगे उसको किस प्रकार से रोका जायेगा। अभी-अभी रेल भाड़ा बढ़ा दिया, दूसरी चीजों के पैसे बढ़ा दिये, बजट के पहले दुनिया भर का कर्जा बढ़ा दिया, बजट के पहले दुनिया भर का टैक्स बढ़ा दिया। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वह किस तरह से सरकार चलाना चाहते हैं, केन्द्र सरकार किस तरीके से काम करना चाहती है।

मैं तो एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो कमजोर देश होते हैं, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर देश हैं, जहां अनपढ़ लोग हैं, कैंसर के रोगी हैं—इस देश में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी हैं, ऐसा जो देश है उस देश की कोई इज्जत नहीं करने वाला है। मैं एक श्लोक के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा —

"अश्वं नैव, गजं नैव व्याघ्र नैवच नैवच।
अजापुत्रं बलिमृदद्यात् देवो दुर्बल घातक।"

माननीय सदस्यगण कभी आपने यह नहीं देखा होगा कि कभी किसी घोडे का बलिदान किया जाता हो,—"गजं नैव"— हाथी का भी नहीं किया जाता, "व्याघ्र नैवच नैवच" और शेर का तो कभी भी नहीं किया जाता। "अजापुत्रं बलिमृदद्यात्" जो अजा पुत्र है, बकरी का बच्चा है, मेमना है, गरीब है, असहाय है उसका देवता भी बलिदान करते हैं। जो देवता हमारी रक्षा

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

के लिए बने हुए हैं वही देवता कहते हैं, वही माताजी कहती हैं कि मेरा तो केवल बकरी के बच्चे से काम चल जायेगा, हाथी नहीं चाहिये घोड़ा भी नहीं चाहिये, शेर भी नहीं चाहिये। जो कमजोर राष्ट्र है उसको बड़े राष्ट्र, जिस प्रकार से बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। आज भी मत्स्य न्याय चलता जा रहा है। अमेरिका अपनी दादागिरी मचाकर दुनिया में छाना चाहता है और अमेरिका हमें गिरवी रखने पर तुला हुआ है। अमेरिका का कर्जदार बनकर हम यहां नहीं रहना चाहते हैं। हम इस प्रकार की जिन्दगी नहीं जीना चाहते, हम चाहते हैं कि....

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री शान्तिलाल चपलोत : एक मिनट में ही मैं खतम कर रहा हूं। हम स्वावलम्बी हिन्दुस्तान बनायें, कर्जमुक्त हिन्दुस्तान बनायें, स्वाभिमानयुक्त हिन्दुस्तान बनायें और यहां का जो धन्धा है उसको हम आगे से आगे बढ़ायें।

यहां पर माइन्स की बातें कही गयीं। मेरा क्षेत्र उदयपुर जिला सारा माइन्स से....

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री शान्तिलाल चपलोत : बार-बार वहां पर नोटिफिकेशन की आड़ में हजारों मजदूरों को बेकार किया जा रहा है। बाहर की जो कम्पनियां आ रही हैं उससे हिन्दुस्तान जिंक जैसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हिन्दुस्तान का, जिसमें हजारों-करोड़ों रुपये की पूंजी लगी हुई है, पांच हजार करोड़ रुपये की पूंजी का तो मुझे पता है जो वहां पर लगी हुई है उदयपुर के आस-पास के क्षेत्रों में। उसके नष्ट होने की स्थिति आ गयी है। उसकी स्थिति यह हो गयी है कि हिन्दुस्तान जिंक बन्द हो रहा है, लोगों की छटनी की जा रही है। मैं, माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि गरीब कहां जायेंगे, काश्तकार कहां जायेंगे, रोजगार के लिए बेरोजगार नवयुवक कहां जायेंगे हमारा व्यक्ति कहां जायेगा? यदि यहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ गयी तो जो हमारा मजदूर खानों में लगा हुआ है, वह मजदूर छटनी की कगार पर चला जायेगा और हमें भुखमरी का सामना करना पड़ेगा।

इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस सरकार का सभी पुरजोर शब्दों में समर्थन करें, मैं भी इसका समर्थन करता हूं और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का बहुत-बहुत स्वागत, बहुत बढ़िया और उम्दा किस्म का यह है उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने हाउस में जो अभिभाषण दिया उसकी प्रशंसा नहीं करते हुए मैं अपनी बात प्रारम्भ करता हूं। मान्यवर, ये जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं जो चालाक और बहुत ही होशियार लोग थे, उन्होंने जैसी बात कही थी, उसी बात को यह दोहराते जा रहे हैं। इनको पता तो है नहीं, लेकिन नये नये आये हैं

(श्री नाथूराम अहारी)

इसलिए वे बोल रहे हैं, इनके साथ बोलते जाओ। यह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आपने 47 साल में मात्र 5 साल भी राज नहीं किया है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया तो यह राजस्थान में जो भी काम हुए वह क्या आपने किये? बड़ी-बड़ी सिचाई की योजनाएं, बड़ी-बड़ी विद्युत की यूनिट....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कौन कौनसी?

श्री नाथूराम अहारी : भाखड़ा नांगल है, इन्दिरा गांधी नहर है, चम्बल बांध है....

श्री सभापति : सचेतक महोदय ध्यान रखें आप।

श्री नाथूराम अहारी : यह सारे क्या आपने किये? हां, हमने किये। इसी तरह आप शिक्षा के बारे में बात करते हो। दो कालेज खोले हैं तो हमारे साथी कहते थे कि हमने कालेज खोल दिये तो क्या........ (व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया आपस में वाद-विवाद न करें, बोलने दें माननीय सदस्य को।

श्री नाथूराम अहारी : 26 जिलों में जो कॉलेज खोले हैं वह क्या आपने खोले हैं? इसके साथ ही यातायात के बारे में दिल्ली से बम्बई हाईवे रोड आपने बनवाया है? नहीं किया, आपने फिर क्या किया? आपने मैंटीनेंस के आधार पर कुछ नहीं किया, आपने केवल विरोध करने के अलावा कुछ काम नहीं किया है केवल मात्र.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप आसन की ओर मुखातिब होकर बोलें, उनसे प्रश्न नहीं पूछें। आसन की ओर मुंह कर के आप बोलें।

श्री नाथूराम अहारी : आपके बिराजते ही ऐसा काण्ड हुआ जो इतिहास में नहीं हुआ था, मण्डावरी काण्ड, पूरे के पूरे गरीबों के गांव जला दिये गये। जुगताराम काण्ड। जयपुर शहर के इतिहास में कोई भी नहीं कह सकता जिसमें हजारों लोग मारे गये हों, यह आपने करवाया धर्म के नाम पर। हजारों मन्दिर देश में ही नहीं ससार में गिरवा दिये इस धर्म का नाम लेकर, और आपने क्या किया है? देश में जो प्रजातांत्रिक ढांचा था राजस्थान में वह आपने खतम कर दिया। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि 13 साल तक चुनाव नहीं करवाये। चुनाव नहीं करवाये लेकिन प्रजातन्त्र तो कायम रखा हमने। तेरह क्या 20 साल तक नहीं करवाये, लेकिन आपने तो बैठते ही समझा कि ये तो गांव के लोग हैं, ये तो कांग्रेस के लोग हैं और बार-बार स्टेटमैण्ट देते रहे कि हम करवा रहे हैं, अमुक टाइम और महीने में करवा रहे हैं मगर करवाये नहीं और चले गये।....(व्यवधान) उसके साथ ही आपने जो प्रशंसा की, जब आप गये उसी समय से प्रजातन्त्र खतम करके गये और मुझे तो शक है कि आप अभी भी नहीं करवा पायेंगे क्योंकि आपको डर है कि हम नहीं आयेंगे।... (व्यवधान)... आपके जाने के बाद ही होगा।... (व्यवधान)....

श्री सभापति : आप माननीय सदस्य बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। आप सुनिये।

श्री नाथूराम अहारी : इसके साथ ही

(श्री नाथूराम अहारी)

ताजा खबर है कि गुप्तांग काट दिये गए और आपको शर्म नहीं आती है। आदमी के गुप्तांग काट दिये गये। डूब मरो। उस बारे में क्या किया, यहां प्रश्न भी शायद आया है। शिक्षा के हजारों केन्द्र आपने बन्द कर दिये जिनमें लाखों बच्चे पढ़ते थे. आपको जरा भी कोई रहम आया? अभी कल ही एक प्रश्न आया था। आदिवासियों के छात्रावास के सन्दर्भ में, 10 छात्रावास बन्द किये हैं। उनमें से 2 छात्रावास के लिए मंत्री ने लिखा कि हमने टेलीफोन पर बात की है। 8 छात्रावास आपने बन्द कर दिये और कहते हैं कि हम आदिवासियों के हिमायती हैं, बिलकुल नहीं। इतना ही नहीं डूंगरपुर में एक एस.एस.सी. का विशेष केन्द्र था उसे भी आपने बन्द कर दिया, 11 महीने के बाद इनको पैसा दिया इस तरह से आप कोश करते हैं कि सामने वाले अपने आप विदड़ा कर लेते हैं। अभी आपने बताया कि अनुदान नहीं दिया इसलिए बन्द कर दिया आठ-आठ, नौ-नौ महीने तक। हमारे भगोड़ा जी तो उसके अफसर रहे थे। मैं तो यह कहता हूं कि आप जो काम करें वह कम से कम आदिवासियों के हित में देख कर करें। आपने दूसरा काम यह किया कि हमारे श्री भगोड़ाजी राजस्थान लेवल की लीडरशिप करते थे समाज कल्याण में उनको इस लाइन में बैठा दिया, उन्हें आपने मंत्री भी नहीं बनाया। इसी तरह से मेरे यहां राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त आदमी था श्री हीरालाल मील, उसको मेरे सामने खड़ा कर दिया और कहा कि आपको शिक्षा मंत्री बनायेंगे, आपको होम मिनिस्टर बनायेंगे। क्या किया आपने? जो अमृतलाल था, वह लड़ता था, वह लाइन में था वह शिक्षा में हमारे आदिवासियों का भला करता था उसे आपने थोथा पकड़ा दिया और उसको बर्बाद कर डाला और आज रोता फिर रहा है, उससे हमको फायदा था वह तो गया। आप जो भी काम करते हैं वह बिल्कुल दिखावटी काम करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं।....(व्यवधान) भ्रमित करते हैं। इसके साथ ही आप हर समय कहते हैं कि हमने आदिवासियों और अन्य लोगों के कर्जे माफ किये, आपने दिया था क्या उनको? रुपया कांग्रेस ने दिया और आपने बरबाद कर डाला, सारी बैंकों को खतम कर डाला आपने। आपने लिया ये पैसा। इसी तरह आप कहते हैं, काम के बदले गेहूं आपने इकट्ठा किया था गेहूं? किसने इकट्ठा किया था? गेहूं तो कांग्रेस ने इकट्ठा किया था जो अमेरिका और कनाडा से लेकर हम लोग जिन्दा रखते थे। आज हम स्वावलम्बी हैं वह किसके कारण है? वह कांग्रेस के कारण है।... (व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया आपस में वाद-विवाद न करें। माननीय सदस्य को सुनें। गम्भीरता रखें आप।

श्री नाथूराम अहारी : आप किसान हैं आप तो केवल अभी सीख रहे हो, मैं तो कहता हूं कि आपने उल्टी बरबादी की है। मैं कहता हूं अच्छा काम करते तो आपको ढाई साल में जाने की जरूरत क्या थी, क्यों गये? क्या कारण थे? आपके कारनामे खराब थे। अब आप कितने दिनों में जाओगे, यह मैं पूछना चाहता हूं आपको। अब तो जाओ, कुछ नहीं होता आपसे और अब मैं थोड़े सुझाव देना चाहता हूं....

श्री सभापति : हां आप सुझावों पर आइये। बहुत हो गया। अब सुझावों पर आइये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम अहारी : अब मैं सुझावों पर आ रहा हूं। इनकी गलतियां नहीं बताऊंगा। मैं सुझाव दे रहा हूं।

जनजाति एरिया में हमारी सरकार ने, कांग्रेस ने और सबने काफी कुछ रुपया लगाया है। अब हमें हमारे विचार बदलने की जरूरत है। यह पुरानी योजनाओं के काम करने के तरीके हैं हमें इनमें बदलाव लाना पड़ेगा। हजारों-हजारों, करोड़-करोड़ रुपया हम खर्च कर देते हैं लेकिन हमको फायदा नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए बड़े बांध पर जनजाति के बजट को लगाया जाता है। 12 प्रतिशत जनजाति का आरक्षित धन है, उसको लगाया जाता है। लेकिन बड़े बांधों में केवल आदिवासियों की ही जमीन डुबती है, उसमें उनको फायदा नहीं मिलता है और पैसा आदिवासियों का खर्च होता है। इसी तरह से हमारे जो जनजाति के लोग हैं, उनके बच्चे आज तक भटकते फिर रहे हैं और आप कागजों में, भाषणों में कहते हैं कि हमने बैंक लॉग पूरा कर दिया, हमने आरक्षण की नीति बढ़ा दी है, हम ज्यादा आरक्षण कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इस बारे में केवल कागजों में से योजना निकाल कर प्रेक्टिकल में लाने की जरूरत है। हमारे यहां क्लास फोर्थ की नियुक्ति होती है तो बाहर के लोगों को लोकर के भर्ती कर दिया जाता है और जब अनुकूलता आती है उस समय उनको वापस भेज दिया जाता है और हमारे चपरासी और फोर्थ क्लास और सिपाही के लोग योग्य नहीं मिलते हैं और कह दिया जाता है कि योग्यता नहीं है इसलिए इनका चयन नहीं किया गया तो ये चयन करने का तरीका है उसमें या तो एक कमेटी बनायी जाय या चयन करने के तरीके में सरलता लानी चाहिये और हम लोग उसको गम्भीरता से लेकर जितना भी बैंक लॉग है, जितने भी बेरोजगार लोग हैं। अभी आज ही डिप्लोमा होल्डर्स ओवरसियर लोग धरने पर हैं। 1981 से बन्द है, बेन है। 1981 से ट्रेनिंगशुदा हैं लेकिन उनको आज तक नौकरी नहीं मिली है। मैं तो कहता हूं इतने समय तक इनको अस्थायी नौकरी मिल जाती लेकिन नौकरी नहीं मिली। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो-जो भी इस तरह के डिप्लोमा होल्डर्स, एस.टी.सी. ट्रेण्ड लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी नौकरी दी जाय, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। इनको रोजगार देने के लिए लघु उद्योग, छोटे-बड़े उद्योग, हर छोटे-बड़े काम में उनको सहयोग दिया जाय, इनको खनन के पट्टे, जैसा कि अभी फरमा रहे थे हमारे माननीय सदस्य चपलोत साहब कि इतने लाख पट्टे अलाट कर दिये, जाकर देखो तो सही वहां किसके हैं, कौन हैं, वहां कौन बैठा हुआ है? सब बाहर के लोग हैं और हमारे कंधे पर बन्दूक रखकर दूसरों को अलाट किये गये हैं, इनको देखो। इनको कार्यशील पूंजी दी क्या? एक रोहनवाला लड़का है जिसको दो साल पहले अलाट हुआ, उसके पास में कार्यशील पूंजी नहीं है, वहां तो वह नहीं खोद रहा, दूसरे को बेच रहा है तो आप अगर वास्तव में आदिवासियों का भला करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कार्यशील पूंजी दी जाये इनको खनन पट्टे सरलता से दिये जायें। इसी तरह से मेरे डूंगरपुर में गत दो तीन

(श्री नाथूराम अहारी)

साल से जो बाहर के कर्मचारी थे उन सबने अपने पट्टे ले लिये और अभी इनकी खानें चालू हैं। गरीब आदिवासी को पट्टा नहीं मिलता है और उनके पास खाने हैं। मैंने अभी प्रश्न के जरिये सवाल पूछा भी है, भगवान करें सही उत्तर आ जाये, तो....

श्री सभापति : अब आप संक्षेप में कह दीजिये, थोड़ा संक्षिप्तीकरण करें।

श्री नाथूराम अहारी : इसके साथ ही जनजाति के एरिया में हजारों-हजारों कुएं खोदे हैं और कुओं पर बहुत ही कम पैसा है, हालांकि पहले भी बहुत काम थे लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है, उसकी महंगाई और उसके विकास के आयाम बढ़ते जाते हैं तो उसमें स्वतः ही रकम बढ़ती जाती है लेकिन ये बढ़ाई करते हैं, उस समय इतना बजट था और आज इतना हो गया। इसमें बढ़ाई क्या हो गयी ? उस समय हमको 30 रुपया, 15 रुपया मिलता था, आज तो 30,000 रुपये लेने वाले लोग हैं तो कहने का मतलब यह है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने बजट में इतना रुपया रख दिया, इतना प्रावधान रख दिया तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूं जो अधूरे कुए हैं मैंने एक बार कहा था कि डूंगरपुर और उदयपुर में किसी भी जगह खड़े होकर के 200 गज जाओगे किसी भी दिशा में तो कुएं में गिरोगे। यह मैंने एक उदाहरण दिया था। इसका कारण यह है कि वहां खूब कुएं हैं लेकिन अर्थाभाव के कारण उनकी स्थिति खराब है। भौगोलिक परिस्थिति बहुत ही खराब है, वहां पर सख्त पत्थर है। आज के युग में 20,000 रुपये में हम कुआ खुदवाना चाहें तो यह सम्भव नहीं है। हमारे जलतोड़ कुए के लिए 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपये मंजूर करते हैं और इनके कुए हम अपेक्षाकृत 20,000 रुपये में करें तो आज के युग में 20,000 रुपये में यह नहीं होता है और यह मापदण्ड इन्होंने रखा है कि 380 रुपये प्रति फीट। 380 रुपये प्रतिफ़ीट तो हमारे जंगल में जो काश्तकार हैं वे खामी निकालते है वे देते हैं। इससे कोई कुआ खुदता है क्या ? मेरा आपके माध्यम से सरकार को निवेदन है कि कम से कम एक फीट पर जहां सख्त पत्थर आया है वहां पर 1000 रुपया दिया जाय मय ब्लास्टिंग और मजदूरी के। इसी तरह से और भी निवेदन करता हूं कि इन कुओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि यह योजना ऐसी है कि आदिवासियों को सीधा फायदा मिलता है इसमें क्योंकि पांच बीघा या एक बीघा जमीन है, उसमें सजल कुआ है तो वह भूखा नहीं मर सकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इन कुओं पर रकम ज्यादा से ज्यादा लगायें, मैं तो कहूंगा कि 50,000 तक बढ़ायें और दूसरा कोई फायदा नहीं मिले तो इन कुओं को योजना बनाकर, सर्वे करके युद्ध स्तर पर पूरा कराइये, हर दूसरे, तीसरे साल अकाल पड़ता है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इन कुओं पर अकाल का काम शुरू कराइये क्योंकि हम मिट्टी से घबरायेंगे और अकाल में पांच-दस मजदूर उन कुओं पर रखें और इन कुओं पर बलास्टिग की सुविधा करायी जाय तो मैं समझता हूं आदिवासियों को सीधा फायदा हो सकता है, यह मैं आपसे निवेदन करता हू।

श्री सभापति : धन्यवाद नाथूराम जी।

श्री नाथूराम अहारी : नहीं साहब ।

श्री सभापति : और बोलेंगे ?

श्री नाथूराम अहारी : इसी तरह एक मापदण्ड सरकार ने माना है, पिछली सरकारों ने और अभी की सरकार ने भी कि 200-250 की आबादी पर हम स्कूल खोलेंगे, 1000–1500 की आबादी तक रोड ले जायेंगे । इसी तरह से इतनी आबादी पर पी.ए.सी. और डिस्पेंसरी खोलेंगे । आज के युग में हमें बदलने की जरूरत है । पुराने मापदण्ड करने की जरूरत नहीं है । आदिवासी एरिया में ये मापदण्ड कोई काम के नहीं है । इससे तो हमारा आदिवासी एरिया पूरा का पूरा वंचित रह रहा है इसलिए इस मापदंड को 100 नहीं तो 50 तक, 10 घरों की आबादी है, उसमें आप हैण्ड पम्प नहीं दोगे । यह मापदण्ड बिल्कुल बन्द करना चाहिये और इनको सुविधा मुहैया करानी चाहिये स्कूलों के लिए, दवाखानों के लिए, सड़कों के लिए और स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ।

श्री सभापति : अब समाप्त कर दीजिये ।

श्री नाथूराम अहारी : सडकों के बारे में यही हाल है । सड़कें हमारे पालों में नहीं जाती हैं, हमारी ढाणियों में नहीं जाती हैं तो सडकों के लिए आबादी है, उसमें सड़क निकालनी चाहिये । वह भी मापदण्ड क्या, 1981 की जनसंख्या का, यानी 12 साल पहले की जनसंख्या, तो यह तरीका गलत है पेयजल योजना के बारे में मेरा एक सुझाव है । हर बड़ी सिटी में पेयजल की समस्या है और मैं उदयपुर की बात करता हूं ।

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिये ।

श्री नाथूराम अहारी : जयसमंद से पूरे आदिवासी एरिया को पानी मिलता है लेकिन उससे उदयपुर में पानी देने के लिए कर दिया । उदयपुर के जो माननीय सदस्य हैं वे नाराज होंगे लेकिन हमारी आदिवासी जनता के लिए भी सोचा कि उनका क्या होगा ? उनके कुओं का पानी अन्दर चला जायेगा । आप उनके लिए दूसरी व्यवस्था करिये । लेकिन आदिवासी इलाके में जो तालाब है उन तालाबों का पानी बड़ी सिटीज में नहीं देना चाहिए, यह मेरी मान्यता है । कई माननीय सदस्य नाराज होंगे लेकिन हम आदिवासियों की सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए हम काम करें और उनके पानी को हम शहर में देंगे तो गांवों के साथ हम अन्याय करेंगे, यह मैं मानता हूं ।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करिये ।

श्री नाथूराम अहारी : विद्युतीकरण है । एक पोल को साढ़े सात हजार रुपये का कर दिया है । इतना महंगा कर दिया है कि विद्युतीकरण हो ही नहीं सकता ।

श्री सभापति : अब समाप्त करिये माननीय सदस्य । आपने काफी समय ले लिया है ।

श्री नाथूराम अहारी : विद्युतीकरण के बारे में इस तरह का मापदण्ड रखिये ताकि आदिवासियों को सही फायदा मिल सके ।

मैं जंगलात के बारे में भी कहना चाहूंगा । जंगलात के बारे में कोई माननीय सदस्य नहीं सोचता है । सब कहते हैं कि आदिवासियों ने जंगलात बरबाद कर दिये लेकिन कभी आपने सोचा कि इनके घर

(श्री नाथूराम अहारी)

बनते हैं तो उनके लिए लकड़ी कहां से लायी जाती है ? कभी भी सरकार ने सोचा हो तो मुझे बताइये । हजारों मकान बनते हैं और उसके लिए जंगल से ही लकड़ी आती है । जंगलात वाले खूब कोशिश करते है, पर वहां आवश्यकता है । आप शहरों में चूल्हा दे रहे हैं, उन्नत चूल्हा दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं और आदिवासियों को लकड़ी भी नहीं मिले । जंगल लगाने के लिए मेरी तो यह मान्यता है कि जगलात विभाग जितनी कोशिश करता है वह खुद करता है लेकिन मनुष्य जंगल नहीं लगा सकता है, वह बगीचा लगा सकता है । मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर आपके जंगलात विभाग की जो पॉलिसी है कि पांच साल में हम चोटी, रोड़ा, उसके डांडे को उठा ले जायें तो बाद में सारे नष्ट हो जाते हैं तो उसके बारे में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करिए ।

श्री नाथूराम अहारी : आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनियां ।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । समर्थन इसलिए नहीं करता हूं कि मैं सत्ता पक्ष का सदस्य हूं बल्कि समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि इस अभिभाषण में गांव, गरीब और किसान की बात की गयी हैं । श्री भैरोंसिंह जी शेखावत के नेतृत्व में बनी सरकारें गरीब, किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों की सदैव ही हिमायती रही है इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं ।

सन् 1977 में गरीबों का भला करने के लिए अन्त्योदय योजना लागू की गयी थी जिनकी पूरे भारतवर्ष में सराहना की गयी थी तथा केन्द्र सरकार ने भी इस स्कीम की नकल करके इसको एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में अपनाया था । केन्द्र सरकार ने नकल ही तो की है और क्या की है ? ... (व्यवधान) .. एक ही नकल क्या सैकड़ों बता दूं । आप तो हमारी नकल करते जाओ और कुछ नहीं है ।

श्री परसादी लाल मीणा : मैं तो यह कह रहा हूं कि आप पढ़कर नहीं बोल रहे हैं वैसे ही बोल रहे हो ।....(व्यवधान)....

श्री रामप्रताप कासनियां : इसके अलावा 'काम के बदले अनाज योजना" जो लागू की गयी थी उसके तहत जो कार्य कराये गये, 1990 से 92 की अवधि में "अपना गांव–अपना काम" योजना के तहत जो कार्य कराये गये उससे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही फायदा हुआ है और जितने भी विकास के काम हुए हैं उसमें 30 पर्सेण्ट राशि ग्रामीणों की होने के कारण गांव के लोगों ने उस काम की देखभाल की और मैटेरियल अच्छा यूज हुआ जिसका परिणाम यह निकला कि जो भी भवन बने, चाहे स्कूल के हों, चाहे डिस्पेंसरी के हों, चाहे पंचायत के हों या औषधालय हों, अपना गांव, अपना काम स्कीम के तहत जितने भी

(श्री रामप्रताप कासनियां)

निर्माण कार्य हुए हैं वे सब के सब बढ़िया हैं।....(व्यवधान)..आपके समय में जिस प्रकार का घटिया मैटेरियल यूज हुआ करता था, सीमेंट की जगह रेत लगती थी उस तरह की व्यवस्था "अपना गांव-अपना काम" योजना में नहीं है। पिछले तीन साल के कार्यकाल में किसानों के हित के जितने काम हुए हैं उसको मैं पिछले सत्र में बता चुका हू, अब बार-बार दोहराऊंगा तो अच्छी बात नहीं होगी। अगर वह बात मैं अब बताने लग गया तो विपक्ष की तरफ से अभी टोकाटोकी होने लग जायेगी। इसलिए इस बात को मैं दुबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के वक्त ग्रामीण क्षेत्र में बजट का 35-40 पर्सेण्ट ही खर्च हुआ करता था लेकिन माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने 1990 में सत्ता संभालते ही बजट का 60 पर्सेण्ट से भी अधिक ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर खर्च करने का प्रावधान किया और जिसका परिणाम आज आपके सामने है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी दुबारा फिर सत्ता में आ गये।

इसके अलावा और भी बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं जिनके बारे में कोई बात मैं दुबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सिचाई पर योजना का काफी धन खर्च करने का जो सकेत है वह किसान के लिए खुशखबरी है। इसके अलावा नहर के अन्तिम छोर के जो किसान हैं वे हमेशा आपके शासन में तो यह मांग करते रहते थे कि हमारे टैल पर पानी नहीं पहुंचता। पिछले ढाई-तीन साल के कार्यकाल में तो उन्होंने टैल पर थोड़ा-बहुत पानी देखा होगा परन्तु आपके शासन काल में आप रिकार्ड मंगाकर देख लीजिये कि अन्तिम छोर पर कभी भी पूरा पानी नहीं पहुंचा और इस अभिभाषण में ...

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : माही डेम के अन्तिम छोर पर पानी नहीं पहुंचता। अभी भी किसानों की फसल को नुकसान होता है।

श्री रामप्रताप कासनियां : पूरा पानी नहीं पहुंचता, माननीय सदस्य, मैं यह नहीं कह रहा हूं। आपकी व्यवस्था तो ऐसी थी कि बिलकुल ही नहीं पहुंचता था। पानी की चोरी हुआ करती थी।...(व्यवधान)... मैं आपकी व्यवस्था को दोष दे रहा हूं, आपको दोष नहीं दे रहा। "तुणक, ताकी, जाति, स्वभाव जाता नहीं"। मैं आपको उलाहना थोड़े ही दे रहा हूं, मैं तो कांग्रेस को दे रहा हूं। इस अभिभाषण में यह भी संकेत दिया है कि अन्तिम छोर के काश्तकारों को टेल पर पानी पूरा दिया जायेगा। सिचाई योजना में सुधार करके उनके हिस्से का पूरा पानी उनको उपलब्ध कराया जायेगा, यह भी किसानों के लिए कोई कम बात नहीं है कि वर्षों से जो किसान पानी के लिए तरस रहे थे उनको पानी मिलेगा।

श्री सभापति : संक्षिप्त करिये रामप्रतापजी, अब आप।

श्री रामप्रताप कासनियां : अभी तो शुरू ही हुआ हूं साहब, फिर तो कुछ ही नहीं है साहब।

श्री सभापति : जरा जितना संक्षेप में कर सकते हैं....

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदय, अभी तो शुरू ही किया है मेरा टाइम....

श्री सभापति : मैं घड़ी की ओर देख रहा हूं, आपने तो अभी शुरू किया है।

श्री रामप्रताप कासनियां : और पशुपालन के लिए जो "गोपाल योजना" लागू की गयी थी, गोपाल योजना के भी अच्छे परिणाम आये। गांव के युवकों को शिक्षा दी गयी, प्रशिक्षण दिया गया कृत्रिम गर्भाधान के सम्बन्ध में और पशुओं के रखरखाव के सम्बन्ध में, उसके भी अच्छे परिणाम आये हैं।

श्री शांतीकुमार धारीवाल : आप खुद भी समझ गये न इसको।

श्री रामप्रताप कासनियां : अभिभाषण में यह भी संकेत दिया है कि आने वाले बजट में शिक्षा के ऊपर और सबसे ज्यादा गरीब के ऊपर ध्यान दिया गया है। आज तक कांग्रेस सरकार ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया तो सिर्फ एक ही बात पर कि गरीबों को ऊंचा लेवो, गरीबों को ऊंचा उठाओ। जमीन अलाटमेण्ट हुई, ऊंचे-ऊंचे टीबे थे, वह हरिजनों को अलाटमेण्ट हुई कांग्रेस के वक्त में। आपने उनको ऊंचा तो खूब ही लिया है, मगर वहां से वह गिर जाय तो हड्डी-पसली टूट सकती है, वहां न कोई पशु हल जोत सकता है, न ट्रेक्टर जोत सकता है, इस तरह की जमीन कांग्रेस के शासन में गरीबों को मिली है। माननीय शेखावत साहब ने गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए पहली कक्षा से लेकर पांचवीं कक्षा तक मुफ्त में किताबें उपलब्ध करवाने की जो बात कही है इससे बड़ा गरीबों का और कोई उत्थान हो नहीं सकता। इसके अलावा पंचायतों में आरक्षण दिया है वह भी कोई आपसे छिपी हुई बात नहीं है। आपकी सरकार ने केन्द्र में नकल की है इसकी। फिर नकल कहूंगा तो फिर आप बोलोगे कि नकल का कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय शेखावत साहब ने गरीबों का उत्थान करने के लिए इतना प्रयास किया है, इससे ज्यादा और कोई हो नहीं सकता। इसके अलावा एक मैं मेरे क्षेत्र की बात कहूंगा।

मेरे पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में कालीबंगा एक गांव है जिसके अन्दर पुरातत्व विभाग ने खुदाई की। उसमें बहुत ही पुराने अवशेष मिले हैं। उन अवशेषों को दूसरे संग्रहालयों में स्थापित कर दिया। वहां पर एक संग्रहालय भी बना हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि कालीबंगा एक ऐतिहासिक स्थान है। वहां पर देश-विदेश से ट्यूरिस्ट भी आते हैं परन्तु वहां उनके ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है, रोड की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी अवशेष हैं वह इस संग्रहालय में रखे जायें और राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से ट्यूरिस्ट्स के रुकने के लिए यहां होटल बनाये जायें और माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा, वह यह प्रयास करें कि यहां से छह किलोमीटर दूर पीलीबंगा शहर है, इसका सौन्दर्यीकरण अगर केन्द्र सरकार अपने स्तर पर करें तो गंगानगर जिला भी राजस्थान के पर्यटन के नक्शे में शामिल हो सकता है।

श्री सभापति : अब समाप्त करें, टाइम हो गया।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री रामप्रताप कासनियां : अभी तो साहब, सारा पोथा ही रह गया।

श्री सभापति : बहुत अवसर मिलेगा आपको। श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति जी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन को 31 दिसम्बर को सम्बोधित किया। सदन ने धन्यवाद ज्ञापन किया। वह अधिवेशन सन् 1993 का का आखिरी अधिवेशन था और सन् 1994 का प्रथम अधिवेशन था। राज्य सरकार ने चाहा एक महीने, डेढ़ महीने के बाद में पुनः राज्यपाल महोदय को आमन्त्रित किया जाये सदन को सम्बोधित करने के लिए और 23 फरवरी को उन्होंने सदन को सम्बोधित किया। वैसे हर नये साल में चाहे पार्लियामेंट का अधिवेशन हो, विधान सभा का अधिवेशन हो, राष्ट्रपति या महामहिम राज्यपाल सम्बोधित करते हैं लेकिन यहां अजीब परिस्थितियां हुई। उस सम्बोधन को हम इस अधिवेशन का सम्बोधन मान सकते थे, 93-94 का मान सकते थे और राज्यपाल महोदय को दुबारा बुलाया और हमें दुबारा धन्यवाद उनको देना है। सदन धन्यवाद देगा लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी को जरूर बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने वह कर दिखाया जो आम तौर से होता नहीं है। राज्यपालों के अभिभाषण हमने सुने, राष्ट्रपतियों के अभिभाषण भी

(14.47)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

हमने सुने। जहां भी वह सरकार का सम्बोधन करते हैं, हमेशा मेरी सरकार कहकर चलते हैं चाहे केन्द्र में राष्ट्रपति कहें, चाहे प्रान्त में गवर्नर साहब कहें। यहां माननीय भैरोंसिंहजी ने सरकार भी नहीं छोड़ी, अपने आप को, श्री भैरोंसिंहजी को बार-बार सम्बोधित गवर्नर साहब से करवाया इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। सभापतिजी, मैं दो-तीन अंश उद्धृत करना चाहूंगा पहले के भाषण से भी और आज के भाषण से भी। गवर्नर साहब से कहलवाया गया– "4 मार्च, 1990 को श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के नेतृत्व मे गठित सरकार ने वित्तीय अनुशासन स्थापित किया, अपव्यय को रोका और राजस्व में होने वाली चोरी पर अंकुश लगाया।" माननीय सभापतिजी, आज हम 1994 में बात कर रहे हैं और 1994 में 1990 की सरकार का वर्णन हम करते हैं. सरकार का नहीं, माननीय भैरोंसिंहजी का करते हैं। आगे एक स्थान पर और कहलवाया गया है–"जोधपुर जलोत्थान योजना को पूर्ण करवाने के लिए श्री शेखावत की पूर्व सरकार ने.... '। माननीय सभापतिजी, शेखावत साहब हमारे मुख्य मंत्री हैं, श्रद्धेय हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इस प्रकार के सम्बोधन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आना हमने पहले कभी नहीं देखा। राज्यपाल महोदय के इस भाषण के

(श्री शिवनाथ सिंह)

छपने में और शायद केबिनेट के दबाव से उस समय 31 दिसम्बर का जो अभिभाषण है उसमें एक स्थान पर गलती से एक शब्द लिखा गया और राज्यपाल महोदय ने कह दिया–"मेरी सरकार यह भी प्रयत्न करेगी" और यही एक सेण्टेन्स है जिसके कारण राज्यपाल महोदय को दुबारा अभिभाषण देना पड़ा और इसमें कहीं भी राज्यपाल महोदय की तरफ से यह सम्बोधित नहीं हुआ है कि मेरी सरकार। इसमें भी बार-बार यह कहा गया है कि भैरोंसिंहजी की सरकार, भैरोंसिंहजी की सरकार। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस सब कार्यवाही के लिए भैरोंसिंहजी को मैं बार-बार बधाई देता हूं।

माननीय सभापतिजी, इस अभिभाषण में और अभिभाषण के बाद में इस वाद-विवाद में डंकल का नाम बहुत आया है। मैं यहीं से शुरूआत करना चाहूंगा, जब हम डंकल प्रस्ताव की बात करते हैं, डंकल का नाम लेते हैं, तो हमें गैट को नहीं भूलना चाहिए। डंकल एक व्यक्ति है लेकिन वह सब जो कर रहा था, उसने जो प्रस्ताव दिये, गैट के सम्बन्ध में दिये और यह गैट एक ऐसी संस्था है, जो अन्तराष्ट्रीय जगत में बहुत बड़ी संस्था है, 117 देश उसके सदस्य हैं। मुख्य मन्त्रीजी से मैं चाहूंगा, राजस्थान की सरकार से मैं चाहूंगा कि वह यह स्पष्ट कहें, भारत गैट का सदस्य रहे या नहीं रहे, डंकल प्रस्ताव बाद में आते हैं और गैट की जो सदस्यता है, वह सबसे पहली है। आज हम यह देखते हैं, चीन भी इस बात के लिए तरस रहा है कि गैट की सदस्यता उसे मिले। आज इस प्रकार से संसार में व्यवस्था है और जिस प्रकार से तेजी से संसार के देशों का व्यापार बढ़ रहा है, अन्य परिस्थितियां बदल रही हैं, क्या हम यह कहेंगे कि भारत इस बदलते हुए संसार में अकेला रहे, हमारा किसी दूसरे देश से सम्बन्ध नहीं रहे और यदि हम सम्बन्ध रखना चाहते हैं व्यापार के मामले में और दूसरे मामले में तो हमें गैट का सम्बन्ध रखना पड़ेगा, अगर गैट का सम्बन्ध हमें रखना पड़ेगा, उसके बाद हम लेंगे तो माननीय सभापतिजी पीड़ा भी हमको भुगतना पड़ेगी। एक महिला एक माता, जो पुत्रवती कहलवाना चाहती है, पुत्र प्राप्ति चाहती है तो उसको प्रसव पीड़ा में से होकर गुजरना ही पड़ेगा, यह नहीं हो सकता कि प्रसव पीड़ा तो अलग रह जाये, कोई दूसरा भुगत ले और माता वह कहलाये। इसलिए गैट के जो नियम हैं, अनुशासन है, उनको भारत को मानना पड़ेगा और क्या मुख्य मंत्रीजी यह बतला सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध कर रही है, क्या वह यह बतला सकते हैं या हमें आश्वस्त कर सकते हैं कि गैट के नियमों का पालन किये बिना हम गैट के सदस्य रह सकते हैं? इस सम्बन्ध में सभापतिजी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गैट में जो सदस्यता हमको मिली है, भारत को गर्व है और उससे हमारे व्यापार में वृद्धि होगी। हमारे दूसरे कामों में वृद्धि होगी और उसके हिसाब से जो किसान का यह नाम लिया जाता है, किसानों के लिये हब्बा होवा खड़ा किया जाता है, हालांकि किसान इस बहकावे में नहीं आ रहा है, वह समझता है, इस बात को पूरी तरह से कि डंकल प्रस्ताव में जो व्यवस्था है, उससे

(श्री शिवनाथ सिंह)

भारत के किसान को नुकसान कम है और फायदा अधिक है। सबसे बड़ा डर दिखाया जाता है, सब्सिडी का। सभापतिजी, आप खुद जानते हैं, सदन के माननीय सदस्य जानते हैं दस प्रतिशत सब्सिडी का वहां प्रावधान है। हमारे देश में तीन प्रतिशत और ढ़ाई प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। 10 प्रतिशत तक पहुंचने में हमको कई साल लगेंगे, तब तक भारत का किसान इतना मजबूत हो जायेगा कि डंकल प्रस्ताव जिसको आज हम डरावना मान रहे हैं, उससे भारत के किसान को कोई पीड़ा नहीं होगी। माननीय सभापतिजी, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसान को इन प्रस्तावों के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय जगत में प्रवेश का अवसर मिलेगा, हमारी पैदावार, किसान की पैदावार अन्तरराष्ट्रीय बाजार में जायेगी और किसान को पैदावार का अच्छा पैसा मिलेगा। इसलिए मैं और विषयों पर आना चाहूंगा उससे पहले इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस डंकल का होवा खड़ा मत करें और खड़ा करें तो यह स्पष्ट कहो कि गेट की सदस्यता से भारत को अलग हो जाना चाहिए, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती।

माननीय सभापतिजी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार ने बहुत से सुझाव रखे हैं, बातें रखी हैं। समय की कमी के कारण मैं दो-तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय ने एक जगह कहा है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण, स्वच्छ प्रशासन व्यवस्था में सहायक होगा। सरकार ने राज्य अन्वेषण ब्यूरो का सुदृढ़ीकरण किया है, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए लागू किये गये उपायों को और प्रभावी बनाया जायेगा। सभापतिजी, दोनों बातें मेल नहीं खाती हैं। भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हो तो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी अखबारों में बहुत चर्चा आयी है और अब तो हाईकोर्ट तक लोगों को जाना पड़ा है रिट पेश करने के लिए। जिन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच का कार्य पूरा हो चुका है और सरकार उनके खिलाफ चालान पेश करने के लिए इजाजत नहीं दे रही है और एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं 122 मामले ऐसे हैं। जो सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को प्रोटेक्शन दे रही है, उनके खिलाफ चालान पेश नहीं करने देना चाहती है और राज्यपाल महोदय कहते हैं हम भ्रष्टाचार को, मेरी सरकार भ्रष्टाचार को मिटायेगी। माननीय सभापतिजी, इस विरोधाभास में मेरी तो समझ में नहीं आता कि प्रश्न क्या हो सकता है? आज जगह-जगह भ्रष्टाचार की आवाज है और हमारी वर्तमान सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को प्रोटेक्शन दे रही है, इससे बड़ा सबूत और कोई हो नहीं सकता। संवेदनशील सरकार का भी कहा गया। अभी जगह-जगह पीड़ाएं हो रही हैं, लोगों के गुप्तांग काटे जा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मान्यवर, एक घन्टे से अधिक का समय दिया है, मैं अपने समय में ही बोल डालूंगा।

श्री सभापति : तीन बजे स्टेटमेण्ट होगा, उससे पहले समाप्त करना है।

श्री शिवनाथ सिंह हां करूंगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह संवेदनशील सरकार नहीं है, यह तो प्रताड़ित सरकार कर रही है और इन कारनामों में गरीब आदमी पिस रहा है।

माननीय सभापतिजी, सड़कों के बारे में कहा, अकाल के बारे में कहा, पानी के बारे में कहा, आर. एस. ई. बी. के मंत्री महोदय गये थे और उन्होंने घोषणा की कि इस मार्च के अन्त तक, हम सभी पेयजल टंकियों को कनेक्शन दे देंगे, उनका विद्युतीकरण कर देंगे। मार्च तो आ गया। इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि हम इस अकाल के समय में 250 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। सभापतिजी, पच्चीस करोड़ भी खर्च कर दें, गनीमत होगी। माननीय शिक्षा मंत्री गये और उन्होंने कहा, 500 लड़कियां जिस कॉलेज में होंगी, उनके लिए हम अलग से महिला कॉलेज बना देंगे, लेकिन यह सब बातें गवर्नर साहब के एड्रेस में लिखने की उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की, क्यों? क्योंकि गवर्नर साहब के एड्रेस में लेने के बाद पकड़ में आ जाते हैं, यह घोषणाएं बाहर करते रहते हैं और उनके ऊपर पाबन्दी नहीं होती। मैं, माननीय सभापतिजी, निवेदन करना चाहूंगा, यह जो डाकूमेंट गवर्नर साहब के एड्रेस का है, उसमें कोई भी दिशा हमको नहीं मिलती है, किसी भी एक बात पर जमकर कहते नहीं कि हम राजस्थान की जनता के लिए यह करना चाहते हैं। सब बातों का विवरण दे दिया और उसका सोल्यूशन कहीं आ नहीं रहा है, यहीं हाल बिजली का है। आज प्रान्त में बहुत से स्थानों में अकाल है। अकाल के काम नहीं खुले हैं और सरकार कहती है कि हम ढाई करोड़ रुपये खर्च करेंगे। सरकार यह कहती है हम बिजली के सब कनेक्शन दे देंगे, सम्भव नहीं है और टंकियों की हम व्यवस्था कर देंगे यह भी सम्भव नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस सरकार को हम घोषणा सरकार तो कह सकते हैं, घोषणा सरकार है, चाहे जितनी घोषणा कर सकती हैं, उनकी क्रियान्विति करने का न तो सरकार का मन है और न सरकार की क्षमता है और इन परिस्थितियों में इस प्रान्त का क्या हाल होगा, माननीय सभापति जी यह चिन्ता का विषय है और हम सबको यह चिन्ता होनी चाहिए। हम सरकार को....

श्री कालीचरण सराफ : स्टेटमेण्ट है, तीन बजे स्टेटमेण्ट है।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहूंगा कि....

एक माननीय सदस्य : उसके बाद टाइम....

श्री सभापति : मैं उनसे कह चुका हूं, वह समाप्त कर रहे हैं, आपको क्या आवश्यकता पड़ रही है बोलने की?

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं-नहीं, आवश्यकता तो मुझे है बोलने की।

श्री सभापति : मेरा नम्र निवेदन है कि 15 मिनट हो गये आपको। 15 मिनट के बाद समय देंगे तो बाकी लोग बोलने वाले रह जायेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : कोई नहीं रहेगा, सभापतिजी हम अपने समय में ही रहेंगे, कोई नहीं रहेगा इसलिए स्टेटमेण्ट के बाद आप मुझे समय दे दीजिये।

श्री सभापति : आप समाप्त करें, आप अन्त में करके समाप्त कीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : ठीक है साहब, आपका आदेश मान कर मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री सभापति : धन्यवाद-धन्यवाद, आपकी सद्भावना के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवनाथ सिंह : इस घोषणा करने वाली सरकार को हम कितना समर्थन दें। घोषणाओं में यह लिप्त हैं, घोषणाएं करते रहते हैं और क्रियान्विति इनके वश की नहीं है। इसलिए गवर्नर साहब को बीच में लाकर के बिना मतलब फंसा दिया, इन्होंने। हम गवर्नर साहब के तो आभारी हैं, वह दो दफे हमारे यहां आये, लेकिन इस सरकार के जो काम हैं, वह हमें मजबूर करते हैं, हमें बाध्य करते हैं कि जो अभिभाषण उन्होंने दिया है, उसका विरोध किया जाये, धन्यवाद प्रस्ताव का हम समर्थन नहीं कर सकते। भैरोंसिंहजी को मैं फिर बधाई देता हूं कि अपना नाम उन्होंने कई जगह लिखवा लिया है।

(15.00)

शासकीय वक्तव्य

जयपुर का गुलशन माखीजा हत्याकांड

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : सभापति महोदय, आपकी सम्मति से वाकयात मुकदमा इस प्रकार है कि दिनांक 23-2-94 को श्री राकेश माखीजा पुत्र श्री ज्ञानसिंह माखीजा, जाति पंजाबी, उम्र 40 साल, निवासी एफ-166, रामपथ, श्यामनगर, थाना सोडाला, जयपुर ने 9 बजकर 50 मिनट पर हाजिर थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस मजमून की पेश की कि आज रात के करीब सवा नौ बजे की बात है कि मैं अपने घर था कि मेरी भाभी का टेलीफोन मेरे पास आया कि अभी गुलशन जो मेरा छोटा भाई है, वह माइकल के साथ अपनी दुकान स्टार आफ इण्डिया से घर आ रहा था, जो कि दोनों ही जिप्सी में आ रहे थे, जब जिप्सी जनपथ रोड श्यामनगर में बंसल अस्पताल के पास पहुंची तो एक मोटर साइकल पर दो व्यक्ति पीछे से आये जिन्होंने जिप्सी के आगे मोटर साइकल लगाकर जिप्सी को रोक दिया, जिन्होंने अपना मुंह कपड़े से ढक रखा था और फिर दोनों मोटर साइकल से उतरकर जिप्सी के पास आये और उनमें से एक ने जिप्सी में बैठे माइकल को पकड़ कर नीचे उतार दिया और डरा कर भगा दिया, दूसरे ने ड्राइवर सीट पर बैठे गुलशन को पिस्तौल दिखा कर ड्राइवर सीट से हटा कर साइड सीट पर बैठा दिया और खुद जिप्सी की ड्राइवर सीट पर बैठकर जिप्सी को वापस मोड़ कर ले गया, दूसरा आदमी मोटर साइकल लेकर जिप्सी के पीछे चला गया, यह बात माइकल ने भागकर घर आकर बताई है। मेरी भाभी से टेलीफोन पर बात सुनकर मैं तुरन्त गुलशन के घर पहुंचा। वहां पर माइकल व मेरी भाभी मिली। माइकल ने पूछने पर उपरोक्त बात बताई।

(श्री कैलाश मेघवाल)

मेरे भाई का किसी ने अपहरण किया है है और मेरे भाई की जिप्सी भी साथ ले गया है। जिप्सी बिल्कुल नयी है जिसके नम्बर नहीं मिले हुए हैं, न मुझे ध्यान है। मेरा भाई दुकान से जब आता है तो अपना सामान भी साथ दुकान का लाता है। आज क्या सामान था, मेरे को ध्यान नहीं। मैं रिपोर्ट करता हूं, कार्यवाही करें।

यह एफ. आई. आर. मैंने आपके सामने पढ़ी है। उपरोक्त रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 104/94 धारा 365, 379 ता. हि. में दर्ज कर तफ्तीश श्री हिम्मतसिंह, पी. आई. एस एच. ओ., सोड़ाला द्वारा शुरू की गयी। घटना की सूचना प्राप्त होते ही जयपुर शहर व आसपास के क्षेत्रों में नाकाबन्दी की गयी एवं जिप्सी व मोटर साइकल व मुलजिमान की तलाश शुरू की गयी। घटना की इत्तला मिलते ही उप महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर व पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर व अन्य अधिकारीगण ने भी मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की। गुलशन के साथ बैठे माइकल, जर्मन नागरिक से बातचीत कर मुलजिम का हुलिया व गुलशन की गाड़ी का विवरण प्राप्त कर शहर के समस्त थानेदार व वृत्ताधिकारियों को हिदायत के साथ मैसेज किये गये कि तुरन्त जयपुर शहर में, अपने शहर में सफेद जिप्सी, जिसके नम्बर नहीं हैं, नयी गाड़ी है व जिसमें मुलजिम द्वारा गुलशन को भगाया गया है, की तलाश की जाये। राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों व निकटवर्ती जिलों की नाकेबन्दी की गयी व शहर में भी जिप्सी, मोटर साइकल व अभियुक्तों की सघन तलाश की गयी लेकिन अथक प्रयास के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं हुई।

दिनांक 24-2-94 की सुबह थाना सोड़ाला के दयाल नगर के निवासियों द्वारा सूचित किया गया कि राजस्थान नर्सिंग भवन, गोपालपुरा बाईपास के अन्दर की तरफ जाने वाली सड़क पर आगे चलकर उक्त जिप्सी मय गुलशन की लाश के मिली। इस सूचना पर तुरन्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर, उप महानिरीक्षक, पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर व अन्य अधिकारीगण घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल के निरीक्षण के लिए निदेशक. एफ. एस. एल. व बैलेस्टिक एक्सपर्ट व फिंगर प्रिंट व फोटोग्राफी टीम को मौके पर बुलाकर कार्यवाही की गयी। डाग स्क्वायड द्वारा खोज लेने के प्रयत्न किये गये। परन्तु गोपालपुरा मुख्य सड़क से खोजी कुत्ते आगे नहीं बढ़े। जिप्सी पर फिंगर प्रिंट टीम द्वारा चांस प्रिंट का प्रयास कर कुछ चांस प्रिंट प्राप्त हुए उनको जरिये फोटो ग्राफी लिये गये। गाड़ी में रखे गुलशन के जेवरात के विभिन्न थैलों को चैक किया गया तो कुल मिलाकर चांदी के आभूषण वजन में 43 किलो 49 ग्राम करीब मिले।

इसके अलावा गुलशन की लाश को उलट पुलट कर देखा गया तो तीन हजार सत्ताईस रुपए जेब से, हाथ की घड़ी, दाहिने हाथ में सोने का कड़ा, चैन व गले से दो पैंडुलम, तीन अंगूठी सोने की व बायें हाथ में दो अंगूठी चांदी की पहने हुए पायी गयी। लाश का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मृतक के दाहिने कान में गोली

(श्री कैलाश मेघवाल)

लगने से उसकी मृत्यु होना पाया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए एस. एम. एस. हास्पिटल रवाना किया गया। मृतक के भाई राकेश व गुलशन के स्टार आफ इण्डिया ज्वैलर्स एम्पोरियम की दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति व जिप्सी में साथ बैठे माइकल से कोई सन्देह होने के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट लेकर जांच की जा रही है।

मुकदमे की गम्भीरता को देखते हुए मुकदमे का अनुसंधान अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित विशेष दल द्वारा किया जा रहा है एवं महानिदेशक महोदय व महानिरीक्षक, पुलिस कानून व व्यवस्था ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिये हैं।

प्रकरण के समस्त पहलुओं का अनुसंधान गहनता से वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): सभापति महोदय, यह मामला मैंने उठाया था....

श्री कैलाश मेघवाल: सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, प्रक्रिया नियमों के नियम 290 का अध्ययन कर लिया जाये। मुझे कोई एतराज नहीं होगा कि मैं किसी भी सवाल से बचूं। लेकिन इसमें सवाल पूछने का प्रावधान भी नहीं है और परसों का वाकया जिस स्तर पर आया है, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण सवाल के माध्यम से मुझे जो सुझाव देंगे उस पर मैं कार्यवाही करूंगा। इस पर पूरी बहस की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

श्री सभापति: नहीं, बहस नहीं होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के इस कथन से विमत रखता हूं सदन में जब इतना महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने और कालीचरणजी ने लिखा दिया, किसी भी नियम के अन्तर्गत माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया हो, यह सदन इस बात को गम्भीरता से ले रहा है कि जयपुर में इस तरह की घटना हो जाये और माननीय मंत्री महोदय यह कहकर टालना चाहें कि हम केवल प्रश्न पूछ लें। इस पर बहस होगी सदन में। सबसे बड़ा मसला आज राजस्थान में जयपुर के सामने है, बहुत चिन्ताजनक बात है और इसको इतना लाइटली नहीं निपटाया जा सकता।

श्री सभापति: क्षमा करें, आप कोई स्पष्टीकरण मांगेंगे, स्पष्टीकरण दे देंगे माननीय मंत्री महोदय। परन्तु बहसका प्रावधान नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: स्पष्टीकरण देना पड़ेगा।

श्री सभापति: दे देंगे स्पष्टीकरण, पर बहस नहीं होनी चाहिए। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा: स्पष्टीकरण दिलवाया जाना चाहिए। हत्या हुई है.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय कालीचरण जी। विराजिये-विराजिये, कालीचरण जी बोल रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, राजस्थान की राजधानी जयपुर शांतिप्रिय शहर होने के मामले में विख्यात है। यहां पर रात्रि को नौ बजे इतनी बड़ी घटना हो गयी, अपहरण हो गया और उसके बाद उसकी लाश सुबह मिली। पुलिस ने जो कहानी बना करके दी वह माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर पढ़ दी। यह सारी बात तो अखबार में ही आ गयी। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह अपहरण रात्रि को नौ बजे हुआ। यानि नौ बजे इस प्रकार से अपहरण होना यदि प्रारम्भ हो गया जयपुर शहर में तो यहां के नागरिक किस प्रकार से सुरक्षित रहेंगे, इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? घटना हुये दो दिन हो गये, आज तक एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया।

बयान में कहा गया कि हमने पूरे जयपुर शहर की नाकेबंदी कर दी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नाकेबन्दी कर दी और जो लाश मिली है वह अपहरण जहां पर हुआ उससे एक किलोमीटर की दूरी पर मिली, है। जिस इलाके में यह अपहरण की घटना हुई उसी इलाके में यह अपराध हुआ, उसकी हत्या की गयी और यह पूरे शहर की नाकेबन्दी कर रहे हैं। तो उसके पीछे आपका क्या सोच रहा कि पूरे शहर की तो नाकेबन्दी कर दी और जिस इलाके में घटना हुई वहां कोई नाकेबन्दी नहीं की गयी। दूसरा, 9.15 पर यह अपहरण की घटना हुई और पुलिस इस मामले में कितने बजे सक्रिय हुई उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय बतायें। तीसरा, जब मृतक का भाई थाने गया रिपोर्ट लिखाने के लिए तो उसको कितनी देर तक थाने में बैठाये रखा? मेरी यह सूचना है कि चार घण्टे तक उसको थाने में बैठाकर रखा गया और उससे पूछताछ करते रहे। फील्ड में कोई नहीं गया और वहां ही उससे पूछ-ताछ करते रहे कि कैसे अपहरण हो गया और क्यों हो गया मतलब चार घण्टे तक पूछताछ करते रहे मगर वहां इलाके में कोई नहीं गया। चौथा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पुलिस ने दो दिन अनुसंधान किया होगा तो यह कोई डकैत का मामला लगता है या आपसी रंजिश का मामला लगता है, क्या मामला है? इन चारों-पांचों बातों के मामले में माननीय मन्त्रीजी बतायें।

श्री सभापति : श्री विष्णुजी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि कौन-कौन अधिकारी इस 9 बजकर 15 मिनट की रिपोर्ट के बाद वहां पहुंचे और किस तरह से नाकेबन्दी की गयी और क्या सर्वायलेंस थी कि वहां पर एक किलोमीटर पर जिप्सी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि सुबह वहां के नागरिकों के फोन करने पर बताया, मतलब उनके खुद के बयान से यह है कि पुलिस को जानकारी नहीं मिली है तो कौन-कौन अधिकारी उस वक्त वहां थाने पर पहुंचे और किस वक्त, पहुंचे और किस-किस की क्या जिम्मेदारी थी और क्या सर्वायलेंस की गयी? उसकी जानकारी चाहूंगा।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : अभी तक आपकी रिपोर्ट में यह कहीं भी नहीं आया कि मृत्यु किस वजह से हुई है। यह बहुत अहम् मसला है। यह अगर आपको जानकारी होती तो आप स्वयं जवाबदारी किसी न किसी अधिकारी की लगा देते। वह आप अभी बता दें कि किस समय हुई। तो फिर हम आपसे दूसरा सवाल पूछें।

श्री सभापति : प्रश्नों का प्रावधान 290 में बिलकुल नहीं है। माननीय मंत्रीजी चाहें फिर बता दें अन्यथा मैं आगे का नाम बता दूं।....(व्यवधान) No question shall be asked at the time of the Statement or afterwards. माननीय मंत्रीजी, कुछ बताना चाहेंगे? आर्डर प्लीज। बिराजिये। मैंने आपको नियमों का प्रावधान बताया है जो पढ़ लीजिए आप। (व्यवधान) बोलिये, बोलिये। क्या पूछना चाहते हैं? ... (व्यवधान) एक-एक करके बोलिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से जानकारी हासिल करना चाहता हूं, अभी तक अनुसंधान के मुताबिक यह हत्या का, चोरी का मामला प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सामान वहीं का वहीं जिप्सी में मौजूद मिला। तो क्या प्रोफेशनल एनिमिटी का मामला था? अभी तक पुलिस का अनुसंधान है वह इन दो विकल्पों में किस दिशा में अपना अनुसंधान जारी किये हुए हैं? साथ ही आपका यह कहना कि उसी समय तत्काल पुलिस को सूचित कर दिया जाता और नुमाइशी तौर पर जो आपने बताया कि फिंगर प्रिन्ट लिए और यह भी बताया कि जगह-जगह पर हमने ब्लाकेड कर दिया नाकेबन्दी कर दी, यह तो उन चोरियों में, उन प्रकरणों में होता है जिनमें जाप्ता दिखाना होता है। वास्तव में यदि आपने नाकेबन्दी की होती तो वे कौनसे कारण थे कि गोपालपुरा के रोड पर जिप्सी और लाश रात को गश्ती दल को नहीं मिली होती? अगर इन्होंने वास्तव में ही घेराबन्दी की होती और पूरे जयपुर शहर में जगह-जगह पैट्रोलिंग की होती तो निश्चित तौर पर रात को ही लाश और जिप्सी मिल गयी होती और जो भी असली अपराधी थे वे भग नहीं जाते बल्कि समय पर पकड़े जाते। तो आपका कहना तो अन्तर विरोधी है।

इसके साथ ही मैं एक जानकारी और भी हासिल करना चाहता हूं और वह यह है कि लाश और जिप्सी मिली, क्या अभी तक कोई ऐसा भी सुराग मिला कि कोई प्रोफेशनल एनिमिटी थी? उसका कोई क्लू मिला है? क्योंकि कोई भी अनुसंधान होता है तो क्लू पर डिपेण्ड करता है। पुलिस आज किस क्लू पर आगे बढ़ रही है जिससे कि इस सरकार को संवेदनशील सरकार कहा जा सके और जड़ सरकार नहीं कहा जा सके? धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : इनको इस हादसे की सूचना कब मिली? यह सारा का सारा काण्ड हुआ उसके बाद मिली या इसके पूर्व में मिल गयी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से दो-तीन जानकारी करना चाहूंगा क्योंकि मैं भी उसी मोहल्ले में रह रहा हूं और इन सारी घटनाओं की मुझे जानकारी भी है। एक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तो, रिपोर्ट पुलिस ने कितने बजे दर्ज की ? नौ बजे जब थाने में पहुंच गये उसके बाद में जैसा मंत्रीजी ने कहा कि 9 50 पर रिपोर्ट दर्ज की, 50 मिनट रिपोर्ट दर्ज करने में देर क्यों लगी ? मुझे पता है कि नौ बजे पुलिस थाने में सूचना पहुंच गयी। साढ़े आठ बजे दुकान बन्द की, जिप्सी से खासाकोठी से वहां पहुंचे, घटना हुई, जहां घटना हुई उसके बीस कदम दूरी पर उसका मकान है, हाथ की हाथ वहां से तुरन्त उसके भाई 9 बजे पुलिस थाने में पहुंच गये। 9 50 पर रिपोर्ट दर्ज हुई। 9.50 पर रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् जिन-जिन अधिकारियों को सूचित किया गया वे वहां पहुंच गये। आपने कहा, बहुत मुस्तैदी से पहुंच गये। मैं ग्यारह बजे से जनपथ पर पैदल घूम रहा था, मुझे वहां पुलिस की कोई गश्ती गाड़ी दिखायी नहीं दी जहां पर यह घटना हुई। मैं खुद इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, कोई पुलिस गाड़ी नहीं थी और वहां से बिल्कुल एक किलोमीटर की दूरी पर उसको मार दिया गया और जिप्सी पड़ी है।

एक मेरा सवाल यह है, लाश को देखने के बाद, मृत्यु कितने बजे हुई, डाक्टरों ने क्या बताया और पुलिस जब वहां रास्ता रोक रही है नेशनल हाईवेज पर तो अन्दर नहीं थी कालोनी में ? गोपालपुरा बाईपास से रोड जाती है उस रोड की साइड पर जिप्सी खड़ी थी। घर में नहीं खड़ी थी, कहीं बाहर नहीं गयी थी। तो जब लोगों ने कहा कि जिप्सी को लेकर इधर भग गये हैं तो पुलिस ने उस साइड पर जाकर उनका पीछा क्यों नहीं किया ? अगर पुलिस गश्त करती तो उसी समय उनको पकड़ लेती। यह भी अखबार में आया है कि उसने बचने के लिए संघर्ष किया है, उसके हाथ पर निशान हैं। तो सारा काम किया, माननीय मुख्य मंत्री ने जैसा कहा था कि अधिकारियों का बोझा मंत्री अपने सिर पर न लें, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यदि इसमें कोई गलती है, लेकिन इस बात का निश्चित रूप से है कि सुबह भी जब आम जनता के लोगों ने कहा कि जिप्सी वहां खड़ी है, लाश उसमें पड़ी है तब पुलिस गयी है। वहां पर इसके पहले पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की, रात भर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। लाश वहां पर पड़ी रही, जिप्सी वहां पर पड़ी रही और थाने से तीन किलोमीटर दूर पड़ी रही, मैन रोड पर पड़ी रही। आप किस प्रकार से कह सकते हो कि पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया ? मेरा चार्ज है इस मामले में कि पुलिस ने मुस्तैदी से काम नहीं किया और सोडाला की और जयपुर की आपकी पुलिस इस मामले में पूर्णत: विफल रही है। उसको बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार की तुरन्त इंक्वायरी करवायी जाये और इस काम में डिले के लिए जो अफसर दोषी हैं उनको हर हालत में तुरन्त निलम्बित किया जाये और उनको जयपुर के बाहर भेज दिया जाना चाहिए, पहला काम यह किया जाना चाहिए। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि आपने वहां की तफतीश चेंज करा दी लेकिन इस तफतीश को आप किसी भी अधिकारी से करायें, एक टीम बनाकर करायें, उस टीम में इस प्रकार के एक्सपर्ट शामिल कर दें जो काम कर सकें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जयपुर में जिस प्रकार लगातार घटनाएं आजकल बढ़ती जा रही हैं चोरियों की, पिछले दो साल से जयपुर में जो अधिकारी लगातार रह रहे हैं या तो उनके भूमि माफिया से सम्बन्ध हैं या शराब माफिया से सम्बन्ध हैं, मैं यह मांग करूंगा कि इन सब लोगों का एक बार जयपुर से ट्रान्सफर कर देना चाहिए। इनकी ठेकेदारी नहीं है जयपुर की। मंत्री महोदय, इन सब बातों पर आप जवाब दे दें और रात से लेकर सुबह तक जो लाश पड़ी रही उसमें किस अधिकारी की रेस्पान्सिबिलिटी आप फिक्स करते हैं, वह बता दें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय खेतसिंह जी। खेतसिंह जी को बोलने दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापतिजी, वास्तव में यह बहुत ही गम्भीर मामला हुआ है। इसमें तो सारा सदन एक ही राय रख रहा है कि आखिर 50 मिनट तक उनकी एफ.आई.आर. ही दर्ज नहीं की गयी। यह कितना बड़ा लेकूना है? आप खुद ही सोचिये कि जिस आदमी को वहां से उड़ा करके ले गये, ले जाते ही 2, 3, 5, 7, 10 मिनट में उनके घरवाले वहां पहुंच गये और उसके बाद में 40 मिनट तक वे सुनते ही रहे और उनकी परवाह न करके कोई कार्यवाही नहीं की, उन 50 मिनट में उस बेचारे को मार दिया होगा, ऐसा ही लगता है। अगर मुस्तैदी से उसी वक्त में दौड़कर उनके घर के पास गये होते और उस जिप्सी का अगर पीछा किया होता, मेरी यह मान्यता है कि वह आदमी जिन्दा रह सकता था। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लापरवाही बरती गयी है और मैं घनश्यामजी से बिलकुल सहमत हूं कि आपकी पुलिस के यहां जो भी हैं उन्होंने ऊपर कार्यवाही ढंग से नहीं की और अगर यह मुस्तैदी रखते तो निश्चित तौर पर यह मर्डर हरगिज नहीं होता और उससे बचा जा सकता था। ऐसी कॉलोनीज हैं, जो पॉश कालोनीज हैं जिनमें ऐसा कभी होता ही नहीं है उन कालोनीज के अन्दर अगर इस प्रकार से मर्डर शुरू हो गये हैं तो फिर बाहरी जयपुर का तो हाल ही और बिगड़ जायेगा। आप चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो और किसी की सिफारिश हो, इस बार आप नये गृह मंत्री बने हैं, अपना थोड़ा-सा रुतबा दिखाइये और जो सही है वह सही कीजिये, और जिन्होंने इसमें लापरवाही की है, मुख्य मंत्रीजी ने बार-बार यह बात कही है और अखबारों में यह आया है कि मंत्री अपने कंधों पर ख्वाहमख्वाह का बोझ न लें, जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें निश्चित रूप से कुछ व्यक्तियों की लापरवाही रही है। गलती हो या न हो लेकिन लापरवाही निश्चित तौर पर रही है। एफ. आई. आर. दर्ज करने में रही है, उनका पीछा करने में रही है, उसको बरामद करने में रही है और ये सारी बातें जिन-जिन लोगों ने की हैं उनके खिलाफ आपको निश्चित तौर पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर आप लेंगे तो सारे पुलिस डिपार्टमेंट की एक चौकसी होगी और सारे शहरों के अन्दर आज जिस तरह से रात को चोरियां हो रही हैं उनमें भी कमी आयेगी। इस बारे में आप एक सख्त कदम उठाइये, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : शिवनाथसिंह जी बोल रहे हैं। बिराजिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : इस मामले में जिप्सी का जिक्र आया है, हो सकता है नम्बर उसमें नहीं हों लेकिन जिप्सियां फैक्ट्री में बनती हैं और जिस फैक्ट्री में बनी हैं उसका चेसिस नम्बर होता है, इन्जन नम्बर उसका होता है .. (व्यवधान)....

अनेक माननीय सदस्य : उसकी खुद की है।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इतना बड़ा हत्याकाण्ड राजस्थान की राजधानी में हुआ। पहले यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का हत्याकाण्ड हुआ था लेकिन आज तक पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी और इसमें भी यही हुआ है। स्पष्ट रूप से लापरवाही दिखती है। माननीय गृह मंत्रीजी के पास वहां से लोग सूचना लेकर गये थे कि इतना बड़ा अपराध हो गया है, अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। गृह मंत्रीजी, आपको कितने बजे इसका पता लगा ? क्या आप रात भर आराम से सोये थे ? इस बात को सुनने के बाद क्या आपने किसी अधिकारी को कुछ कहा है ? इस बारे में आपने क्या कार्यवाही की ? क्या आप मौका देखने गये ? जिस परिवार के साथ यह हादसा हुआ है क्या आप उसके घर पूछकर आये हो ? आपने उनके दुख-सुख के बारे में पूछा है ? माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा यह निवेदन है, माननीय गृह मंत्रीजी बतलायें कि आपने अब तक इसके बारे में क्या किया और इस मामले को गम्भीरता से लें। इस प्रकार के मामले हमारे विधायक नगर में भी हुए हैं। वहां भी कई चोरियों के मामले हुए हैं। कई जगह इस प्रकार के मामले होते चले आ रहे हैं। बड़े दुख की बात है, अब ऐसी जगहों पर भी हत्या काण्ड जैसे मामले होने लग गये तो फिर कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इस मामले को गम्भीरता से लें और आपने इसके बारे में क्या किया वह विवरण दें।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क) : माननीय सभापति महोदय, इस मामले में सर्वायलेंस जो भी हुआ, जो पैटर्न इन्होंने एडाप्ट किया, क्रिमनिल ट्रेप नहीं हो पाया होगा रात को लेकिन इसमें रेस्पांसिबिलिटी तो है। सुबह लाश भी मिली तो जनता ने टेलीफोन करके बताया। थाने के इलाके में रात को गश्त होती है, बीट्स में लोगों को भेजा जाता है, उसी थाने का वह इलाका था जहां लाश मिली, उस थाने की उस इलाके में गश्त कराने की जिम्मेदारी है। नार्मल कोर्स के अन्दर भी गश्त अगर उस इलाके में की गयी होती तो जिप्सी रात को ही मिल गयी होती लेकिन जिप्सी सुबह मिली। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इस सारी लापरवाही की जिम्मेदारी उस इलाके के इन्चार्ज की, उस इलाके के सी.ओ. की है। जिस थाने के इलाके में रात को ढंग से गश्त भी नहीं होती हो। उस नाकाबिल थाने के द्वारा उस इलाके की ढंग से नाकेबन्दी कर ली जायेगी और फिर उसको पकड़ लिया जायेगा, यह सोचना ही बड़ा मुश्किल है। रेस्पांसिबिलिटी इस बात की फिक्स करनी ही पड़ेगी कि थाने के

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

अन्दर लापरवाही से काम चल रहा था। इस बात से बचने की जरूरत नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैं उससे सहमत हूं और इसमें पूरा सदन एक राय रखता है। गृह मंत्री बनने के बाद माननीय कैलाशजी के सामने यह पहला वाकया ऐसा आया है, आज पूरे सदन के चिंतित होते हुए अगर थानाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी तो इसका मखौल बन कर रह जायेगा और आगे आने वाले समय में पुलिस बिलकुल चिंतित नहीं रहेगी और पुलिस के ऊपर एक छाप पड़ेगी कि हमें बचाने के लिए सत्ता पक्ष बैठा है, हम बैठे हैं, मर्जी आये जो करेंगे। लोगों के अपहरण होंगे, लोगों की हत्याएं होंगी, लोगों के साथ रोज अन्याय होंगे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि एक उदाहरण पेश कीजिये और पुलिस को दिखाइये कि पुलिसकर्मियों ने कहीं भी लापरवाही बरती, कहीं भी नेग्लीजेंस की तो उनको बख्शा नहीं जायेगा। मैं आपको दावे से कहता हूं कि आगे आने वाले समय में पुलिस मुस्तैद हो जायेगी और इस तरह दिन-ब-दिन होने वाली हत्याओं और डकैतियों में गिरावट आयेगी।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय सभापति महोदय, आश्चर्य तो इस बात का है कि जो रिपोर्ट यहां पढ़ी गयी वह केवल अखबार की नकल थी। यदि 24 घण्टे के बाद भी कोई जानकारी नहीं कर सके तो मैं समझता हूं शहर में, राजस्थान की राजधानी में इससे कमजोर बात और नहीं हो सकती। साथ ही इसमें चोरी का जो इल्जाम लगाया, जितने भी उसके पास सोने के या जो भी जेवर थे, यह भी अखबार में लिखा गया है जो यहां नहीं बताया गया। तो इस प्रकार की जो आदतन चोरी करने वाले हैं, जो वास्तव में उसके जेवर भी साथ ले गये हैं ऐसे अपराधी तो कम से कम पुलिस के ध्यान में रहते ही होंगे और वहां तक भी पुलिस की नजर नहीं गयी तो आश्चर्य की बात है। इस पर गम्भीरता से विचार करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, इस घटना के सम्बन्ध में जिस प्रकार की चिन्ता प्रकट की है, मैं भी उस चिन्ता में अपने आप को शामिल करता हूं। यह सही है कि राजधानी में इस प्रकार की घटना हो जाये उसके कारण स्वाभाविक रूप से सब को चिन्ता होगी। इस चिन्ता में दो पक्ष यहां रखे। एक तो यह जानकारी चाही गयी कि आज तक की अनुसंधान की कार्यवाही से किस प्रकार की जानकारी मिली है, क्या कोई व्यक्तिगत वैमनस्यता के कारण से इसकी हत्या हुई है या माल ले जाने के कारण से इसकी हत्या हुई है ? मैं ऐसा समझता हूं कि इस समय इस चैप्टर पर कोई फाइनली बात कहना मैं उपयुक्त नहीं समझता। दोनों दृष्टि से ही अनुसंधान किया जा रहा है कि इसमें प्रोपर्टी ले जाने का लक्ष्य था या व्यक्तिगत वैमनस्यता के कारण से यह हत्या हुई है। किसी एक बारे में कहना कि अमुक प्रकार का कारण हो सकता है, यह इस समय उचित नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के मामलों में हम बढ़-चढ़कर यह कह दें कि अमुक प्रकार का सुराग लगा है, अमुक प्रकार से अनुसंधान चल रहा है, तो इसके कारण से अनुसंधान में बाधा उपस्थित होगी, सही चीज के ऊपर हम नहीं पहुंच पायेंगे। इसलिए मैं सदन से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसंधान की कार्यवाही के सम्बन्ध में ज्यादा विवरण न तो मांगा जाये और न देना ही किसी प्रकार से उचित होगा।

दूसरा प्रश्न यह आया कि घटना की रिपोर्ट लिखने में देरी क्यों हुई? जो जानकारी है उसके आधार पर अपहरण की घटना 9.15 पर हुई है ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नौ बजे पहले घटना हुई है। ... (व्यवधान) ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिपोर्ट लिखी है वह 9.50 पर है। 9.50 पर थाना सोडाला पर इसकी सूचना दी गयी। एस. पी., डी.आई.जी. 10.30 बजे पहुंच गये। थाना सोडाला और उसके आस-पास पैट्रोलिंग के बारे में जो यह बात कही गयी कि सारी नाकाबंदी कर दी, नाकाबंदी में बाहर के रास्ते चाहे ट्रेन हो, चाहे बसें जाती हों, चाहे और प्रकार की सड़कें हों जहां से लोग जयपुर शहर से बाहर जा सकें वहां नाकाबंदी होती है। अब यह शहर में ही इस प्रकार की घटना हो गयी, इस मामले में मैं इतना जरूर समझता हूं, जैसा राजपाल सिंहजी ने कहा कि उस इलाके में पैट्रोलिंग हुई होगी, पैट्रोलिंग में बीट्स भी तय की जाती हैं, उस क्षेत्र में पुलिस वाले वहां क्यों नहीं पहुंच पाये? यदि इस पर किसी प्रकार का लैप्स हुआ है तो उसकी जानकारी करेंगे और जानकारी करने के बाद में जो दोषी पाये जायेंगे उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। जहां तक यह कहा गया....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सीधी दिख रही है, उसका तो निर्णय होना चाहिए। घटना ऐसी है, साहब....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है, निर्णय ऐसे ही नहीं होता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अपन ने कई बार कराई है....(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोल लूं उसके बाद बोलिये, दिक्कत क्या हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर पैट्रोलिंग में किसी प्रकार की गलती हुई है तो उसकी तुरन्त जानकारी करके जो दोषी हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। दोष करने के लिए सरकार नहीं बैठी या दोषियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार नहीं बैठी है। आज अगर मैं यह कहूं कि अमुक पैट्रोलिंग पर गया था जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसकी बीट्स थी आखिर हर बात की जांच करनी पड़ेगी और जांच करने में यह भी देखना पड़ेगा कि पैट्रोलिंग दूसरे इलाके में कर रहा था या इस इलाके में कर रहा था, ड्यूटी पर था या नहीं, ड्यूटी छोड़कर कहीं गया या नहीं गया। इन सब बातों की जानकारी करने के बाद में जिसको दण्ड दिया जा सकता है दिया जायेगा। लेकिन मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस मामले में हम किसी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी प्रकार से कोताही नहीं बरतेंगे और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिल जायेगी ।

जहां तक वातावरण की बात है, वातावरण तो मैं कह देऊं, अब हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली है, कौनसे दिन अखबार में समाचार नहीं आता कि आज चार आदमी का मर्डर हो गया, आज पांच का मर्डर हो गया....(व्यवधान) ... यह एक्सक्यूज नहीं है ।

श्री मोहनलाल मोदी : .. (व्यवधान)... दिल्ली में रोजाना इतने होते हैं, मुख्य मंत्रीजी, यह बात उचित नहीं है । मुख्य मंत्रीजी, आप....(व्यवधान)....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कह रहा हूं, कि वातावरण इस प्रकार का बन जाता है जिस वातावरण में क्राइम ज्यादा से ज्यादा देश में बढ़ रहा है । सारा वातावरण जो बना है, उस वातावरण में हम किस प्रकार से राजस्थान को सुरक्षित रख सकें, इसका पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । इसमें कहीं भी कोताही होगी तो उस कोताही को दूर करने की कोशिश की जायेगी । किसी अफसर, जो गलती करता है, को बचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है । जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, नाम नहीं बताना चाहता, उनकी सहायता इसमें ले रहे हैं कि किस प्रकार से इस मामले में हम सफलता प्राप्त कर सकें । उससे ज्यादा इस समय कहने की आवश्यकता नहीं है । आप भी विश्वास रखिये और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि कातिल का पता लग जाये ।

श्री सभापति : श्री शम्भूदयाल बड़गूजर ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : एक मिनट । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन इस बात पर एकमत है, एक राय है और न यहां किसी अफसर विशेष को क्रिटीसाइज करने या दण्ड दिलाने की मंशा है । लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जहां से यह जिप्सी का अपहरण हुआ, जहां से यह जिप्सी ले जायी गयी और जहां यह जिप्सी पायी गयी उसके बारे में सुबह तक पुलिस को जानकारी नहीं मिली तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस की नेग्लीजेंस रही है । अब किसकी रही है, जो लैप्स रहा है, आपने जो एक बात ठीक फरमायी है कि आज वातावरण इस तरह का हो गया है और उसमें हम राजस्थान को कैसे सुरक्षित रख सकें लेकिन, मान्यवर, जब वातावरण ऐसा हो गया है तब तो आवश्यकता इस बात की है कि कितनी मुस्तैदी हमारे थानों में रहे । सवाल इस बात का है कि वहां अपहरण की वारदात के बाद की सुबह जानकारी लगी जिसको आप साढ़े सात बजे बता रहे हैं कि एस पी और डी. आई. जी. साढ़े दस बजे थाने पर पहुंच जायें और उसके बाद में एक किलोमीटर पर जिप्सी में लाश पड़ी रहे तो इससे ज्यादा नेग्लीजेंस, मैं समझता हूं, नहीं हो सकती । मुश्किल से कोई कह पायेगा, साहब उच्च अधिकारी पहुंच गये और वहां

(श्री विष्णु मोदी)

पर यह सारा कुछ हुआ और जानकारी भी सुबह लोगों ने दी, आप स्वयं निर्णय कर लें। इस बात पर किसी अधिकारी को दण्डित कराने का लक्ष्य किसी भी माननीय सदस्य का नहीं है, लक्ष्य सिर्फ इतना है कि आप थानों में इस तरह का वातावरण पैदा कर दीजिये कि वह रेस्पांसिव हों और इस बात को गम्भीरता से लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जहां भी किसी अधिकारी और कर्मचारी का इसमें लेप्स होगा, वह बचेगा नहीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री शम्भूदयाल बड़गूजर।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बयान दिया है, स्पष्टीकरण दिया है, विश्लेषण किया है उसमें आपने एक बात कही है कि हम अब यह जांच करेंगे कि 'किसकी ड्यूटी थी और वो क्यों गैरहाजिर था, या कहीं और गया था या ड्यूटी और कहीं लग रही थी। इतने अरसे में, जब तीन बजे बयान दे रहे हैं तो यह रिकार्ड तो होता। आज के दिन कि उस रात किस अधिकारी, कर्मचारी की कहां पर ड्यूटी थी और वो कर्मचारी मौजूद था या नहीं था और गैरहाजिर था तो कहां गया था। यह तो आप इस वक्त जवाब दे सकते थे, मैं समझती हूं कि यह बहुत बड़ी इसमें फला है, अभी आपको देना चाहिए था और उसके खिलाफ अब तक एक्शन भी हो जाना चाहिए था जिसको उस वक्त ड्युटी पर तैनात होना था।....(व्यवधान)

श्री सभापति : वन बाई वन, प्लीज।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : वास्तव में जिसकी मौत हुई है, माखीजा की, उसके लिए जिस बीट इंचार्ज की नेग्लीजेंस रही है, आज इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी घोषणा करें कि उसको तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जायेगा। यह प्रभावी कदम होगा, यह संवेदनशील कदम होगा। क्योंकि पूरे जयपुर शहर के हर थाने के हर छोटे-छोटे वार्ड को बीट में डिवाइड कर दिया जाता है 365 दिन के लिए, जिस दिन कि हत्या हुई वह दिन कोई अपवाद का दिन नहीं था। इसलिए जिस बीट इंचार्ज की इस इलाके में ड्यूटी थी, जिसकी नेग्लीजेन्सी थी, जिसके बारे में कोई दो राय नहीं है। उसको तत्काल निलम्बित किया जाये।

श्री भंवर सिंह (नवलगढ़) : जिस तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं और बिना किसी जांच के किसी आदमी के विरुद्ध आरोप लगायें, यह सम्भव नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : मैं श्याम नगर में रहता हूं। कुछ देर हो गयी क्योंकि धनखड़ साहब के लड़के के उसमें था, वहां पर मैं रह गया, वहां जाना था इसलिए मेरे को देर हो गयी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि श्याम नगर के अन्दर वहीं पर मैं भी रहता हूं वहां पर हर महीने अगर आप मंगवा लें कितनी चोरियां हुई हैं दो साल के अन्दर, तो आपको पता लगेगा कि हर महीने कहीं न कहीं चोरी होती है। आप जानते हैं मुझे छोड़कर सब वी.आई.पीज. वहां पर रहते हैं। एक्स. चीफ मिनिस्टर अपने माथुर साहब भी वहीं पर रहते हैं। इनके होते हुए भी वहां पर

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है । पुलिस की रात में कोई गश्त नहीं होती है । वहां पर एक ऐसा गैंग काम कर रहा है कि जब भी कोई दो-चार दिन के लिए घर छोड़कर चला जाता है तो उनको पता रहता है और वहां पर चोरी हो जाती है । यह आप डिटेल्स मंगवा लें तो आपको पता लग जायेगा कि क्या होता आ रहा है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई और व्यवस्था भी श्याम नगर के लिए आप करने की कोशिश करें । हमारे पूर्व मुख्य मंत्री माथुर साहब भी वहां रहते हैं और हमारे खेतसिंहजी भी वहां बिराजते हैं और घनश्यामजी भी वहां रहते थे फिर भी कोई व्यवस्था नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूं ।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सभापति : श्री शम्भूदयाल बडगुजर ।

श्री शम्भूदयाल बडगूजर (केकड़ी) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री टीकमचन्दजी कान्त और माननीय सदस्य श्री मदान साहब ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं बोलना चाहता हूं और समर्थन व्यक्त करता हूं ।

भारतीय जनता पार्टी की माननीय श्री भैरोंसिहजी शेखावत के नेतृत्व में सरकार बनी और राजस्थान प्रदेश के चहुंमुखी विकास और बहबूदी के लिए, ने राजस्थान के गांव, गरीब किसान, मजदूर के हित में माननीय शेखावत साहब ने जो संकल्प लिया वह महत्वपूर्ण संकल्प माननीय राज्यपाल महोदय ने पढ़ा । यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि सन् 1977 से 80 और 90-93 तक दो बार सरकार रही । माननीय भैरोंसिहजी शेखावत ने सन् 1977-80 तक अन्त्योदय, योजना चलाकर लाखों गरीब परिवार जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करते थे उनका उद्धार कर राजस्थान के गांव, गरीब और किसान, मजदूर को लाभान्वित किया । उसके साथ ही 1977-80 तक माननीय भैरोंसिहजी शेखावत ने राजस्थान के सम्पूर्ण अंचल में कच्ची और पक्की सड़के अकाल राहत कार्यों के तहत बनाने हेतु काम के बदले अनाज योजना लागू की उसे आज भी गांव के गरीब, किसान और मजदूर याद करते हैं । जिन गांव के गरीब किसानों ने अन्न की, गेहूं की बोरियों के दर्शन नहीं किये उनके बोरियों का ढेर लग गया था । 1977-80 के उस ऐतिहासिक राज के बाद जब माननीय भैरोंसिहजी शेखावत ने पुनः सन् 1990 में राज सम्भाला तब तक एक ऐतिहासिक निर्णय लिया । राजस्थान के गरीब किसानों का 40-45 साल में कभी एक फूटी कौड़ी कर्जा माफ नहीं किया, इन्होंने साढ़े 300 करोड़ रुपये के किसानों का कर्जा माफ कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया । इसी के साथ बारानी जमीन पर जहां किसी किसान के अन्न पैदा नहीं होता, लाखों किसानों की बारानी जमीन पर लगान माफ किया, एक ऐतिहासिक कदम है । वृद्धों के पेंशन में वृद्धि करने का फैसला माननीय शेखावतजी ने अपने 1990-92 के शासन काल में लिया । उसी के साथ माननीय शेखावत साहब ने अनुसूचित जाति

(श्री शम्भूदयाल बडगूजर)

के छात्रावासों में विद्यार्थियों को जो छात्र-वृत्ति मिलती थी, जो भत्ता दिया जाता था उसमें वृद्धि की। अबकी बार अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय ने अन्य प्रार्थियों के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अधिक आस्था जताई है। इस बार यह जो आस्था जताई है, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने अनुसूचित जाति और जनजाति के समुचित विकास का जो संकल्प लिया है, एक सराहनीय कदम है। कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन दीन-हीन, गरीब बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना दी है। माननीय शेखावत साहब ने यह जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस प्रदेश में चहुंमुखी विकास का संकल्प लिया है, जो उनके मन में हैं, उसमें विद्युत और जलदाय के प्रति गहरी संवेदना जताई है। जो कुछ प्रयास किये गये हैं और भविष्य में करने हैं उससे माननीय सदस्यों को यह अहसास हो गया कि आने वाले भविष्य में विद्युत संकट जो अभी बना हुआ है उसमें काफी राहत मिलेगी। माननीय शेखावत साहब ने कई जन समस्याओं की ओर भी कई वृहद योजनाओं को प्रारम्भ किया है। राजस्थान प्रान्त वर्षों से पेयजल समस्या से ग्रस्त है। यह सभी माननीय सदस्यों की चिंता का विषय भी है। इस ओर जिन योजनाओं को प्रारम्भ किया है उनमें बीसलपुर योजना प्रमुख है जो अजमेर जिले की भागीरथ योजना है। आगामी वर्ष में अजमेर शहर में विश्व विख्यात ख्वाजा दरगाह के व्यक्तियों को पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा। माननीय जलदाय मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि बीसलपुर योजना, जिसका भागीरथ संकल्प आपके हाथों में है और यह साकार होने जा रही है, पाइप लाइन मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी से होकर गुजर रही है केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के करीब 200 गांव फ्लोराइडयुक्त है जिसके कुप्रभाव से सदन के सब माननीय सदस्य परिचित हैं, इसलिए बीसलपुर योजना से केकड़ी और भिनाय क्षेत्र के गांवों को भी लाभान्वित करने का श्रम करें।

इसके साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पशुपालन और शिक्षा के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। 250 की आबादी वाले सभी गांवों को प्राथमिक विद्यालय से जोड़ दिया जायेगा, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिससे उन गांवों और ढाणियों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध होगी जो आज तक वंचित रहे हैं।

इसके साथ सिंचाई सुविधाओं के लिए इस अभिभाषण में सामुदायिक सिंचाई योजना का जिक्र किया गया है इसके लिए भी राज्य सरकार की मैं सराहना करता हूं। सिंचाई के जो बांध पिछले दो साल में बरसात के कारण से टूट गये थे उनको अकाल राहत कार्य के स्थायी कार्यों में प्राथमिकता दी गयी हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि दो साल पहले अजमेर जिले में आयी बाढ़ के कारण मेरे क्षेत्र के अम्बापुरा बांध का सर्वनाश हो गया था, वह पूर्णतः क्षत-विक्षत हो गया था। उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां गये थे और उसके बाद माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने जो कार्यरत अभियन्ता था उनको

(श्री शम्भूदयाल बडगूजर)

निलम्बित किया लेकिन इसके बावजूद दो साल में उस अम्बापुरा बांध की स्थिति वही की वही है. उसके पुनर्निर्माण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मैं सुझाव के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाली बरसात से पहले मेरे क्षेत्र के अम्बापुरा बांध के पुनर्निर्माण की योजना बनायें।

इसके साथ क्षेत्र में किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है कि बीसलपुर के विस्थापितों को मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में बसाया जा रहा है जहां पर 17 गांव खुद मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के डूब में आते हैं। यदि टौंक जिले से विस्थापितों को लाकर केकड़ी में बसाया जाता है तो चरागाह, सिवाय चक जमीनें सब एक तरह से हमारे क्षेत्र के किसानों के अधिकार से छीन ली जायेंगी। मेरे जो 17 गांव आने वाले समय में डूब में आने वाले हैं उन किसानों को मेरे जिले से कहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार का ध्यान इस ओर जाये और क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित करें।

जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय भरतसिंह।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय सभापतिजी, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन के सामने रखा, मैं समझता हूं कि यह मात्र औपचारिकता है। दो महीने पहले जब सरकार ने राज्यपाल के माध्यम से अपना अभिभाषण सदन के सामने रखा था उसमें जो बातें सदन में कही गयी थी उसी को आज दोहराने की नौबत आ रही है। मुख्य तौर से दो-तीन बातों पर सदन में चर्चा हुई थी। पीने के पानी की चर्चा हुई थी, पंचायतों की बिगड़ी व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई थी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इन दो महीनों के अन्दर चाहे वह हैण्डपम्प की व्यवस्था हो, खानपुर विधान सभा क्षेत्र में उस समय 100 हैण्डपम्प खराब थे और आज सवा सौ हैण्डपम्प खराब होंगे और एक भी हैण्डपम्प ठीक नहीं हुआ है। आठ घन्टे बिजली की बात कही गयी थी वह आठ घन्टे बिजली किसानों को मिल नहीं रही है।

इस अभिभाषण में लगभग 50 बिन्दुओं पर सरकार ने ध्यान दिलाया है। इसमें मात्र औपचारिकता के रूप में चर्चा की गयी है और बुनियादी ऐसे मुद्दे हैं जिससे राजस्थान और हिन्दुस्तान का भविष्य जुड़ा हुआ है उन पर कोई चर्चा नहीं है और अगर चर्चा है तो दुःख इस बात का होता है कि बहुत हल्केपन से उस बात को लिया गया है।

सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आज जनसंख्या वृद्धि की है और जनसंख्या से जुड़ी हुई सब समस्याएं हैं। जिस प्रकार से सरकार ने चिन्तन किया है जनसंख्या वृद्धि की समस्या के समाधान के लिए, उसमें एक बात कही गयी है कि पंचायतों के जो चुनाव होंगे, नगरपालिका के जो चुनाव होंगे उसमें दो बच्चों से अधिक वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति तो 10 बच्चों का बाप हो सकता है, इस विधान सभा का सदस्य 10 बच्चों वाला हो सकता

(श्री भरतसिंह)

है और पंचायतों के लिए यह बात कही है जिसकी क्रियान्विति नहीं की जायेगी। अगर सरकार की इच्छाशक्ति वास्तव में यही है तब तो मैं उसका स्वागत करता हूं मगर इस सदन को हमने सर्कस बना दिया है इसमें हम छलांग लगाते हैं और इस प्रकार की बात कहते हैं जो अखबारों में छपती है और उसको पढ़ने वाले उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जो चीज इस सदन में कहें उसकी क्रियान्विति हो तो उसका कुछ मतलब है। कुछ अधिकारी हिन्दुस्तान में आज भी इस प्रकार के मौजूद हैं शेषन साहब ने कुछ बात दिल्ली में कहीं उसको सब गम्भीरता से ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे काम कराने की इच्छा शक्ति उस अधिकारी और उस व्यक्ति की है। हम भी सदन में अगर बात कहें, तो उसके पीछे इच्छाशक्ति रखें अन्यथा नहीं कहें क्योंकि इससे इस सदन की, हमारी मर्यादा पर प्रश्नचिन्ह लगता है कि साहब, सदन में बैठ कर किस प्रकार की बातें करते हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस प्रकार से सरकार लागू करेगी, किस प्रकार से बढ़ती जनसंख्या को रोकेगी उस पर गम्भीरता से चिन्तन होना चाहिए था, स्पष्ट नीति होनी चाहिए थी। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि कुछ साल पहले एक ग्रीन कार्ड योजना थी कि दो बच्चों पर आपरेशन करवायेंगे उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा और उसको अमुक सुविधा मिलेगी। आज अगर कोई ग्रीन कार्ड लेकर किसी कार्यालय में या किसी अधिकारी के पास या किसी योजना का लाभ लेने के लिए जाता है तो ग्रीन कार्ड को एक तरफ हटा दिया जाता है। हमारी इच्छा ही नहीं है कि हम इस कार्यक्रम का लाभ उन लोगों को दें जो इस महत्वपूर्ण कार्य में सरकार का सहयोग देते हैं, राष्ट्र के लिए एक बड़ी चुनौती है उसमें अपना योगदान देते हैं। उनको इस प्रकार का लाभ नहीं मिलता। अच्छा होता इस चर्चा के अन्दर इस प्रकार का कोई कार्यक्रम या कोई योजना सरकार रखती कि जो भी छोटे काश्तकार हैं या बिजली के कनेक्शन की बात है तो हम इसकी प्राथमिकता उन लोगों को देंगे जो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेंगे। मगर इस प्रकार का कहीं कोई इसमें विवरण नहीं है।

दूसरी हमारी समस्या है जिसका इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, वह यह है कि शहरों की तरफ गांवों से लोग दौड़ कर आ रहे हैं और शहरों का आकार बढ़ता जा रहा है और सब व्यवस्था शहरों के अन्दर चरमरा रही है। आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि गांवों का आदमी शहरों में दौड़ कर आ रहा है? इस प्रवृत्ति को किस प्रकार से रोका जाये? इसका मुख्य कारण यह है कि आज गांवों में वह मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलतीं जो शहरों में मिलती हैं। स्कूल है तो मास्टर नहीं है, अस्पताल है तो डाक्टर नहीं है। इस प्रकार से लोगों की रुचि न चाहते हुए भी शहरों की तरफ बढ़ रही है। अस्पताल की बात का इसमें जिक्र किया गया है। इसमें यह कहा है कि डाक्टर वहां नहीं रहना चाहते। एक समय आयेगा कि गांवों की हालत इतनी बिगड़ जायेगी और गांवों में शिक्षा का स्तर इतना गिर जायेगा कि गांवों के लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। आज शिक्षा का जब जिक्र होता

(श्री भरतसिंह)

है तो कहते हैं हमारा 1/4 रेवेन्यू शिक्षा पर खर्च हो रहा है उसके बाद हम हिन्दुस्तान में दूसरे स्थान पर हैं। 1/4 राजस्व का खर्चा शिक्षा पर हो रहा है और वह खर्चा किताबों पर नहीं हो रहा है, वह खर्चा हो रहा है अध्यापकों के वेतन पर। इतना पैसा खर्च करने के बाद शिक्षा में मिल क्या रहा है ? आज हमारी शिक्षा का स्तर कहां जा रहा है ? इस प्रवृत्ति को आप रोकेंगे कैसे ?

मैं कहता हूं यहां बात कही है गरीब को कवच पहनाने की, भ्रष्टाचार को रोकने की। कवच किसने पहन रखा है ? गरीब को तो कवच क्या पहनाओगे, वह तो उघाड़ी छाती खड़ा हुआ है और उसका शोषण करने वाले उसकी छाती के बाल और उपाड़ लेते हैं। कवच तो नौकरीपेशा आदमी ने पहन लिया है। एक अध्यापक, एक डाक्टर, एक कर्मचारी के खिलाफ आप कुछ कार्यवाही नहीं कर सकते। कवच तो उसने उस दिन पहन लिया जिस दिन वह सरकारी नौकरी में आ गया और जब तक आप कार्यवाही नहीं करोगे वह गरीब का तो शोषण करेगा ही। इस प्रकार की मूलभूत जो व्यवस्था है उसमें सरकार किस प्रकार से परिवर्तन लायेगी तब जाकर गांव के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। आज सरकार की स्थिति यह हो गयी है जैसे कि एक गांव में एक महिला हैण्डपम्प पर जाकर खड़ी होती है और पानी निकालने की कोशिश करती है और हैण्ड-पम्प में से पानी नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा है पानी ? क्योंकि पानी का स्तर नीचे बैठ गया है। इसमें जो राड लगी हुई है उसमें छेद हो गये हैं। इसी प्रकार सरकार अगर कुछ कार्य करने की इच्छा भी रखती है तो उसके परिणाम इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों का स्तर नीचे गिर चुका है और व्यवस्था में जगह-जगह छेद हो गये हैं। आपके जो आदेश होते हैं, शेर तो बनते हो आप, मगर आपके मुंह में दांत तो हैं नहीं फोफले शेर हो। आपकी पकड़ प्रशासन पर नहीं रही। तो जब तक इस व्यवस्था में सुधार नहीं होगा यह भ्रष्टाचार की बातें, संवेदनशील प्रशासन की बातें, इसी के तो उदाहरण आ रहे हैं। अभी संवेदनशील प्रशासन होता तो यह समस्याएं नहीं होतीं। मैं इस बात पर तो मुख्य मंत्रीजी का स्वागत करता हूं कि उनकी नीयत है। ऐसा मैं समझता हूं कि इसमें सुधार करेंगे। मगर जब पूरी व्यवस्था बिगड़ चुकी है उसको किस प्रकार सुधारेंगे, उसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा और गम्भीरता से इस सदन को विचार करना पड़ेगा

इस पूरे राजस्थान को चलाने के लिए यह तो मैंने पहले भी कहा था जब तक पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे हम पिछड़ते जायेंगे। अभी इन दो महीनों में क्या हुआ ? पंचायत मंत्रीजी गये और उन्होंने जिलेवार मिटिंग ली। किसकी मिटिंग ली ? उन अधि-कारियों की मिटिंग ली, उन बी.डी.ओ. की मीटिंग ली, उन लोगों की मीटिंग ली जिन्होंने कुछ काम नहीं किया। मैं समझता हूं अगर भूतपूर्व प्रधानों, भूतपूर्व सरपंचों की एक जिले में गोष्ठी करते, उनसे जानकारी लेते कि सरकार के सामने चुनाव कराने में यह मजबूरियां आ रही हैं, क्या आपकी समस्याएं हैं, किस प्रकार से हम काम करें

(श्री भरतसिंह)

तब तो एक सही तरीका होता। मगर बुला उन्हीं अधिकारियों को लिया जो दो साल से काम नहीं कर पा रहे हैं और सरपंच, एम.एल.ए. तक को पता नहीं है कि मंत्रीजी आ रहे हैं और चर्चा करना चाहते हैं। इस प्रकार कैसे सरकार चलेगी। पंचायत व्यवस्था आपके पास है नहीं। काम करने का आपका तरीका जिस पर आप निर्भर हैं, वह पूरी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी है।

एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय जिस पर इस सरकार ने एक शब्द नहीं कहा है वह है जंगल, वनों से सम्बन्धित। राजस्थान में हर साल अकाल पड़ता है। सबसे कम जंगल राजस्थान में है। आंकड़ों के हिसाब से ग्यारह पर्सेण्ट से नौ पर्सेण्ट जंगल होंगे और सैटेलाइट के आधार पर वास्तविकता में तीन पर्सेण्ट भौगोलिक क्षेत्र में सही प्रकार का जंगल होगा। कटते जा रहे हैं। हर साल अकाल पड़ रहा है। मगर किस प्रकार से हम जंगलों को रोकेंगे इस दिशा में कुछ नहीं कहा है।

इस सदन में एक बात बार-बार कही जाती है कि पर्यावरण के नाम पर विकास रूक रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब पर्यावरण रहेगा ही नहीं तो कैसे आप बचेंगे? किस प्रकार से आप अकाल का मुकाबला करोगे? बारिश कम हो रही है, जंगल कटते जा रहे हैं। वहां कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं। जैसे कि अपने पास खानें हैं, कहां अपने पास खनिज सम्पदा अवेलेबल है और वह फारेस्ट लैण्ड में आती है तो उस लैण्ड को रेवेन्यू लैण्ड में तब्दील करवाइये। चेन्ज कराइये उसको। वह तो हो सकता है। और अगर इस नाम के ऊपर जहां सैंक्चुरीज हैं, अभयारण्य हैं, वहां खुले-आम अवैध खानें चल रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है और बात कह रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो इतने महत्वपूर्ण विषय, जिससे अकाल जैसी समस्या जुड़ी हुई है, का जिक्र न करना, मैं समझता हूं, अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

अरावली को ग्रीन करने की बात आयी थी। जिस क्षेत्र में खानें हैं उसमें अगर नहीं लागू हो, जहां पर वीरान इलाका पड़ा हुआ है, जहां जंगल लगाने की आवश्यकता है, कोटा जिले में सबसे ज्यादा नदी नाले हैं, सबसे ज्यादा सोयल इरोज़न उस इलाके में है, सरकार की कोई स्पष्ट नीति दिखाई नहीं देती और भूमि का कटाव बढ़ता जा रहा है, जंगल साफ होते जा रहे हैं और इस अभिभाषण में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया।

सिंचाई की बात कही गयी है, टेल तक पानी पहुंचाने की बात कही गयी है और आज भी स्थिति यह है कि कोटा में जितनी भी नहरें हैं उनका पानी टेल तक काश्तकारों को नहीं मिल रहा है। तो इसमें जिन विषयों पर चर्चा की गयी है उनमें मैं सरकार की एक औपचारिकता महसूस करता हूं और गम्भीर विषय जिनका मैंने जिक्र किया, उनके ऊपर सरकार ध्यान देगी तो मैं समझता हूं कि वह इस पूरे विषय को गम्भीरता से ले रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ कि इस अभिभाषण में बहुत कमियां हैं, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री ओम प्रकाश शर्मा (अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो आज बहस हो रही है, मैं इसका विरोध करता हूं।

राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन के अन्दर दिया था, शुरूआत तो उन्होंने अच्छी की थी। इसमें शुरू में जो बात कही है कि राजस्थान की आन, बान, शान के लिए यहां के वीरों ने कुर्बानी दी थी, वास्तव में बात बिलकुल सत्य है, इसका तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन आगे जो कुछ इन्होंने इसमें लिखा या जो कुछ उन्होंने पढ़ा था वह बिलकुल असत्य है। उन्होंने केवल मात्र माननीय मुख्य मंत्रीजी की बगल में बैठकर अधिकारियों की राय से जो कुछ लिख दिया गया उसको यहां लाकर बांच दिया है। आज जिस माहौल के अन्दर यह बहस का समय दिया गया है, पूर्व में अभी जो माहौल यहां पर था वह इस संवेदनशील सरकार का स्पष्ट उदाहरण पेश हो रहा है। राजस्थान की राजधानी में इस प्रकार की हत्याएं हो रही हों, राजस्थान के अन्दर हत्याएं हो रही हों, जघन्य अपराध हो रहे हों, लोगों के साथ दिन दहाड़े लूट-पाट की जा रही हो, आज उस सरकार के बारे में हमारे राजस्थान के राज्यपाल महोदय जो निष्पक्ष हैं, उनसे चापलूसी की बातें इसके अन्दर कहलाई गयी। यह बड़े शर्म की बात है। मैं तो इस बात का विरोध करता हूं कि हमारा यह सदन बहुत पवित्र सदन है और इस पवित्र सदन के अन्दर तो पवित्र बात होनी चाहिये थी। इसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि बेरोजगारों के लिए क्या किया जायेगा। कह दिया गया उनके लिए दुकानें बना दी जायेंगी। यह दुकानें कब बनेंगी, किसलिए बनेंगी, कब यह चालू होंगी, क्या इसकी व्यवस्था होगी, इसका कोई पता नहीं है। आज पढ़े लिखे लोग जो कि ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं और जिनके पास आज कोई धंधा नहीं है, जिन्होंने लाखों रुपये अपनी पढ़ाई में खर्च कर दिये, क्या उनको आप दुकानें देकर रोजगार दे दोगे? क्यों फिर उन्होंने लाखों रुपया पढ़ाई में खर्च किया?

आयुर्वेदिक चिकित्सकों के बारे में कहना चाहूंगा कि उनका धरना भी राजस्थान विधान सभा के बाहर लगा हुआ है। सुबह ही मेरे से वह मिले थे और सभी माननीय सदस्यों से वे मिल रहे हैं। आज राजस्थान में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को बैठे हुए तीन वर्ष हो गये हैं और जगह खाली पड़ी हुई हैं, ट्रेनिंग करके वह लोग बैठे हुए हैं लेकिन आज तक उन 250 लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। उन बेरोजगारों में से कइयों की तो यह हालत हो गयी है कि उनकी आयु सीमा ही निकली जा रही है। उनकी सारी पढ़ाई लिखाई का जो कुछ उन्होंने खर्चा किया है, उनके मां-बाप पर क्या गुजरेगी जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा। आज सरकार एक तरफ तो आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के सुधार के लिए बात कर रही है कि उसमें वैद्य बैठाये जायेंगे, जहां पर वैद्य नहीं हैं वहां पर वैद्य बैठायेंगे, दवाई नहीं है वहां दवाई दी जायेगी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन बेरोजगारों

(श्री रामस्वरूप मीणा)

को रोजगार क्यों नहीं दिया जाये ? गांवों के अन्दर जो औषधालय खाली पड़े हुए हैं उनकी भी पूर्ति हो जायेगी. बेरोजगारों को रोजगार मिल जायेगा । लेकिन इस अभिभाषण के अन्दर इस प्रकार का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है ।

दूसरी मुख्य बात है, आज साल भर से बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षकों का धरना चल रहा है । वह सभी माननीय सदस्यों से घर-घर जाकर मिले हैं । पिछली बार भी वह विधान सभा के बाहर बैठे रहे । वह नवयुवक इतने परेशान हैं, कइयों ने तो आत्म-धाह करने का नोटिस दे दिया था । आज सुबह 15 माननीय सदस्य बैठे हुए थे उनसे वह आकर मिले । उनके सामने आकर उन बेरोजगारों ने कह दिया था या तो हमारी समस्या का हल करा दो या तो हमको रोज-गार दिला दो नहीं तो हम आत्म-हत्या कर लेंगे, ऐसी जिन्दगी से कोई लाभ नहीं है ।

(16 00)

माननीय सभापति महोदय, इन बेरोजगार युवाओं के लिए अभिभाषण में भी जिक्र नहीं किया गया है जो आपके सामने बाहर धरने पर बैठे हुए हैं । इस अभिभाषण में सबसे बड़ी कमी है वह यह है इस बेरोजगारी की बात का जिक्र नहीं है । हमारे स्वास्थ्य निरीक्षक और आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और बहुत से डाक्टर साहबान हैं वह भी बेचारे ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं लेकिन आजतक चिकित्सालयों में उनका नम्बर नहीं आया है । आज गांवों के अन्दर आपने औषधालय चिकित्सालय खोल दिये और गांव की हालत यह है कि कोई भी चिकित्सक वहां जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है । चिकित्सालय खाली पड़े हुए हैं, हाजरियां दर्ज हो रही हैं रजिस्टर के अन्दर । माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान नहीं हैं, व्यथा सुनाऊं तो किस को ? माननीय सभापति महोदय, बड़े दुःख की बात है, हम यहां पर कुछ जिक्र करें और हमारे मंत्रीजी के यहां पर दर्शन ही नहीं हैं । जब विभाग के मंत्री नहीं होंगे तो किससे कहें हम बात को । यह बहुत दुःख की बात है । माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आप हमारी इस बात को जब भी वे यहां आयें. उनसे कहें । अब जो गांवों के अन्दर, जिनको लगाया गया है वह तो जाना नहीं चाहते क्योंकि वे शहर में लगे हुए हैं, वे शहर को छोड़ना नहीं चाहते । शहर के आराम को कौन छोड़ना चाहेगा । इसलिए गांव के जो भी चिकित्सालय हैं उनमें कम से कम जो भी बेरोजगार बैठे हुए चिकित्सक हैं उनको वहां भिजवायें ताकि गांव के चिकित्सालय भी चल सकेंगे और उन बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकेगा ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि हम रोजगार देने की बातें करते हैं तो उद्योगों की बात भी सामने आती है । हमारे यहां राजस्थान के अन्दर बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो आज बन्द पड़े हुए हैं । क्या उद्योगों में मजदूर काम नहीं करते थे ? आज उन मजदूरों की क्या हालत हो रही होगी जिनको उद्योगों से हटा दिया गया है या जो उद्योग बन्द कर दिये गये हैं । क्या यही रोजगार का एक उदाहरण है ? माननीय सभापति महो-दय, मेरे जिले में, सवाई माधोपुर जिले और उसकी सीमेण्ट फैक्टरी, हर बार, पिछली

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बार भी मैंने यहां यह मसला उठाया था। लगातार सारे सदस्य उठाते चले आ रहे हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा कोई उद्योग था सीमेण्ट फैक्टरी का, वह जिला सवाई माधोपुर की सीमेण्ट फैक्टरी थी, उसको आज बन्द किये 5 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया। पिछली बार भी इस प्रकार के आन्दोलन हुए थे और माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने धरने दिये गये थे और माननीय मुख्य मंत्रीजी जब सवाई माधोपुर पधारे थे तो उन्होंने वहां यह घोषणा की थी कि आप लोग इस कांग्रेस का धुम्रां निकाल दो। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था सवाई माधोपुर के अन्दर आप लोग कांग्रेस का धुम्रां निकाल दो मैं तुम्हारी सीमेण्ट फैक्टरी के अन्दर धुआं निकाल दूंगा। वहां की जनता ने दो बार कांग्रेस का धुआं निकाल दिया लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी महोदय ने तो एक बार भी सीमेण्ट फैक्टरी का धुआं नहीं निकाला। जनता ने तो उनकी बात का इतना मान लिया और मुख्य मंत्री, राजस्थान के मुख्य मंत्री सदन में असत्य बोल जायं। पिछली बार भी उन्होने घोषणा की थी और उन्होंने साफ कहा था कि आपकी सीमेण्ट फैक्टरी को चालू किया जायेगा। उसको मुरारका को दे दिया गया है, उसको दे दिया गया है, इतना पैसा मंजूर कर दिया गया है लेकिन आज तक पांच हजार मजदूरों के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा है और सारी घोषणाएं असत्य निकल गयी। राजस्थान का सदन ही असत्य बोलने लग जायेगा तो फिर सहारा कहां रहा है। राजस्थान के सदन में इस प्रकार जो बातें कही गयीं लेकिन आज तक उनकी पालना नहीं हुई है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारी सीमेण्ट फैक्टरी, जो जिला सवाई माधोपुर में है उस सीमेण्ट फैक्टरी को जल्दी चालू करवाया जाये वरना उन लोगों के साथ क्या गुजर रही होगी, उनके बच्चों के साथ क्या गुजर रही होगी जो लोग इस सीमेण्ट फैक्टरी में लगे हुए थे। आज हालत यह हो गयी है उस सीमेण्ट फैक्टरी की, उसका माल चोरी होता जा रहा है। कल के अखबार में आप सब ने पढ़ा होगा कि सीमेण्ट फैक्टरी का माल चोरी चला गया। चोर भी उसमें पकड़े गये। यह हालत उसके अन्दर होती चली जा रही है। अब रोजगार के बारे में इस अभिभाषण के अन्दर माननीय राज्यपाल महोदय ने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। इसलिये जिन लोगों को उल्टा बेरोजगार किया जा रहा है, हमारे उद्योगों को बंद किया जा रहा है ताकि हमारे यहां बेरोजगारी और फैल जाए। इसलिये माननीय सभापति महोदय, रोजगार के बारे में इसमें नहीं कहा गया है इसलिये मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाए।

दूसरा मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि हमारे यहां, जो शिक्षा के बारे में है, सरकार कहती है हम प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। एक हजार की आबादी पर स्कूल खोले जायेंगे। मैं माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि यह हजारों स्कूल किसके राज में बंद हुए थे। कांग्रेस के राज में खोले गये प्राइमरी स्कूलों को, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का राज यहां पर आया, सदन में यह लोग लाल दुपट्टे वाले

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आकर के बैठे और आकर के सबसे पहले प्राइमरी के पांच हजार स्कूल बंद कर दिये। यह तो लाल दुपट्टे, केसरिया दुपट्टे वाले, आप राम को धोखा देने वाले हो आप राम की बात करते हो। राम के आदर्शों पर भी चलिये, रामजी के आदर्शों पर भी चलिये। रामजी ने क्या कहा है? रामायण में साफ लिखा है —

"जासू राज प्रिय प्रजा दुःखयारी,
तो नर अवश्य नरक अधिकारी"

आप नरक गामी बनोगे, नरक में जाओगे सारे मिल करके। या तो इन दुपट्टों को ओढ़ना छोड़ दो, राम की बात करना छोड़ दो वरना राम के आदर्शों पर चलना भी सीखो। आपकी कथनी और करनी में रात दिन का अन्तर है। आज तक आपके किसी आदमी ने बलिदान दिया? कांग्रेस की बुराई कर रहे थे एक माननीय सदस्य अभी उधर बैठने वाले, मैं कहता हूं कांग्रेस तो त्याग और बलिदान का इतिहास है कांग्रेस में राजीवजी ने बलिदान दिया, श्रीमती इन्दिरा गांधी 32 गोलियां खाकर मर गयी। नेहरू-जी ने बलिदान दिया अपनी सम्पत्ति का और अपनी जवानी का। आप लोगों में से किसी ने बलिदान दिया आज दिन तक? आप एक भी नेता का नाम बता दो।....

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयालजी ने भी बलिदान दिया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक भी नेता का नाम आप बता दें। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने बलिदान दिया हो तो मैं आपकी बात को मानने को तैयार हूं लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने बलिदान दिया है और कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस राज करना जानती है उसके कारण कांग्रेस का लगातार राज चला। आपका राज ढ़ाई साल का रहा है। अनुभव देख लो आपका। अब की बार तो ढ़ाई साल भी नहीं चलेगा। यह तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं निर्दलीयों की सरकार है जो आपने बना दी। रोहिताश्वजी आप क्यों कहते हैं, मैं आपको तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस सरकार को चला रहे हो, जिस दिन आप चाहेंगे उसी दिन गिरा दोगे इस सरकार को और कांग्रेस में आ जाओगे आप। आपको खुशी है इस बात की और आप बहुत जल्दी आ जाओगे। इसका भी मुझे संकेत मिल गया है।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : कांग्रेस की सरकार बनाने वाला नहीं हूं मैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिये मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, तीसरी बात जो किसानों के बारे में है। इसमें कहीं भी किसानों के हित की बात नहीं कही गयी है क्योंकि सरकार को किसानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दुकानों पर बैठते हैं और जीतकर के चले आये आप। लेकिन आपको किसानों की जानकारी नहीं है....

श्री रामप्रताप कासनियां : आपको जानकारी है क्या पूरी?

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, हमको किसानों की जानकारी है आप लोगों को

(श्री रामस्वरूप मीणा)

किसानों के बारे में जानकारी नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं।

एक माननीय सदस्य : एक बीघा में तारामीरा का बीज कितना पड़ता है। आप यह बता दो, मैं आपको किसान मान लूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : मुझे सब पता है। आप लोगों का क्या नारा था....

एक माननीय सदस्य : आप इनको बैठाइये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, चुनाव में नारा नहीं सुना था। क्या कहा था "एक किलो की नौ सो ग्राम, मार पडे तो जय-सियाराम"। तब जयसियाराम बोलते हो और आज किसान की बात करते हो। क्या जानो तुम किसानों के बारे में। किसानों के हम हैं हितेषी, किसानों के बच्चे हैं हम, हमारे बाप-दादा किसान रहे हैं हम जानते हैं किसानों के बारे में। इसलिये माननीय सभापति महोदय, इसमें कहीं भी किसानों का जिक्र नहीं किया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

किसानों की सबसे बड़ी बिजली की समस्या है। बिजली की 8 घण्टे की घोषणा आपने कर दी, बहुत अच्छी बात है। सुधार तो बिजली में कुछ हुआ है लेकिन मेरे क्षेत्र में रात्रि में बिजली मिलती है दिन मे एक बार भी बिजली नहीं मिलती है। यह मेरा निवेदन है कि दिन में बिजली दिलायी जाय। रात में पानी खोलने के कारण हमारे जो किसान हैं बेचारे वह बीमार हो रहे हैं, डाक्टरों के पास उनको जाना पड़ रहा है और काश्त का वक्त आ गया है। अगर इस समय काश्त को पानी नहीं मिला तो जैसे जवान बेटे की मौत हो जाती है ऐसे ही किसान की मौत है इस फसल के अन्दर। इसको सब गम्भीरता से लें कि इस समय किसानों को बिजली दिन में दी जाय। रात दिन बिजली मिलेगी तब जाकर के किसानों की पूर्ति इस समय हो सकती है। गरमी आ गयी, फसल सूख रही है पानी ज्यादा चाहिये। किसानों की इस गम्भीर समस्या को माननीय सभापति महोदय, सारे सदस्य गम्भीरता से लें।

चौथा मेरा निवेदन है कि सड़कों के बारे में आपने कह दिया, एक हजार की आबादी पर पंचायत हैडक्वार्टरों को जोड़ दिया जायेगा। मैं तो कहता हूं आप जो सड़कें अधूरी पड़ी हैं, उन अधूरी सड़कों को पूरा करवा दो। बड़े-बड़े गड्ढे सड़कों पर पडे हुए हैं। उससे तो कच्चा रास्ता ही अच्छा था इसलिये उन सड़कों को जो अधूरी पड़ी हुई हैं पत्थर पड़े हुए हैं मोटे-मोटे, रोडे पड़े हुए हैं, आप कम से कम उन रोड़ों को हटाइये। सरकार रोड़े नहीं हटायेगी तो फिर काम नहीं चलने वाला है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनका डामरीकरण कर दिया जाए। अधूरी सड़कों को पूरा किया जाए। पंचायत हैड-क्वार्टरों के साथ-साथ माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है इस प्रकार गाव के अन्दर की जो सड़कें हैं, उनको पूरा करवाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारी पानी की व्यवस्था, पीने के पानी के बारे में

(श्री रामस्वरूप मीणा)

....(व्यवधान)....माननीय मंत्री महोदय तो बातचीत में लगे हुए हैं क्योंकि उनको तो चिन्ता ही नहीं है पानी की, मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि हमारे यहां भी पानी की भयंकर समस्या है, मैं बार-बार निवेदन करता आया हूं कि हमारे राजस्थान में पीने के पानी की अब जल्दी समस्या आने वाली है, गरमी का मौसम आ गया। मेरे क्षेत्र में अभी यह हुआ था जो नल योजना आपने स्वीकृत की थी, मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था, माननीय सभापति महोदय, नल योजना स्वीकृत हो गयी, बिजली कनेक्शन लग गया, बोरिंग हो गया, मीठा पानी आ गया लेकिन नल योजना को अब तक जनता के लिए नहीं खोला गया है। एक भी लीटर पानी जनता को आज तक नहीं मिला है। मेरा निवेदन है ऐसी योजना को जल्दी चालू करवाया जाये और जो योजनाएं विचाराधीन हैं सबसे पहले उन योजनाओं को तुरन्त मंजूर करवा कर, उन योजनाओं का काम चालू करके लोगों को पानी दिया जाये क्योंकि पैसा आपका खर्च हो गया है।

दूसरा मेरा निवेदन है...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक मिनट, साहब। हैण्ड-पम्प के बारे में मेरा निवेदन है, जो भी हैण्डपम्प, माननीय मंत्री महोदय, बंद पड़े हुए हैं आपके, अभिभाषण में कहा है माननीय राज्यपाल महोदय ने हैण्ड-पम्प ठीक कर दिये जायेंगे, मैं कहता हूं ठीक कब करेंगे, जब उसमें पानी नहीं रहा तो क्या ठीक करोगे आप? तमाम हैण्डपम्पों का जल स्तर नीचे चला गया, पचास-पचास, सौ-सौ फीट नीचे चला गया, उसको क्या ठीक करोगे आप? वह तो बेकार हो गये। उसकी जगह नये हैण्डपम्प स्वीकृत कराये जायें। उन पर जो पैसा खर्च हो रहा है ठीक कराने पर, वह बेकार जायेगा, केवल क़ागजों में आंकड़े बनेंगे कि सौ हैण्डपम्प ठीक हो गये, चार सौ हैण्डपम्प ठीक हो गये। कहीं हैण्डपम्प ठीक नहीं हो सकते जिसमें पानी मिले। इसलिए उसकी जगह, माननीय मंत्री, महोदय नये हैण्डपम्प आप चालू करवायें, चाहे कम लगवाएं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरा मेरा निवेदन इसके साथ-साथ है, वह एनीकट की समस्या है। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो गम्भीर नदी है, महावीरजी के पास है, उस गम्भीर नदी के ऊपर एनीकट बनाये जायें। माननीय मुख्य मंत्री महोदय एक बार महावीरजी पधारे थे, उन्होंने वहां घोषणा की थी कि गम्भीर नदी पर एनीकट बना दिया जायेगा लेकिन आज तक वह गम्भीर नदी का एनीकट नहीं बना क्योंकि सरकार तो बिलकुल गम्भीर है ही नहीं। किसी मसले को गम्भीरता से लेती नहीं है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए मेरा निवेदन है गम्भीर नदी पर एनीकट बना करके उसको चालू करवाया जाये ताकि कुओं के पानी का स्तर ऊंचा आ जाये।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरसिंह चौधरी।

श्री रामस्वरूप मीणा : ठीक हो जाये। इसी प्रकार इसके साथ-साथ मेरा दूसरा निवेदन है कि हमारे राजस्थान के अन्दर....

श्री सभापति : कृपया बोलना शुरू कीजिए। कृपया समाप्त करें, मैं दूसरा नाम ले चुका हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा जितने भी वन हैं उन वनों की कटाई चल रही है। वन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। जब पिछली बार निवेदन किया था कि घोटाले हो रहे हैं और पिछली साल दस लाख के काम उन्होंने दिये थे और पेड़ लगाये गये थे लेकिन जब मौके पर जाकर देखा तो एक लाख के भी पेड़ पौधे नहीं थे, खाली गड्ढे ही मिले। इस प्रकार का घोटाला राजस्थान में हुआ है और उसकी जांच चल रही है लेकिन आज तक उसके बाद कोई उन्होंने सदन को जवाब नहीं दिया, क्या हुआ उस जांच का? मेरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि हम पेड़ों को देवता मानते हैं उनकी रक्षा करायी जाये और जो पैसा विभाग में मन्जूर किया जाता है वह सही खर्च भी किया जाये।

आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भंवरसिंह चौधरी।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : मान-सभापति महोदय, भाई टीकमचन्द जी कांत के द्वारा राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव का मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं। मैं कुछ बातें कहूं इससे पहले श्यामनगर में हुई घटना के मृतक के प्रति मैं मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उसके परिवार के सदस्यों को ईश्वर साहस दे इस दुःख को सहने का। श्री भैरोंसिंह जी की सरकार तीसरी बार आयी। विपक्ष के महानुभाव जो आलोचना करना ही जानते हैं वह कार्य रूप में किये हुए कार्य की प्रशंसा नहीं करते। जनता ने प्रशंसा की है और उसका परिणाम यह है कि हम आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं और यह विपक्ष में हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सुझाव दें और वह सुझाव सही हुए तो हमारा सत्ता पक्ष उनको कार्य रूप में परिणत करेगा। श्रीमन् भैरोंसिंह जी की पिछली दो सरकारों ने गरीब से गरीब तबके के आदमियों को अन्त्योदय जैसी योजना जिसकी देश में ही नहीं विश्व में प्रशंसा हुई कार्य रूप में उसको परिणत किया। गरीब को छप्पर, काम के बदले अनाज ऐसी-ऐसी योजनाएं बहुत सारी शुरू कीं और उसका परिणाम यह हुआ कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जमा। मैं मानता हूं कि यह घटना जो आज हुई और इसके लिए पुलिस प्रशासन को और पूरे पुलिस विभाग को नीचा दिखाने वाली बातें की गयीं, राजस्थान पुलिस का इतिहास कोई उठाये और देखे तो राजस्थान पहला प्रदेश था जिसमें एस.पी. रैंक का व्यक्ति चौधरी ताराचन्द ने अपनी जान का समर्पण देश के लिए किया और उसके बाद पुलिस विभाग के मुख्यालय को आप देखें कि कितने पुलिस कर्मियों ने इस राजस्थान के लिए और देश के लिए अपनी जान की आहुति दी। मैं मानता हूं किसी गलती की उसको सजा दी जाये और उसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने आपको आश्वासन दिया है और मुख्य मंत्री जी के

(138)

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

आश्वासन हमेशा सच्चे हुए हैं, आप कुछ भी कहें सही है या नहीं यह तो जनता ने आपको जवाब दे दिया। मैं आपको यह बताऊं कि आप लोगों ने हमेशा खजाना खाली करके दिया, पहले तो कांग्रेस सरकार ने और उसके बाद राष्ट्रपति शासन ने और फिर आप दो महीने में ही सारी चीजें चाहते हैं। चेष्टा करेगी सरकार, हम चेष्टा करेंगे। बिजली के लिए सरकार बनते ही संकट आया और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तीन बार दिल्ली जाकर जहां आपके पक्ष की सरकार है यद्यपि उन्होंने सहयोग दिया मैं भी मानता हूं उनके आगे सारी बातें रखीं और 8 घंटे की बात बिलकुल सही कही। व्यवधान बिजली में सब जगह आते हैं। आज इस विधान सभा में भी तीन-चार बार व्यवधान आया चाहे आया हो एक क्षण का ही लेकिन उस व्यवधान को छोड़ने के बाद मैं आपको बताऊं किसानों के प्रति यह सरकार कटिबद्ध है, गरीबों के प्रति यह कटिबद्ध है और यह सरकार इन सब का हित करेगी। उद्योगों को ही लीजिये। हम उनको पीछे नहीं छोड़ना चाहते। जिस प्रकार से कृषि हमारी रीढ की हड्डी है उसी का भाग उद्योग भी है और उद्योगों को भी हम प्रोत्साहन देंगे।

इसके अलावा मैं आपसे एक बात कह दूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण में सारे तथ्य ऐसे हैं कि जो कार्यान्वित होंगे और उनकी भावना यह है कि हम इस प्रदेश का भला करें प्रदेश को हम आगे बढ़ायें और प्रदेश की प्रगति हम बढ़ायें।

अब मैं कुछ मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित बातें करता हूं। वह सत्ता पक्ष के मंत्रीगण के लिए भी है और जितने भी महानुभाव यहां बिराजे हुए हैं उनके लिए भी है और मेरे साथियों के लिए भी है। मेरा क्षेत्र ऐसे नेताओं के चंगुल में रहा कि जो क्षेत्रीय नेता नहीं थे। वह अपने आपको देश के नेता मानते थे और उसके कारण से देश की भलाई उन्होंने की या नहीं की लेकिन मैं महरूम रहा, मेरा इलाका महरूम रहा। कभी उन्होंने आकर नहीं देखा। वहां सड़कें नहीं हैं। सबसे बड़ी कमी वहां विद्यालय नहीं हैं, महाविद्यालय नहीं हैं। मेड़ता मुख्यालय से 42 किलोमीटर पर एक महाविद्यालय है पूरे जिले में। आप अचम्भा करेंगे कि 20-27 साल इस कांग्रेस का शासन रहा, 5 साल की बात तो छोड़िये जब बीच में हमारा शासन आया, हमारे यहां की कोई भी स्कूल क्रमोन्नत नही हुई। हमारी सड़क न मालुम कब राजस्थान के नक्शे में स्टेट हाईवे बनी या कोई कहते हैं कि नेशनल हाईवे बनाने की योजना है। यदि उसको देखा जाये तो ज्योंहि हम अजमेर जिले से नागौर जिले में घुसते हैं तो अपने आप आंखें खुलती हैं कि नागौर जिला आ गया। हवाई जहाज में जैसे पट्टी बांधी जाती है वैसे ही हम कसकर बैठते हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

जल के सम्बन्ध में हम बात करें। अभी हमारे मंत्री महोदय ने बहुत आश्वासन दिये। फ्लोराइड की बातें बहुत हुई। एक मीटिंग हुई उसका भी समाचार मैंने अखबार में पढ़ा। फ्लोराइड मिटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा जहां मिटाने पर विचार हो रहा है।

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

पहले खारे पानी को मीठा बनाने की आवश्यकता हुई। मूंडवा के आगे संयंत्र लगाया गया। वह संयंत्र बेकार पड़ा है। खारा पानी मीठा नहीं हुआ है। जल की योजनाएं बनी हैं। जलदाय मंत्री महोदय से बात करते हैं सन् 1971 में गजनेर हैड से नागौर जिले को पानी देने की योजना बनी। उसके बाद कांग्रेस शासन में चामू और चडाई गांव की एक योजना बनी जलोत्थान की उसमें जोधपुर ग्रामीण, नागौर जिला व चूरू को जल देने की योजना थी। मेरी प्रार्थना है कि आप फिलहाल तो कोई भी कार्य करें जिससे दो तीन साल में योजना कार्यान्वित हो उस तक हम पानी पी लें। उसके बाद अभी से राजस्थान केनाल से इन तीन जिलों को पानी लाने की योजना पर विचार करें, अन्यथा 5 साल बाद जल स्रोत नहीं रहेगा और हो सकता है कि इस इलाके में जैसा किसी भाई ने कहा था कि मटकी के लिए मुकदमे हों पानी के लिए, यह मेरी प्रार्थना है और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी सरकार प्रयत्नशील है और हमें जल देगी और अन्य सुविधायें भी मिलेंगी। मैं इतना ही कहता हूं और धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा जो अभिभाषण सदन के सामने रखा गया है उस अभिभाषण का मैं विरोध करता हूं क्योंकि इस अभिभाषण में जो मेन बिन्दु थे युवा वर्ग के लिए, बेरोजगारी की समस्या और महिलाओं के लिए शिक्षा की समस्या आदि निम्न बिन्दुओं को इसमें नहीं रखा गया है....

शिक्षा का क्षेत्र किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का एक मेन बिन्दु होता है। इस अभिभाषण में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है लेकिन इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की क्रियाएं कार्यान्वित की जायेंगी। माननीय सभापति महोदय, जहां 165 छात्रों पर एक अध्यापक मौजूद हो, जहां 108 छात्रों के लिए 15 × 12 का एक कमरा हो, जहां मिडिल स्कूल में एक प्रधानाध्यापक और दो तृतीय श्रेणी के अध्यापक हों, क्या वहां शिक्षा के क्षेत्र को उठाया जा सकता है? पिछले समय में किसी भी विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया गया। शिक्षा के हर क्षेत्र में हम पिछड़े रहे। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 73 वां संविधान संशोधन जो लाया जा रहा है उसके अन्तर्गत एक तिहाई महिलाओं को भागीदार बनाया जायेगा। आज भारत शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है उसका हम गहन अध्ययन करें तो यह पिछड़ा क्षेत्र हमारी महिला शिक्षा की वजह से रहा है। इस अभिभाषण में महिला शिक्षा को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। जो 73 वां संविधान संशोधन सामने आ रहा है उसके हिसाब से हमें महिला शिक्षा को प्राथमिकता के तौर पर महत्व देना चाहिये। इसके लिए सैकेण्डरी तक की शिक्षा महिलाओं के लिए निःशुल्क देनी चाहिये।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

इसी तरह से दूसरी बात बेरोजगार युवकों की आती है। जो युवक आगे जाकर भारत देश का, राजस्थान का नेतृत्व करेंगे, भारत देश के भाग्य निर्माता होंगे उन युवकों के लिए इस अभिभाषण में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। 13 साल से लेकर 25 साल तक का युग आंधी और तूफान का युग कहा जाता है। नवयुवकों को इस उपयुक्त समय में यदि किसी तरह का रोजगार नहीं मिलता है, कार्य करने की कोई सुविधा नहीं होती है तो इन नवयुवकों के अन्दर जुए की प्रवृत्ति, शराब की प्रवृत्ति और अन्य कई तरह की प्रवृत्तियां जाग्रत हो जाती हैं। वे प्रवृत्तियां केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं, अपने समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास को आगे बढ़ाने में बांधा पहुंचाती हैं। बेरोजगार शिक्षक पिछले काफी समय से बेरोजगार चले आ रहे हैं, इस तरह बेरोजगारी में काफी नवयुवक लिप्त हैं जो कुछ दो महीने बाद, कुछ 6 महीने के बाद ओवर एज हो जायेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे बेरोजगार शिक्षकों के लिए जो कम ही समय में ओवर एज हो रहे हैं, एक नयी योजना बनाकर रोजगार दिलायें। अन्यथा जिस उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने अपनी मेहनत की थी वह अंधकारमय हो जायेगा।

इस अभिभाषण में यह बात कही गयी है कि हर पंचायत मुख्यालय को सम्पर्क सडकों से जोड़ दिया जायेगा और जो एक हजार तक की जनसंख्या वाले गांव हैं उनको भी सम्पर्क सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। माननीय मंत्री महोदय इटावा पंचायत समिति के अन्तर्गत, जिसमें 28 पंचायतें आती हैं, केवल 50 प्रतिशत को इस तरह की सम्पर्क सड़कों से जोड़ा गया है और 50 प्रतिशत पचायत मुख्यालय इन सड़कों से जुड़ने से वंचित हैं। यह कार्य जब पूर्ण नहीं हुआ हर पंचायत मुख्यालय को जब सड़कों से जोड़ा नहीं गया तो फिर एक हजार की आबादी वाले गांवों की घोषणा करने की क्या जरूरत थी ? जो प्राथमिकता है पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने की, पहले उस लक्ष्य को पूरा करें प्राथमिकता से उसके बाद दूसरी घोषणा करें। यह नहीं कि कोई योजना घोषित कर दी जाय और उसके कार्य रूप में परिणत होने से पूर्व ही दूसरी घोषणा की जाय। इस तरह से जनता को गुमराह करने वाली बात नहीं करें और जो घोषणा की जाय उसको पूर्ण रूप से लागू करें।

इसी तरह से सिंचाई से सम्बन्धित बातें हैं। इन्द्रगढ़ नायब तहसील के अन्तर्गत चागल और कई तरह की परियोजनाओं को काफी लम्बे समय से घोषणा करने के बावजूद उनका कार्य अभी तक चालू नहीं किया गया है। वहां के किसानों ने अपनी मेहनत-मजदूरी से, धन से कुओं का निर्माण किया। बरसात की कमी के कारण वाटर लेवल डाउन होने से उन कुओं में पानी नहीं है। इस कारण से उनकी फसलें सूखी हुई हैं। जहां किसानों ने अपने स्तर पर ऐसी सुविधाएं विकसित की हैं लेकिन बरसात की वजह से उनको असुविधा हो रही है वहां पर एनीकट बनाकर जल स्तर को ऊंचा उठाया जाय ताकि उन किसानों को राहत मिल सके।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

जो प्रथम अधिवेशन चला उसमें सरकार द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर इस बात की घोषणा की गयी कि यह सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए हमेशा तत्पर है। इटावा पंचायत समिति, पीपल्दा तहसील के अन्तर्गत समाज कल्याण द्वारा एक छात्रावास संचालित है। उस छात्रावास का भवन किस दशा में है ? क्या सरकार ने उसके ऊपर कोई ध्यान दिया है ? इसी तरह से मकानहीनों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत गणेशगंज में, पीपल्दा में और चांडाखुर्द में जो मकान बनाये गये थे क्या आज वे रहने योग्य हैं ? केवल इतना कहने से काम नहीं चल सकता कि हम गरीबों के हितैषी हैं। गरीबों का हितैषी तब माना जायेगा जब जो योजनाएं सरकार द्वारा चलायी जाती हैं उनका अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को पूरा फायदा मिले।

इसी तरह से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा सितम्बर में किसानों को, बेरोजगार छात्रों को लोन स्वीकृत हुआ था। बैंकों की मनमानी की वजह से वह लोन 7-8 महीने के उपरान्त भी उनको नहीं मिला है। आज वे बैंकों के चक्कर काटते हैं। इसलिए जो प्रक्रिया इतनी कठिन है जिसका लाभ केवल घोषणा करने से नहीं मिल सकता उसको पूरी तत्परता के साथ लागू किया जाय और जो योजनाएं लागू की जाती हैं सरकार समय-समय पर उनके ऊपर ध्यान रखे।

इसी तरह से बिजली की समस्या है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होनी वाली हैं। पिछले सत्र में इस सदन में इस बात को स्वीकार किया गया कि किसानों के लिए, गांवों के लिए 8 घण्टे बिजली उपलब्ध करायी जायेगी, लेकिन इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन कौनसे समय में बिजली उपलब्ध करायी जायेगी। छात्रों की परीक्षाएं नजदीक हैं, शाम 7 बजे से 10-11 बजे तक उनको लाइट की आवश्यकता है. लेकिन जो अधिकारी हैं वे इस समय को चुकाकर कभी रात को दो बजे कभी सुबह चार बजे कभी छह घण्टे कभी पांच घण्टे दिन में लाइट देते हैं। इससे छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में काफी व्यवधान पैदा होता है। सरकार इस बात का स्पष्ट निर्णय करे और मार्च-अप्रेल में जब बोर्ड की या अन्य परीक्षाएं हों तब शाम को सात बजे से लेकर 11 बजे तक बिजली की परमानैण्ट व्यवस्था करे ताकि छात्र-छात्राओं को सुविधा हो।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बाबूलाल वर्मा।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री टीकम चन्द कांत द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव रखा है एवं माननीय सदस्य श्री अर्जुनदास मदान द्वारा जो उसका समर्थन किया है उसके समर्थन में मैं अपनी सहमति देता हूं। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण रखा उसके अन्तर्गत पूरे प्रदेश की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की गति को तेज करने के लिए जो अपनी योजना बतायी, वह अपने आप में सराहनीय कदम है। आगामी बजट में जो राशि की व्यवस्था की गयी, 2450 करोड़

(M2)

(श्री बाबूलाल वर्मा)

रुपये की वार्षिक योजना का जो प्रावधान किया गया वह अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। यह सब माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जो एक योजनागत प्लान बनाया गया एवं विकास को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार के सामने एक योजना रखी गयी, एक सन्तुलित आर्थिक मूल्यांकन करके जो केन्द्र सरकार से इतनी बड़ी राशि स्वीकृत करायी इसके लिए मैं माननीय भैरोंसिंहजी की सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं इसलिए इण्टरप्ट न करें।

श्री बाबूलाल वर्मा : आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अनुसूचित जाति और जनजाति एवं कमजोर वर्ग के विकास की बात कही गयी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए यह सरकार दृढ़ संकल्प है, इसका एक सशक्त प्रमाण जो कि स्पष्ट रूप से नजर आता है वह है, अभी जो मन्त्रिमण्डल का गठन माननीय भैरोंसिंहजी ने किया उसमें अनुसूचित जाति के वर्ग को एक विशेष प्रतिनिधित्व देकर उन्होंने इस वर्ग के प्रति अपनी भावनाओं का परिचय दिया है। इसी संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गृह मन्त्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर इन्होंने इसी वर्ग के माननीय विधायक श्री कैलाश मेघवाल को सम्मिलित करके अनुसूचित जाति वर्ग को, जो स्थान, मन्त्रिमण्डल में जो सम्मानजनक स्थान दिया है यह अनुकरणीय कदम है। ऐसी स्थिति में पूरा अनुसूचित जाति वर्ग का समाज एवं कमजोर वर्ग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपनी आस्था रखता है एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास की योजना में यह सरकार जो अपने कदम बढ़ा रही है इससे ऐसा लगता है कि पिछले 40 सालों में इस वर्ग के विकास में जो ठहराव-सा आ गया था उसको गति मिली है। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि डग विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण आज तक नहीं हो सका है। मेरे क्षेत्र की एक ज्वलत समस्या रही है विद्युतीकरण की। पूरे झालावाड़ जिले में लगभग डग क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाया है। इस 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन होने के पीछे कारण मात्र यह है कि डग पंचायत समिति में कुल 223 गांवों मे से मात्र 80 गांवों का विद्युतीकरण पूरे कांग्रेस के 40 सालों के शासन में किया गया। पिछले 40 साल के शासन के दौरान पूरे 223 गांवों में से मात्र 80 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना, यदि इसी हिसाब से आज की तारीख में यह विद्युतीकरण होता तो आज पूरे डग पंचायत समिति का विद्युतीकरण करने में शायद 40–50 साल लगते। लेकिन जब पिछली बार माननीय भैरोंसिहजी की सरकार आयी, उन्होंने प्रतिवर्ष 7–8 गांवों का औसत निकालकर जो दो या तीन गांवों का होता था उसको बढ़ाकर विद्युतीकरण करने में तेजी दी और जो विद्युतीकरण के अभाव में पूरे डग क्षेत्र की कृषि भूमि थी वह सिंचित होने से रह चुकी थी। मेरे क्षेत्र में पानी के स्रोत काफी हैं यदि उस क्षेत्र का विद्युतीकरण किया जाता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसमें जो खेती होती वह

(श्री बाबूलाल वर्मा)

उत्पादन काफी अच्छी मात्रा में होता, लेकिन विद्युतीकरण के अभाव में जो सिंचाई के स्रोत हैं उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आने वाले साल की योजना में ऐसे क्षेत्र में जहां कि लगभग 50 प्रतिशत ही इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, ऐसे क्षेत्रों के लिए अलग से योजना बनायें एवं उन शेष गांवों का जल्दी से विद्युतीकरण कर क्षेत्र का विकास करें।

एक बात मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि लिफ्ट इरिगेशन मेरे क्षेत्र में काफी उपयोगी हो सकती है। लेकिन लिफ्ट इरिगेशन उपयोगी नहीं होने के पीछे मूल कारण यह है, गांवों को बिजली नहीं दे पाना। यदि सिंचाई के पाइण्ट आफ व्यू से देखें, उन गांवों को बिजली पहुंचा दें तो उन गांवों को दोहरा लाभ मिलेगा। एक तो बिजली का और दूसरा सिंचाई का। सिंचाई के माध्यम से कृषि उत्पादन पर निश्चित रूप से फर्क पड़ सकता है।

एक चीज इस अभिभाषण में, उद्योग के विकास को गति देने के लिए नई औद्योगिक नीति जो माननीय भैरोंसिंहजी की सरकार द्वारा घोषित की गई है, इस औद्योगिक नीति में मैं एक यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि यदि बड़ी-बड़ी औद्योगिक नीतियां बनाने के साथ-साथ, बड़े-बड़े उद्योगों का विकास करने के साथ-साथ यदि उस क्षेत्र के मूल उद्योग को भी प्रोत्साहन दिया जाये तो निश्चित रूप से ग्रामीण विकास पर फर्क पड़ सकता है। मेरे इस क्षेत्र में लुधालिया गांव में पनचक्की उद्योग बहुत अच्छी अवस्था में किसी टाइम में काम करता था। लगभग 200 परिवार उस जगह लाखों का व्यवसाय करते थे, लेकिन धीरे-धीरे उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, उद्योग करने वाले पलायन कर गये। आज मात्र उस जगह लगभग 50-60 परिवार ही रह गये हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे मूलभूत उद्योगों को भी सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाय, उनको भी संरक्षण दिया जाय।

शिक्षा के माध्यम से, जो सरकार की नीति रही है, जैसा कि अनुसूचित जाति के बच्चों को, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा इस अभिभाषण में की गई है, निश्चित रूप से यह एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। यदि अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा के अन्य संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा तो इस वर्ग के उन बच्चों के प्रति यह एक अच्छा कदम होगा। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अभी भी अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास के क्रम में कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। कुछ चीजें, जैसे कि शिक्षा चिकित्सा, न्याय आदि इन सब मुख्य धाराओं में धनाढ्य लोगों का प्रभाव रहता है। आपके माध्यम से मैं यह सरकार से निवेदन करूंगा कि कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाय, इस तरह के प्रावधान किये जायं कि इस वर्ग को भी इन सब चीजों के साथ जोड़ा जा सके। अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को विशेष प्रतिनिधित्व मिल सके।

अन्त में एक बार फिर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बात कही गयी है वह निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के विकास की

(श्री बाबूलाल वर्मा)

गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए और सही बात कही गयी है, इसमें अपना समर्थन देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के सदन में दिये गये अभिभाषण पर लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हमारे प्रदेश की जनता की समस्त मूलभूत समस्याओं के साथ-साथ समाज के हर तबके के व्यक्तियों एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु नये आयाम स्थापित करने का वर्णन किया है।

मुझसे पूर्व मेरे पक्ष के सभी मेरे साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के शासन की, मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत साहब के मुख्यमंत्रित्व काल की बड़ाई की और उसका प्रतिरोध मेरे प्रतिपक्षी बन्धुओं ने हर स्तर पर किया है लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। यह एक ध्रुव सत्य है कि कांग्रेस के 40 सालों के शासन से बेहतर शासन हमने अपने 5 वर्ष के शासन काल में दिया है इसमें कोई असत्य नहीं है, यह सर्वथा नितान्त रूप से सत्य है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री शेखावत साहब ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ऐसी ऐतिहासिक योजनाएं बनाकर प्रदेश को दीं जो राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा एवं जिन योजनाओं का लाभ आज भी हमारे प्रदेश की जनता, हमारे प्रदेश का गरीब तबका, हमारे प्रदेश का गरीब किसान, हमारे प्रदेश का ग्रामीण जन-जीवन उसका लाभ उठा रहा है।

सभापति महोदय, मैं झालावाड़ जिले के पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र से सदन में आया हूं और मैं किसान वर्ग का व्यक्ति हूं। मेरा क्षेत्र किसान बाहुल्य है। मेरे क्षेत्र की जमीन अत्यधिक उपजाऊ है और उस क्षेत्र में सभी किस्म की पैदावार होती है। विशेष रूप से संतरे की काश्त बहुत ज्यादा उस क्षेत्र में होती है। वैसे गेहूं, ज्वार, मक्का, चना आदि सभी किस्म पैदा की जाती हैं, लेकिन संतरे की बहुतायत से हमारे क्षेत्र में खेती होती है। मेरे कान्स्टीट्यूएन्सी से लगे हुए दो क्षेत्र–झालरापाटन और डग में भी संतरे की खेती बहुतायत से होती है। पर मेरे क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है कि उसे डार्क जोन या सूखा संभावित क्षेत्र में घोषित किया हुआ है जिसकी वजह से मेरे क्षेत्र के किसानों को किसी भी प्रकार का लोन नहीं दिया जाता है। किसान अपने सिंचाई के साधन लोन के अभाव में नहीं बढ़ा सकते हैं। उन्हें कुओं के लिए लोन नहीं दिया जाता है, मोटर लगाने के लिए लोन नहीं दिया जाता है, पाइप लाइन का इंजन आदि खरीदने के लिए लोन नहीं दिया जाता है। मेरे क्षेत्र को इस डार्क जोन से आजाद करवाया जाय यह मैं आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा रखता हूं। यदि सिंचाई के समुचित साधन नहीं होंगे तो किसान वांछित पैदा नहीं ले सकेगा। डार्क जोन से लड़ने के लिए या तो डार्क जोन हटाया जाय या डार्क जोन का मुकाबला करने के लिए मेरे क्षेत्र में बरसाती पानी जो नदियों के माध्यम से, बड़े नालों के माध्यम से बह कर चला जाता

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

है उन पर एनिकट या छोटे-छोटे बांध बंधवाये जाकर पानी को रोका जाय और उस क्षेत्र की उपजाऊ जमीन को पानी दिलवाया जाय। मेरे क्षेत्र में दो बांध आलरेडी स्वीकृत हैं–चम्बली बांध परियोजना और पीपलाद बांध परियोजना स्वीकृत हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हू कि इन परियोजनाओं के ऊपर इसी वित्तीय वर्ष में काम शुरू करवाया जाय।

माननीय सभापति महोदय, जब मेरा क्षेत्र डार्क जोन है तो यह भी निश्चित है कि उस क्षेत्र में पेयजल समस्या भी होगी ही। मेरे क्षेत्र में वैसे जलदाय विभाग द्वारा काफी हैण्ड पम्प लगाये हुए हैं लेकिन उनके संधारण का कार्य दो-दो माध्यमों से करवाया जाता है जिसकी वजह से शिकायतकर्ताओं की सभी समस्याओं का समाधान समुचित रूप से नहीं हो पाता है। एक संधारणकर्ता पंचायत समिति है और दूसरा संधारणकर्त्ता जलदाय विभाग है। जब समस्याग्रस्त व्यक्ति पंचायत समिति में जाकर शिकायत करता है तो जलदाय विभाग को बता दिया जाता है और जलदाय विभाग में शिकायत लेकर जाते हैं तो पंचायत समिति को बता देते हैं। मैं निवेदन करूं कि अच्छे भले समझदार लोगों को भी वे लोग टरका देते हैं और समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि हैण्ड पम्पों के संधारण का कार्य एक ही विभाग को सौंपा जाय ताकि समस्याग्रस्त व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाने में सहयोग मिल सके।

मैं पेयजल समस्या के बारे में एक निवेदन और करूं कि मेरे क्षेत्र में कितने ही गांवों में जी. एल. आर. के टैंक बने हुए हैं, परन्तु उन जी एल. आर टैंकों का कुछ ही लोग, जो उसके आस-पास बसते हैं, फायदा उठाते हैं बाकी शेष गांव उस सुविधा से वंचित रहता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार से यह बात मनवायें कि जहां-जहां जी. एल. आर. बने हुए हैं उन गांवों को पाइप लाइन से जोड़कर 8-10 सार्वजनिक नल लगा दिये जायं ताकि सम्पूर्ण गांव उस जी. एल. आर. टैंक का फायदा उठा सकें। इससे हमें एक फायदा और होगा कि उस गांव में जितने हैण्ड पम्पों की समस्या है उन हैण्ड पम्पों की समस्या से हम वंचित रह जायेंगे और नयी मांगों से भी हम बच सकेंगे। यह व्यवस्था नितान्त आवश्यक है कि हर जी. एल. आर. वाले गांव में पाइप लाइन बिछाकर सार्वजनिक नल लगाये जायं।

माननीय सभापति महोदय, जैसाकि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बताया कि हमारी सरकार पंचायत मुख्यालयों को और 1000 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने जा रही है, यह निश्चय ही स्वागत योग्य घोषणा है, इससे हमारे गांवों का सर्वांगीण विकास होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की अधूरी सड़कें, जो जिले के विभिन्न कस्बों को जोड़ती हैं उनको पूरा कराये जाने का निवेदन करता हूं। साथ ही जो सड़कें रिपेयर करने के लिये हैं, उन सड़कों की रिपेयर भी करायी जाए।

माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बेरोजगारी की

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

समस्या बहुत विकराल रूप लिये हुए खड़ी है लेकिन मेरा आपके माध्यम से सरकार को निवेदन है कि ऐसे युवक जो अपनी आयु सीमा के कगार पर खड़े हैं, जिन्हें कुछ महीने, 2-4-6 महीने बाद नौकरी के लायक नहीं समझा जायेगा, जो ओवर-एज होने जा रहे हैं, ऐसे युवकों के लिए मेरा आपसे निवेदन हैं कि आयु सीमा 33 से 35 वर्ष की जाय ताकि उन युवकों को कुछ राहत प्रदान हो सकें।

शिक्षा के क्षेत्र में माननीय राज्यपाल महोदय की घोषणा कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक पुस्तकें मुफ्त दी जायेंगी, यह भी निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है और इससे शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति होगी, गरीब तबके के लोगों के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होगी और हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, इसके लिए मैं समस्त गरीब तबके की तरफ से माननीय राज्यपाल महोदय का एवं राजस्थान सरकार का आभारी हूं। मैं पुन एक बार माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्वागत करता हूं एवं सदन में मुझे बोलने दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हू।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी (अनुपस्थित)।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे परसों भी बोलने का थोड़ा समय और दिया जाय।

सदन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। यह अभिभाषण सरकार की नीयत, मंशा को स्पष्ट करता है। यह अभिभाषण राजस्थान के मुख्य मंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता भैरोंसिंह जी शेखावत के मन में जो तड़फ है, जो पीड़ा है इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास की, पूरे देश के मानचित्र में अग्रणीय राज्य स्थापित करने की, उसका प्रतीक यह अभिभाषण हैं। इस अभिभाषण में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं काटने पड़े, इसकी व्यवस्था करायी है। यह स्थिति क्यों बनी, लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य कह रहे थे, प्रतिपक्ष के सदस्य कि 47 सालों के इस कालखण्ड में 5 साल राज भारतीय जनता पार्टी का रहा, यह सही बात है परन्तु इस स्थिति का जिम्मेदार बाकी का शासन रहा है, ऐसा कांग्रेस के सदस्यों ने अभी कहा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : भाजपा का राज तो आज भी नहीं है, न पहले कभी था।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : तो मैं निवेदन कर रहा था सभापति महोदय कि इन 40 सालों के कांग्रेस के शासन में जो स्थितियां निर्मित हुई, उन्हीं के कारण से व्यक्ति को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कांग्रेस ने यदि इन 40 साल के शासन में इस देश को दिया है तो वह है नैतिकता का घोर पतन जिससे आज

(श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी)

हर आदमी भ्रष्ट हो गया है। यह कांग्रेस ने दिया है हमें और हमारे लिये पीड़ाजनक और चिन्ताजनक बात है जो आज भ्रष्टाचार घर-घर और गांव-गांव में व्याप्त हो गया है और इन्होंने ऊपर से लेकर भ्रष्टाचार की गंगा नीचे तक बहायी है। इन्हीं कारणों से आज पूरा देश, पूरा राष्ट्र....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरह से भ्रष्टाचार....

श्री सभापति : कृपया विराजिये। कृपया डिस्टर्ब नहीं करें। उनको कुल 5 मिनट तो मिले हैं। आर्डर प्लीज। कृपया विराजिये। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : सभापति महोदय, स्थिति सरकारी कार्यालयों की यह हो गयी है, अभी माननीय शेषन साहब आये थे, उन्होंने एक बड़ा कटु सत्य कह दिया कि सत्यमेव जयते की जगह रिश्वतमेव जयते लिख दिया जाय। यह इस देश की परिस्थिति 40 साल में इस कांग्रेस के शासन में निर्मित हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने इस देश को अपना देश नहीं समझा, इस देश के प्रति उनका प्यार नहीं था। यदि इस देश के प्रति उनका प्यार होता इस मातृभूमि के प्रति प्यार होता तो नैतिकता का घोर पतन इस देश में देखने को नहीं मिलता, यह स्थिति .. (व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। इनको कुल 5 मिनट मिले हैं। आप व्यवधान नहीं डालें।

श्री राजेन्द्र पारीक : व्यवधान की बात नहीं है माननीय सभापति महोदय। प्रश्न यह है कि इन्होंने शहादत दी है या नहीं। कांग्रेस ने शहादत दी है। इनके पास शहादत के लिए क्या है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक): शहादत दी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको देश को लूटने की छूट दे दी जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : माननीय सभापति महोदय, माननीय हरिसिंह जी कह रहे थे, इन्होंने दुरभि संधि की बात कही है। इन्होंने दुरभि संधि का शब्द आया है, की बात कर रहे थे। यह शब्द गलत आया है परन्तु वास्तव में यह शब्द आना बहुत आवश्यक था दुरभि संधि शब्द, ये डंकल क्या है, ये गैट समझौता क्या है। यह इस देश को गुलाम करने का षडयन्त्र नहीं है, आर्थिक गुलामी की ओर ले जाने का षड़यन्त्र नहीं है। औपनिवेशिक साम्राज्य, पूंजीवादी साम्राज्य के तहत भारत को औपनिवेशिक देश बनाने का षड़यन्त्र है। 117 देशों ने समझौता किया है जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े देश हैं, उन देशों पर किस प्रकार पूंजीवाद का शिकंजा कसा जाय। यह सारा षड़यन्त्र इस गैट समझौते के द्वारा और डंकल प्रस्ताव के तहत है इसलिए दुरभि संधि शब्द का प्रयोग किया है और दुरभि संधि शब्द का प्रयोग होना अत्यन्त आवश्यक था और मैं राज्यपाल महोदय के द्वारा, इस अभिभाषण में जो दुरभि संधि शब्द का प्रयोग किया गया है, इसकी प्रशंसा करता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : डंकल क्या है, यह बता दो ।

श्री सभापति : आप व्यवधान नहीं डालें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : माननीय रामस्वरूप जी, डंकल क्या है, आपको अगर शिक्षा लेनी है, मेरे पास पढ़ना है, आप मेरे पास घर पर आइये 20–विधायक पुरी । आपको मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा कि डंकल क्या है....(व्यवधान)... मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ा दूंगा कि डंकल प्रस्ताव क्या है आप घर पर पधारिये, आपको चाय मिलेगी... (व्यवधान)....

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, यह जो सारी परिस्थितियां बनी हैं, संवेदनशील स्वच्छ प्रशासन देने के लिए हमें नियमों में सरलीकरण करना पड़ेगा । व्यक्ति को आराम से अपना काम हो जाय, अफसरों की, सरकारी कर्मचारियों की लाइबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी । उनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा अपने कार्य के बारे में कि जनता का जो भी काम आये, किसी व्यक्ति का कोई काम आये, वाजिब काम हो तो तुरन्त करें और गैर वाजिब काम हो तो उसको तुरन्त खारिज करें । यदि लाइबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, उनकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे तो सुविधा शुल्क के चक्कर में उनको आफिसों के चक्कर लगवाते रहेंगे ।

(17.00)

इसलिए इसमें जो निवेदन किया गया है, राज्यपाल के अभिभाषण में संवेदनशील और....(व्यवधान) ...

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : जुगताराम की बात करो आप तो । क्या हुआ जुगताराम का ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : शेखावत साहब की सरकार के प्रति जो आम आदमी का नजरिया है....।

श्री सभापति : सदन की बैठक दिनांक 28 फरवरी, 1994 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.01 बजे सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 1994 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 30 की सूची

कृषि जोत पास बुकों के वितरण की माह सितम्बर, 1993 तक की सूचना

क्र. सं.	नाम जिला	जिले द्वारा काश्तकारों में वितरित की गई पास बुकों की संख्या	जिले में काश्तकारों की संख्या जिन्हें पास बुकें वितरण करनी है
1	2	3	4
1.	अजमेर	149,239	412
2.	अलवर	3,83,589	6836
3.	बांसवाड़ा	99,941	50297
4.	बारां	1,11,037	16488
5.	बाड़मेर	1,62,620	12139
6.	भरतपुर	2,21,290	37136
7.	भीलवाड़ा	1,67,859	123475
8.	बीकानेर	57,920	280
9.	बीकानेर (उपनिवेशन)	61,543	13457
10.	बून्दी	1,26,171	9056
11.	चित्तौड़गढ़	2,38,926	56920
12.	चूरू	1,48,003	1700
13.	दौसा	80,604	24241
14.	धौलपुर	99,792	28323
15.	डूंगरपुर	1,13,190	35012
16.	गंगानगर	2,64,493	32662
17.	जयपुर	1,88,957	1876
18.	जालौर	1,02,981	18091
19.	झालावाड़	1,63,011	24493

1	2	3	4
20.	झुन्झुनू	88,880	27744
21.	जोधपुर	1,93,795	15143
22.	जैसलमेर	51,335	1041
23.	कोटा	1,07,113	5406
24.	नागौर	2,25,000	1401
25.	पाली	2,11,694	13788
26.	राजसमन्द	1,40,876	1124
27.	सवाई माधोपुर	2,52,028	11231
28.	सीकर	1,65,074	14689
29.	सिरोही	87,314	5468
30.	टोंक	1,75,149	5328
31.	उदयपुर	1,60,708	200687
	योग	47,20,132	782854

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 33 का विवरण

पर्चा कायमी

मन पु. नि. गोविन्द देथा मय हमरायी जाप्ता के बहवाले रपट नं 1458 दि. 26-12-93 रोजनामचा आम का हुआ बहवाले रपट नं 1464 दिनांक 27-12-93 पर वापस आया। जप्त सुदा गाडी टाडा मोबाईल आरजे 14 जी-2972 जिसमें 100 पेटी किंग रम थ्रीऐक्स पव्वों की लाकर कुण्डा महा झालाना ग्राम के नाले में खाली करते हुवों को व छुपाने के लिए फावडों से खड्डा करते हुवे कुल 7 व्यक्ति क्रमशः (1) श्री विजय पुत्र श्री जयदेव ब्राह्मण नि. आवामदापुर थाना अकराबाद जिला अलीगढ़ (यू.पी.) हाल नयाखेडा चालक (2) श्री घनश्याम पुत्र श्री रामनिवास ब्राह्मण उम्र 20 साल नि. अचलापुरा थाना शिवदासपुरा हाल सूरजपोल मण्डी जयपुर परिचालक (3) श्री हरसाय पुत्र श्री छगनलाल मीना उम्र 22 साल नि. महेशपुरा मि. चाकसू हाल झालाना महल कुण्डा में (4) श्री शिवसहाय पुत्र श्री छगनलाल मीणा आयु 22 साल नि. महेशपुरा हाल झालाना महल (5) श्री छोटू पुत्र श्री छगनलाल मीणा उम्र 25 साल नि. गुढा थाना बरोनी जिला टोंक हाल कच्ची बस्ती झालाना महल (6) श्री प्रहलाद पुत्र श्री कल्याण मीणा उम्र 19 साल नि. ढाणी मीणा की सेन लोटडा थाना फागी जिला जयपुर हाल झालाना बस्ती महल के पास (7) श्री ओमप्रकाश पुत्र रामरतन बैरवा उम्र 19 साल नि. बीजरवाडा थाना अराई जि. अजमेर हाल झालाना महल कच्ची बस्ती जयपुर को हमराह लाये तलबीदा मोतबीरान रूबरू चालक से नाले में शराब खाली करने का कारण व कागजात सम्बन्धी पूछताछ करने पर कोई जबाब नहीं देने पर 100 पेटी पव्वों की खोली जाकर देखने पर सभी शराब के किंग रम थ्री ऐक्स के कम्पनी से बने हुए सील बन्द हालत में कारटून भी सीलबन्द हालत में होने से प्रति पेटी एक पव्वा बतौर सम्पल लिया जाकर मार्क बी-1 से बी-100 मार्का लगाया गया एवं बाकि 100 पेटी में प्रति पेटी 47 पव्वे बाकि के बन्द किये जाकर मार्क ऐ-1 से ऐ-100 तक मार्का लगाया गया हर सभी का यह फेल 19/54 एक्ससाईज एक्ट के तहत दण्डनीय होने से जुर्म सं. 335/93 जुर्म सदर में कायम कर तफतीश शुरू की गई। मौके से बरामदगी शराब गाडी व खड्डा खोदने के लिए पयुक्त फावडे नग 3 को जरिये फर्द जप्ति तहवील पुलिस में लिये गये मौके से श्री हनुमान मीणा एवं पप्पी मीणा नि. जगतपुरा भाग जाना पाया गया हैं। अतः हर सभी 9कस मुलजिमान के खिलाफ जुर्म सं. 335/93 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट दर्ज कर तफतीश की गई, एफ.आई.आर. की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई।

एसडी

गोविन्द देथा, एस.एच.ओ.

थाना मालवीय नगर, जयपुर

दि. 27-12-93

(152)

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न संख्या 35 का विवरण

वर्ष	क्र सं.	बीमारी	मृत्यु की दिनांक
1991	1.	पेट दर्द और उल्टीयां	14-01-1991
	2.	कोमा (मूर्छावस्था)	04-02-1991
	3.	कोमा (मूर्छावस्था)	20-04-1991
	4.	क्रोनिक ब्रान्काईटिस (पुरानी खांसी)	18-05-1991
	5.	निमोनिया	22-05-1991
	6.	पी.यू.ओ. (ज्वर)	07-08-1991
	7.	उल्टी दस्त	07-08-1991
	8.	नवजात शिशु (प्रसव जटिलता)	08-08-1991
	9.	ज्वर, उल्टी तथा सीवियर एनीमिया	13-08-1991
	10.	ज्वर	24-08-1991
	11.	दमा	28-09-1991
	12.	ज्वर तथा निर्जलीकरण	06-10-1991
	13.	उल्टी, दस्त	09-10-1991
	14.	ज्वर	10-12-1991
	15.	पी यू ओ. (ज्वर)	20-12-1991
1992	1.	एक्यूट ब्रान्काईटिस (गम्भीर खासी)	14-01-1992
	2.	तीव्र ज्वर	25-01-1992
	3.	दस्त	15-02-1992
	4.	अनेक चोटे	03-04-1992
	5.	अनेक चोटे	24-04-1992
	6.	करोनिक ब्रान्काईटिस (पुरानी खांसी)	25-04-1992
	7.	निमोनिया	04-05-1992
	8.	दमा	07-05-1992
	9.	दमा	01-06-1992
	10.	नवजात शिशु (प्रसव जटिलता)	05-06-1992
	11.	एस्थमेटिक ब्रान्काईटिस (दमा लम्बी खांसी)	10-08-1992
	12.	निमोनिया	13-06-1992
	13.	निमोनिया एव ज्वर	24-06-1992

वर्ष	क्र.सं.	बीमारी	मृत्यु की दिनांक
	14.	तीव्र ज्वर	05-07-1992
	15.	कोमा (मूर्छावस्था)	13-07-1992
	16.	उल्टी, दस्त व ज्वर	20-07-1992
	17.	निमोनिया	30-07-1992
	18	नवजात शिशु (प्रसव जटिलता)	07-08-1992
	19.	कोमा (मूर्छावस्था)	10-08-1992
	20.	हार्ट एटेक	10-08-1992
	21.	क्रोनिक रेसपिरेटरी इन्फेक्शन और कार्डियो मिगेलिन (हृदय रोग एवं लम्बी खांसी)	14-09-1992
	22.	ज्वर	17-09-1992
	23.	ज्वर	20-10-1992
	24.	ज्वर	16-12-1992
	25.	पेशाब की बीमारी	24-12-1992
1993	1.	ज्वर व पेट दर्द	08-01-1993
	2.	निमोनिया	22-01-1993
	3.	कोमा (मूर्छावस्था)	15-01-1993
	4.	ज्वर तथा निर्जलीकरण	13-01-1993
	5.	उल्टी	27-04-1993
	6.	ज्वर	17-07-1993
	7.	डिसेन्ट्री (पेचिस)	17-08-1993
	8.	हेमेरेज (रक्त स्राव)	20-08-1993
	9.	एक्यूट ब्रान्काईटिस (गम्भीर खांसी)	24-08-1993
	10.	ज्वर	29-08-1993
	11.	नवजात शिशु (प्रसवकालीन जटिलता)	31-10-1993
	12.	अनकान्शस व डिमयूरिया (मूर्छावस्था एवं पेशाब की बीमारी)	24-11-1993
	13.	दमा और खांसी	07-12-1993
	14.	गम्भीर खांसी	07-12-1993

(154)

परिशिष्ट—4-

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

विजयनगर से जालिया (II) (अजमेर) हेतु स्वीकृत 33 के. वी. लाइन

41. श्री किशनलाल कोगटा (मसूदा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने अजमेर जिले की ब्यावर तहसील में गांव जालिया-II के लिए विजयनगर से जालिया-II तक 33 के. वी. लाइन के निर्माण की पूर्व में स्वीकृति दी थी?

(2) क्या इस लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार इस निर्माण कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) अजमेर जिले की ब्यावर तहसील में ग्राम जालिया-II के लिये विजयनगर से जालिया-II तक 33 के. वी. लाइन को वर्ष 1993-94 में सम्मिलित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) जी नहीं, सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण उक्त लाइन का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

(3) सीमित संसाधन होने के कारण उक्त लाइन का कार्य इस वर्ष प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है।

ग्राम टपूकड़ा से मिलकपुर (तिजारा) तक सड़क निर्माण

42. श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार तिजारा विधान सभा क्षेत्र जिला अलवर के ग्राम टपूकड़ा से मिलकपुर तक जो कि पंचायत मुख्यालय है और जिसकी आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 के ऊपर है, को राज्य-नीति के अनुसार सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

अलवर जिले में विधान सभा क्षेत्र तिजारा के ग्राम मिलकपुर तुर्क पंचायत मुख्यालय की जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणनानुसार 1000 से अधिक न होकर केवल 811 है। वर्तमान योजनान्तर्गत प्राथमिकता में यह कार्य न आने के कारण अभी सड़क से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

लीजदार काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

43 श्री शान्तिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शान्तिकुमार धारीवाल)

(1) बून्दी जिले की हिण्डोली तहसील में लीज आराजी प्राप्त काश्तकारों की संख्या एवं सरकार द्वारा लीज पर दी गई भूमि का रकबा कितना है ?

(2) कितने लीजधारी, आराजी पर काबिज काश्तकारों ने कुएं खोद रखे है ?

(3) क्या लीज की जमीनों पर लीजदार काश्तकार को खातेदारी के अधिकार देना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले की तहसील हिण्डोली में लीज आराजी प्राप्त काश्तकारों की संख्या 854 है तथा लीज पर दी गई भूमि का रकबा 1083 हैक्टेयर हैं।

(2) उक्त 854 लीजदारान में से 830 लीजदार उनको लीज पर दी गई आराजी पर काबिज है तथा 65 काश्तकारों ने कुएं खोद रखे हैं।

(3) नियमानुसार लीजदारों की खातेदारी अधिकार दिया जाना सम्भव नहीं है। फिर भी, क्योंकि, लीजदार लम्बी अवधि से भूमि पर काबिज हैं इस समस्या पर विचार किया जा रहा है।

जिला बाड़मेर के आयुर्वेदिक चिकित्सालय

44. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में कुल कितने आयुर्वेद औषधालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बाड़मेर जिले के सभी आयुर्वेद औषधालयों में स्टाफ पूरा लगाया हुआ है ? यदि नहीं, तो कब तक लगा दिया जाएगा ?

(3) 1 अप्रेल, 1993 से 31 जनवरी, 1994 तक, बाड़मेर जिले के आयुर्वेद औषधालयों में कितनी-कितनी दवाइयां किस प्रकार की भेजी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के 86 औषधालय/चिकित्सालय एवं 1 (एक) चलचिकित्सा इकाई स्वीकृत/संचालित है। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) जी नहीं। पूरा स्टाफ लगाने की कार्यवाही की जा रही हैं।

(3) दिनांक 1-4-93 से दिनांक 31-1-94 तक बाड़मेर जिले के आयुर्वेद औषधालयों में भेजी गई दवाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

बाड़मेर जिले में स्वीकृत/संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों की सूची

क्र. सं.	स्थान	क्र. सं.	स्थान
1.	बाडमेर-5 शैय्यायुक्त	24.	भांडरवा
2.	बालोतरा	25.	कोनरा
3.	समदड़ी	26.	बावड़ी कलां
4.	सुदाबेरी	27.	स्वरूप का तला
5.	सिवाना	28.	बीसासर
6.	कौशलू	29.	विशाला
7.	अरावा दूधावतान	30.	गंगाला
8.	खेड़ मन्दिर	31.	जसाई
9.	मीठूड़ा	32.	सज्जन का पार
10.	कोटड़ी	33.	लंगेरा
11.	चौहटन	34.	कवास
12.	बायतु	35.	ऊडरवा
13.	गुडामालानी	36.	पांदी का पार
14.	धोरीमन्ना	37.	सेतराऊ
15.	मोकलसर	38.	खानियाली
16.	जसोल	39.	जयसिंहदर
17.	उमरलाई	40.	दूधू
18.	पचपदरा	41.	अरणियाली
19.	पाटोदी	42.	भूणियां
20.	खण्डप	43.	सहदाद का पार
21.	करमावास	44.	बामड़ला
22.	हरसाणी	45.	रतनपुरा
23.	भूरटिया	46.	भेडाणा

क्र. सं.	स्थान	क्र. सं.	स्थान
47.	नोखड़ा	67.	असाडा
48.	जानपालिया	68.	साजियाली
49.	बामनोर	69.	खोखसर
50.	गंगासरा	70.	सिघासवा हरिणियान
51.	सवाई पदमसिंह	71.	सिमरखियां खारा
52.	बीजराड़	72.	परालिया
53.	नीमला	73.	शिवनगरी
54.	कोटड़ा	74.	जेठन्तरी
55.	नवातला जेठमाल	75.	सेवाली
56.	उण्डू	76.	राखी
57.	गिराब	77.	रानीदेशीपुरा
58.	खड़ीन बड़ी	78.	बामसीन
59.	खुडाला	79.	आसोतरा
60.	रावतसर	80.	सेवनियाला
61.	सणपा	81.	पादरू
62.	सिणदरी	82.	कुण्डल
63.	कालेवा	83.	सिमरखिया पुरोहितान
64.	मेहलू	84.	दाखां
65.	होडू	85.	बाछडाऊ
66.	टापरा		

इसके अतिरिक्त बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एक चल चिकित्सा इकाई (आयुर्वेद) स्वीकृत/संचालित है।

(१८८)

बाड़मेर जिले के विभागीय आयुर्वेद औषधालयों को वर्ष 1993-94 में सप्लाई की गई औषधियों का विवरण

1. आयुर्वेद औषधालय बालोतरा, जसोल, आसोतरा, टापरा, अंसाडा, पादरू, मीठोड़ा, उमरलाई, अरावाढूधावतान, परालिया, शिवनगरी कुण्डल, खोखसर, जूनामीठाखेड़ा, साजयाली, पाटौदी, सिमरकिया खारा, सिमरकिया पुरोहितान, खेडमन्दिर, कालेवा, पचपदरा, समदड़ी, राणीदेशीपुरा, करमावास बामसीन, सेवाली, खण्डप, मोकलसर, राखी, सिवाना, जेठन्तरी, कोटड़ी को निम्न औषधियां दिनांक 4-6-1993 को सप्लाई की गयी है, जिनका मूल्य 1445.00 रुपये (प्रति औषधालय) है :—

क्र. सं.	नाम औषधि	मात्रा
1.	बालसुधा	0.500 किलो
2.	दशनसंस्कार चूर्ण	0.500 किलो
3.	आनन्द भैरव रस	0.100 "
4.	कर्पूरधारा	0.100 "
5.	बहेड़ा चूर्ण	1.000 "
6.	विषाण भस्म	0.200 "
7.	बेन्डेज	5 दर्जन
8.	साबुन बट्टी	1 दर्जन
9.	सोडाबाईकार्ब	0.500 किलो
10.	रामबाण रस	0.100 किलो
11.	एरण्ड तैल	0.500 लीटर
12.	निशा तेल	0.200 "
13.	शुद्ध गन्धक	0.2500 किलो
14.	रस पर्पटी	0.100 "
15.	अर्कवटी	0.250 "
16.	शंख भस्म	0.500 "
17.	कर्पद भस्म	0.250 "
18.	शांतिवर्धक चूर्ण	0.500 "
19.	लिन्ट के लिये कपड़ा	1 मीटर

2. आयुर्वेद औषधालय, सिणधरी, होडू, नोखडा, भडाना, गुडामालानी, सणपा, सिद्धासवाहरणिय, खुडाला, रतनपुरा, दांखा, रावतसर, जसाई, निम्बला, जयसिंहपुर, भाडरवा, कोटडी, उन्डू, सज्जन का पार, पान्डी का पार, खड़ीन बड़ी, खानियानी, बामड़ला, गिराब, उन्डरवा, लगेरा व धोरीमन्ना को निम्न औषधियां दिनांक 6-10-93 को सप्लाई की गई है जिनका मूल्य 2256.30 रुपये (प्रति औषधालय) है :–

क्र. सं.	नाम औषधि	मात्रा
1.	वैसलीन	1 किलो
2.	ईसबगोल भूसी	500 ग्राम
3.	वेदनानाशक	400 एम. एल.
4.	गोदन्तीभस्म	500 ग्राम
5.	बहेड़ा चूर्ण	500 ग्राम
6.	विषाण भस्म	200 ग्राम
7.	सनाय चूर्ण	500 ग्राम
8.	आरोग्यवर्धिनी	200 ग्राम
9.	रस पर्पटी	100 ग्राम
10.	निशा तेल	200 एम. एल.
11.	कोटन	5 बण्डल
12.	बेन्डेज	3 दर्जन
13.	तालिसादी चूर्ण	1 किलो
14.	कृष्ण मरहम	500 ग्राम
15.	तारपीन तेल	1 बोतल
16.	जिंक आक्साइड	2 पैकेट
17.	सोडाबाईकार्ब	2 पैकेट
18.	बोरीक पाऊडर	2 पैकेट
19.	पामाहर लेप	500 ग्राम
20.	शुभ्रा भस्म	500 ग्राम
21.	चन्द्रामृत रस	200 ग्राम
22.	चूर्ण अशोक छाल	500 ग्राम
23.	संजीवनी	200 ग्राम
24.	प्रवालभस्म	500 ग्राम
25.	नेत्र बिन्दु	500 ग्राम

(१६०)

3. आयुर्वेद औषधालय–अरणियाली, हरसानी, विशाला, बाछड़ाऊ, भूरटिया, मेहलू, कवास, वायतु, सवाई पदमसिंह, सेमदीयाल, शहदादकापार, सूदाबेरी, दूधू, कौशलू, चौहटन, सेतर, गंगाला, बिजराड, कौनरा, बिसासर, बामनोर, स्वरूप-कातला, बावडीकलां, नवातलाजेठमावुतान, जानपालिया, व गंगासरा को निम्न औषधियां दिनांक 6-10-93 को सप्लाई की गई है जिनका मूल्य 2248.30 रुपये (प्रति औषधालय) है :—

क्र. सं.	नाम औषधि	मात्रा
1.	वेसलीन	1 किलो
2.	ईसबगोल भूसी	500 ग्राम
3.	वेदनानाशक	400 एम.एल.
4.	गोदन्ती भस्म	500 ग्राम
5.	बहेड़ा चूर्ण	500 ग्राम
6.	विदाण भस्म	200 ग्राम
7.	एरण्ड तेल	500 एम. एल.
8.	निशा तेल	200 एम. एल.
9.	कोटन	5 बण्डल
10.	बेन्डेज	3 दर्जन
11.	आरोग्यवर्धिनी	200 ग्राम
12.	तालिसादी चूर्ण	1 किलो
13.	रस पर्पटी	1 किलो
14.	कृष्ण मरहम	500 ग्राम
15.	पामाहरलेप	500 ग्राम
16.	शुभ्रा भस्म	500 ग्राम
17.	चन्द्रामृत रस	200 ग्राम
18.	चूर्ण अशोक छाल	500 ग्राम
19.	संजीवनी	200 ग्राम
20.	नेत्र बिन्दू	500 ग्राम
21.	प्रवाल भस्म	500 ग्राम
22.	तारपीन तेल	1 बोतल
23.	जिंक आक्साइड	2 पैकेट
24.	सोडाबाई कार्ब	2 पैकेट
25.	बोरिक पाउडर	2 पैकेट

4. राजकीय "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय, बाड़मेर को निम्नांकित औषधियां दी गई है। दिनांक 6-10-93 को 19747.60 रुपये मूल्य की।

क्र. सं.	नाम औषधि	मात्रा
1.	वेसलीन	10 किलो
2.	ईसबगोल भूसी	5 किलो
3.	बालसूवा	3 किलो
4.	कोटन	25 बण्डल
5.	साबुन	2 दर्जन
6.	दशनसंस्कार चूर्ण	3 किलो
7.	आनन्द भैरव रस	500 ग्राम
8.	कर्पूरधारा	1 लीटर
9.	पुष्करमूल चूर्ण	1.5 किलो
10.	कर्पूर रस	200 ग्राम
11.	गोदन्ती भस्म	5 किलो
12.	बहेड़ा चूर्ण	5 किलो
13.	विषाण भस्म	500 ग्राम
14.	निशा तेल	500 एम. एल.
15.	आरोग्यवर्धिनी	1 किलो
16.	पुनर्नवादि क्वाथ	3 किलो
17.	रामबाण रस	500 ग्राम
18.	बेन्डेज	20 दर्जन
19.	शुद्ध गन्धक	2 किलो
20.	शंख भस्म	2 किलो
21.	कपर्द भस्म	2 किलो
22.	एलादी वटी	2 किलो
23.	शान्तिवर्धक	2 किलो

क्र. सं.	नाम औषधि	मात्रा
24.	तालिसादी चूर्ण	10 किलो
25.	च्यवनप्राश	5 किलो
26.	जवाहर मलहम	3 किलो
27.	जटामान्सी चूर्ण	2 किलो
28.	तारपीन तेल	5 बोतल
29.	जिंक ऑक्साइड	10 पैकेट
30.	सोडाबाईकार्ब	15 पैकेट
31.	बोरिक पाउडर	15 पैकेट
32.	पामाहर लेप	2 किलो
33.	शुभ्रा भस्म	2 किलो
34.	चन्द्रामृत रस	2 किलो
35.	शिरशूलहरवटी	1 किलो
36.	लवणभास्कर चूर्ण	5 किलो
37.	नेत्र बिन्दू	1 किलो
38.	धान्यपन्चक चूर्ण	5 किलो
39.	मंजिष्ठादि क्वाथ	5 किलो
40.	विदमज्वारि वटी	1 किलो
41.	प्रवाल भस्म	1 किलो
42.	सनाय चूर्ण	5 किलो
43.	सोमलता चूर्ण	2 किलो

सांचौर के रेफरल चिकित्सालय एवं प्राथमिक हैल्थ सेन्टर्स

45. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर कस्बे में रेफरल हास्पिटल और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक हैल्थ सेंटर स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में रेफरल हॉस्पिटल और कहां-कहां पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बने हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त चिकित्सालयों में ना तो चिकित्सक और ना ही स्टाफ उपलब्ध है ? यदि हां, तो कौन-कौन से चिकित्सालयों में कौन-कौन से चिकित्सकों के एवं कर्मचारियों के पद कब-कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रेफरल हॉस्पिटल सांचौर में पिछले लम्बे अर्से से एक्सरे मशीन खराब पड़ी है ? यदि हां, तो कब से तथा किस कारण से खराब पड़ी है और उसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, सांचौर कस्बे में एक रेफरल अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्रों में 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वीकृत रेफरल अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन बाबत सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचौर में एक्सरे मशीन सही हालत में है एवं कार्यरत है।

स्वीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची

संस्थान का नाम	भवन उपलब्ध है या नहीं
1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचौर	है
2. प्रा. स्वा. के. अरणाय	है
3. प्रा. स्वा. के. सूथडी	निर्माणाधीन
4. प्रा. स्वा. के. सॉकड	नहीं
5. प्रा. स्वा. के. झाब	है
6. प्रा. स्वा. के. चितलवाना	है
7. प्रा. स्वा. के. हाडेचा	निर्माणाधीन
8. प्रा. स्वा. के. डूंगरी	नहीं
9. प्रा. स्वा. के. पांचला	नहीं
10. प्रा. स्वा. के. बिच्छीवाही	नहीं

(164)

कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूची

क. सं.	नाम चिकित्सालय	नाम पद	तिथि
1.	सा. स्वा. के. सांचोर	क. वि. सर्जरी	सितम्बर, 92
		व. चि. अधिकारी	स्वीकृति की तिथि से
		वरि. लैब. टैक्निशीयन	पदरिक्त
		व. लि.	वर्ष 1989 से रिक्त
		क. लि.	1-9-91 से
2.	प्रसवोत्तर केन्द्र सांचोर	क. वि. (स्त्री रोग	19-1-91
3.	प्रा. स्वा. के. सांकड	चिकित्सक	जुलाई, 93 से
4.	प्रा. स्वा. के. झाव	यथा	अक्टूबर, 93 से
5.	प्रा. स्वा. के. सूथडी	यथा	मई, 93 से रिक्त
6.	बिच्छीवाडी	यथा	सितम्बर 93 से रिक्त
7.	प्रा. स्वा. के. झाव	प्रसाविका	नवम्बर, 93 से
		लैब. टैक्निशीयन	1987 से
		वरिष्ठ लिपिक	1987
		क. लि.	1987
8.	प्रा. स्वा. के. सूथडी	प्रसाविका	2/89 से
		लैब. टैक्निशीयन	2/89
9.	प्रा. स्वा. के. चितलवान	लैब. टैक्निशीयन	1986
10.	प्रा. स्वा. के. डूंगरी	लैब. टैक्निशीयन	1989
11.	प्रा. स्वा. के. पांचला	प्रसाविका	1989
		लैब. टैक्निशीयन	1989
12.	प्रा. स्वा. के., अरणाय	लैब. टैक्निशीयन	1989
		वार्ड ब्वाय	1993
13.	प्रा. स्वा. के., हडिया	स्वा. निरीक्षक	1990
		लैब. टैक्निशीयन	1990
14.	प्रा. स्वा. के. सांकड	लैब. टैक्निशीयन	1989
15.	प्रा. स्वा. के. विघावाडी	लैब. टैक्निशीयन	1993
		प्रसाविका	1993

पंचायतों के चुनाव

46. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पंचायतीराज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शेरगढ़ तहसील जिला जोधपुर में कुल कितनी पंचायतें हैं तथा नयी और कितनी बढ़ायी गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नयी पंचायत समितियों के गठन के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत व पंचायत समिति बिल कब तक पास होने की सम्भावना है और पंचायतों के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, शेरगढ़ में कुल 32 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 12 ग्राम पंचायतें नई बनाई गई हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नई पंचायत समितियों के गठन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) नया पंचायतीराज विधेयक इसी सत्र में सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। नये अधिनियम के बनने के बाद चुनाव शीघ्र कराये जायेंगे।

पंचायत समिति शेरगढ़ जिला जोधपुर की ग्राम पंचायतों के नाम :—

1. खिरजाखास
2. खिरजा तिवना
3. सोईन्तरा
4. चोरडिया
5. मुगरा
6. सोमेसर
7. तेना
8. चांदसभा
9. जेठानिया
10. शेरगढ
11. साई
12. चाबा
13. दासानियां
14. ऊंट बालिया
15. देचू
16. गडा
17. जाटा भाण्डू
18. सुवालिया
19. सोलकिया तला
20. सेतरवा
21. जेतसर (नई पंचायत)
22. कलाऊ (नई पंचायत)
23. गुमानसिंहपुरा (नई पंचायत)
24. सावरसर (नई पंचायत)
25. हिम्मतपुरा (नई पंचायत)
26. भीमसागर (नई पंचायत)
27. पाबूसर (नई पंचायत)
28. गुमानपुरा (नई पंचायत)
29. रायसर (नई पंचायत)
30. सियादा (नई पंचायत)
31. चतुरपुरा (नई पंचायत)
32. देवराजगढ (नई पचायत)

(166)

आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा शोधकर्ताओं को स्वीकृत अनुदान

47. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जनजाति विकास विभाग, उदयपुर के अधीन आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है ? यदि हां, इस संस्थान द्वारा क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं ?

(2) क्या इस संस्थान द्वारा शोध कार्य हेतु शोधकर्ताओं को कोई अनुदान राशि भी दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) पिछले दस वर्षों में किन-किन शोधकर्ताओं को कितनी-कितनी राशि दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें। इनमें से कितने शोधकर्ताओं ने अपने शोध-पत्र राशि लेने के कितने वर्षों बाद प्रस्तुत किये एवं कितनों ने अभी तक शोध-पत्र प्रस्तुत नहीं किये ?

(4) क्या इन शोध कार्यों का उपयोग जनजाति के लोगों के उत्थान हेतु योजना बनाने के लिए किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसे कितने शोध पत्रों को अब तक उपयोग किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति विकास विभाग, उदयपुर के अधीन आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर कार्यरत है। इस संस्थान द्वारा जनजाति विषयक निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं :—

(1) राज्य में आवासित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर शोध करना।

(2) जनजाति विषयक सेमीनार, कान्फ्रेन्स एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(3) जनजाति से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर शोध कार्य करने वाले शोधार्थियों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(4) राज्य की जनजातियों से सम्बन्धित प्रकाशनों को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(5) जनजाति समस्याओं पर कार्यरत शोधकर्ताओं को परामर्श पुस्तकालयी सुविधा प्रदान करना।

(6) जनजाति के सांस्कृतिक परिवेश का संरक्षण करना।

(7) जनजाति के शिक्षित युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु समय-समय पर पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना।

(2) जी हां। शोध कार्य हेतु इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष शोधकर्ताओं को अनुदान राशि प्रदान की जाती है। यह राशि व्यक्तिगत शोधकर्ताओं को अधिकतम 5,000/– रुपये एवं पंजीकृत संस्थाओं को अधिकतम 20,000/– रुपये तक प्रदान करने का प्रावधान है।

(3) यह योजना इस संस्थान द्वारा वर्ष 1985-86 से प्रारम्भ की गई है। विगत वर्षों में जिन-जिन शोधकर्ताओं को जो शोध राशि संस्थान द्वारा प्रदान की गई है, उसकी सूची सलग्न है। इस सूची वर्णित सभी शोध प्रतिवेदन यथा समय प्राप्त हुए हैं।

(4) जी हां। संस्थान द्वारा आयोजित/प्रायोजित शोध कार्यों का उपयोग जनजाति के उत्थान हेतु योजना बनाने हेतु किया जाता है। यह शोध अध्ययन योजना निर्माण हेतु सम्बन्धित विभागों/मन्त्रालयों/अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग एवं विभिन्न संस्थाओं के अनुसन्धानकर्ताओं द्वारा किया जाता रहा है।

List of Sponsored Research Projects

S. No.		Name of Researcher/ Institution	Amount (Rs.)	Title
1	2	3	4	5
	1985-86			
1.		Director, Prayas, Deogarh, Distt. Chittaurgarh	15,000/-	Agriculture and Tribal Economy (A study of Five villages in Pratapgarh Tehsil) in Rajasthan.
2.		Dr. S. L. Intodia, Professor, Deptt. of Extension Education, R.C.A., Udaipur.	15,000/-	A study on Impact of IRDP In progressive Transformation of Rural structure in Tribal Areas of Rajasthan.
3.		Miss. Malini Kale, Teacher, Govt. Girls H. S. School, Chotti-Sadri, Chittaurgarh.	5,000/-	Dakshini Rajasthan ki Bhil Janjati Ki Sanskritic Parampara Mein Sengeet Aur Vivechan.
4.		Sh. Sudha Shankar Panday, Co-ordinator, Nehru Yuvak Kendara, Dungarpur.	5,000/-	Customary Laws of Bhils : A Change Perspective.
5.		Dr. I. V. Trivedi, Lecturer, Commerce College, Sukhadia University, Udaipur.	5,000/-	A Study of Impact of Tribal Welfare Measures in Banswara District.
6.		Dr. G. D. Kabra, Lecturer, Vidya Bhawan Rural Institute, Udaipur.	5,000/-	Tribal Workers in an Industrial Setting.

1	2	3	4	5
7.		Sh. R. R. Kumar Tiwari, Teacher, S.I.E.R.T., Udaipur.	5,000/-	Relationship Among Aspiration, Intelligence and Academic Achievement of S.C. & S.T. & General Higher Secondary Students.
8.		Sh. Tushar Kant Doshi Geologist, Mines & Geology Deptt., Udaipur.	5,000/-	Mining for the Tribal Sector : Possibilities and Prospects of Employment.
	1986–87			
9.		Director, Rupayan Sansthan, Borunda (Jodhpur).	12,000/-	Customary Laws of Marriage in Bhil and Garasia Tribes.
10.		Sh. Shyam Nand Singh, Lecturer, Govt. College, Sirohi.	5,000/-	Evaluation of Incentives in Education for the S.T. and Utilisation : 'A case study of Ashram School.'
11.		Sh. Ravindra D. Pandya, Teacher, G.M.H.S. School, Khadagda (Dungarpur).	5,000/-	Tribal Art of Bagad Pradesh.
12.		Sh. Tushar Kant Doshi, Geologist, Mines & Geology Deptt., Udaipur.	5,000/-	Mining Co-operatives : problems and perspectives.
13.		Sh. Ranchor Lal Ahari, Udaipur.	2,000/-	Diseases and Treatment in a Tribal Village.

1	2	3	4	5
14.		Dr. Sundar Lal Sharma, V L. W. Saroda, Distt. Dungarpur.	4,000/-	Dakshini Rajasthan ki Janjati (Sanskriti, Lokgeet Avam Lok Nritya).
15.		Sh. N L. Khandelwal, Teacher, Govt. Hr. S. School, Abu Road, (Distt. Sirohi)	4,000/-	Garasia-Traditional Economic Institutions is Changing Trade.
16.		Sh. Hasti Mal Kothari, Research Scholar, (Sociology), Udaipur.	3,000/-	Janjati Kshetra Mein Garibi Unmunal Yojana.
	1987-88			
17.		Sh. B. L. Patidar, Teacher, Govt. H. S. School, Bankora (Dungarpur).	1,200/-	Bhilon mein Bhagat parampara : A study.
18.		Dr. H. N. Mathur, Associate Professor, R.N.T. Medical College, Udaipur.	5,000/-	Anaemia in Tribal women : Survey and Management.
19.		Dr. Mahendra Bhanawat, Dy. Director, Bhartiya Lok Kala Mandal, Udaipur.	5,000/-	Kunware Desh Ke Adivasi (Garasia Jeevan Sanskriti Aur Kala Ka Lok Dharmi Vivechan).
20.		Dr. P. C. Jain, Lecturer, M.V.S. College, Udaipur.	4,000/-	Social Movement Among Bhils of Rajasthan-A Sociological Study.

1	2	3	4	5
21.		Director, Vidya Bhawan Rural Institute, Udaipur.	20,000/-	An Economic study of Tribals Receiving Direct Benefits in T.S.P. Areas of Udaipur District.
22.		Dr. J. S. Malik, Reader, L T.T. College, Dabok.	4,000/-	A Study of Handicrafts Among Different Groups of Tribals : In Changing Prespective.
	1988-89			
23.		Dr. Vinit Sharma, C/o Sh. S. K. Sharma, 1/4, O.T.C. Scheme, Ambamata, Udaipur.	2,750/-	A Knowledge, Attitude and Practice (KAP) : Assessment of Opinion Leaders from 4 Tribal Blocks in Udaipur District with Reference to the National Family Welfares Programme.
24.		Dr. G. M. Gare, Director, T.R.I., Pune. Maharashtra.	5 000/-	Medical Plants, Herba, Roots and Fruits used by the tribal people as Medicine in Traditional Treatment of Various Diseases and illness.
25.		Sh. Lalit Bhatt, Nehru Yuvak Kendra, Dungarpur.	5,000/-	Saint Mavaji Krit "Prem Sagar" Chhopra Ki Satik Vyakhaya.
26.		Sh. Ram Lal Namoma, Nehru Yuvak Kendra, Dungarpur.	5,000/-	Sex Trade on National Highway No. 8 of Tribal Area.
27.		Dr. S. L. Doshi, Retd. Associate Professor, (Sociology) 5-K-53, Sector-11, Hiran Magri, Udaipur.	5,000/-	Jawahar Lal Nehru and Structural Modernization of Tribal Society.
28.		Director, Lok Hit Sansthan, Palthur (Dungarpur).	20,000/-	(i) Tribes of Rajasthan. (ii) Rajasthan ke Adivasi.

1	2	3	4	5
	1989-90			
29.		Dr. M. S. Trivedi, Lecturer, M.V.S. College, Udaipur.	3,500/-	Entrepreneurship Among the Bhils of Southern Rajasthan.
30.		Dr. P. R. Vyas, Lecturer, M.V.S. College, Udaipur.	3,500/-	Distribution and Planning Strategies for Education and Health Services in Tribal Region.
31.		Dr. Rajeev Jain, Lecturer, M.V.S. College, Udaipur.	3,500/-	Absenteeism and Labour Turnover in Textile Industries in Tribal Area of Southern Rajasthan.
32.		Dr. H. N. Mathur, 22, Subhash Nagar, Udaipur.	3,500/-	Detection and Management of Tuberculosis in Tribal population.
33.		Sh. Prakash Singhvi, Bhupalpura, Udaipur.	4,000/-	To study the Impact of Poverty Alleviation Programmes and their Implementation in Tribal Area through Commercial Banks.
34.		Director, Bal Sansar, Rajasthan Mahila Parishad Udaipur.	9,000/-	A survey of Orphan Homes in T.S.P. Area of Mewar. (Rajasthan).
35.		Sh. Brij Mohan Goyal, 75, Bhupalpura, Udaipur.	3,500/-	Adivasion Mein Sanchar Madhyamon ka Prabhav.
36.		Sh. K. S. Rajawat, Vice Principal, Feth Secondary School Udaipur.	4,000/-	Traditional Medicine of Tribal People and Herbs.

1	2	3	4	5
	1990-91			
37.		Administrative Director, Bhartiya Lok Kala Mandal, Udaipur.	12,000/-	Udaipur ke Bhili Kshetra ka Shodh Avam Sanskritic Servakshana.
38.		Dr. Arun Bordia, Prof. & Head, (Deptt. of Medicine) R.N.T. Medical College, Udaipur.	4,000/-	Survey of Tabacco smoking and Chewing in Tribal Area of Udaipur : Psychosocial Aspects, Economic impact and Health implications.
39.		Sh. Prakash Chandra Mehta, Research Assistant, (Evaluation Organisation), T.R.I., Udaipur.	4,000/-	Development of Child in the Bhil Society-A Study in the Patterns of Child Rearing from Inception to infancy.
40.		Sh. Ranveer Singh Lamba, 10/250, Sarwan Path, Mansarowar, Jaipur.	4,000/-	Management of Tribal Development in Rajasthan (A case study of Major Tribal Areas/Blocks).
41.		Smt. Shashi Chittora, 11, Kushal Bagh, University Road, Udaipur.	4,000/-	A study of inferiority complex, study habits and academic Achievement of Tribal and Non-tribal adolescent.
42.		Dr. Lal Chand Khatri, Lecturer (Geography) Sukhadia University, Udaipur.	5,000/-	Availability of Potable water in Tribal dominated Girwa Panchayat Samiti.

1	2	3	4	5
43.		Dr. Vishnu Prakash Mali Teacher (Drawing), Govt. Higher Secondary School, Abu Road, (Sirohi).	4,000/-	Art and Handicraft Among Garasia Tribe.
44.		Dr. S. N. Mundra, Associate Director, Directorate of Extension Education, Rajasthan Agriculture University, Jobner (Jaipur).	4,000/-	To Study the present position and future prospects of Sericulture in Tribal Villages of South Rajasthan.
45.		Dr. Arun Sinha, II/3, Colonization, J. N. Vyas Nagar, Bikaner.	4,000/-	Impact of TRYSEM Scheme on Tribals-A case study of Sirohi District.
	1991-92			
46.		Secretary, Centre for Research of Developing Weaker Sections, 96/6, Ashok Nagar Udaipur.	12,000/-	The Organisation and Function of LAMPS in Tribal Area (A comparative Study of Gujarat and Rajasthan).
47.		Chairman, Vagar Vikas Anusandhan, Avam Sikshan Sansthan, Pratapur, Banswara.	10,000/-	Rajasthan Mein Swatantreta Sangram-Vagad Ke Bhilon ka Yogdan.

1	2	3	4	5
48.		Member Secretary, Social Policy Research Institute, Jaipur.	12,000/-	Impact of Different Poverty, Alleviation and Development Programmes (A Socio-economic study of P.S. Simalwara, Dungarpur District).
49.		Sh. Sohan Lal Sharma, Lecturer, 96, Ashok Nagar, Udaipur.	4,000/-	Tribal Social Stratification in a Urban Setting.
50.		Dr. Laksmi Lal Sharma, Lecturer, 266, Ashok Nagar, Udaipur.	4,000/-	Microbial Quality of Drinking Water in home sources in Relation to Sanitary Habits in Selected Tribal Families Udaipur district.
51.		Dr. Yaqub Ali Khan, Lecturer, Kota Open University, Kota.	4,000/-	Social and Cultural Status of the Sahariyas.
52.		Sh. Jyoti Prasad Mathur, Directorate of Extension Education, Rajasthan Agriculture University, Udaipur.	4,000/-	Role of Agricultural University in the transfer of Agricultural Technology in Tribals of T.S.P. area of south Rajasthan.
	1992-93			
53.		Dr. (Mrs) Divya Nagar, Lecturer, G. S. Teachers, College V.B.R.I., Udaipur.	4,000/-	Yoga Exercise for Stress Reduction in Tribal Children.
54.		Sh. Jagdish Chandra Paliwal, 8, Hemraj Marg, Udaipur.	4,000/-	Mewar Ke Bhil Ke Lok Geet : Samaj Va Sanskriti.

1	2	3	4	5
55.		Sh. Dhram Pal Singh, 102, Gopal Bhawan, Devli.	4,000/-	Environmental Barriers in Tribal School-Students Education in Kotra and Jhadol.
56.		Sh. C. B. Purohit, Lecturer, L.T.T. College, Dabok.	4,000/-	A study of teacher behaviour with tribal students in Higher secondary classes.
57.		Dr. (Mrs) Lalita Kabra, Lecturer, V.B.R.I., Udaipur.	4,000/-	Vocational Education and Mobility Among Tribal Youth.
58.		Dr. L. P. Mathur, Retd. Associate Professor, 12, Ravindranagar, Udaipur.	4,000/-	Ideologies of the Resistance Movement of Tribals Against Colonial Rule.
59.		Sh. Prakash Chandra Mehta, 45, Ravindranagar, Udaipur.	5,000/-	Voluntary Organizations and Tribal Development.
60.		Dr. P. D. Chaudhary, Lecturer, Govt. College, Banswara.	4,000/-	Adivasi Kshetra Mein Mahila Sikshan, Swasthya Avam Bal Poshahar Ke Kriyanvayan Mein I.C.D.S. Ki Bhumika.
61.		Dr. (Mrs) Prem Lata Gandhi, 20, Bhatt-ji-ki-Bari, Udaipur.	4 000/-	A Study of Factors Responsible for low Academic Achievement of S.C./S.T. Girls in comparison of Non S.C./S.T. Girls of T.S.P. Area.
62.		Mrs. Parasmani Khicha, R-61, O.T.C. Campus, Udaipur.	5,000/-	Adivasi Asangathith Mahila Kamgar.

175

1	2	3	4	5
63.		Miss Ira Bhatnagar, Lecturer, O.T.C , Udaipur.	4,000/-	Management, Pattern & Common Property Resources in Tribal Villages-A Case Study in Udaipur District.
64.		Sh. Rakesh Bhattar, Lecturer, Govt. College, Chittaurgarh.	4,000/-	Janjati Mein Sahas (Enterprenurship) Ka Vikas.
65.		Mrs. Sugan Sharma, 112, Subhash Nagar, Udaipur.	4,000/-	Equality of Educational Opportunities at Primary Education level in Udaipur Division (A Quantative and Qualitative analysis).
66.		Sh. Chandra Prakash Ameta, 8, Pratap-ji-ki-Bari, Ambamata, Udaipur.	5,000/-	Adivasi Samaj Mein Bal Shramik.
67.		Dr. H. C. Roat, Principal, Govt. College, Dungarpur.	4,000/-	Environmental Degradation and Socio-Economic Stagnation of Bhils.
68.		Sh. Rakesh Kumar Dashora, Lecturer, Govt. College, Banswara.	4,000/-	Janjati Kshetra Mein Banking (Dakishini Rajasthan Ke Dungarpur-Banswara Zilon Ka Adhyayan).
69.		Sh. Vela Ram Meena, A.R.M., RAJAS-SANGH, Udaipur.	4,000/-	Adivasi Sanskriti Banam Dham-Dhuniya.

1	2	3	4	5
70.		Sh. Shyam Katara Teacher, Govt. Hr. S. School, Jahajpur, Bhilwara.	4,000/-	Vagad mein Maid Kshetra ke Lok geet, Nritya, Vadhyayantra Avam Sanskarti ka Ek Vishalashnatmak Adhayayan.
71.		Miss Leena Bohra, 360-A, Bhupalpura J-1, Road, Udaipur.	5,000/-	Role of Voluntary Organizations in Development of Tribal women.
72.		Dr. N. N. G. Mathur, Assistant Professor, L.T.T. College, Dabok, Udaipur.	4,000/-	A study of Problems of Women Education in P.S. Kotra.

तारांकित प्रश्न संख्या 48

(स्थगित)

जिला झुन्झुनू के अभावग्रस्त ग्राम

49. श्री रामनारायण चौधरी(मंडावा) : क्या अकाल सहायता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनू जिले में इस वर्ष कितने गांव किस-किस तहसील में अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं तथा उनकी रिपोर्ट जिला कलक्टर से सरकार को कब प्राप्त हुई है ?

(2) जिले के अभावग्रस्त गांव में कितने गांव 60 प्रतिशत, 70 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत से अधिक अकाल प्रभावित हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अभावग्रस्त गांव में कहां-कहां क्या-क्या कार्य स्वीकृत कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के आदेश सरकार ने दिये हैं ?

(4) क्या मन्त्री महोदय ने अभावग्रस्त गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है ? यदि हां, तो कब तथा कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झुन्झुनू जिले में इस वर्ष संवत 2050 में 042 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार हैं :—

1. चिड़ावा	204
2. झुन्झुनू	168
3. खेतड़ी	157
4. नवलगढ़	61
5. उदयपुरवाटी	52
	642

सरकार को इसकी रिपोर्ट जिला कलक्टर से दिनांक 20.12.93 को प्राप्त हुई थी।

(2) जिले के अभावग्रस्त गांवों में 255 गांवों में 50 से 74 प्रतिशत व 387 गांवों में 75 से 100 प्रतिशत खराबा रहा है। सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–"अ")

(3) अभावग्रस्त गांवों में राहत कार्यों को सम्पादित करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिनांक 1.2.94 को जिला कलेक्टरों को दे दिये गये। जिला झुन्झुनू में पंचायत समिति अलसीसर में 3 कार्य, चिडावा में एक कार्य, बुहाना में एक कार्य, सूरतगढ़ में एक कार्य, खेतड़ी में 2 कार्य, नवलगढ़ में 2 कार्य व उदयपुरवाटी में 2 कार्य इस प्रकार कुल 12 कार्य जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–"ब")

(4) झुन्झुनू जिले के किसी गांव का दौरा नहीं किया गया है।

परिशिष्ट—"अ"

अभावग्रस्त गांवों की सूची

क्र.सं.	नाम तहसील	कुल गांवों की संख्या	अभावग्रस्त घोषित गांवों की संख्या 50% से 74%	75% से 100%	योग
1.	चिड़ावा	204	18	186	204
2.	झुन्झुनू	273	122	46	168
3.	खेतड़ी	203	15	142	157
4.	नवलगढ़	71	57	4	61
5.	उदयपुरवाटी	82	43	9	52
	योग	833	255	387	642

परिशिष्ट—"ब"

जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम स्थान	कार्यों के नाम	कार्यों की संख्या
1.	पं.स. अलसीसर	1. सम्पर्क सड़क कालियासर 2. सम्पर्क सड़क बाडेट 3. कंकडेउ कलां से मण्डेला	3
2.	पं.स. चिड़ावा	1. मण्डेला से ढढारिया वाया बजावा सड़क	1
3.	पं.स. बुहाना	1. सांतोर से निहालोठ राज्य सीमा तक सड़क	1
4.	पं.स. सूरतगढ़	1. बलौदा से उरोंका सड़क	1
5.	पं.स. खेतड़ी	1 मानोताजटान से लोयल सड़क 2. नगली सलेदीसिंह से जसरापुर की सड़क	2
6.	पं.स. नवलगढ़	1. प्रा. कन्या पाठशाला की चार दीवारी 2. प्रा. विद्यालय लाख की ढाणी की चार दीवारी निर्माण	2
7.	पं.स. उदयपुरवाटी	1. केटू से चवरा वाया मैनपुरा की सड़क 2. केड से भाटी वाड वाया बास बिसना सड़क	2
		योग	12

शून्य बजट प्रणाली

50. श्री महेन्द्र मीणा (सिकराय) : एवं

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार 'शून्य बजट" पद्धति लागू करने का विचार रखती है ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1 व 2) राज्य सरकार का सम्पूर्ण बजट शून्य बजट पद्धति में नहीं बनाया जा रहा है। शून्य बजट पद्धति की भावना का यथासंभव ध्यान अवश्य रखा जाता है विभिन्न विभागों को यह निर्देश हैं कि उनके द्वारा व्यय का पुनरावलोकन किया जावे तथा अनुत्पादक व्यय को कम करने का प्रयास किया जावे। राज्य सरकार के स्तर पर मितव्ययिता समिति का भी गठन किया गया है तथा मितव्ययिता समिति का कार्य भी अनुत्पादक व्यय को समाप्त करने के सुझाव देना है।

राजकीय महाविद्यालय, डीग (भरतपुर)

51. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या डीग (भरतपुर) स्थित राजकीय महाविद्यालय की मान्यता राजस्थान विश्वविद्यालय से हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इस महाविद्यालय में इस सत्र में वाणिज्य एवं विज्ञान की कक्षाएं प्रारम्भ करने की कोई योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय महाविद्यालय, डीग के कला संकाय का स्थाई सम्बन्धन महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा दिनांक 20.6.1988 को हो चुका है तथा वाणिज्य संकाय में स्थाई सम्बन्धन 5-2-1993 को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से हो चुका है। वर्ष 1989 में जब राजस्थान विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण हुआ तो महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय से सम्बन्धन स्वयमेव राजस्थान विश्वविद्यालय से हो गया। अत: नये सिरे से सम्बन्धन की आवश्यकता नहीं थी।

(2) इस महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय पहले से ही चल रहा है तथा यहां विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मानदण्डों, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों तथा गुणावगुण के आधार पर अन्य प्रस्तावों के साथ विचार करना सम्भव हो सकेगा।

राजस्व मण्डल का पुनर्गठन

52. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार राजस्व मण्डल के पुनर्गठन पर विचार कर रही है ताकि राजस्व मण्डल में विचाराधीन मामलों को तेजी से निपटाया जा सके ?

(श्री विष्णु मोदी)

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्व विभाग ने राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो प्रस्तावित कार्य योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर कोई निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ? यदि नहीं, तो निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ?

(2) राजस्व विभाग ने राजस्व मण्डल में सदस्य के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा की चयनित वेतन शृंखला के अधिकारियों की नियुक्ति हेतु एक मन्त्रिमण्डल ज्ञापन मन्त्रिमण्डल के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है।

(3) मन्त्रिमण्डल के द्वारा चार भारतीय प्रशासनिक सेवा के चयनित वेतन शृंखला के अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय की क्रियान्विति हेतु सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबन्ध

53. **श्री रामेश्वरलाल भाटी** (सुजानगढ़): एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि प्रदेश में बालक एवं बालिकाओं के जन्म के सम्बन्ध में गर्भावस्था के दौरान भ्रूण परीक्षण के मामले बढ़ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप अपराधी प्रवृत्ति बढ़ रही है ? क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान कराया है ?

(2) क्या राज्य सरकार गर्भावस्था में बच्चों के लिंग परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाये जाने पर गम्भीरता से विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) गर्भावस्था के दौरान बालक एवं बालिकाओं के सम्बन्ध में भ्रूण परीक्षण, विभाग के अधिनस्थ चिकित्सालयों में साधारणतया नहीं किया जाता, मगर कतिपय किन्हीं कारणों से निजी चिकित्सालयों में इस प्रकार के भ्रूण परीक्षण किया जाना अस्वाभाविक नहीं है। भ्रूण परीक्षण बाबत अभी तक किसी प्रकार का कोई अनुसंधान कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी।

(2) राजकीय सभी संस्थानों में इस प्रकार भ्रूण परीक्षण नहीं किये जाने बाबत राज्य सरकार सचेत एवं गम्भीर है। मगर निजी संस्थानों पर अभी तक किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होने के कारण फिलहाल इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

एन. टी. सी. डिग्री की मान्यता

54. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या पंचायतीराज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने

(श्री रिछपालसिंह)

एन. टी. सी. को एस. टी. सी के समकक्ष मान्यता समाप्त कर दी है ? यदि हां, तो एन. टी. सी. धारक अध्यापकों को अब सेवा में रखने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

जी नहीं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने आदेश दिनांक 30-10-92 के द्वारा एन टी. सी प्रशिक्षित धारक को पंचायत समिति की शालाओं में अध्यापन के योग्य नहीं माना। एन टी. सी. धारक अस्थाई अध्यापकों को वर्तमान में सेवा में नहीं रखा जा रहा है।

पशु चिकित्सों को नॉन प्रेक्टिस भत्ता

55. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पशु चिकित्सकों पर प्रेक्टिस करने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ? क्या सरकार इन्हें नान प्रेक्टिस अलाउंस देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। जो पशु चिकित्सक राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उनके द्वारा घर पर प्रेक्टिस करने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। तदनुसार राज्य सरकार ने नॉन प्रेक्टिस भत्ता स्वीकृत नहीं किया है।

तारांकित प्रश्न संख्या 56

(स्थगित)

राज्य में हाईटेन्शन औद्योगिक विद्युत कनेक्शन

57. **श्री हरीसिंह** (महुवा) एवं **श्री परसादी लाल** (लालसोट) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में हाईटेन्शन औद्योगिक विद्युत कनेक्शन कितने हैं ? इनसे बोर्ड को कुल कितनी वार्षिक आय होती है ?

(2) किस-किस औद्योगिक इकाई पर कितना-कितना बकाया है ? पिछले तीन वर्षों की बकाया की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विद्युत बोर्ड ने उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए क्या-क्या प्रयत्न किये ?

उत्तर

(1) माह फरवरी, 1994 के बिलिंग के अनुसार राज्य में 1084 एस. टी. औद्योगिक उपभोक्ता (125 के.वी से ऊपर) हैं, जिनसे औसतन अनुमानित राजस्व वर्तमान वित्तीय वर्ष (1993-94) में लगभग 55 करोड़ रुपया प्रति माह है।

(2) बिलिंग माह मार्च, 1991, 1992 एवं 1993 के अनुसार उच्च तापीय उपभोक्ताओं पर बकाया राशि की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) मार्च, 1993 में उच्च तापीय उपभोक्ताओं के विरुद्ध कुल बकाया का 45 67% न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण बकाया है, जिनके समय पर निपटारे हेतु मण्डल के प्रभारी अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं द्वारा हर सम्भव प्रयास

(ऊर्जा मंत्री)

किये जाते रहे हैं। फलस्वरूप गत वर्ष 6 करोड़ रुपये वसूल किये गये हैं। इसके अतिरिक्त मार्च, 1993 की उच्च तापीय उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया का 39.66% बकाया उन उपभोक्ताओं में हैं जिनके विद्युत सम्बन्ध विच्छेद (डी. सी.) किये जा चुके हैं। ऐसे उपभोक्ताओं से वसूली के लिये राज्य सरकार के आदेश दिनांक 7-3-1989 एवं मण्डल के आदेश दिनांक 24-7-1990 के तहत विशेष छूट दी जाती है। यदि वे पुनः विद्युत सम्बन्ध के लिए आवेदन करते हैं। इनमें सम्बन्ध विच्छेद के उपरान्त न्यूनतम चार्जेज में छूट एवं ब्याज की दर में राहत शामिल है। इसके अलावा वसूली के तहत कार्यवाही करने एवं मण्डल राशि वसूल करवाने हेतु लिखा जाता है। प्रत्येक वृत में अधिशासी अभियन्ता स्तर का एक अधिकारी तैनात किया हुआ है जिसे अधिशासी अभियन्ता (रिकवरी) कहा जाता है। जिसका प्रमुख कार्य ही उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली करना है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ब्राह्मणी नदी (बेगूं) पर पुलिया का निर्माण

58. श्री चुन्नी लाल धाकड़ (बेगूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र बेगूं में बोराव के पास ब्राह्मण नदी पर गोपालपुरा पंचायत मुख्यालय को जोड़ने हेतु पुलिया बनाने का प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक स्वीकृति हो जायेगी?

उत्तर

बोराव के पास ब्राह्मणी नदी पर गोपालपुरा पंचायत मुख्यालय को जोड़ने हेतु पुलिया बनाने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन नहीं है।

सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में चिकित्सा व्यवस्था

59. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला की चक आबादी 14 बी. डी., 20 बी. डी. दंतोर, बल्लर आबादियों में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है? यदि हां, तो कब तक चिकित्सा सुविधा प्रदान कर दी जायेगी?

उत्तर

जी नहीं। खाजूवाला की चक आबादी 14 बी. डी. में उप केन्द्र स्वीकृत है। दंतोर तथा बल्लर में कोई संस्थान स्वीकृत नहीं है। मगर खाजूवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर अन्य स्थानों के साथ ग्राम दंतोर एवं बल्लर में उप केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(१८५)

श्री डूंगरगढ़ थाने में दर्ज प्रकरण

60. श्री किशना राम नाई (डूंगरगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री डूंगरगढ़ थाने के अधीन वर्ष 1993 में धारा 302 तथा 307 के अन्तर्गत कौन-कौन से मुकदमें किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमों में एफ. आई. आर. दर्ज होने के पश्चात् किन-किन मुल्जिमानों को कब-कब, कहां-कहां से गिरफ्तार किया गया?

(3) क्या उक्त मुल्जिमनों में ऐसे भी हैं जो काफी समय बाद गिरफ्तार हुए? यदि हां, तो कब-कब और इतने समय बाद क्यों गिरफ्तार किये गये?

(4) उक्त मुल्जिमनों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही आज तक की गई है?

उत्तर

(1) श्री डूंगरगढ़ थाने के अधीन वर्ष 1993 में धारा 302 के अन्तर्गत 3 (तीन) तथा धारा 307 के अन्तर्गत 8 (आठ) अभियोग पंजिबद्ध हुए हैं अभियोगों में लिप्त अभियुक्तों के सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट (अ) में संलग्न हैं।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट (अ) के कालम में अंकित है।

(3) जी नहीं। अभियुक्तगण के खिलाफ जुर्म साबित होने पर उन्हें तुरन्त बिना देरी किए गिरफ्तार किया गया सूचना परिशिष्ट (अ) में अंकित है।

(4) गिरफ्तार किये गये सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जा चुके हैं। उपरोक्त अभियोगों की सम्पूर्ण प्रगति परिशिष्ट "अ" के अंतिम कालम संख्या 5 में अंकित है।

परिशिष्ट (अ)

श्री डूंगरगढ़ थाने के अधीन वर्ष 1993 में धारा 302 व 307 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों की सूची

क्र. सं.	नं. दि. व धारा	एफ. आई. आर. में नाम जद मुल्जिमों के नाम	गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का नाम दि. व स्थान	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	मु. नं. 92 दि. 12-6-93 धारा 302, 120 बी. ता. हि.	रामकरण जाट श्रीमती कालती पत्नी	रामकरण जाट को दि. 17-6-93 को मोजाधीर देसरं चोहियान में गिरफ्तार किया गया।	दि. 13-9-93 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं।
2.	मु. न. 101 दि. 18-6-93 धारा 302 ता. हि.	अज्ञात	—	अभियोग अन्वेषणाधीन है।
3.	मु. नं. 228 दि. 28-11-93 धारा 302 325, 323, 447 ता. हि. व 3 (1) (5) (4) एस/एटी/एक्ट	भंवराराम, गोपीराम श्रीमती धापु गोरा व कालती	भंवराराम व गोपीराम को दि. 25-11-93 तथा श्रीमती धापू को दि. 26-12-93 को मोमासर में गिरफ्तार किया गया।	दि. 11-1-94 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियुक्त भंवराराम व गोपीराम न्यायिक हिरासत में हैं। श्रीमती धापू जमानत पर है।
4.	मु. नं. 1 दि. 1-193 धारा 307, 323, 34 ता. हि.	कोडियां पूसाराम की लड़की	कोडिया को दि. 20-1-93 को सूडसर से गिरफ्तार किया गया।	दि. 20-2-93 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियुक्त जमानत पर हैं।

(185)

(१८८)

1	2	3	4	5
5.	मु. म. 105 दि. 22-6-93 धारा 307, 326, 323, 452 व 34 ता. हि.	भंवर सिंह, अमर सिंह, सोहन सिंह बाबुलाल भंवरसिंह, अमरसिंह तथा सोहनसिंह की पत्नी	—	अनुसंधान से मामला झूठा पाया गया अभियोगमें अन्तिम प्रतिवेदन बसिगे अदम व कू (झूंठ) में दि. 28-8-93 को प्रस्तुत किया जा चुका है ।
6.	मु. नं. 110 दि. 24-6-93 धारा 307, 324, ता. हि.	परतनाथ	परतनाथ को दि. 24-6-93 को पूंनरासर में गिरफ्तार किया गया ।	दि. 13-8-93 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है । अभियुक्त जमानत पर है ।
7.	मु. नं. 144 दि. 1-8-93 धारा 307, 447, 323 34 ता. हि.	जगदीश, भगवानाराम, बहादुरनाथ तथा श्रीमती बाली	जगदीश, भगवानाराम, बहादुरनाथ व श्रीमती बाली को दि. 24-8-93 को बेनीसर में गिरफ्तार किया गया ।	दि. 2-10-93 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है । सभी अभियुक्त जमानत पर हैं ।
8.	मु. नं. 175 दि. 28-8-93 धारा 307, 341, 147, 148, 149 ता. हि. व 25 आर्म्स एक्ट	मनफूल, ब्रजलाल, मनीराम सूण्डाराम, ओमप्रकाश, हेतराम, शंकर तथा हरलाल	ब्रजलाल, ओमप्रकास, हेतराम, शंकर, व हरलाल को दि. 20-10-93 को सांवतसर से गिरफ्तार किया ।	अभियोग का अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है । न्यायालय में चालान प्रस्तुत करना शेष है ।

1	2	3	4	5
9.	मु. नं. 192 दि. 23-9-93 धारा 323, 324, 147, 148, 149 ता. हि. 3 (1) (10) एससी/एसटी एक्ट	सवाईसिंह, मोहनसिंह मदनसिंह, घूडसिंह, मूलसिंह नरसिंह, सुल्तानसिंह, मालसिंह	सवाईसिंह, मोहनसिंह, मदनसिंह, मूलसिंह को दि. 18-10-93 को तथा घूडसिंह, नरसिंह, सुल्तान-सिंह, मालसिंह को दि. 19-12-93 को सोनियासर में गिरफ्तार किया गया।	सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दि. 12-1-94 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। जहां सभी अभियुक्त जमानत पर हैं।
10.	मु. नं. 223 दि. 11-11-93 धारा 307, 147, 148, 149, 341, 323, 336, 427 ता. हि.	जीवराज, मदनलाल, सीताराम करणीसिंह, सोहनलाल देवकीब्राह्मण, सहीराम हरवीरसिंह, साधूराम, बाबूलाल, जगदीश, रणधीरसिंह प्रेमसिंह, सन्तोसिंह, राजेन्द्रसिंह, पवन, सुरेन्द्र, शक्तीस्वामी, सत्यनारायण, हरिराम तथा ओमप्रकाश	—	अभियोग अन्वेषणाधीन हैं।
11.	मु. नं. 233 दि. 25-11-93 धारा 307, 323, 342, 364, 336, 347, 148, 149 ता. हि.	पप्पू, पतराम, ठाकरमल, मदनलाल, मालचन्द, किसनाराम, मोतीलाल, जयप्रकाश, अजीज कन्हैयालाल, व 20-30 अन्य	—	अभियोग अन्वेषणाधीन हैं।

भरतपुर-मथुरा बाईपास रेलवे ओवरब्रिज

61. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर मथुरा बाई-पास रेल्वे ओवरब्रिज कब तक बनकर तैयार होगा ?

(2) वर्तमान में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

(3) क्या वैकल्पिक व्यवस्था से आम जनता सहमत है ?

उत्तर

(1) इस पुल का निर्माण रेल्वे विभाग द्वारा कराया जाना है ।

(2) यातायात की दृष्टि से भारी वाहनों के लिये रीको रोड़ से नवीन अस्पताल के सामने होकर तथा दो पहिये वाहनों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था मालगोदाम रोड़ होकर की गयी है ।

(3) जी हां ।

(189)

परिशिष्ट–5

तारांकित प्रश्न संख्या 38 की सूची

दिनांक 31-1-94 को राज्य के कारागृहों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के तहत निरुद्ध व्यक्तियों की सूची

क्रम सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत तथा स्थाई पता	संबंधित अदालत का नाम	कारागृह जहां पर निरुद्ध है
1.	बंदी दीनाराम पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल नि. गोरडी चाचा थाना डेगाना जिला नागौर	कार्यपालक दण्डनायक डेगाना	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर
2.	बंदी कद्दू पुत्र धूलजी जोगी निवासी तंबोलो	एस. डी. एम., डूंगरपुर	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर
3.	बंदी मंजूर अहमद पुत्र शाह अहमद	एस. डी. एम. जैसलमेर	जिला कारागृह, जैसलमेर
4.	बंदी मोहम्मद अजीम पुत्र रहमत अली	एस. डी. एम., जैसलमेर	जिला कारागृह, जैसलमेर
5.	बंदी इब्राहीम उर्फ सुलेमान पुत्र रहीम	एस. डी. एम., जैसलमेर	जिला कारागृह, जैसलमेर

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 की सूची

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	शीर्षक	वर्ष	दर्ज अप	एफ. आर.	पेंडिंग	चालान
1.	डकैती	1991	—	—	—	—
		1992	—	—	—	—
		1993	—	—	—	—
2.	लूट	1991	10	6	—	4
		1992	6	4	—	2
		1993	5	1	—	4
3.	हत्या	1991	6	2	—	4
		1992	3	2	—	1
		1993	5	3	—	2
4.	बलवा	1991	95	34	—	61
		1992	90	22	—	68
		1993	99	14	—	85
5.	नकबजनी	1991	33	21	—	12
		1992	23	16	—	7
		1993	27	17	—	10
6.	चोरी	1991	72	53	—	19
		1992	63	47	—	16
		1993	61	43	1	17
7.	बलात्कार	1991	5	2	—	3
		1992	4	1	—	3
		1993	2	1	—	1

परिशिष्ट — 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 42 की सूची

Revised Rules Regulating Transfer / Migration from other Engineering Colleges to Malaviya Regional Engineering College, Jaipur as approved by the Minister for Technical Education and the Chairman of the Malviya Regional Engineering College Society (on behalf of the Society) and the Chief Minister of Rajasthan on 29th September and 7th October, 1992 respectively.

1. There will be no migration/transfer in I B.E./I B. Arch. from any College.
2. While considering any migration cases it may be ensured that the candidate possesses the minimum eligibility qualifications prescribed by the University of Rajasthan for admission to Malav'ya Regional Engineering College, Jaipur.
3. Any student desiring transfer/migration can be considered for admission at II B.E./II B. Arch. classes only.
4. The migrant candidate should have passed all the components of I B.E./I B. Arch. at the time of admission.
5. A case for the migration/transfer of a student should be considered only if there is a vacancy in the stipulated number of seats in any branch of the College, subject to his fulfilling the conditions stipulated below under 8 or 9 as the case may be.
6. The number of migrations/transfers should be limited to the vacancies in the concerned branches:
7. Students who wish to seek admission to the degree course after the diploma course can be admitted only as fresh students and not through the process of migration/transfer.
8. Rules for students admitted in other Colleges through the selection process of PET examination conducted in Rajasthan.

8.1 Any such student would be considered eligible for admission at Malviya Regional Engineering College through the process of transfer/migration only if his total aggregate of marks obtained at PET is at least equal to aggregate scored by the last admitted student in the corresponding year in the corresponding branch at this College.

8.2 If a student seeks admission to any other branch that allotted to him in his parent college, he can be considered eligible only if his PET marks are at least equal to those of the last student admitted to the branch for which he is seeking admission, in the corresponding year.

9. Rules for all other students :

9.1 The student belonging to any other engineering College of any other province in India can be considered for migration/transfer only if his qualifying marks are atleast equal to the marks scored by the last student admitted from that State at this College in corresponding year. The qualifying examination here means a PET examination of the State if the State is conducting such an examination or the qualifying examination accepted by this College for the purpose of admission in case the State is not holding any such examination.

9.2 Any student can be admitted to a branch other than that allotted to him in the parent College, provided his marks are at least equal to the marks of the last admitted student from that State in the desired branch, in the corresponding year.

10. All such students who have been admitted at this College will have to give an undertaking to the effect that they would aggree to appear and clear any examination, which the Principal of the College would decide on, for fulfilling the equivalence requirements of the Rajasthan University. The Principal in consultation with the Dean Rajasthan University would decide the method and timing of such an examination, which would be termed as back examination for the concerned student The student will also be governed by the rules framed by the University in respect of migrating students for computation of division at Final B.E.

11. The Principal with the approval of the Chairman, will be the administrative authority for grant of migration as per rules.

12. Wherever there are more number of candidates eligible than the number of vacancies, candidate seeking migration on the grounds of terminal disease of a parent or the death of a parent supporting the candidate may be given preference on account of sympathetic consideration.

13. Migrations will not be allowed beyond one month of the starting of regular II B.E./II B. Arch. Classes.

परिशिष्ट-अ

	विशेष कारण यदि हो
	8
वत	मालवीय रीजनल इंजी. कालेज समिति के तत्कालीन अध्यक्ष के आदेशानुसार
	,,
	कालेज के प्रवासन नियमों के अनुसार
धी	मालवीय रीजनल इंजी. कालेज समिति के तत्कालीन अध्यक्ष के आदेशानुसार
	उपरोक्त
	उपरोक्त
	कालेज के प्रवासन नियमों के अनुसार
ास्तव	मालवीय रीजनल इंजी. कालेज समिति के तत्कालीन अध्यक्ष के आदेशानुसार
	उपरोक्त
	उपरोक्त
	उपरोक्त
	उपरोक्त
ा	उपरोक्त

1	2	3
1990-91	मा. री ई कालेज, जयपुर	इंजीनियरिंग क (अमरावती)
,,	,,	एम. बी. एम. जोधपुर
,,	,,	कालेज आफ इं त्रिवेन्दरम
,,	,,	एम. बी. एम. जोधपुर
,,	,,	बिहार इंस्टीट्यू लोजी, सिन्दरी
,,	,,	बी. एल. कालेज पुसाद (महारा
,,	,,	रीजनल ई. का
,,	,,	,
,,	,,	,
,,	,,	,,
,,	,,	,
,,	,,	,
,,	,,	,
,,	,,	,
,,	,,	
,,	,,	
,,	,,	,
,,	,,	,
,,	,,	,,

(195

[343

8

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार इन छात्रों को क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, श्रीनगर से इस महाविद्यालय में प्रवासित किया गया ।

उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त
उपरोक्त

न

1	2	3
1991–92	मा. री. ई. कालेज, जयपुर	कालेज आफ (महाराष्ट्र)
,,	,,	डी. वाई. जी इंजी. पूना (
,,	,,	एम. एस. युनि
,,	,,	बिहार इन्सी. सिन्धरी (धन
,,	,,	इंजी. कालेज,
,,	,,	
,,	,,	इन्जी. कालेज
,,	,,	एम. बी. एम जोधपुर
,,	,,	
,,	,,	रीजनल इंजी जलन्दर
,,	,,	एम. बी. एम. जोधपुर
,,	,,	इंजीनियरिंग कोटा
1992–93		

(१९४)

वर्ष	नाम कालेज जहां भर्ती किये	नाम कालेज जहां भर्ती होने वाले
1	2	3
वर्ष 1988-89 एवं 1989-80 में राज		
1990-91	इंजीनियरिंग कालेज, कोटा	बाबा साहिब ना आफ इंजी पुसा विश्वविद्यालय म
1990-91	इंजीनियरिंग कालेज, कोटा	रीजनल इंजीनिय श्रीनगर
"	"	"
"	"	"
"	"	"
"	"	"
"	"	"
"	"	"

8

र्ग

कालेज के प्रवासन नियमों के अनुसार

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार इन छात्रों को अभियांत्रिकी महाविद्यालय, श्रीनगर से इस महाविद्यालय में प्रवासित किया गया ।

उपरोक्त

उपरोक्त

उपरोक्त

उपरोक्त

उपरोक्त

उपरोक्त

उपरोक्त

उपरोक्त

उपरोक्त

उपरोक्त

उपरोक्त

उपरोक्त

उपरोक्त

(199)

8

राज्यादेश क्रमांक एफ 5 (6) त. शि/ 90 दिनांक 3-7-90 एवं विशेष परिस्थितियों में कालेज बन्द होने के कारण

"

"

ंल

"

"

"

ंरग कालेज, कोटा में दाखिला नहीं दिया गया ।

वर्ष	नाम कालेज जहां भर्ती किये	नाम कालेज भर्ती होने वा
1	2	3
1988–89	—	—
1989–90	—	—
1990–91	माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट भीलवाड़ा	इंजीनियरिंग बम्बई
"	"	रीजनल इंजीनि जालंधर

नोट :—वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं 199

1988–89	|	
1989–90	|	
1990–91	|	शू
1991–92	|	
1992–93	|	
1993–94	|	

परिशिष्ट 8

परिशिष्ट (क)

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 की सूची

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र (जहाजपुर तहसील एवं कोटडी की 12 पंचायतें) की सड़कों का विवरण एवं स्थिति

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्कीम का नाम	कुल लम्बाई कि.मी.	वर्तमान स्थिति. डामर	मैटल	ग्रेवल	कच्ची	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	माण्डलगढ़ देवली (एम.डी.ग्रार. 7)	जे.आर.वाई ॥/फेमिन	47	47	—	—	—	
2.	मीलवाड़ा कोटड़ी जहाजपुर	—	39	39	—	—	—	
3.	शाहपुरा जहाजपुर	—	23	23	—	—	—	
4.	ईटुन्दा देवा का खेड़ा	ग्रार.एल.ई.जी.पी.	06	06	—	—	—	
5.	पण्डेर सावर रोड	एन.ग्रार.ई.पी.	10	10	—	—	—	
6.	एप्रोच रोड पण्डेर	—	01	01	—	—	—	
7.	सरसीया मेडिया नेनवा	जे.ग्रार.वाई. ॥/फेमिन	11	11	—	—	—	
8.	जहाजपुर शक्करगढ़	फेमिन/एम.एन.पी	15	15	—	—	—	
9.	पारोती विशनिया आमली	फेमिन 2050	15	—	4	3	8	
10.	अमरवासी लुहारीकलां ईटुन्दा	एम.एन.पी /एन.आर.ई.पी. /जे.आर.वाई. ॥/फेमिन	14	14	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	घाटारानी जहाजपुर खजूरी	एन.आर ई.पी.	19	10	—	1	8	
12.	पारोली काछोला	फेमिन	5 5	—	—	5.5	—	
13.	खजूरी आमलदा मनोहरपुरा भग्गुनगर	जे.आर.वाई. ।।/फेमिन न्यू जे.आर.वाई.	15.5	—	6	9.9	—	
14.	खजूरी बांकरा टिटोडा	आर.एल.ई.जी.पी./जे.आर. वाई, । /फेमिन न्यू जे.आर.वाई.	18	—	9	9	—	
15.	नाथूण बिलेठा ईटुन्दा	जे.आर.वाई. ।।/फेमिन फेमिन 2050	15	—	—	12	3	
16.	एप्रोच रोड़ कुचलवाडा	फेमिन	3	3	—	—	—	
17.	कोटड़ी घेवरिया काछोला	फेमिन 2050	19	—	—	11	8	
18.	धांधोला गांगथिला धुंवाला	जे.आर.वाई. ।।/फेमिन	19	—	—	15	8	
19.	बिहाडा से अजमेर जिला सीमा सड़क	एम.एन.पी.	11.5	8	—	—	3.5	
20.	दांतड़ा विशनिया	एम.एन.ई.पी./आर.एल.ई. जी.पी/जे.आर.वाई.	11	3.5	7	0.5	—	
21.	शक्करपुरा जामोली	एम.एन.पी. / आर.एल.ई. जी.पी.	5	5	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	एप्रोच रोड धोड	माडा	1.25	1.25	—	—	—	
23.	एप्रोच रोड बिजेठा	माडा	0.75	0.75	—	—	—	
24.	एप्रोच रोड कालाभाटा	माडा/निर्बन्ध	4	—	—	3.80	0.20	
25.	मोपालपुरा टिटोडा	एम.एन.पी./जे.आर.वाई.।। /फेमिन	5	2.90	—	—	2.10	
26.	एप्रोच रोड पारोली	फेमिन	0.75	0.75	—	—	—	
27.	एप्रोच रोड सरसिया चारण	एन.एन.पी.	4	—	—	1	3	
28.	एप्रोच रोड बागूदार	जे.आर.वाई. ।।/फेमिन	4	—	—	—	4	
29.	खजूरी आमलदा चेनपुरा	जे.आर.वाई. ।।/फेमिन	6	—	—	—	6	क्र. सं. 13 पर खजूरी से आमलदा, का भाग 6 कि.मी. मैटल सड़क सम्मिलित है ।
30.	शेरपुरा दलपुरा	जे.आर.वाई. ।।/फेमिन	4	—	—	—	4	
31.	जामोली रोपा	एम.एन.पी.	6	—	—	—	6	यह सड़क मात्र भरनी कलां तक है । शेष हिस्सा क्र.सं. 33 पर है ।

(203)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	संगतपुरिया-बीरथोल	आर.एल.ई.जी.पी./ जे आर.वाई.	4	—	4	—	—	
33.	एप्रोच रोड मरनीकलां	जे आर.वाई. II/फेमिन	6.5	—	—	1.5	5	
34.	सरसिया बिजेठा	जे-आर.वाई. II/फेमिन	6.30	—	—	3	3.30	
35.	बावडी रोपा	फेमिन 2050	7.5	—	—	1	6.5	
36.	टिटोडी से गंधेर वाया टिटोडामाफी	फेमिन 2050/जे.आर.वाई	5.5	—	—	—	5.5	टिटोडी से टिटोडा भाग भोपालपुरा–टिटोडा सड़कमें सम्मिलित है क्र.सं. 25
37.	खजूरी से काछोला वाया उरण बांकरा शेरपुरा टिटोडा खरथला	फेमिन 2050	25.5	—	9	9	7.5	क्र. सं. 14 में 18 कि.मी. भाग सम्मिलित है।
38.	शक्करगढ़ बांकरा	फेमिन 2050	6	—	—	1	5	
39.	सांकडा से कांटी वाया बेलवा मेडियाखेडा	फेमिन 2050	6	—	—	—	6	
40.	बिसनियां से अरणी वाया आगरिया	फेमिन 2050	5	—	—	—	5	
41.	कोटडी शहपुरा रोड से कोटडी पापलाज चौरास्या वाया गूदडोली पापलाज शिवनगर	फेमिन 2050	3	—	—	—	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	छापरेल ग्रासोप बोरडा	फेमिन 2050	5	—	—	5	—	
43.	शक्करगढ़ किशनगढ़	फेमिन 2050	12	—	—	—	12	
44.	कोठाज से कांटी	के.यू.एम.एस.	5	5	—	—	—	
45.	शक्करगढ़ बोरडा नाथूण वाया लासोडा	फेमिन	13	—	—	5	8	
46.	एप्रोच रोड गुढ़ा	फेमिन	12	—	—	2	10	
47.	एप्रोच रोड बेई	फेमिन	4.5	—	—	2.5	2	
48.	एप्रोच रोड जालमपुरा	—	2	—	—	2	—	
49.	एप्रोच रोड सांकडा	—	1	1	—	—	—	
50.	शाहपुरा कोटडी	—	13	13	—	—	—	

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट क

1000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयजो सड़क से जुड़ा है की स्थिति :—

पंचायत मुख्यालय जो सड़क से जुड़ा है की सूची

1. टीवड
2. अमरवासी
3. लुहारीकलां
4. इटुन्दा
5. पाण्डेर
6. रोपी
7. सरसिया
8. पोपलून्द
9. शक्करगढ़
10. बिहाडा
11. टिटोडी
12. गाडोली
13. कुराडिया
14. उलेला
15. खजूरी
16. अमरगढ़
17. भगूनगर
18. रावतखेडा
19. ऊंचा
20. जामोली
21. धोड
22. पारोली
23. दातडा
24. बारथोल
25. रासेट
26. बोरडा
27. छापरेल
28. कोठाज
29. कुच्छलवाडा (ग्राम)
30. देवरिया (ग्राम)
31. बिलेठा (पंचायत मुख्यालय)
32. मंशा (पंचायत मुख्यालय)
33. आमलदा (पं. मु.)
34. टीटोडा (पं. मु.)
35. बावडी (पं. मु.)
36. सांवडा (पं. मु.)
37. गेहूंली (पं मु.)
38. विशनिया (पं मु.)
39. गांगीथला (पं. मु.)
40. भरनीकलां (पं. मु.)
41. बांकडा (पं. मु.)
42. धुवाला (पं. मु.)
43. वेई (पं. मु.)
44. बड़ौदा (पं. मु.)
45. गुड्डा (पं. मु.)
46. मनोहरपुरा (पं. मु.)
47. खेरूना
48. टिटोड़ा जागीर

परिशिष्ट (ख)

पंचायत मुख्यालय एवं 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों जिन्हें सड़कों से जोड़ना शेष है :—

पंचायत मुख्यालय ग्राम सूची

1. बागरी
2. बारला पोलिया
3. फलासिया
4. भगूदार

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 की सूची

सड़क से नहीं जुड़े हुये ग्रामों की सूची

1. नवीनपुरा
2. भींचरी
3. ताखलसर
4. कायमसर
5. बीबीपुर छोटा
6. नयाबास
7. बाठोद
8. अठवास
9. हिरना
10. सहनसर
11. बागडोदा
12. बिरानिया
13. थेड़ी
14. बलोद बड़ी
15. कारंगा छोटा
16. रसूलपुर
17. नारसर हरदयालपुरा
18. गोड़िया बड़ा
19. बलोद भूकरान
20. रोसावा
21. चाचीवाद बड़ा
22. मगासरा
23. दारदा
24. गारन्डवा
25. भाकरवाली
26. लावण्डा
27. फदनपुरा
28. गोरात
29. जालेऊ
30. हेतमसर
31. उदनसरी
32. बारी
33. बलोद छोटी
34. नारी
35. कारंगा बड़ा
36. जैठवा का बास
37. मरडाटू बड़ी
38. बीबीपुर बड़ा
39. चुहवास
40. रेनू
41. नारसरा
42. अलफसर
43. गोड़िया छोटा
44. खुड़ी
45. नगड़दास
46. ढाकली
47. ढाणी बैजनाथ
48. नांगल
49. सरदारपुरा
50. ठिठावता
51. ठिठावता पिरान
52. ढाणी रिड़मल
53. चाचीवाद छोटा
54. हरसावा छोटा
55. सरूपसर
56. खगनसर
57. जुगलपुरा
58. बावला
59. ढाणी लावण्डा
60. ढाणी सूण्डा
61. ढाणी थेड़ी
62. खेतरन की ढाणी
63. नीमका की ढाणी
64. सवाई लक्ष्मनपुरा
65. सुजासर
66. बैरास

परिशिष्ट—अ

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 का विवरण

चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों की सूची एवं आरोपित पेनल्टी ग्राम हुनमानाखुर्द तहसील मुण्डावर सम्वत 2050 फसल खरीफ

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी	ख. नं.	रकबा	किस्म भूमि	2050 खरीफ पेनल्टी 50 गुणा
1.	श्री केसर पुत्र लाली अहीर	95 मिन	1–00 बीघा	चारागाह जोत	130-00
2.	श्री मन्नू पुत्र लालजी	95 मिन	1–00 बीघा	चारागाह जोत	70-00
3.	श्री नन्दलाल पुत्र बाहर अहीर	95 मिन	0–10 बिस्वा	चारागाह जोत	35-00
4.	श्री रामकरन पुत्र रामचन्द्र अहीर	95 मिन	0–15 बिस्वा	चारागाह जोत	53-00
5.	श्री दुर्गा पुत्र रतिया अहीर	95 मिन	0–10 बिस्वा	चारागाह जोत	39-00
6.	श्री मन्जी पुत्र रतिया अहीर	95 मिन	0–10 बिस्वा	चारागाह जोत	35-00
7.	श्री भमन पुत्र ईसर	95 मिन	0–05 बिस्वा	गुवाडा	18-00
8.	श्री सोहन पुत्र देवकरण	95 मिन	0–05 बिस्वा	मकान	18-00
9.	श्री रोशन पुत्र रूडिया	95 मिन	0–05 बिस्वा	मकान	18-00
10.	श्री छाजू पुत्र जयनारायण	95 मिन	0–05 बिस्वा	मकान	18-00
11.	श्री देवना/उदयसिंह बीरसिंह पुत्र दाताराम	95 मिन	0–05 बिस्वा	डन्डा	18-00
12.	श्री कोसल्या बेवाह भूपसिंह	95 मिन	$4\frac{1}{2}$ बिस्वा	मकान तामील	16-00
			5 बीघा $14\frac{1}{2}$ बिस्वा		464–00

ह./–
तहसीलदार, मुण्डावर, अलवर (राज.)

परिशिष्ट–ब

चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों की सूची ग्राम हुनमाना खुर्द तहसील मुण्डावर

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी	ख. नं.	रकबा	नीलामी, फसल 2048 रबी	खरीफ 2049 आरोपित पेनल्टी	फसल नीलामी	2049 रबी पेनलटी आरोपित	फसल नीलामी 2049 रबी	खरीफ 2050 आरोपित पेनल्टी	फसल नीलामी खरीफ
1.	श्री रामकरण पुत्र रामचन्द्र अहीर	95 चरागह	10 बि.	—	35	—	35	140	53	जोत
2.	श्री मन्नु पुत्र लालजी अहीर	95 चरागह	1-00 बि.	—	70	—	70	30	70	जोत
3.	श्री बंशी पुत्र रतिया अहीर	95 चरागह	10 बि.	50	58	—	35	30	35	जोत
4.	श्री केहर पुत्र लालजी अहीर	95 चरागह	1-00 बीघा	—	70	—	70	35	70	जोत
5.	श्री दुर्गा पुत्र रतिया अहीर	95 चरागह	10 बि.	45	35	—	35	30	35	जोत
6.	श्री नन्दला पुत्र जाहर अहीर	95 चरागह	10 बि.	—	35	—	35	30	35	जोत
			4 बीघा	95 रु.	280 रु.	नील	280 रु.	295 रु.	298 रु.	

ह./–
तहसीलदार, मुण्डावर
अलवर (राज.)

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के निर्णय की प्रति

अजमेर जिले में भू-संशोधन कार्यों की समस्याओं के सम्बन्ध में दिनांक 7-4-92 को आयोजित बैठक

अजमेर जिले में किये गये भू-संशोधन कार्यों को मान्यता नहीं दिये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु दिनांक 7-4-92 को अपरान्त 3.00 बजे विधानसभा केबिनेट कक्ष में माननीय मुख्यमन्त्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित किया जाना निश्चित किया गया था। विधान सभा सम्बन्धी अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण माननीय मुख्यमन्त्रीजी की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सके। अतः बैठक की अध्यक्षा माननीय राजस्व मन्त्री श्री गंगाराम चौधरी द्वारा की गई। बैठक में निम्नलिखित महानुभावों ने भाग लिया:—

1. श्री रमजान खां, राज्यमन्त्री, भेड़ व ऊन।
2. श्री रासासिंह रावत, सांसद
3. श्री सांवरलाल चौधरी, विधायक, भिनाय।
4. श्री किशनगोपाल कोगटा, विधायक मसूदा।
5. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर, विधायक, नसीराबाद।
6. श्री चम्पालाल जैन, विधायक, ब्यावर।
7. श्री जगजीत सिंह, विधायक, किशनगढ़।
8. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर, विधायक, केकड़ी
9. श्री किशन सोनगरा, विधायक, अजमेर (पूर्व)
10. श्री के. एस. रस्तोगी, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर।
11. श्री अरूण कुमार, गृह आयुक्त, राज. जयपुर।
12. श्रीमती अलका काला, संभागीय आयुक्त, अजमेर।
13. श्री सत्यनारायण सिंह, सदस्य, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. श्रीमती अदिति मेहता, जिला कलक्टर, अजमेर।
15. श्री प्राणेश्वर तिवाड़ी, भू-प्रबन्ध आयुक्त, राज. जयपुर।
16. श्री आबिद अली, अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त राज. जयपुर।
17. श्री एच. एस भाटी, भू-प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर।
18. श्री सूरज नारायण पारीक, एडवोकेट।
19. श्री पूर्णशंकर दशोरा, एडवोकेट।
20. श्री वी. के. रस्तोगी, उप शासन सचिव, राजस्व।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान सभी उपस्थित माननीय विधायकों एवं सांसद द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि वर्ष 70-72 में तैयार की गई जमाबन्दी के आधार पर सभी कृषकों को खातेदारी अधिकार दे दिये जावे। साथ ही उन्होंने व्यक्त किया कि गैर मुमकिन आबादी, रास्ते, नाले, शमशान तथा अन्य सार्वजनिक भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जावे किन्तु यदि मौके की स्थिति के अनुसार भूमि गैर मुमकिन की श्रेणी में नहीं आती है एवं उस पर वास्तवित रूप से कब्जोकाश्त है तो ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार दिये जाने पर विचार किया जावे।

सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये उन्हें अधिकांशत: स्वीकार किया गया एवं राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया।

(1) गैर मुमकिन भूमि के मामले :—

वर्ष 1970-72 के भू-संशोधन के दौरन जिसके नाम खातेदारी अंकित कर दी गई, ऐसे सभी मामलों में जिनका 1940-41 व 1950-51 की मिसल बन्दोबस्त में नाम था लेकिन बाद में चांसाला जमाबन्दी तथा वर्किंग जमाबन्दी में नाम नहीं आया व भूमि सिवाय चक अंकित हो गई, जितनी भूमि पर उनका मिसल बन्दोबस्त में इन्द्राज है उस पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। रेकार्ड के अनुसार व मौके पर विद्यमान गैर मुमकिन आबादी, सार्वजनिक भूमि, रास्ते, नाले, कब्रिस्तान, शमशान, मन्दिर आदि पर किसी भी स्थिति में खातेदारी नहीं दी जावे।

(2) सिवाय चक व चरागाह भूमि के मामले :—

ऐसे सिवाय चक भूमि के मामले जिनमें 70-72 के भू-संशोधन के दौरान खातेदारी अंकित कर दी गई थी, में यदि वर्तमान में कब्जा दिनांक 1-7-75 से पूर्व से लगातार साबित होता है, ऐसे मामलों में स्वयं द्वारा पूर्व में धारित भूमि को सम्मिलित करते हुए 10 एकड़ की सीमा तक नियमन की कार्यवाही की जाकर मामले निपटाये जा सकते हैं।

(3) शामलात देह की भूमि के मामले :—

ऐसे काश्तकार जिन्हें बन्दोबस्ती जमाबन्दी में ताबेमर्जी काश्तकार दर्ज किया हुआ है तथा काश्त की अवधि भी बताई हुई है तथा जिनका नाम भू-संशोधन जमाबन्दी 70 72 में खातेदारी की हैसियत से अंकित हो गया था, लेकिन बाद की वर्किंग जमाबन्दी में जिनका नाम हटा दिया था, को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। इसमें गैर मुमकिन जमीनों के मामले में पैरा 1 के अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी। इन

(212)

शामलात के टीनेन्ट की धारा 15-बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन कानूनी अधिकार प्राप्त है, अतः उसके मुताबिक कार्यवाही की जानी चाहिये ।

(4) पेटा काश्त भूमि के मामले :—

राजस्व नियमों के तहत तालाबों के पेटे की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं । पेटे की भूमि पर खातेदारी अधिकार देने की स्थिति में यह संभावना रहती है कि उस पर भूमि पर अच्छी फसल पाने के लिए तालाब के पानी को अनावश्यक रूप से खाली करके पानी का दुरुपयोग किया जावे । अत पेटे की भूमि पर खातेदारी अधिकार देने से तालाबों के पानी को व्यर्थ ही समाप्त करने की प्रवृति को बढ़ावा मिलेगा । अजमेर जिले में जहां "सरफेस वाटर" की आवश्यकता है पेटे की भूमि के मामलों में खातेदारी अधिकार न दिये जाकर वर्तमान नियमों के अनुरूप ही कार्यवाही की जानी चाहिये । यदि बन्दोबस्ती जमाबन्दी में कोई अधिकार मिले हैं तो उनको गैर खातेदारी अधिकार मानकर उनको काश्त या अधिकार दिया जा सकता है ।

(5) नगर परिषद एवं नगरपालिका पेराफेरी के मामले :—

पेराफेरी के गावों में जिनके नाम 70-72 को जमाबन्दी में अंकित कर दिये परन्तु उनका नाम वर्किंग जमाबन्दी में नहीं आया ऐसे मामलों में से जिनके नाम मिशल बन्दोबस्त में या शामलात में होने के उपरोक्त पैरा 3 में नियमित हो जाते हैं उनको छोड़कर शेष के लिए यह प्रस्तावित है कि यदि उनका नाम 70-72 की जमाबन्दी में है और उनका कब्जा है तो अकृषि प्रयोग करने पर 1981 के शहरी भूमि रूपान्तरण नियमों के नियम (10) के अनुसार भूमि रूपान्तरण शुल्क ले लिया जाये और कृषि उपयोग में ही है तो 70-72 की प्रचलित बाजार दरें लेकर नियमित किया जा सकता है ।

परिशिष्ट – 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 62 की सूची

क्र. सं.	नाम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	डाक्टर के स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पारसोली	1	—
2.	ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैंसरोडगढ	2	1
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिचोर	1	1
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काटून्डा	1	—
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेघपुरा	1	—
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायता	1	—
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदवई	2	—
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोराव	1	1
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाडपुरा	1	1
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चेची	1	—
		12	4

214

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 65 की सूची

पंचायत समिति पाली

1. मुलियावास
2. केरला
3. नीम्बलीउरा
4. भागेसर
5. नीम्बाड़ा
6. मालेलाव
7. बाम्बीलाई
8. उतवान
9. सोवनिया
10. आकेली
11. मानपुरा
12. रामावासिया
13. जोड़कान्दड़ा
14. जोड जूनामठ
15. मंछिया
16. पूनायत
17. जवाड़िया
18. डरा
19. सुन्छेलाव
20. भावनगर
21. मनिहारों
22. गुढा प्रतापसिंह
23. गुरडाई
24. आइचिया
25. बालेताव
26. रावलवास
27. नीम्बलीखेड़ा
28. सांपा
29. पडासकलां
30. बाणियावास
31. पड़ासला खुर्द
32. आकड़ावास (कला व खुर्द)
33. खातीखेड़ा
34. सांकड़ावास
35. खरेवा
36. बुधवाड़ा
37. गुढ़ानारखा
38. गुन्दोज
39. पादरला
40. साली
41. जैतपुरा
42. जूसी एन्दला
43. गुढ़ासोनीगरा
44. तेवाली कलां
45. गुढ़ा बिच्छू
46. सोडावास
47. सापूनी
48. गुढ़ा गिरधारी
49. गिरादड़ा

पंचायत समिति रोहट

1. पुखतारी
2. लाम्बड़ा
3. खेड़ाखुर्द
4. मूडिया
5. फ़ैकारिया
6. हीरावास
7. डूंगरपुर
8. सोनाईला खां
9. साजी
10. मेहड़ा
11. धोलेरिया सासण
12. धोलेरिया खागीरी
13. बींजा
14. सिराणा
15. पाली
16. हुंजावा
17. धिगाणा
18. राखीणा
19. बस्सी
20. बायत
21. गरवालिया
22. उन्द्ररा
23. मालवा
24. सुखरलाई
25. चाटेलाव
26. मोरिया
27. सिगारी
28. धुन्डली
29. दूदली
30. आटन
31. लालकी
32. सावलता खुर्द
33. भूरियानी
34. कलाली
35. तिगरा उर्फ रामपुरा
36. दानासणी
37. मूंवकला उर्फ मूकतरा
38. धरमधारी
39. बान्डाई
40. काणावास
41. दूदिया
42. मंडलीदर्जियान
43. भाकरीवाला
44. मांडपुरिया
45. खुण्डीवास
46. सेदरिया
47. उमकली
48. कुंडलीचारणान
49. भिंडर
50. देवान

216

परिशिष्ट — 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 67 की प्रति

फोन : 563614
पी. बी. एक्स. : 563234 से 38

जयपुर विकास प्राधिकरण
इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

No. F 1 (119)JDA/GG/W/D/58 Dated 17 Januery 1992

The Secretary to Government,
Medical Department,
Rajasthan,
Jaipur.

Sub : **Proposed construction of General Hospital at Vidyadhar Nagar.**

Sir,

Jaipur Devlopment Authority has reserved land measuring 61930 sqm. in Vidhyadhar Nagar Project for building of 300-bedded complex with all necessary ancillary facilities. Necessity of this hospital has been felt due to development of various colonies like, Vidyadhar Nagar, Ambabari, Murlipura, Jhotwara, Harmara and Vishwakarma Industrial area. On construction of this hospital, the pressure on SMS Hospital will considerably be reduced and about 5 lakhs population, which is living in the vicinity of this area, will make use of this hospital.

A plan of 300-bedded General hospital complex is being sent to Director, Medical & Health Services, for conveying approval. A copy of the same is also enclosed herewith.

J. D. A. proposes to construct a portion of this hospital shown in 'red' accommodating 50 beds with necessary out-door facilities, Laboratories, Operation Theatre etc. at an estimated cost of Rs. 200 lakhs. It is anticipated that this portion of the hospital will be completed in about 18 months' time. It is requested that necessary provision for. Equipment and staff for running of this hospital may kindly be made at your end at the earliest, so that the hospital building can be put to use as soon as it is completed.

Yours faithfully,
Sd/-
(Hanuman Prasad)
Jaipur Development Commissioner.

Encl. Copy of Plan.

परिशिष्ट — 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के नियमों की प्रतिलिपि

UNIVERSITY OF RAJASTHAN

SYLLABUS

SCHEME OF EXAMINATION AND
COURE OF STUDY

FACULTY OF MEDICINE AND PHARMACEUTICS

B. Sc. (Nursing)

B. Sc. (Nursing) Part I Examination

B. Sc. (Nursing) Part II Examination

B. Sc. (Nursing) Part III Examination

B. Sc. (Nursing) Part IV Examination

B. Sc. (Nursing) Part III Examination for
Trained and Regd. Nurses

B. Sc. (Nursing) Part IV Examination for
Trained and Regd. Nurses

Published by : ☎ 75827

COLLEGE BOOK DEPOT

Book-sellers, Publishers & Suppliers

83, Tripolia Bazar (Near Atish Gate), JAIPUR-2

218

B. Sc. (Nursing)

Ordinances relating to B. Sc. (Nursing) Examination

(Four Year Course)

O. 299-V-1

The courses of study for the B. Sc. (Nursing) shall be opened to both male and female candidates.

O. 299-V-2

The courses of study leading to the B Sc. (Nursing) Degree shall consist of four academic year i e. Part-I, Part-II, Part-III and Part-IV.

O. 299-V-3.

(a) A candidate who has completed the age of 17 years at the time of admission or will complete the age on or before 31st December of the year of the admission to B. Sc. (Nursing) Part-I Course and Passed the First Year Science Examination of Three Year Degree Course (Pass Honours) of the University or an examination recognised by the University as equivalent thereto in all the compulsory subject and the optional subjects of medical group (Physics), Chemistry and Biology) including English as one of the compulsory subjects with a minimum of 45% marks (40% for natural born scheduled caste and scheduled tribe candidates) in the aggregate of English and Science subjects (Physics, Chemistry and Biology) taken together at the qualifying examination shall be eligible for admission to the B. Sc. (Nursing) Part-I Course.

(i) Where the seats reserved for Sheduled Caste and Scheduled Tribes students in the State can not be filled for want of requisite number of candidates fulfilling the minimum requirements prescribed for the State, then the vacant seats be filled up on all India basis with Schedule Caste and Schedule Tribes candidates getting not less than the aforesaid minimum prescribed pass percentage.

(ii) A candidate who has passed in the compulsory subjects of General Hindi/General English and the optional subjects of the medical group (Physics, Chemistry and Biology) of the First Year Examination of the Three Year Degree Course in Science conducted by the University shall be deemed to have passed the First Year T. D. C. (Sc.) Examination for the purpose of this Ordinance.

(b) A candidate who after passing the B Sc. (Nursing) Part-I Examination of the University has attended a regular course of study in an affiliated college for one academic year shall be eligible for admission to the B. Sc. (Nursing) Part-II Examination.

(c) A candidate who after passing the B. Sc. (Nursing) Part-II Examination of the University has attended a regular course of study in an affiliated college for one academic year shall be eligible for admission to the B. Sc. (Nursing) Part-III Examination.

(d) A candidate who after passing the General Nursing Course and Registered Nurse with a recoginsed body (State Nursing Council) having a minimum of five years regular nursing experience is also eligible for admission to B. Sc. (Nursing) Part-III Examination on producing N. O. C. from State Government. Their Merit will be calculated on the basis of Marks obtained in General Nursing (Final) Year Exam together with Bonus Marks of one for every 2 years of Completed Regular Services in Nursing exceeding than five years of minimum regular nursing Services upto last 1½ years of his last Services. Provided such candidates have not completed age above 40 years on or before 31st December of the year of his/her admission.

Note : That the candidates for B. Sc. (Nursing) Examination 1989 will be examined according to the syllabus which has been proposed by the COC in Nursing at its meeting held on 27th April, 1988. The candidates for the B. Sc. Nursing Part II, Part III and Part IV

Examination will be examined in accordance with the syllabuses already notified for the respective examinations of 1990. The candidates who will now be admitted directly to the B. Sc. Nursing Part III after passing the General Nursing Course will be examined in accordance with the syllabuses which has been laid down by the COC for the B.Sc. Nursing Pt. III examination 1990 and not according to the B. Sc. Nursing Part III Exam. 1989 and 1990 and Part IV Examination 1989 and 1990 in their cases.

(e) A candidate who after passing the B. Sc. (Nursing) Part-III Examination of the University has attended a regular course of study in an affiliated college for one academic year shall be eligible for admission to the B. Sc. (Nursing) Part-IV Examination.

Government of Rajasthan
Medical and Health Department
(Group 3)

No. F. 10 (8) M&H/Gr. 3/84 Jaipur, dated the 24-12-86

1. The Principal
   S. M. S. Medical College, Jaipur

2. The Director
   Medical and Health Services
   Rajasthan, Jaipur

Subject : Regarding Post Basic Training Course at Nursing College, Jaipur.

Sir,

In supersession of this department letter's of even number dated 8-4-1985 and 27-4-1985 on the subject mentioned above, I am directed to say that it has been decided by the Government that Nurse Grd. Ist and Grd. IInd having passed R. N.R. C. Course shall be deputed every year on the basis of a merit formula to be approved

by the State Government on the recommondation of the Directorate of Medical and Health Services. The candidate should be below 40 years of age and should fulfil the requirements of admission in the Post Basic Training as per University Ordinance. They will have to execute a Bond to serving the State for a minimum of Five years after the training. Stops should be taken to start this course at Nursing College, Jaipur as early as possible with intake capacity of 26 candidates only. Proposals for the merit formula fo admission to the Course be sent without delay to the State Government.

Yours faithfully,

Sd/-

(B. L. Meharda)

Special Secretary to the Government

Date 19-12-86

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न संख्या 69 का विवरण

वर्ष 1990 से नवम्बर, 1993 तक लिये गये खाद्य पदार्थों का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	लिये गये खाद्य नमूनों की संख्या	मिलावटी पाये गये नमूनों की सख्या
1990	1883	480
1991	2393	572
1992	2196	577
1993 (नवम्बर 93 तक)	2292	533

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न संख्या 71 का विवरण

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बारां

प्रश्न संख्या 1 प्रपत्र संख्या—1

बारां जिले में माडा योजना में वर्ष 92-93, 93-94 में निम्न कार्य सम्पादित हुये हैं।

क्र. सं.	नाम कार्यक्रम	92-93	93-94	
1.	कृषि प्रदर्शन	67	25	
2.	फल विकास	81	106	
3.	बीज सब्जी पैकेट वितरण	400	600	
4.	कूप ब्लास्टिंग	217	93	
5.	एनीकट	02	—	
6.	सामुदायिक डीजल पम्पसेट	09	6	स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
7.	पशु चिकित्सा शिविर	06	05	
8.	हिस्सा पूंजी अंशदान	106	120	स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
9.	निःशुल्क पोशके वितरण	2100		टी एडी से कपड़ा क्रय करने के संबंध में मार्ग दर्शन प्राप्त न होने से कार्य नहीं हुआ है।
10.	बुक बैंक	108	108	
11.	आयुर्वेदिक शिविर	1	1	स्वीकृति जारी माह मार्च 94 के प्रथम सप्ताह में आयोजित हो रहा है।
12.	एलोपेथिक शिविर	—	1 व 2 केसेज में ओर स्वी. जारी की हुई है।	
13.	ग्रामीण आवास	23	3 व 13 स्वी. जारी की हुई है।	
14.	मिनी आई. टी. आई.	1/52	1/22	
15.	कानूनी सहायता	—	5 स्वीकृति जारी की हुई है।	
16.	ग्रामीण दुकान	20	4 व 30 स्वी. जारी की हुई है।	
17.	पुलिया निर्माण	4	—	
18.	सामुदायिक जलोत्थान सिचाई योजना	—	—	

ह./-

अतिरिक्त कलक्टर (विकास) बारां।

224

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बारां

प्रश्न संख्या 2

प्रपत्र–2

पचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ोद में माडा योजनान्तर्गत वर्ष 91–92, 92–93 व 93–94 में क्या-क्या कार्य हुए। क्या कराये गये सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर सूचना निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	नाम कार्यक्रम	पं. स. छबडा			पं. स. छीपाबडोद		
		91–92	92–93	93–94	91–92	92–93	93–94
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृषि प्रदर्शन	8	47	4	5	8	2
2.	फल विकास	—	15	13	—	22	20
3.	सब्जी बीज पैकेट वित.	—	85	70	—	80	76
4.	कूप ब्लास्टिग	52	91	33	92	93	32
5.	एनीकट	—	—	—	—	—	—
6.	सामुदायिक डीजल पम्प सेट	3	3	2 स्वी. जारी	2	3	—
7.	पशु चिकित्सा शिविर	—	2	—	—	—	1
8.	हिस्सा पूंजी अंशदान	—	37	38 स्वी. जारी	40	15	21 स्वी. जारी
9.	नि:शुल्क ड्रेस वित.	450	588	—	510	490	—
10.	बुक बैंक	10	22	22	10	22	22

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	आयुर्वेद शिविर	—	—	—	—	—	1 स्वी. जारी
12.	ग्रामीण आवास	3	2	1 स्वी. जारी	3	—	1 स्वी. जारी
13.	एलोपैथिक शिविर	—	—	—	—	—	1
14.	मिनी आई.टी.आई	—	—	—	—	—	—
15.	कानूनी सहायता	—	—	1 स्वी. जारी	—	—	2 स्वी. जारी
16.	हेण्ड पम्प	—	—	—	—	—	1 स्वी. जारी
17.	ग्रामीण दुकान	2	5	4 स्वी. जारी	2	1	3 स्वी. जारी
18.	पुलिया निर्माण	—	—	—	—	—	—
19.	सामु. जलोत्थान सिचाई योजना	—	—	—	1 पथरी कार्य पूर्ण किन्तु विद्युत कनेक्शन शेष	—	—

नोट :—क्रमांक 1 से 18 तक का कार्य हो चुका है। क्रमांक 19 पर अंकित लिफ्ट योजना का निर्माण का कार्य पूर्ण है, मोटर लगकर विद्युत कनेक्शन बाकी है। गांव का विद्युतीकरण न होने से विद्युत कनेक्शन नहीं हो सका।

ह/–

अतिरिक्त कलक्टर (विकास) बारां

225

(226)

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बारां

प्रश्न संख्या 3

प्रपत्र संख्या—3

वर्ष 94 95 में पं सं. छबड़ा व छीपाबडौद में क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं।

क्र. सं.	नाम कार्यक्रम	छबड़ा	छीपाबडौद
1.	कृषि प्रदर्शन	10	10
2.	सब्जी बीज पैकेट वितरण	150	150
3.	कूप ब्लास्टिंग	50	50
4.	सामूहिक डीजल पम्पसेट	3	3
5.	निःशुल्क ड्रैस वितरण	350	350
6.	बुक बैंक	25	25
7.	चिकित्सा शिविर	1	—
8.	हिस्सा पूंजी अंशदान	40	40
9.	आयुर्वेदिक शिविर	1	—
10.	हैण्डपम्प	3	3
11.	ग्रामीण आवास निर्माण	3	3
12.	मिनी आई. टी. आई.	—	—
13.	कानूनी सहायता	1	1
14.	पशु चिकित्सा शिविर	2	2
15.	दुकान हेतु अनुदान	6	6
	योग —	645	643

ह./—
अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
बारां।

परिशिष्ट—18

अतारांकित प्रश्न संख्या 72 की सूची

क्र सं.	योजनाएं
1.	कृषि
1.1	अरंडी की खेती
1.2	सोयाबीन की खेती
2.	फल विकास
2.1	समन्वित फल विकास योजना
2 2	मसाला एवं सब्जी की उन्नत कृषि विधियों पर प्रदर्शन
2.3	बैंक के माध्यम से फल विकास कार्यक्रम
3.	रेशम कीट पालन
3.1	रेशम कीटपालन योजना
3.2	सिल्क बैरट कताई
4.	पशुपालन
4.1	बतखों का निशुल्क वितरण
4.2	उन्नत नस्ल के बकरों का निःशुल्क वितरण
4.3	बैंक के माध्यम से पशुओं की नस्ल में सुधार
4.4	पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन
5.	भेड़ व ऊन
5 1	प्रजनन हेतु संकर मेढों का वितरण
5.2	संकर मेढों के भरण-पोषण हेतु सहायता
6.	मत्स्य
6.1	राजस संघ के माध्यम से संचालित योजनाएं
6.1.1	नांद, जात क्रय करने हेतु राजससंघ को सहायता
6.1.2	मत्स्य प्रशिक्षण हेतु राजस संघ की सहायता
6.1.3	मत्स्य सहकारी समितियों का गठन
6.1.4	निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज पालन
6.1.5	जनजाति मछुआरों का जीवन बीमा
6.1.6	खुदरा मत्स्य विक्रय केन्द्र
6.1.7	मत्स्य जलाशयों का संरक्षण
6.2	मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
6.2.1	मत्स्य सहकारी समितियों का गठन
6.2.2	ग्रास कार्य मत्स्य बीज का उत्पादन

क्र. सं.	योजनाएं
7	**वन**
7.1	बंजर भूमि पर बांसों व लघु वन उपज के पौधों का रोपण
7.2	निजी पड़त भूमि का विकास
8.	**सहकारिता**
8.1	ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सामग्री वितरण एवं चल उपभोक्ता सामग्री वाहन हेतु अनुदान।
8.2	लेम्पस को व्यवस्थापकीय सहायता
8.3	लघु वन उपज संग्रहण पर देय रायल्टी का राजस संघ को पुनर्भरण
8.4	विभेदी ब्याज दर योजनान्तर्गत ऋण वितरण पर सर्विस चार्जेज हेतु अनुदान
8.5	निवेशी ब्याजदर योजना पर आधारित ऋण पर जोखिम निधि हेतु अनुदान
8.6	आदिवासी सदस्यों को लेम्पस/अन्य सहकारी संस्थाओं के हिस्सा क्रय करने हेतु सहायता
8.7	राजस संघ को कृषि उपादन विक्रय से ब्याज की हानि का पुनर्भरण
8.8	लघु वन/खनिज सम्पदा पर आधारित आदिवासी सहकारी समितियों को व्यवस्थापकीय अनुदान।
8.9	राजस संघ को व्यवस्थापकीय अनुदान।
8.10	प्रदर्शनी लगाने हेतु सहायता
8.11	राजस संघ के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायता
8.12	बंजर भूमि विकास योजना।
8.13	राजस संघ को सहकारी प्रशिक्षण शिविर आयोजन हेतु सहायता
8.14	शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री
8.15	दुग्ध सहकारी समितियों के लिये अनुदान।
9.	**सिंचाई**
9.1	विस्फोट द्वारा कुओं का गहरा कराना।
9.2	बोरिंग द्वारा कुओं को गहरा कराना
9.3	जलोत्थान सिंचाई योजना।
9.4	डीजल पम्पसेट के माध्यम से सामुदायिक सिंचाई कार्यक्रम।
9.5	माही बजाज सागर परियोजना का क्षेत्रीय विकास। –
9.6	सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना एवं अपूर्ण कुओं को पूर्ण कराना
10.	**विद्युत**
10.1	आदिवासियों की 8 बस्तियों का विद्युतीकरण
11.	**खान एवं भू-विज्ञान विभाग**
11.1	जनजाति व्यक्तियों को क्वेरी लाइसेन्स एवं खनन पट्टों हेतु सहायता।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र

क्र सं.	जिले का नाम	कुल तहसील	तहसील	पंचायत समिति	वि.वि.
1.	बांसवाड़ा	5	1. घाटोल 2. बांसवाड़ा 3. गढी 4. बागीडोरा 5. कुशलगढ़	1. घाटोल 2. पीपलखूट 3. बांसवाड़ा (मुकाम तलवाड़ा) 4. गढी 5. बागीडोरा 6. आनन्दपुरी 7. कुशलगढ़ 8. सज्जनगढ़	
2.	डूंगरपुर	4	1. डूंगरपुर 2. सीमलवाड़ा 3. सागवाड़ा 4. आसपुर	1. डूंगरपुर 2. बिछीवाड़ा 3. सिमलवाड़ा 4. सागवाड़ा 5. आसपुर	
3.	उदयपुर	10	1. कोटडा 2. झाडोल 3. धरियावद 4. सराड़ा 5. सलूम्बर 6. खैरवाड़ा 7. गिर्वा (81 ग्राम)	1. कोटडा 2. झाडोल 3. धरियावद 4. सराडा 5. सलूम्बर 6. खैरवाड़ा 7. गिर्वा	
4.	चित्तौडगढ़	12	1. प्रतापगढ़ 2. अरनोद	1. प्रतापगढ़ 2. अरनोद	
5.	सिरोही	5	1. आबूरोड़	1. आबूरोड़ ब्लाक	
	कुल योग	36	19	23	

विशेष केन्द्रीय सहायता में व्यय की गई राशि

वर्ष	विशेष केन्द्रीय सहायता (लाखों में)
1989-90	722.50
1990-91	866.09
1991-92	921.65
1992-93	924.45
1993-94	580.22
	4014.91

माडा, कलस्टर, बिखरी योजनान्तर्गत योजनाओं के पैटर्न

क्र. सं. 1	योजना का नाम 2	इकाई लागत 3	विशेष विवरण 4
1.	कृषि प्रदर्शन	200/–	इकाईयों हेतु 0.1 से 0.2 है.
2.	सब्जी मिनी किट्स वितरण	40/–	प्रति मिनिकिट्स
3.	फल पौध वितरण	150/–	प्रति कृषक को 25-30 पौध नि:शुल्क वितरण एवं प्रति पौध 5/–
4.	फल विकास	1038/–	0.01 हैक्टर नई इकाईयों हेतु
5.	कृषि कुओं को ब्लास्टिंग	1800/–	72 केट 6 ब्लास्श में
6.	एनीकट/वाटर शेड निर्माण	7.80 लाख	लाभान्वित 25-30 व्यक्ति एतैरे अनुसार
7.	लिफ्ट सिचाई योग	4.50 लाख	,,
8.	सामु. डीजल पम्प सैट वितरण	15000/–	5 से 10 व्यक्तियों (ज. जाति) के समूह को एक सामु. डीजल पम्प सैट 5 हॉर्स पावर शक्ति
9.	पशु चिकित्सा शिविर	11000/–	लाभान्वित में न्यूनतम 50% ज. जा.
10.	आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर	40000/–	लाभान्वित न्यूनतम 50% जन. व्यक्ति
11.	शल्य चिकित्सा शिविर	40000/–	,,
12.	अंशु पूंजी अनुदान	100/–	10 रु. प्रति शेयर के हिसाब से 10 शेयर
13.	ग्रामीण आवास गृह निर्माण	2600/–	प्रति परिवार
14.	जनजाति व्यक्तियों को बीमारी दुर्घटना सहायता	5000/–	अधिकतम टी. एस. पी. पैटर्न
15.	दुकान हेतु अनुदान	2000/–	प्रति परिवार

231

1	2	3	4
16.	बैंफु सेन्टर	0.70 लाख	
17.	स्कूल पौशाक एवं स्टेशनरी	75/–	पौशाक हेतु
		30/–	स्टेशनरी हेतु
18.	व्यवसायिक शिक्षा	500/–	पुस्तकों हेतु
		500/–	किराये हेतु (नोन होस्टलर को)
19.	बुक बैंक	85/–	प्राथमिक शिक्षा
		230/–	उच्च प्राथमिक
		2000/–	माध्यमिक
20.	आश्रम होस्टल संचालन व्यय	5.08 लाख	उच्चतर माध्यमिक
		4.03 लाख	140 छात्रों हेतु ।
		3.71 लाख	100 छात्रों हेतु ।
		2.65 लाख	90 छात्रों हेतु ।
21.	रीनोवेशन एवं मोडेनाईजेशन आश्रम छात्रावास	0.20 लाख	50 छात्रों हेतु ।
22.	मेडिकल फेसेलिटी आश्रम छात्रावास	1000/–	प्रति आश्रम छात्रावास
23.	मिनी. आई. टी. आई. संचालन	5.74 लाख	प्रति मिनी आई. टी. आई.
24.	बी. एड. यूनिट	4.35 लाख	
25.	एस. टी. सी. यूनिट	1.23 लाख	
26.	दरी बुनाई केन्द्र (उत्पादन कम प्रशिक्षण केन्द्र)	3.40 लाख	पुरानी यूनिट
27.	मुक्त कानुनी सहायता	400/–	प्रति केस

परिशिष्ट—19

अतारांकित प्रश्न संख्या 73 की सूची

क. सं.	योजनाएं
1.	**कृषि**
1.1	अरंडी की खेती
1.2	सोयाबीन की खेती
2.	**फल विकास**
2.1	समन्वित फल विकास योजना
2.2	मसाला एवं सब्जी की उन्नत कृषि विधियों पर प्रदर्शन
2.3	बैंक के माध्यम से फल विकास कार्यक्रम
3.	**रेशम कीट पालन**
3.1	रेशम कीटपालन योजना
3.2	सिल्क वेंरट कताई
4.	**पशुपालन**
4.1	बतखों का निशुल्क वितरण
4.2	उन्नत नस्ल के बकरों का निःशुल्क वितरण
4.3	बैंक के माध्यम से पशुओं की नस्ल में सुधार
4.4	पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन
5.	**भेड़ व ऊन**
5.1	प्रजनन हेतु संकर मेढों का वितरण
5.2	संकर मेढों के भरण-पोषण हेतु सहायता
6.	**मत्स्य**
6.1	राजस संघ के माध्यम से संचालित योजनाएं
6.1.1	नांद, जात क्रय करने हेतु राजससंघ को सहायता
6.1.2	मत्स्य प्रशिक्षण हेतु राजस संघ की सहायता
6.1.3	मत्स्य सहकारी समितियों का गठन
6.1.4	निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज पालन
6.1.5	जनजाति मछुआरों का जीवन बीमा
6.1.6	खुदरा मत्स्य विक्रय केन्द्र
6.1.7	मत्स्य जलाशयों का संरक्षण
6.2	मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
6.2.1	मत्स्य सहकारी समितियों का गठन
6.2.2	ग्राम कार्य मत्स्य बीज का उत्पादन

क्र. सं.	योजनाएं
7	**वन**
7 1	बंजर भूमि पर बासों व लघु वन उपज के पौधों का रोपण
7 2	निजी पड़त भूमि का विकास
8.	सहकारिता
8.1	ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सामग्री वितरण एवं चल उपभोक्ता सामग्री वाहन हेतु अनुदान।
8.2	लेम्परा को व्यवस्थापकीय सहायता
8.3	लघु वन उपज संग्रहण पर देय रायल्टी का राजस संघ को पुनर्भरण
8 4	विभेदी ब्याज दर योजनान्तर्गत ऋण वितरण पर सर्विस चार्जेज हेतु अनुदान
8.5	निवेशी ब्याजदर योजना पर आधारित ऋण पर जोखिम निधि हेतु अनुदान
8.6	आदिवासी सदस्यों को लेमास/अन्य सहकारी संस्थाओं के हिस्सा क्रय करने हेतु सहायता
8 7	राजस संघ को कृषि उपादन विक्रय से ब्याज की हानि का पुनर्भरण
8.8	लघु वन/खनिज सम्पदा पर आधारित आदिवासी सहकारी समितियों को व्यवस्थापकीय अनुदान।
8 9	राजस संघ को व्यवस्थापकीय अनुदान।
8.10	प्रदर्शनी लगाने हेतु सहायता
8.11	राजस संघ के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायता
8.12	बंजर भूमि विकास योजना।
8.13	राजस संघ को सहकारी प्रशिक्षण शिविर आयोजन हेतु सहायता
8.14	शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री
8.15	दुग्ध सहकारी समितियों के लिये अनुदान।
9.	**सिंचाई**
9.1	विस्फोट द्वारा कुओं का गहरा कराना।
9.2	बोरिंग द्वारा कुओं को गहरा कराना
9.3	जलोत्थान सिंचाई योजना।
9.4	डीजल पम्पसेट के माध्यम से सामुदायिक सिंचाई कार्यक्रम।
9.5	माही बजाज सागर परियोजना का क्षेत्रीय विकास।
9.6	सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना एवं अपूर्ण कुओं को पूर्ण कराना
10.	**विद्युत**
10.1	आदिवासियों की 8 बस्तियों का विद्युतीकरण
11.	**खान एवं भू विज्ञान विभाग**
11.1	जनजाति व्यक्तियों को क्वेरी लाइसेन्स एवं खनन पट्टों हेतु सहायता।

परिशिष्ट—20

अतारांकित प्रश्न संख्या 76 की सूची

पदस्थापित होम्योपैथिक चिकित्सक के नाम सहित राज्य में स्वीकृत व संचालित होम्योपैथिक औषधालयों की सूची

क्र. सं.	नाम औषधालय	पदस्थापित चिकित्सक
1	2	3
1.	जोन्सगंज-अजमेर (दो पद स्वीकृत)	1. श्रीमती रेणु बंसल 2. श्री के. के. शर्मा
2.	झालरापाटन (झालावाड़) (दो पद स्वीकृत)	1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा 2. श्री डी. बी. एल. माथुर
3.	केकड़ी (अजमेर)	श्री सतीशचन्द शर्मा
4.	ब्यावर (अजमेर)	श्री अरूण कुमार माथुर
5.	पुष्कर (अजमेर)	श्री सुरेन्द्र सिंह तड़ागी
6.	भीलवाड़ा	श्री भ्रमरलाल कोठारी
7	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	श्री दिनेश कुमार नागर
8.	भोपालगंज (भीलवाड़ा)	श्री गिरिराजसिंह नरूका
9.	हरिजन बस्ती-अलवर	श्री रणजीतसिंह
10.	आदर्श कालोनी-अलवर	श्री सुरेन्द्र कुमार
11.	रसनाली (अलवर)	श्री दिनेशचन्द पान्डेय
12.	नारायणपुर (अलवर)	श्री सुरेश कुमार यादव
13.	मोठूका फतेहपुर (अलवर)	श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर
14.	बांसवाड़ा	श्री सुनील कुमार माथुर
15.	भरतपुर	श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल
16.	बरौली (धौलपुर)	श्री जिनेश कुमार जैन
17.	सिहावली (भरतपुर)	श्री जयसिंह कहरवाल
18.	नयावास (भरतपुर)	श्री रघुनाथ सिंह
19.	पारीक चौक-बीकानेर	श्री सुरेन्द्र कुमार चोमाल

(236)

1	2	3
20.	हरिजनबस्ती–बीकानेर	श्री राजा सुरेन्द्र मोहन
21.	बून्दी	श्री बाबूलाल मीणा
22.	आतरदा (बून्दी)	श्री ओमराज पाल
23	साथेली (बून्दी)	श्री प्यारसिंह
24.	बम्बोरी (बून्दी)	श्री कैलाशचन्द
25.	बाछोला (बून्दी)	श्री विरेन्द्रपाल सिंह
26.	चित्तौड़गढ़	श्री कुलदीपनारायण माथुर
27.	चुरू	श्री राघवेन्द्रपाल
28.	साखूं (चुरू)	श्री ओमप्रकाश दीक्षित
29.	डूंगरपुर	श्री चन्द्रप्रकाश पंवार
30.	पुरानी आबादी–श्रीगंगानगर	श्री रामप्रकाश शर्मा
31.	हरिजन बस्ती–सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	श्री सैयद फजलेबारी
32.	विधानसभा–जयपुर	श्री विनोद कुमार शर्मा
33.	जाटावाली (जयपुर)	श्री दीपक श्रीवास्तव
34.	सोडाला–जयपुर	श्रीमती प्रतीणा खराड़ी
35.	बापूनगर–जयपुर	श्री मनमोहन सिंह
36.	मोदीखाना–जयपुर	श्रीमती जयमाला जैन
37.	हीरापुरा–जयपुर	,, उर्मीला गुप्ता
38.	दौसा	,, आभा मित्तल
39.	सचिवालय–जयपुर	श्री जयकिशन शर्मा
40.	पुलिस लाइन–जयपुर	श्री बजरंग सिंह राठौड़
41.	सेठी कालोनी–जयपुर	श्री सुनील कुमार माथुर
42.	विद्याधर नगर–जयपुर	श्री राममोहन गुप्ता
43.	थाना एयरपोर्ट सांगानेर(जयपुर)	श्री महेशचन्द शर्मा
44.	बांदीकुई(दौसा)	श्री विजय शर्मा
45.	जालोर	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह
46.	झुन्झुनू	श्री केदारनाथ शर्मा

1	2	3
47.	मुकुन्दगढ़ (झुन्झुनू)	श्री राजेन्द्र प्रसाद
48.	झालावाड़	श्री कमलेश यादव
49.	रामपुरा–कोटा	श्रीमती राजरानी यादव
50.	दादाबाड़ी–कोटा	श्री मुकेश मोहन दाधीच
51.	हाथीराम का ओडा–जोधपुर	श्री दीवान अली
52.	पिचियाक–(जोधपुर)	श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़
53.	नागौर	श्री राजबहादुर सिंह
54.	पाली	श्री कृष्णचन्द
55.	सुमेल (पाली)	श्री रणवीरसिंह
56.	नयागांव (पाली)	श्री डेविड सी. पी. सेम्युअल
57.	सीकर	श्री श्रवणसिंह शेखावत
58.	बागडोदा (सीकर)	श्री हनुमानसिंह
59.	तारपुरा (सीकर)	श्री मोहन सिंह शेखावत
60.	सिरोही	श्री सुखवीरसिंह
61.	आबूरोड (सिरोही)	श्री राजेश कुमार हारित
62.	मण्डावरिया (सिरोही)	श्री रमाकान्त शर्मा
63.	सवाईमाधोपुर	श्री सुरेशचन्द शर्मा
64.	परीता (सवाईमाधोपुर)	श्री विजयसिंह मीणा
65.	करौली (सवाईमाधोपुर)	श्री मनमोहन शर्मा
66.	टौंक	श्री तेजकरण बोलिया
67.	भरणी (टौंक)	श्री विनोद कुमार शर्मा
68.	पई (उदयपुर)	श्री रवीन्द्र कुमार राव
69.	जसवन्तगढ़ (उदयपुर)	श्री बजरंग सिंह

1	2	3
70.	सलूम्बर (उदयपुर)	श्री राजेन्द्र सिंह
71.	सैक्टर नं.–5–उदयपुर	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
72.	मालासी (चुरू)	श्री भींवाराम रीणवा
73.	मऊ (सीकर)	श्री हरफूलसिंह ढाका
74.	खिदरपुर (अलवर)	श्री धीरेन्द्रसिंह बंसल
75.	कुवरपुरा (झालावाड़)	श्री गणेशचन्द गौतम
76.	नोखा मण्डी (बीकानेर)	श्री सुमेरसिंह नाथावत
77.	बारां	श्री दलेलसिंह राजावत
78.	कुण्डी (बारां)	श्री बनवारीलाल मित्तल
79.	मिलेगढ़ (झालावाड़)	श्री आदित्य प्रकाश
80.	कुसुम्बी (नागौर)	श्री नरेन्द्र प्रसाद माथुर
81.	सांगानेर (जयपुर)	श्री अनील जोशी
82.	जिली (चुरू)	श्री सुशील कुमार शर्मा (अनुपस्थित)

नाम औषधालय जहां वर्तमान में पद रिक्त है

83.	खरता (बांसवाड़ा)	मार्च, 1983 से
84.	बाड़मेर	मार्च, 1981 से
85.	बामनवाली (बीकानेर)	नवम्बर, 1990 से
86.	बरसलपुर (बीकानेर).	जुलाई, 1992 से
87.	बीकमपुर (बीकानेर)	जून, 1992 से
88.	करणीसर-राजसर (बीकानेर)	अप्रेल, 1983 से
89.	बेडसा (डूंगरपुर)	अप्रेल, 1989 से
90.	नीमला (श्रीगंगानगर)	दिसम्बर, 1989 से

1	2	3
91.	जैसलमेर	जनवरी, 1989 से
92.	रेलावन (बारां)	जुलाई, 1993 से
93.	फिरवासी (नागौर)	अगस्त, 1991 से
94.	लसाडिया (उदयपुर)	सितम्बर, 1993 से
95.	सुलई (उदयपुर)	दिसम्बर, 1985 से
96.	भौरी (भरतपुर)	जुलाई, 1993 से
97.	सुरा (बाड़मेर)	नवम्बर, 1989 से
98.	बासनी जोजावर (पाली)	फरवरी, 1990 से
99.	घन्टाला (बांसवाड़ा)	मार्च, 1990 से
100.	बामनिया (चुरू)	जुलाई, 1993 से
101.	हाडेतर (जालौर)	नवम्बर, 1990 से
102.	लियादरा (जालौर)	नवम्बर, 1990 से
103.	देशनोक (बीकानेर)	नवम्बर, 1990 से
104.	सांडिया (पाली)	जुलाई, 1991 से
105.	ग्रेड़ (डूंगरपुर)	मार्च, 1991 से
106.	सोनाईमांझी (पाली)	जनवरी, 1990 से
107.	बालसमन्द (जोधपुर)	जनवरी, 1994 से

240

परिशिष्ट—21

अतारांकित प्रश्न संख्या 80 का विवरण

राज्य सरकार से राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन को गत तीन वर्षों में प्राप्त आदेश व दिशानिदेशों का विषयवार विवरण ।

दिनांक	विषय
05-12-1991	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के प्रबन्धकारिणी का निर्वाचन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया ।
17-12-1991	राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि., जयपुर के संचालक मण्डल के चुनाव कार्यक्रम बनाने के निर्देश ।
13-02-1992	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों व जिला दुग्ध संघो के प्रबन्धकारिणी के चुनाव जो दिनांक 17-2-92 को होने थे उनको अग्रिम आदेशों तक राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 139 के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।
24-08-1993	राज्य सरकार के आदेश द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों व जिला दुग्ध संघों को एक वर्ष या निर्वाचन तक जो पहले हो, को राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 36(1 ख) व नियम 34(2) व 34(6) से छूट प्रदान की गई है ।